न माला, खंड 4, अंक 35

र, 29 अगस्त, 1991
7 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 4 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

गुरुवार, 29 अगस्त, 1991 / 7 भाद्र, 19 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
70	1 और 4	"नाफेड" के स्थान पर "नैफेड" पढ़िये।
84	11	"तोपानो" के स्थान पर "तोपनो" पढ़िये।
105	नीचे से पंक्ति 9	"प्रसंकरण" के स्थान पर "प्रसंस्करण" पढ़िये।
132	नीचे से पंक्ति 8	"शाहबुद्दीन" के स्थान पर "शाहाबुद्दीन" पढ़िये।
138	2	"शाहबुद्दीन" के स्थान पर "शाहाबुद्दीन" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 4, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 35, गुरुवार, 29 अगस्त, 1991/7 भाद्र 1913 (शक)

वि		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 610 से 613	...	1-25
के मौखिक उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 614 से 629		25-48
तारांकित प्रश्न संख्या : 4968 से 5070, 5072 से 5094, 5096 से 5103, 5105 से 5124, 5126 से 5136, 5138 से 5144 और 5146 से 5151 ...		48-217
टल पर रखे गए पत्र ...	...	239-241
सभा से संदेश ...	...	241
(अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक		
य सभा द्वारा यथासंशोधित—सभा पटल पर रखा गया	...	242
र्वाचन		
विश्वविद्यालय की कोर्ट		242
के अधीन मामले ...	...	242-246
नाडु के कामराज जिले में पचेयारू जलाशय योजना स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता		
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन ...	...	242-243
त्रता आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर चिमुर के लोगों को पर्याप्त न और मान्यता देने की आवश्यकता		
श्री विलास मुत्तेमवार ...	...	243-244

किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय				पृष्ठ
(तीन) छोटे समाचार पत्रों को अधिक रियायतें दिए जाने की आवश्यकता				
श्री श्रवण कुमार पटेल		...	...	244
(चार) हमीरपुर उत्तर प्रदेश में टेलीफोनों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता				
श्री विश्वनाथ शर्मा	...	...	...	245
(पांच) सीतापुर-बुढ़वल छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता				
श्री जनार्दन मिश्र	...	...	...	245
(छः) धनहा, बिहार में चीनी मिल लगाने की योजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता				
श्री महेन्द्र बैठा	...	...	...	245-246
(सात) जमालपुर रेलवे वर्कशाप में माल-डिब्बों और सवारी डिब्बों का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता				
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	...	...	...	246
(आठ) बिहार में बंद पड़ी कटिहार जूट मिल को पुनः खोलने की आवश्यकता				
श्री राम सागर	...	...	...	246
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92				
कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय		...	...	246-285 और 286-306
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर		...	...	247-250
श्री के० वी० तंग्काबालू	...	...	...	250-255
श्री पीयूष तीरकी	...	...	...	255-259
श्री वी० एस० विजयराघवन	...	...	...	259-262
श्री बृशिण पटेल	...	...	...	262-267
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील		...	...	267-272
श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल		...	...	272-275
श्री अमर रायप्रधान	...	...	...	275-287
श्री के० सी० लेंका	...	...	...	287-291
श्री सूर्य नारायण यादव	...	...	...	292-295
श्री अयूब खां	...	...	...	295-299

विषय	पृष्ठ
डा० परशुराम गंगवार	299-302
श्री तरुण गोगोई	3 2-305
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	305
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
द्वितीय भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, आई० आर० एस०-1बी का प्रमोचन	
श्री पी० वी० नरसिंह राव	285-286
आधे घंटे की चर्चा	306-324
टिहरी बांध परियोजना को स्वीकृति	
श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी	306-309
श्री कमल नाथ	309-323
श्री रवि राय	315-317
श्री संतोष कुमार गंगवार	318-319
श्री मानवेन्द्र शाह	319-320
श्रीमती वसुन्धरा राजे	322-323

लोक सभा

गुरुवार, 29 अगस्त, 1991/7 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करी

†*610. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "टेरॅरिस्ट थ्रेड बैक इन फोकस इन राजस्थान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत चार महीनों में आज तक राजस्थान से लगी भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुई तस्करी-गतिविधियों का ब्योरा क्या है, कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे जब्त किए गए हथियारों का ब्योरा क्या है; और

(ग) राजस्थान से लगी भारत-पाकिस्तान सीमा पर हो रही हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए संघ सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान। सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. पिछले चार महीनों (31 जुलाई, 1991 तक) के दौरान राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए घुसपैठिये इत्यादि और जब्त किए गए शस्त्र और गोलाबारूद तथा अन्य वस्तुएं।

(i) पकड़े गए घुसपैठिए इत्यादि	563
(ii) जब्त किए गए शस्त्र	संख्या
ए०के० 56 राईफल	58
जी०पी०एम०जी०	03
पिस्तोल रिवाल्वर	26
बन्दूक	02
	90
(iii) गोला-बारूद	22350 छड़ें
(iv) स्वर्ण	58.566 कि०ग्रा०
(v) चांदी	551.875 कि० ग्रा०
(vi) चरस	520 कि० ग्रा०

2. राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर, तस्करी रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम ।

सीमा बल को, संख्या, उपकरण और शस्त्रों की दृष्टि से सुदृढ़ किया गया है । सतर्कता बढ़ा दी गई है । विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, सीमा पर बाड़ और लाईट लगाने का कार्य किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक्सट्रीमिस्ट की समस्या खासकर कश्मीर में जो बन चुकी है उसको रोकने के लिए जैसे पंजाब में एक्शन प्लान लिया गया है क्या उसी मुताबिक राजस्थान में भी एक्शन प्लान बनाने की केन्द्र सरकार की कुछ योजना है ? यदि है तो वह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : राजस्थान सीमा पर इसे रोकने के लिए सरकार ने हमारे सैन्य बलों द्वारा विभिन्न उपाय किए हैं । एक उपाय सीमा सुरक्षा बल के और अधिक जवानों को लगाना है । बी० ओ० पी० की दूरी को कम करने के लिए एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें लगाई गयीं है ।

श्री राम नाईक : बी० ओ० पी० का क्या अर्थ है ।

श्री एम० एम० जैकब : सीमा पर स्थित चौकियां । गश्त तथा सुरक्षा निगरानियां बढ़ा दी गई हैं । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बेहतर चौकसी करने के लिए निगरानी स्तम्भ बनाए गए हैं । सीमा पर नियुक्त बलों को रात्रि में देखने के लिए दूरबीनें तथा सर्च-लाईट दी गई हैं । जीपों, मोटर साई-कलों, इत्यादि पर विशेष सीमा गश्त के रूप में मोबाईल पैट्रोलिंग आरम्भ की गई है । पाकिस्तान के साथ लगी हमारे बिकानेर क्षेत्र के साथ हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी

के लिए बाड़ लगाई गई है और फ्लड लाइटिंग उपलब्ध कराई गई है। उस क्षेत्र का ब्यौरा एक अन्य मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : जैसे पंजाब में बार्डर फैनासिंग बनाई गई है वैसे ही राजस्थान बार्डर में गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में भी बार्डर फैनसिंग का काम शुरू हुआ है, ऐसा आपने कहा है। लेकिन यह कार्य कब तक पूरा करने की योजना है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, 202.87 कि०मी० तक सीमा पर बाड़ लगाने की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें से 58.80 कि०मी० तक बाड़ लगा दी गई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की समय सारणी के अनुसार बाकी काम 30 सितम्बर, 1991 तक पूरा कर लिया जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल : सीमा पार के आतंकवादियों तथा मादक द्रव्यों की तस्करी करने वाले तस्करों के बीच स्पष्ट सम्बन्ध हैं। हमारे पास विवरण के अनुसार इस अवधि में 320 कि०ग्रा० चरस पकड़ी गई। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सीमा पार करते समय तथा मादक द्रव्य ले जाते समय पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

श्री एम० एम० जैकब : वर्ष 1991 के दौरान राजस्थान सीमा को पार करते समय पकड़े गए लोगों की संख्या 185 है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान की तरफ से कई बार यह सुझाव दिया गया है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बार्डर के बीच में पांच मील की एक बैल्ट बना दी जाए, जहां पर केवल आर्मी के रिटायर्ड जवानों को बसाया जाय ताकि हमेशा के लिए बार्डर की समस्या, स्मगलिंग की समस्या और टैरेरिस्ट्स की समस्या का हल हो जाय। क्या भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि भारत पाक सीमा के बीच मे 5 स्क्वायर माइल तक एक ऐसा जोन बना दिया जाएगा जिसमें वहां कोई भी सिविलियन व्यक्ति नही रह सके बल्कि केवल आर्मी को सुपुर्द करके वहां आर्मी के रिटायर्ड जवानों को रखा जायेगा ताकि वहां पर स्थाई सुरक्षा की व्यवस्था हो सके ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : इस समय पांच कि०मी० की पट्टी अलग से बनाने की कोई योजना है। किन्तु इसी के साथ, राजस्थान में पांच कि०मी० क्षेत्र में, इस प्रयोजन हेतु पहचान-पत्र जारी किए जा रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत-पाक सीमा की लम्बाई कितनी है, सीमा पर स्थित गांवों की संख्या कितनी है और क्या तस्करों को रोकने के लिए गांव वासियों को संगठित करने के लिए उनसे सम्पर्क किया गया है ?

श्री एम० एम० जेकब : मैं भारत-पाक सीमा पर गांवों की संख्या के प्रश्न के लिए अलग नोटिस चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुछ स्पेसिफाइड एरिया में बोर्डर फेंसिंग और लाइटिंग का काम किया गया है। बोर्डर पर स्मगलिंग और जो काम होता है, उसमें वह लोग नये-नये स्थान ढूंढ लेते हैं तो मैं मान्यवर, मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पूरे पश्चिमी सीमा क्षेत्र के सभी विस्तार में आप बोर्डर फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जेकब : सरकार की मंशा सीमा पर अधिक से अधिक बाड़ तथा रोशनी उपलब्ध कराने की है। यह प्रश्न राजस्थान सीमा से सम्बन्धित है और मेरे पास राजस्थान सीमा पर बाड़ तथा रोशनी की व्यवस्था सम्बन्धी सही आंकड़े हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल : कई दिनों से यह देखा जा रहा है कि राजस्थान सीमा पर घुसपैठ जारी है। हम यह भी जानते हैं कि इन सब में आतंकवादी एवं तस्कर शामिल रहे हैं। किन्तु यह कभी कम नहीं किया गया है। संचार माध्यम में हम नियमित रूप से इन समाचारों के बारे में सुनते हैं। इस पर रोक लगाने के बारे में सरकार का क्या विचार है। यह केवल फ्लड लाइटिंग अथवा किसी को पकड़ने से सम्बन्धित नहीं है। यहां तक कि कल **हिन्दुस्तान टाइम्स** में ऐसी खबर थी कि पाकिस्तान से प्रशिक्षित आधा दर्जन कश्मीरियों की हत्या की गई है। इनका मुकाबला करने के लिए क्या गृह मन्त्रालय के पास स्थाई तौर पर कोई बड़ी योजना है ? क्या माननीय मन्त्री महोदय हमें इस बारे में कुछ बताएंगे ?

श्री एम० एम० जेकब : अपनी गुप्तचर एजेन्सियों से सूचना प्राप्त करने के अलावा, हमारे बलों द्वारा सीमा पर गतिविधियों को तीव्र करना ही एक मात्र उपाय है। इसके अलावा, हमारे पास कोई दोष रहित तरीका नहीं है जिससे हम सम्पूर्ण सीमा, को बन्द कर सकें।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भारत भर में हैरोइन राजस्थान के सीमा क्षेत्र से आती है और पकड़े जाने के डर के मारे तस्कर हैरोइन को छोड़ जाते हैं लेकिन जो मुख्य अपराधी, हीरो होते हैं वह भाग खड़े होते हैं ? मन्त्री महोदय बतायें कि कितनी बिना मालिक के हैरोइन पकड़ी गई और कितने लोग डर के मारे पाकिस्तानी सीमा में उनके संरक्षण के कारण वापस भाग गए ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जेकब : मैंने पहले ही इस वर्ष पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या, 185 बता दी है। मुझे जब्त की गई हशीश की सही मात्रा मालूम नहीं है।

उत्तर प्रदेश के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा

*611. **श्री भगवान शंकर रावत :**
श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने डाकघरों/उप डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के सभी डाकघरों/उप डाकघरों में ऐसी सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-7-1991 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ऐसे शाखा डाकघरों/उप डाकघरों की संख्या 15296 है जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायें नहीं हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना नहीं है। तथापि, दूरसंचार विभाग ने पंचायत ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना बनाई है। ये टेलीफोन डाकघरों में, पंचायत मुख्यालय में, परचून की दुकान में या किसी ऐसे अन्य उपयुक्त स्थान पर लगाए जा सकते हैं जहां लोग आते-जाते रहते हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं पहला प्रश्न यह पूछना चाहूंगा, चालू वर्ष में कितने डाकघरों और उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने की सरकार की योजना है ? दूसरा अंश है—कितने डाकघरों में अभी तक ये सुविधायें दी जा चुकी हैं ? तीसरा खंड है—प्रदेश भर के सभी डाकघरों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायें देने की योजना शासन क्यों नहीं बनाता है ? और चौथा खंड है···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं, प्रश्न बहुत लम्बा हो जाएगा।

(**व्यवधान**)

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक टेलीफोन देने की जो योजना है, उसमें पोस्ट आफिस उस योजना का एक भाग है। जब हम ये टेलीफोन गांव में देते हैं, अगर वहां पर पोस्ट आफिस है, तो उसको वहां प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन पोस्ट आफिस 24 घंटे खुला नहीं रहता है। टेलीफोन देने का मकसद यह है कि यदि रात को दो बजे भी कोई मैसेज देना हो कहीं थाने में या आस-पास तो टेलीफोन अवेलेबल रहे। वह सुविधा उस तक पहुंच सके। इसलिए जहां ऐसी सुविधा है, पोस्टमैन या पोस्ट आफिस में जो कर्मचारी होते हैं, वे यदि वहीं रहते हों, जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिस हैं, उनके कर्मचारी ज्यादातर वहीं रहते हैं, क्योंकि वे एम्पलायड नहीं हैं और टाइम के हिसाब से काम करते हैं, तो यह सुविधा वहां देते हैं। लेकिन जहां

पर पोस्ट आफिस चार घंटे के लिए खुलता है वहां टेलीफोन चार घण्टे के लिए देना कोई फायदेमंद नहीं है। इसलिए दूसरी जगह चुनते हैं, जहां गांव के लोग सहमत हो जायें या किसी दुकान पर, जिसको कि रात को भी जाकर जगाया जा सके और या कोई ऐसी जगह जैसे सरपंच के घर या कोई गणमान्य व्यक्ति हो, जो इस सुविधा को दे सके, तो उस हिसाब से यह योजना बनाई गई है। इन दोनों के लिंक से माननीय सदस्य उस मकसद तक नहीं पहुंच पायेंगे, जिसके लिए यह योजना चालू की गई है। जहां तक "ख" भाग का सवाल है—सब पोस्ट आफिस जहां पर टेलीफोन फेसलिटीज हैं, उनकी संख्या 1587 है और जहां पर टेलीफोन फेसलिटीज नहीं है, उनकी संख्या 1687 है। ब्रांच पोस्ट आफिस जहां पर फेसलिटीज है, उनकी संख्या 2620 है और जहां पर टेलीफोन की सुविधा नहीं है, उनकी संख्या 13,609 उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न के "ग" भाग में आपने डाकू या टेरेरिस्ट क्षेत्र के बारे में पूछा है—उनके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने अलग से टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें पंजाब, काश्मीर और असम तथा और भी दूसरे राज्यों के ऐसे भाग हैं, जहां पर कि ये गतिविधियां ज्यादातर हैं, वहां पर हम प्रायोरिटीज दे रहे हैं, जिससे वहां काम्युनिकेशन की सुविधा हो जाए। सरकार ने जैसी कि घोषणा की है, मार्च 1995 तक हम हर पंचायत हैडक्वार्टर पर टेलीफोन देंगे, उसी योजना के तहत हम इन इलाकों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहां पर ये सुविधायें पहले पहुंच जायें।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश भर में जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि वे डाकघरों में ही नहीं, पंचायतों में और परचून की दुकान पर उपयोगिता की दृष्टि से सुविधायें दे रहे हैं। इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न यह है, प्रदेश भर की कितनी ग्राम पंचायतों, पंचायतों के मुख्यालयों या परचून की दुकानों पर सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है? इनमें से किसी भी स्थल के चयन की प्रक्रिया क्या है और कब तक सभी प्रदेशों के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन ले जाने की योजना है?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, हमारी योजना मार्च, 1995 तक सारे देश के पंचायतों को कवर करने की है। आज देश में दो लाख 17 हजार कुछ पंचायतें है। अभी तक 40 हजार पंचायतों में सुविधा दे चुके हैं। हमारी इस योजना में अमेंडमेंट यह भी है कि हम फरवरी, 1995 में देखेंगे ही नहीं देखेंगे कि कितनी जोड़ी गई है और कितनी नहीं जोड़ी गई हैं। हमने फैसला किया है कि एक सितम्बर से हर रोज 100 पंचायतों को जोड़ेंगे, जिससे हम अपने टारगेट पर पहुंच जायें। क्योंकि दिसम्बर, 1994 तक इन्तजार करते रहें, फिर पता करें कि कितनी जोड़ी गई हैं और कितनी नहीं जोड़ी गई हैं, तो टारगेट तक नहीं पहुंच पायेंगे। हमने सर्कल को लक्ष्य दिया है कि सौ पंचायतों को रोज के हिसाब से जोड़ें, जिससे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि ऐसी कितनी पंचायतें हैं जहां टेलीफोन है—नहीं, यह हर स्टेट का अलग-अलग हिसाब है। अगर माननीय सदस्य किसी खास प्रदेश के बारे में पूछें तो मैं बता पाऊंगा।

श्री भगवान शंकर रावत : उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने पूछा है।

श्री राजेश पायलट : ऐसी ग्राम पंचायत 3517 हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बड़ी कार्य-कुशलता से अपना उत्तर दिया है कि 15,296 डाकघरों की संख्या है जिनमें टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जहां टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां मन्त्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके उत्तर

देने की कार्यकुशलता के सम्मान दृष्टिकोण से क्या वहां कुछ ऐसे कुशल कारीगर भी हैं कि वहां जो टेलीफोन चलता है वहां कुछ कार्य करें।

श्री राजेश पायलट : श्रीमान्, यह बात सही है कि कहीं-कहीं यह दिक्कत आ रही है, लेकिन सदन इस बात से सहमत होगा, यह बहुत ऐसा टास्क हमने लिया है कि छोटे-मोटे टिंदिग प्राबलम शुरू में हैं उनको देख कर इस योजना पर हम आगे न बढ़ें तो गलत बात होगी। कहीं-कहीं ऐसा है कि हम टेलीफोन दे देते हैं, सरपंच को हमने टेलीफोन दे दिया, जो सरपंच का दूसरा ग्रुप है वे वहां आने को तैयार नहीं हैं। ये प्रेक्टीकल प्राबलम सामने आती है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम वहां जायेंगे और गांव के लोगों को इकट्ठा करके, जहां गांव के लोग चाहेंगे वहीं सबके दस्तखत करा कर हम नए टेलीफोन देंगे। दूसरी बात मेनटेनस की है, हालांकि सी-डाट ने जो टेलीफोन बनाया है यह बहुत अच्छा रहा है और लोगों का कहना है कि और कोई काम करे या न करे लेकिन गांव में रेक्स का फोन जरूर काम करता है और वह किसी भी हालत में काम करता है। फिर भी मेनटेनस के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको पीरियोडिकली हर 2-3 महीने में, जब ये सारी पंचायतें कनेक्ट हो जाएंगी तो कम्युनिकेशन सुधर जाएगा, इससे हम जल्दी पता कर पायेंगे कि कौन सा टेलीफोन कहां काम नहीं कर रहा है। दूसरे पंचायतों को हम डिस्ट्रिक हैड क्वार्टर के साथ जोड़ रहे हैं सिर्फ एक पंचायत से दूसरी पंचायत तक नहीं। हम ऐसे टेलीफोन कनेक्शन दें जो पंचायत से डिस्ट्रिक तक पहुंच जाए और डिस्ट्रिक की एस०टी०डी० से हम देश के और कोने तक पहुंच जाएं।

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 1995 तक सभी पंचायतों में टेलीफोन दे सकेंगे। मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि हम टेलीफोन के सुधार के सम्बन्ध में प्रयास कर रहे हैं मेरा कहना यह है कि बहुत से जंगल के इलाके में जब से टेलीफोन लगा है, इवन ब्लाक हैड क्वार्टर में जब से लगा है उस दिन से वह काम नहीं कर रहा है, मेरे जिले में तो यही हालत है। क्या आप उसके सम्बन्ध में विशेष प्रयास करेंगे कि वह कुछ दिन तो चले। अगर पांच साल से वह लगे हैं तो पांच साल में एक दिन भी नहीं चला है, इसके लिए आप कुछ करेंगे।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, तकलीफ दोनों तरफ से है। मेरी तकलीफ है मेरे पिलर को छोड़ जाओ, इंस्ट्रुमेंट को ले जाओ, जिसमें बाक्स को लगा कर आओ उसको तो छोड़ दो। दोनों तरफ से तो परेशानी है, जो माननीय सदस्य ने कहा है वह भी सही है, कहीं-कहीं टेलीफोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और एक-दो केस ऐसे होते हैं जहां काम नहीं किए हैं मैं इसको पर्टिकुलरली दिखवा लूंगा, लेकिन जहां यह लगे होते हैं वहां पर भी लोग उसको सही-सलामत नहीं रहने देते। वहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लोगों का इन्वाल्वमेंट हो जाए और शुरू में कुछ नुकसान भी उठाने पड़े, लेकिन आज देश में संचार की बहुत जरूरत हो गई है। इसलिए उसमें डिपार्टमेंट को अगर नुकसान भी होगा तो उसको भी हम भुगतेंगे, लेकिन संचार हम जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी का जो उत्तर आया था कि पांच वर्षों में सारे पंचायतों में टेलीफोन लगा दिया जाएगा, 1995 तक उनका टेलीफोन लगाने का विचार है, लेकिन मैं मन्त्री जी से कहता हूं कि अनुमंडल स्तर पर एक साल के अन्दर टेलीफोन लगा दें। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक बूथ लगाने का ठेका दिया

जाता है, इस बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए, क्या वह ठेका बेरोजगार नौजवानों को देने का आपका विचार है ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं और हमने फैसला कर लिया है कि पी० सी० ओ०, हैंडीकेप्ट, बेरोजगारों, रिटायर्ड फौजी और ऐसे ही केटेगरी के अन्य एस०-सी०, एस०-टी० के अन्तर्गत आते हैं, उन्हीं लोगों को हम इस काम में प्राथमिकता देंगे।

श्री अरविंद त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि 100 टेलीफोन प्रतिदिन लगाकर पंचायतों को दूर-संचार व्यवस्था से जोड़ने का काम किया जाएगा, तो उस शुभ दिन की शुरूआत कब से होने वाली है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि पहली सितम्बर से यह शुरूआत हो जाएगी और इसको हम लोग मानीटर भी करेंगे।

इस सिलसिले में मैं जिक्र कर दूं, मुझे केरल से एक बुजुर्ग की चिट्ठी आई है, जिसमें उन्होंने मेरे उस स्टेटमेंट का जिक्र किया है, जिसमें मैंने कहा है कि हम मार्च, 1995 तक सारी पंचायतों को दूर-संचार व्यवस्था से जोड़ देंगे। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि हर मन्त्री जब विभाग को टेकओवर करता है तो सबसे पहले उसका यही स्टेटमेंट होता है कि हम पंचायतों को दूर-संचार व्यवस्था से जोड़ देंगे। तो उन्होंने श्री जनेश्वर मिश्र और श्री संजय सिंह जी के स्टेटमेंट भी पत्र के साथ लगाकर भेजें हैं और लिखा है कि भगवान मुझे उम्र दे, ताकि मैं 1995 में या तो आपको बधाई दे सकूं या आने वाले मिनिस्टर को आपके स्टेटमेंट की भी कापी भेज सकूं। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि हर रोज का लक्ष्य रखा जाएगा, ताकि हर रोज हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। यदि किसी दिन का लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो उस सप्ताह का लक्ष्य पूरा होना चाहिए और इस तरह से हर रोज का लक्ष्य बांधा गया है।

श्री मदन लाल खुराना : इससे मन्त्रियों की केपेबिलिटी का पता लगता है।

श्री राजेश पायलट : उस केपेबल गवर्नमेंट को आपने ही सपोर्ट कर रखा था।

श्री मदन लाल खुराना : आपने भी सपोर्ट किया था बाद में, लेकिन यह तो 40 सालों की बात है।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन लाइनों के जो खंभे गाड़े जाते हैं, उनके नीचे कांक्रीट इत्यादि नहीं लगाई जाती, जिससे बारिश आने पर खंभे गिर गिर जाते हैं। क्या मन्त्री महोदय इसमें सुधार लाएंगे ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह जनरल कंप्लेंट रही है। इसमें हम लोग रहे हैं कि जो मेटीरियल लाईन के लिए डाला जाता है, उसको बदला जाए, जिससे बारिश के दिनों में भी लाइनें ठीक काम करें, खम्भे न गिरें और लाइन का मेंटीनेंस ठीक तरह से हो, ताकि सर्विसिबिलिटी रहे, जिस तरह से दूसरे मौसमों में रहती है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गिरिजा देवी, आप प्रश्न पूछिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, क्या हम लोग पीछे चले जाएं ? (व्यवधान)

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि 100 टेलीफोन कनेक्शन प्रतिदिन रूरल एरियाज को दिए जाएंगे। इसके तहत मैं जानना चाहती हूं कि क्या उन क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी, जहां पर देहात में एक भी टेलीफोन कनेक्शन वर्तमान में नहीं है और इनमें कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं, यदि आते हैं तो क्या महाराजगंज क्षेत्र इसमें आता है और उसको वरीयता दी जाएगी या नहीं।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह सारे देश का सवाल है, लेकिन हमने कहा है, कि जहां पर टेररिस्ट एक्टीविटीज हैं या जो डिस्टब्र्ड एरियाज हैं, वहां पर टेलीफोन कनेक्शन देने में वरीयता दी जाएगी। बैकवर्ड और दूसरे देहाती क्षेत्रों में भी जल्दी कनेक्शन दिए जाएंगे।

कु० विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि उनका जो लक्ष्य है कि मार्च 1995 तक हर पंचायत को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी, तो क्या इस कार्य के लिए वर्तमान फैक्ट्रियां पर्याप्त हैं, जहां से इस कार्य के लिए उपकरण और अन्य सामग्री उपलब्ध होगी। यदि नहीं तो क्या उपकरणों के उत्पादन के लिए नई फैक्ट्रियां लगाएंगे और इसमें पिछड़े क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया जाएगा।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा प्रश्न है। इस पहलू पर बहुत गम्भीरता से विचार किया गया कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होगा तो हम कनेक्ट कैसे कर पायेंगे। यह हमने सोच लिया है। गवर्नमेंट ने इसलिए नए कदम इण्डस्ट्रियल पॉलिसी में उठाए, जिससे देश के विकास में नयी स्पीड आए और नयी पॉलिसी के तहत प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी हो। इससे हम सब की इच्छाओं को पूरा कर पायेंगे।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पंजाब को लेने की व्यवस्था करने जा रहे हैं उसी तरह से मिर्जापुर जनपद और सोनभद्र, जो पिछड़ा इलाका है, वहां पर भी टेलीफोन लगाने की व्यवस्था करेंगे? दूसरा, क्या कछवा, अदलपुरा और जमुआ को यू० एच० एफ० इलैक्ट्रोनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे जिससे कि हम यह प्रणाली लागू करके मिर्जापुर के उत्तरी भाग को बनारस से जोड़ सकें ? क्योंकि मैं भी वहां से एम० पी० हूं और एम० पी० होते हुए भी मुझे टेलीफोन नहीं मिल पाया। क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैंने थोड़ा-सा इनका सवाल समझा कि इनका टेलीफोन खराब है और कहीं बात नहीं हो पाती है।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, क्या कछवा, अदलपुरा और जमुआ को यू० एच० एफ० इलैक्ट्रोनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : न आप सुनते हैं न बोलने देते हैं।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि संचार अब एक जरूरत हो गयी है और जब तक संचार व्यवस्था देश में ठीक न हो तो विकास की गति भी उतनी ही तेजी से नहीं चल सकती। मैंने खुद कहा कि कुछ कमियां हैं, प्रणाली में कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सदन में सदस्यों से प्रार्थना करूंगा

कि थोड़ा वक्त दें। एकदम सारी बातें मैं हां करता रहूं तो यह ठीक नहीं होगा। इसमें सुधार आए, व्यवस्था ठीक हो, प्रणाली ठीक तरह से चले और जहां-जहां कमियां हैं वे दूर हों, यह हमारी कोशिश है।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1991 मार्च तक पूरे देश में जिस अनुपात में डाकघरों में टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है, बिहार में उस अनुपात में नहीं हुआ है। इसको आप किस तरह से और कब पूरा करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश का है और आप बिहार के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, हमारा यह तुजुर्बा है कि हम जो बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं वहां अगर टेलीफोन कभी खराब हो जाता है तो दिन में दस-दस दफा शिकायत करते हैं, मगर टेलीफन ठीक नहीं होता है। मैं मिनिस्टर साहब से आलम करना चाहता हूं कि जिन-जिन गांवों में, पंचायतों के दफ्तरों में या दूसरी जगहों पर टेलीफोन लगाए जा रहे हैं, वहां क्या कोई ऐसा प्रबन्ध या इन्तजाम कर रहे हैं कि हर गांव में जहां टेलीफोन लगाया जाए पोस्ट आफिस में या किसी और जगह पर, किसी ऐसे आदमी को वहां पर मुकर्रर किया जाए कि अगर टेलीफोन आउट आफ आर्डर हो तो फौरन ठीक कर दिया जाए वर्ना होगा यह कि पंचायत में टेलीफोन लगा होगा और अगर वह खराब हो जाएगा तो दो-दो महीने खराब रहेगा। कोई शिकायत करने नहीं जा सकेगा। इसको दूर करने के लिए मन्त्री महोदय क्या उपाय करने जा रहे हैं?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का तुजुर्बा सही है कि शहरों में भी जब तकलीफ होती है तो टेलीफोन जल्दी ठीक नही हो पाता। डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है, जो अखबारों में भी आया है कि अगर आपका टेलीफोन खराब हो तो आप कम्पलेंट कराएं, 24 घंटे में उसे ठीक करके देंगे। नहीं ठीक करके देंगे तो बतायेंगे कि इसमें क्या फाल्ट है, कब तक ठीक होगा। ताकि सब्सक्राइबर को पता लगे कि इतने दिनों तक मुझे टेलीफोन नहीं मिल पाएगा।

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : आपने गांव की बात नहीं बताई। आप गांवों में क्या करेंगे।

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्यों को गुस्सा तब होना चाहिए जब मैं नहीं मान रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि सुधार की जरूरत है। मैं मान रहा हूं कि सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं फिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं। जो मैं प्रयत्न कर रहा हूं तो वह आपको बता रहा हूं। अगर वह प्रयत्न सफल नहीं होता तो मुझे बता दीजिए कि आप सफल नहीं हुए। एक साल पहले फोन खराब था तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।...(**व्यवधान**) माननीय सदस्य ने कहा कि गांव में आप टेलीफोन करायेंगे और वे दो-दो, तीन-तीन महीने खराब पड़े रहेंगे। यह बात इन्होंने ठीक कही है। इसका हमने इन्तजाम किया है। जो मेन्टीनेंस टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से हम इसकी सरवाइविलिटी ठीक रख सकें। इस पहलू पर विचार करके हमने कदम उठाए हैं।...(**व्यवधान**)

श्री वृशिण पटेल : माननीय मन्त्री जी कहा कि पहली सितम्बर से प्रतिदिन सौ पंचायतों को टेलीफोन कनैक्शन से जोड़ने की बात पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूर्व में इस सदनके माननीय सदस्यों के द्वारा टेलीफोन की

अनुशंसा की गई थी, उसको लागू करेंगे और जरूरत को देखते हुए माननीय सदस्यों की रिकमन्डेशन पर और टेलीफोन कनैक्शन बढ़ाने की ओर भी गम्भीरता से विचार करेंगे।···(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : आज मैं हाऊस के सामने अपनी तकलीफ बताना चाहूंगा। जब माननीय सदस्य टेलीफोन मांगते हैं और हम यहां से भेजते हैं तो पहुंचने में महीना डेढ़ महीना लग जाता है और फिर ओ०बी० में डाल देते हैं। माननीय सदस्यों की रिकमन्डेशन पर उतनी जल्दी नहीं लग पाता जितना माननीय सदस्यों से और भी डरते हैं। मेरा सुझाव है कि सारा सदन मान जाए जितने सी० जी० एम० हैं उनको रिटन में इन्स्ट्रक्शन दे देंगे कि माननीय सदस्यों के पन्द्रह कनैक्शन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर सैंक्शन हैं तो माननीय सदस्य सीधे ही उनको दे दिया करें।···(व्यवधान) उसमें एक बात होगी कि ये अपनी कांस्टीच्युऐंसी की सी० जी० एम० से मदद कर पायेंगे और दूसरे पांच सी०जी०एम० से मांग कर रहे हैं तो उनकी एक सी०जी०एम० और दूसरे सी०जी०एम० से इंटरनल बात हो जाएगी तो इससे मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। जब मैं हाऊस में आता हूं तो मुझे तकलीफ होती है और जब हाऊस से निकलता हूं तो तब भी तकलीफ होती है। मेरे से पूछते हैं कि क्या हुआ। मैं सदस्यों को एकदम जवाब नहीं दे पाता। खुराना साहब के पास एक हजार आदमी आते हैं तो पन्द्रह कैसे छांटे। धीरे से कान में कह देते हैं कि चुप रहना, मैं बता दूंगा। इससे मैं फंस जाता हूं··· (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो फैसला करें, उसके बाद मैं सी० जी० एम० को आर्डर दे दूंगा।···(व्यवधान)

कृषि उत्पादन का समर्थन मूल्य

†
*612. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों और कृषि संबंधी मशीनरी के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

[अनुवाद]

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1991-92 की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति से सम्बद्ध कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं आया है। मेरे प्रश्न में यह था कि उर्वरक की कीमतें बढ़ी हैं और उसके साथ-साथ कृषि उपकरणों की भी कीमतें बढ़ी हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में केवल उर्वरक का उल्लेख किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न अनुत्तरित है। कृपया उसके बारे में यह बताए कि अनुत्तर क्यों है। दूसरा यह कि सीमांत, छोटे और बड़े किसानों के बारे में कृषि मूल्य निर्धारण में बराबर विचार करते हैं।

उर्वरकों की कीमतों को देखते हुए थोड़ा बहुत समर्थन मूल्य 2, 4 या 5 प्रतिशत तक हो जाता है, लेकिन जब कीमतें 40 या 50 प्रतिशत तक बढ़ी हों तो क्या आप कृषि मूल्य आयोग को ऐसे निर्देश देंगे इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, केवल बड़े फार्मों वालों को ही ध्यान में रखते हुए जो मूल्य का निर्धारण करते हैं वह न करें ? इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखें।

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : वह तो सारा का सारा विचार किया जाता है, एक से थोड़े ही होता है। सारा विचार करके देखते हैं। उसी के हिसाब से काम करेंगे, आप निश्चित रहिये। आपने ध्यान नहीं दिया मझौले और छोटे किसानों के लिए वही रखा गया है, बढ़ाया नहीं है।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैंने कृषि उपकरणों के बारे में भी कहा है, केवल उर्वरक तक ही सीमित नहीं है। छोटे किसानों पर भी असर पड़ा है। आपने उनको उर्वरकों में तो मुक्त रखा है, लेकिन उपकरणों से मुक्त नहीं रखा है उनकी कीमतें बढ़ी हैं।

श्री बलराम जाखड़ : जो बाजार में चीज आयेगी उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि समर्थन मूल्य तय करते समय कृषि मूल्य आयोग बाजार में आने वाले अन्य कृषि उपकरणों की कीमतें चाहे स्टील के दाम हों या कृषि सम्बन्धी दवाओं के दाम हों, वे 30-40 प्रतिशत तक बढ़ते हैं, जबकि कृषि मूल्य आयोग समर्थन मूल्य में दो या पांच प्रतिशत की वृद्धि करता है। समानता की दृष्टि से आप विचार करने की कृपा करें जिससे किसानों को लागत मूल्य प्राप्त हो सके, क्योंकि लाभदाई मूल्य तो प्राप्त होना ही नहीं है। गेहूं की कीमत सवा सौ रुपये क्विंटल है जबकि बाजार में 315 रुपये है जोकि मिलता नहीं है तो यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता।

श्री बलराम जाखड़ : आप पूरा ब्यौरा पूछना चाहते हैं। तो बता देता हूं कि किस-किस चीज को लेते हैं।

[अनुवाद]

उत्पादन लागत।

निर्विष्ट मूल्यों में परिवर्तन।

निर्विष्ट/निर्यात मूल्यों में असमानता।

बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव।

मांग और आपूर्ति स्थिति।

फसल मूल्यों में परस्पर समानता।

औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव।

सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव।

जीवन-निर्वाह पर प्रभाव।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति।

कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य और प्रदत्त मूल्यों में समानता।

खेती/उत्पादन की लागत में सभी भुगतान शामिल हैं जैसे कि भाड़े के मजदूरों पर आया खर्च, बैल श्रम/मशीन श्रम (किराये के और स्वयं के दोनों ही) पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, और इसके अतिरिक्त लगाए गए माल जैसे बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क जिसमें पम्प सेट चलाने के लिए डीजल/बिजली की कीमत भी शामिल है, इत्यादि पर आने वाला खर्च। इसके अतिरिक्त उत्पादन की लागत में परिवार के श्रम की कीमत भी शामिल है। खेतों में संयंत्र और इमारतों का मूल्य ह्रास भी इस लागत में शामिल है। उत्पादन की लागत में सिर्फ भुगतान ही शामिल नहीं है अपितु किसानों की भूमि और परिवार श्रम जैसी परिसम्पत्तियां भी शामिल हैं जिनके लिए किसान नगद खर्च नहीं करते।

सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद उत्पादन लागत के आकलन की प्रक्रिया में संशोधन किया और संशोधित प्रक्रिया में भी कहा गया है कि न्यूनतम वेतन दर पर या वास्तविक वेतन दर जो भी अधिक हो उसके अनुसार श्रम मूल्यांकन हो, कुल लागत में 10 प्रतिशत मूल्य की दर पर प्रबन्ध सम्बन्धी निविष्टियों का मूल्यांकन न हो, और अगर निविष्ट लागत में वृद्धि अनुमानित वृद्धि से अधिक है तो बाजार में फसल आने के समय, बुआई के समय से पूर्व उद्घोषित समर्थन मूल्यों में समायोजन हो। अतः इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है और फिर हमें मूल्य मिलता है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैंने सीधे पूछा है बाजार के मूल्यों में समानता देखेंगे या नहीं। क्योंकि इतनी असमानता है कि किसान परेशान रहता है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार समर्थन मूल्य निर्धारित करते वक्त सारी चीजों को ध्यान में रखती है। मैं दो-तीन चीजें पूछना चाहता हूं। पहली तो यह कि आमतौर से जो समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, जैसा अब प्रतीत होता है कि वह विचाराधीन है वह देरी से की जाती है और जो छोटे किसान हैं उनको पैसे की जरूरत होती है, कैश मनी की, इसलिए वह फौरन अपना माल बेच देते हैं, स्टाक नहीं रखते हैं। और वे स्टाक नहीं रख सकते तथा उनको परेशान होना पड़ता है। वे मंहगे भाव पर खरीदते हैं और सस्ते भाव पर उनको बेचना पड़ता है जबकि स्पोर्ट प्राईस बाद में डिक्लेयर होती है। एक तो मेरा यह कहना है कि गवर्नमेंट को ऐसी कोई पालिसी बनानी चाहिए कि आटोमैटिकली सब चीजों के प्राईस इंडैक्स को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन की कीमत भी उसी रेशो में आटोमैटिकली बढ़ती चली जाए और उन लोगों को वे फसलें प्राप्त······

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न छोटा कीजिए, यह कुछ लम्बा हो रहा है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मेरा सीधा सवाल यह है कि सरकार प्राईस इंडैक्स से जोड़ना तो चाहती है स्पोर्ट प्राईस को लेकिन किसानों के फसलों के काटने के पहले करना चाहेगी या नहीं ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि बिलकुल उसी हिसाब से किया जायेगा और यदि कहते हैं कि पहले एनाऊंस नहीं किया गया तो इसका कारण आपको और इस सदन को ज्ञात है कि पहले गवर्नमेंट में बदलाव, फिर भाव में बदलाव और बाद में समय में बदलाव आया। अब इसका निर्णय कर देंगे। आप फिक्र मत कीजिए। इसकी खरीद करने से पहले-पहले आपका काम चालू हो जाएगा और मैंने फूड मिनिस्टर को कह दिया है कि अपनी घोषणा कर दें जिससे कि किसान डिस्ट्रैस न हों।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : राष्ट्रीय खाद्य भण्डार में पंजाब का योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे समय जब कोयला उत्पादक राज्यों को कोयले पर अधिक रायल्टी दी जा रही है, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वे पंजाब के किसानों को राज्य से बाहर भेजे जाने वाले उत्पादों के लिए बोनस देने पर विचार करेंगे पंजाब की अशांत स्थितियों और जिस कठिन समय से किसान गुजर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन्हें बोनस देगी।

श्री बलराम जाखड़ : मैं सुझाव पर विचार कर सकता हूं।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय, वास्तविक उत्पादकों, अर्थात् किसानों से विचार विमर्श करना चाहिए। क्या सरकार ऐसा करेगी ? उर्वरक जैसी निविष्टियों की तुलना करें तो, धान की लागत गेहूं से अधिक बैठती है। इसलिए, धान का समर्थन मूल्य गेहूं की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : प्रत्येक संबंधित बात पर विचार किया जाता है और प्रत्येक कारक के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उसको महत्व दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चीखलिया : अध्यक्ष जी, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बताया कि फर्टीलाईजर की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार फसलों के लिए कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर मूल्य नीति तय करेगी लेकिन क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें समय की मर्यादा क्या है जिसके लिए किसानों को मालूम पड़े कि उसकी फसलों की कीमत क्या होगी ?

श्री बलराम जाखड़ : यह तो पहले हो जाना चाहिए था और जैसा मैंने पहले बताया।

श्रीमती भावना चीखलिया : पहले भी किसान लोग परेशान थे क्योंकि उनको कीमत नहीं मिली।

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्या को भी बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि गवर्नमेंट में बदलाव आया, उसके साथ समय का बदलाव आया, फिर मूल्य का बदलाव आया।

श्रीमती भावना चीखलिया : फसल बीमा की जो रकम थी, वह भी आज तक नहीं मिली। इससे किसान लोग परेशान हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने यही तो बतलाया कि इस बार विशेष कारण हो गया। इसी वजह से वर्ना पहले मार्च में आ जाना चाहिए था। मैं यही कह रहा हूं। यह अवश्य होना चाहिए था और हमेशा होता है। इस बार विशेष कारण बने, इसीलिए हुआ है और खरीद के समय यह पहले सितम्बर में शुरू हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि 3 सितम्बर से पहले आपका सारा काम करके पेश कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री से

जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि योजना में बाढ़, अकाल और चक्रवात से होने वाले खतरे के तत्व को सम्मिलित नहीं किया गया है और लागत की गणना करते समय, उर्वरकों की औसत खपत की गणना की जाती है और विभाग द्वारा सुझाई गई उर्वरक की अधिकतम मात्रा की गणना नहीं की जाती। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इसमें खेतों से उत्पाद को बाजार तक लाने में लगे परिवहन खर्चे की भी गणना नहीं की गई और लाभ पर भी विचार नहीं किया जाता। मेरे विचार से, उर्वरकों के मामले में आप कर के बाद 12 प्रतिशत लाभ दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि लाभ की गणना क्यों नहीं करते जबकि किसानों को रात दिन काम करना पड़ता है और इसी कारण, 1988-89 में, गेहूं या धान के उत्पादकों को जितना वे उत्पादन करते हैं उससे लगभग दुगुना देना पड़ा। जैसा कि उन्हें 1970-71 में उसी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए देना पड़ा। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार उत्पादन की लागत की गणना करते समय इन सभी कारकों पर विचार करेगी और किसानों को लाभकारी मूल्य देगी।

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्य श्री बी० एस० राव को आश्वस्त करूंगा कि हम इन सब कारकों पर विचार करेंगे और लाभ पर भी विचार करेंगे क्योंकि यदि यह लाभकारी नहीं है तो यह लाभप्रद नहीं होगा। हमें किसान की क्षतिपूर्ति करनी है। इसे निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा। मेरे विचार से मैंने आपको सभी निहितार्थ और तथ्य दे दिए हैं और यह भी बता दिया है कि निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम किसानों के लिए यथासम्भव सर्वोत्तम काम करेंगे।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निश्चित करने से पूर्व, क्या यह आवश्यक नहीं है कि कारखाने में बनाए गए उर्वरक का मूल्य पता कर लिया जाए। प्रत्येक कारखाने की स्थिति भिन्न होती है। एक कारखाना लाभ दिखाता है तो दूसरा घाटा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या इस देश में बनाए गए उर्वरकों का वास्तविक मूल्य पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जा सकती है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में हम कृषि उत्पादों के मूल्य पर विचार कर रहे हैं उर्वरकों के मूल्य पर नहीं।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : अब, मैं प्रश्न पर आती हूं। कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निश्चित करने से पूर्व क्या माननीय मंत्री मुझे आश्वासन देंगे कि उर्वरकों का वास्तविक मूल्य पता करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में नहीं आता।

श्री श्रीकांत जेना : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उत्पादों की खरीद से काफी पहले समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाएगी। उड़ीसा, बंगाल व अन्य राज्यों में पटसन बाजार में आना शुरू हो गया है। किन्तु पटसन के समर्थन मूल्य की अभी घोषणा नहीं हुई है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि पटसन के समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाएगी ?

श्री बलराम जाखड़ : इसकी घोषणा की जा चुकी है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : पिछले वर्ष इसकी घोषणा की गई थी। इस वर्ष के लिए, अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है··· **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : इसकी घोषणा हो चुकी है। किन्तु उर्वरक मूल्य में नवीनतम वृद्धि को देखते हुए मैं इसमें संशोधन चाहूंगा। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए लागत की गणना करते समय कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अभी हाल ही में, फसल विशेष के मूल्य निर्धारण पर वैकल्पिक फसल उगाने से होने वाली लाभ-हानि आदि का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बहुत से गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में जहां गन्ना उगाया जा रहा है वहां धान की पहली उपज से प्राप्त लाभ गन्ने से अधिक प्राप्त होने के कारण गन्ने का उगाना कम कर दिया गया है। अतः किसी फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय, अन्य फसलों से प्राप्त लाभ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन बहुत से मामलों में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वैकल्पिक फसल उगाने से प्राप्त लाभ-हानि का भी ध्यान रखा जाएगा।

महोदय, कृषि मूल्य आयोग में सभी क्षेत्रों के कृषकों को प्रतिनिधित्व उचित नहीं है। क्या सरकार देश के सभी क्षेत्रों से कृषक समुदाय के और अधिक प्रतिनिधित्व पर विचार करेगी।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, कृषि समुदाय के प्रतिनिधि यहां पहले ही मौजूद हैं।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता, लागत खर्च भी नहीं मिलता और जो कुछ मिलता है वह भी समय पर नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए ईख उत्पादकों को उनकी ईख की कीमत वर्षों से नहीं मिली है, बाकी पड़ी है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी और जिसका रुपया बाकी है, उसका रुपया तुरन्त भुगतान करायेगी। इसके साथ-साथ यह निर्देश भी देगी कि किसानों से जो भी चीज ली जाये, खरीदी जाये, उसकी कीमत उसी समय उन्हें अदा कर दी जाये।

श्री बलराम जाखड़ : जरूर ध्यान रखकर किया जाता है कि किसान को पूर्ण लाभप्रद मूल्य दिलवाया जाए और उसके लिए पूरा, भरसक प्रयत्न किया जाएगा। जहां तक आपका शुगर मिल्स की ओर बकाया का प्रश्न है, हम शुगर मिल्स से कहेंगे कि यह काम फौरी तौर पर करवायें और सिवाय शुगर के, बाकी सबको समय पर भुगतान मिल जाता है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष जी, अभी मन्त्री जी ने प्राइस फिक्सेशन की बात कही। मान्यवर, किसानों के अनाज का जो रेट सरकार फिक्स करती है, व्यापारी लोग उस रेट पर किसानों का अनाज खरीदते नहीं हैं, प्रायः ऐसा देखा गया है। इसके लिए क्या प्रत्येक जिला और ब्लाक मुख्यालय में जिस रेट को सरकार की ओर से फिक्स किया जाएगा, उस रेट पर किसानों का उत्पाद खरीदने की व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री बलराम जाखड़ : अवश्यमेव करना पड़ेगा। हमने फूड मिनिस्ट्री से बात भी कर ली है कि वे अपना खरीदने का प्रबन्ध पूर्णतः तैयार कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि कृषि उत्पादन के अतिरिक्त जितनी भी कमोडिटीज हैं, उनकी प्राइसेज थ्रू-आउट द ईयर

बढ़ती रहती है जबकि उत्पादक को कम लागत मिलती है। उदाहरण के लिए सीमेंट को देख लीजिए, अन्य किसी वस्तु को देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं कि जब किसानों की कोई यूनियन नहीं है और सारा सदन किसानों के मामले में एकमत है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं, आप सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं कृषि मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बार सूखे के कारण, खाद तथा अन्य आवश्यक चीजों के भाव बढ़ने के कारण, वे सदन को आश्वस्त करेंगे कि पिछले वर्ष के अनुपात में प्राइसेज नहीं बढ़ाई जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : आई हैव डिस-एलावड योर क्वेश्चन, इसमें कोई प्रश्न नहीं निकलता है। यू प्लीज पुट द क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं कृषि मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष जो प्राइस बढ़ाई जायेंगी, उसके लिए प्राइस कमीशन का जो एक फारमूला है, मात्र 10-12 या 15 रुपये बढ़ाने वाला, उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कृषि मन्त्री जी स्वयं सभी पहलुओं पर विचार करके कोई निर्णय लें और सरकार जो भी निर्णय करे, वह निर्णय किसानों की भलाई में होना चाहिए, किसानों के हित में होना चाहिए।···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : श्री दिग्विजय सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आपने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष कितने दाम बढ़ाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। ये कभी प्राइस नहीं ठहराते है।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री को यह बताना चाहूंगा कि देश में कृषि जलवायु अंचलों में तथा पंजाब, उड़ीसा और पूर्वी क्षेत्रों की उत्पादकता में अत्यधिक असमानता पंजाब और इन क्षेत्रों में दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में भी बहुत अन्तर होने के कारण वह उन्हें एक ही स्तर पर नहीं रख सकते। क्या माननीय मन्त्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते वक्त वह निचले क्षेत्रों की कम उत्पादकता और उन क्षेत्रों में अधिक न्यूनतम वेतन का ध्यान रखेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : क्या वह व्यवहारिक होगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, पंजाब का उत्पादन उड़ीसा से तीन गुना ज्यादा है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, मेरा गन्ने से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न अनाज के बारे में है, गन्ने के बारे में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सरकार बार-बार कहती रहती है कि हम सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर अनाज को खरीदने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन धन के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस दृष्टि से अनाज खरीदने के लिए सरकार ने क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे निश्चित अवधि में अनाज खरीदने के लिए धन उपलब्ध करवाया जा सके? एफ०सी०आई० के पास अनाज खरीदने के लिए धन नहीं होता है, तो क्या ऐसी कोई उपयोगी व्यवस्था सरकार करेगी जिससे धन उपलब्ध हो सके?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जटिया जी से कहना चाहता हूं कि मैंने खाद्य मन्त्री साहब से अर्ज की है पहले ही कि वे अपने पैराफरनेलिया को पूरी तरह से तैयार करें, मालिश करके रखें, क्योंकि हमें अनाज की खरीद करनी है।

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं

[अनुवाद]

*613. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं;

(ख) क्या साहित्य अकादमी ने इनमें से कुछ ही भाषाओं को मान्यता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ऐसी मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं;

(घ) क्या भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(घ) संविधान में ऐसा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

भारत के भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में, रिपोर्ट के परिशिष्ट-V में 105 भाषाओं की सूची दी है। इस परिशिष्ट की एक प्रति संलग्न है।

साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, जो निम्नलिखित है :— असमिया, बंगला, हिन्दी, गुजराती, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, डोगरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलगू, उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, मैथिली, मणिपुरी, राजस्थानी, कोंकड़ी और नेपाली ।

साहित्य अकादमी द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड, जो गोकाक समिति की सिफारिशों पर अकादमी के कार्यकारी बोर्ड ने 1984 में निर्धारित किए थे, निम्न प्रकार है :—

1. सामाजिक—भाषायी पहलू

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए :—

1. क्या भाषा संरचनात्मक रूप से एक स्वतन्त्र भाषा है अथवा मान्य भाषा की पद्धति का एक अंग है;
2. क्या बोली से अलग पहचान के लिए इसका कोई मानकीकृत स्वरूप है;
3. क्या इस भाषा का एक निरन्तर साहित्यिक परम्परा और इतिहास है;
4. क्या आज लोग काफी संख्या में साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं ।

2. साहित्यिक पहलू

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए :—

1. क्या भाषा ने साहित्यिक विकास के स्तर को प्राप्त कर लिया है, जिससे इसे मान्यता दी जा सके । उस भाषा के साहित्यिक विकास के स्तर को उपन्यास, कविता, नाटक, आत्मकथा, साहित्यिक आलोचना, साहित्य का इतिहास, पत्रिकाएं आदि, जैसे उनके अनेक साहित्यिक विधाओं के आधार पर सुनिश्चित किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी एक परम्परा विकसित कर ली है तथा जिसमें इस समय पर्याप्त साहित्य तैयार किया जा रहा है । पिछले तीन वर्षों के दौरान इस भाषा में औसतन कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ।
2. क्या संबंधित भाषा के लिए कोई साहित्यिक संस्थान, यदि कोई हो, साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है ।

3. शैक्षिक प्रशासनिक और राजनीतिक पहलू

इसके अन्तर्गत, निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए :—

1. क्या इसे सम्बन्धित राज्य तथा कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में तथा अध्ययन के लिए एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हैं ।
2. पर्याप्त साधनों की उपलब्धता सहित, एक नई भाषा को मान्यता प्रदान करने के प्रशासनिक पहलू ।

परिशिष्ट

1991 की जनगणना

क्र० सं०	भाषा का नाम	बोलने वालों की कुल संख्या	बोलने वालों की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4
(क) viii अनुसूची में उल्लिखित भाषायें			
1.	असमिया	70,525*	0.01*
2.	बंगला	5,15,03,085	7.79
3.	गुजराती	3,31,89,039	5.02
4.	हिन्दी	26,41,89,057	39.94
5.	कन्नड़	2,68,87,837	4.06
6.	कश्मीरी	31,74,684	0.48
7.	मलयालम	2,59,52,966	3.92
8.	मराठी	4,96,24,847	7.50
9.	उड़िया	2,28,81,053	3.46
10.	पंजाबी	1,89,88,400	2.81
11.	संस्कृत	2,946	नगण्य
12.	सिन्धी	19,46,278	0.29
13.	तमिल	4,47,30,389	6.76
14.	तेलगू	5,42,26,227	8.20
15.	उर्दू	3,53,23,282	5.34
	क-कुल प्रतिशत		95.58

*अन्त में टिप्पणी देखें

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर 10,000 'या' इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली अभिज्ञेय भाषाएं

16.	आदी	1,19,833
17.	अनल	10,780
18.	अंगामी	78,398

1	2	3	4
19.	आओ	1,05,610	
20.	अरबिक/अरबी	18,840	
21.	बाल्टी	47,718	
22.	भीली/भिलोदी	44,50,771	
23.	भोटिया	30,545	
24.	भुमिज	46,680	
25.	बोडो/बोरो	27,887	
26.	चंग	23,133	
27.	कुरगो/कोडगो	93,116	
28.	डोगरी	15,20,889	
29.	अंग्रेजी	2,32,875	
30.	गडाबा	27,567	
31.	गारो	4,08,111	
32.	गोंडी	19,54,693	
33.	गोरखाली/नेपाली	12,52,444	
34.	हलाबी	5,24,758	
35.	हलम	18,853	
36.	हमार	34,170	
37.	हो	8,02,434	
38.	जटापू	23,375	
39.	जआंग	18,469	
40.	काबुई	53,142	
41.	कच्छा नगा	16,033	
42.	खण्डेसी	11,86,921	
43.	खरिया	1,97,840	
44.	खासी	6,32,443	
45.	खेझा	15,908	
46.	खिमुइंगन	17,044	
47.	खोंड/कोंड	2,04,501	
48.	किन्नौरी	52,336	

1	2	3	4
49.	किसान	1,55,283	
50.	कोच	16,682	
51.	कोडा/कोरा	21,983	
52.	कोलामी	78,500	
53.	कोंडा	11,062	
54.	करेंकती	15,84,063	
55.	कोत्याक	83,261	
56.	कारकू	3,63,148	
57.	कोरवा	28,386	
58.	कोया	2,42,534	
59.	कुई	5,07,639	
60.	कुकी	46,271	
61.	कुरुख/ओरों	12,64,590	
62.	लदाखी	72,587	
63.	लाहोत	20,110	
64.	लहाण्डा	[41,183	
65.	लाखेर	15,733	
66.	केप्चा	26,078	
67.	लिम्बू	18,320	
68.	लोष	57,913	
69.	लुशाई/मिजो	3,84,747	
70.	माल्टो	94,614	
71.	मणिपुरी/मैथेई	9,04,353	
72.	माओ	57,845	
73.	मैरिग	11,532	
74.	मिकिर	11,206	
75.	मिक्मी	24,059	
76.	मोष	17,116	
77.	मोनपा	33,187	
78.	मोण्डा	3,48,839	

1	2	3	4
79.	मुण्डारी	7,52,683	
80.	नागा	17,569	
81.	निकोबारी	21,424	
82.	निशी/दाफला	1,39,867	
83.	नोक्ते	27,569	
84.	पेती	32,670	
85.	पारजी	33,091	
86.	फोम	24,265	
87.	राभा	19,270	
88.	रेंगमा	15,036	
89.	सगतम	28,838	
90.	संथाली	42,08,304	
91.	सवारा	2,34,811	
92.	सेम	93,869	
93.	सेरपा	12,607	
94.	सीना	15,032	
95.	तागंखुल	79,058	
96.	तरपसा	16,396	
97.	थाडो	59,274	
98.	तिब्तन	55,138	
99.	त्रिपुरी	4,90,464	
100.	तुलु	13,76,306	
101.	वेपेई	16,311	
102.	वांचो	32,169	
103.	यिमचुगरे	27,360	
104.	जेमीनागा	11,414	
105.	जोऊ	12,466	

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली अनभिज्ञेय भाषायें

जोड़ (ग)	5,45,883	
कुल प्रतिशत (ख+ग)		4.42

टिप्पणी—

(i) इस तालिका में बेघर परिवारों को शामिल किया गया है परन्तु संस्थागत व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है।

(ii) इस तालिका में असम राज्य नहीं लिया गया क्योंकि जनगणना के समय दंगाग्रस्त होने के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी।

(iii) इस तालिका में जम्मू और कश्मीर के उन क्षेत्रों की जनसंख्या को नहीं लिया गया है जो क्षेत्र पाकिस्तान तथा चीन के अवैध कब्जे में हैं, जहां जनगणना नहीं हो पाई है।

(iv) निर्णय लम्बित होने के कारण विष्णुप्रिया/विष्णुप्रिया मणीपुरी भाषा के नामांकन तथा आंकड़ों को नहीं शामिल किया गया है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, यह वक्तव्य दर्शाता है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई आठ भाषाओं के अतिरिक्त सात अन्य भाषाओं को भी साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। इससे पता चलता है कि इन भाषाओं ने साहित्य अकादमी द्वारा निर्धारित मानदंड को पूरा किया है और ये भाषाएं पूर्णतः विकसित भाषाएं हैं। 25 जुलाई, 1991 को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 637 का उत्तर देते हुए, माननीय गृह मन्त्री ने कहा था कि 21 सितम्बर, 1982 को सिक्किम को विधान सभा, 28 जून, 1988 को त्रिपुरा की विधान सभा तथा 23 जुलाई, 1977 को पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करके इसे मान्यता देने की सिफारिश करते हुए संकल्प पारित किए थे। इस माननीय सभा में भी अनेक बार चर्चा हुई है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : हां महोदय, मैं प्रश्न पूछ रही हूं। केवल इसी संसद सत्र में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें मान्यता देने के उद्देश्य से श्री चित्त बसु, श्री सत्य गोपाल मिश्र और श्री भोगेन्द्र झा ने तीन गैर-सरकारी विधेयक पेश किए हैं। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या गृह मन्त्री महोदय इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की लम्बे समय से चली आ रही इस मांग पर विचार करेंगे।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यह सच है कि कुछ भाषाओं के लिए और विशेष तौर पर सात भाषाओं के लिए जिनमें नेपाली भी है, साहित्य अकादमी ने मानदण्ड निर्धारित किया है। जो मानदंड अपनाया गया है वह यह दर्शाता है कि यह भाषा संरचना, साहित्य और प्रशासनिक तंत्र में सही रूप में हैं। सरकार इसके विकास के यथासम्भव सभी प्रयास कर रही है और अभी इसका और कोई कारण नहीं है आठवीं अनुसूची में इसे शामिल करने के लिए संविधान में कोई और मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, वर्ष 1979 के दौरान, कांग्रेस कार्य समिति ने भी एक संकल्प पारित किया था कि वे नेपाली और मणिपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने हस्ताक्षर से लिखित संदेश भेजा जिसमें यह कहा गया था कि वे नेपाली और मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे। मेरे विचार से इस बात का उनको पता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने भी

इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की जरूरत महसूस की है और पिछले चुनावों के दौरान उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में भी इनका जिक्र किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, हमारे विचार से सभी दल इस मांग पर विचार करने के लिए तैयार हैं तथा इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के समर्थन में हैं। इसलिए क्या मैं गृह मन्त्री महोदय की प्रतिक्रिया जान सकती हूं? अगर संविधान में सम्मिलित करने के लिए मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है, तो क्या वे इसे संविधान में शामिल करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित करने को तैयार हैं?

श्री एम० एम० जैकब : मानदंड में परिवर्तन करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, बीस वर्षों से ज्यादा हो गए श्रीमती इंदिरा गांधी हुकूमत ने उर्दू जबान के मामले में सिफारिश दर्ज करने के लिए गुजराल कमेटी मुकर्रर की थी। लाखों रुपये खर्च करने के बाद सिफारिश पेश की गई लेकिन वह परसदान में डाल दी गई। राष्ट्रीय मोर्चे की हुकूमत ने एक और कमेटी बनाई थी कि वह दौरा करके मुक्तलिफ शहरों की रिपोर्ट पेश करे कि उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजराल कमेटी की सिफारिश को लागू करने के लिए क्या स्टैप ले रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : भाषा के सांस्कृतिक और संरचनात्मक विकास के सभी पहलुओं का पालन किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाक सेवाओं में सुधार

***614. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए किन्हीं उपायों पर हाल ही में विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक विभाग की कार्यकुशलता पर निगरानी रखने के लिए सुविख्यात व्यक्तियों का एक सैल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सैल में किन व्यक्तियों को शामिल किए जाने की सम्भावना है?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए जिन उपायों पर विचार किया गया है, उनमें कुछ इस प्रकार हैं :

(i) डाक कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए देश में प्रत्येक डाक डिवीजन में तिमाही आधार पर सर्वश्रेष्ठ पोस्टमैन पुरस्कार देने का प्रस्ताव है।

(ii) डाक मदों पर मोहर की छाप में सुधार करने के लिए कदम उठाना।

(iii) सेवा में समय की पाबंदी और कार्यकुशलता को समय-समय पर मानीटर करना।

(iv) 4000 डाकघर काउंटरों में बहुद्देश्यीय कंप्यूटरीकृत काउंटर मशीनें लगाना।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था को मानीटर करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी शिष्टमण्डल की नेपाल यात्रा

*615. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमण्डलीय सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय सरकारी शिष्टमण्डल ने हाल ही में नेपाल की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के उद्देश्य क्या थे; और

(ग) इस शिष्टमण्डल और नेपाल के नेताओं के बीच हुई वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) भारत-नेपाल उच्च स्तरीय कार्यदल की यह बैठक फरवरी, 1991 में भारत के प्रधान मन्त्री की नेपाल यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुपालन में हुई थी। इस उच्च स्तरीय कार्यदल को भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना है।

(ग) द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग से संबद्ध आपसी हित के बहुत से मसलों पर विचार-विमर्श हुआ था जिसमें व्यापार, पारगमन, अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण, जल संसाधन विकास तथा औद्योगिक सहयोग से संबद्ध मसले भी शामिल थे। यह बातचीत बाद की बैठकों में जारी रहेगी।

दिल्ली पुलिस द्वारा प्रचार पर किया गया खर्च

*616. डा० सी० सिलवेरा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने अपनी छवि सुधारने हेतु प्रचार पर भारी धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रचार का कोई ठोस परिणाम निकला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस खर्च में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रचार कार्य पर किए गए व्यय के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

1988-89	57,02,683.00 रु०
1989-90	95,75,501.60 रु०
1990-91	1,11,58,049.00 रु०

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि प्रचार के माध्यम से लोगों को अपराध से स्वयं अपनी रक्षा करने में शिक्षित करने, आसूचना एकत्र करने और अपराध का पता लगाने में लोगों का सहयोग प्राप्त करने तथा पुलिस और जनता के संबंधों को बढ़ाने में सहायता मिलती है ।

(ङ) दिल्ली पुलिस से कहा जा रहा है कि वे केवल उतना ही व्यय करें जितना उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक हो ।

दूध का उत्पादन

[हिन्दी]

*617. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूध का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान "आपरेशन फ्लड-3" कार्यक्रम के अन्तर्गत दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान राज्य-वार दुग्ध उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है । इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

(1) आनुवंशिक सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान करने तथा प्राकृतिक सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान;

(2) रोग निरोधी उपायों सहित पशु स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान;

(3) उन्नत पोषण के लिए संतुलित पशु आहार, पूरक आहार और चारा विकास का प्रावधान;

(ग) देश में कुल अनुमानित दुग्ध उत्पादन 1988-89 के 48.4 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1990-91 में 54.9 मिलियन मीटरी टन हो गया है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	दुग्ध उत्पादन (000 मीटरी टन) 1988-89	1989-90	1990-91 (प्रत्याशित उपलब्धि)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2814	3030	3500
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	40	41
3.	असम	603	617	640
4.	बिहार	2826	3000	3450
5.	गोवा	27	25	27
6.	गुजरात	3041	3351	3350
7.	हरियाणा	2785	3151	3240
8.	हिमाचल प्रदेश	500	529	550
9.	जम्मू और कश्मीर	450	487	500
10.	कर्नाटक	2248	2291	2812
11.	केरल	1513	1600	1734
12.	मध्य प्रदेश	4382	4529	4700
13.	महाराष्ट्र	2800	3266	3460
14.	मणिपुर	80	82	88
15.	मेघालय	47	47	51
16.	मिजोरम	8	9	10
17.	नागालैंड	33	32	32
18.	उड़ीसा	434	455	470
19.	पंजाब	4626	4972	5170
20.	राजस्थान	4036	4217	4245
21.	तमिलनाडु	3238	3410	3500
22.	त्रिपुरा	27	27	30
23.	उत्तर प्रदेश	8824	9145	9720
24.	पश्चिम बंगाल	2704	2805	3240
25.	सिक्किम	25	27	29

गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा टेलीग्राम बुक करना

[अनुवाद]

*618. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक टेलीफोन रखने वाले गैर-सरकारी लोगों को प्रति टेलीग्राम के हिसाब से अतिरिक्त राशि लेकर टेलीग्राम बुक करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दूरसंचार विभाग का ऐसे सभी व्यक्तियों को इस प्रयोजनार्थ समुचित प्रशिक्षण देने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां। निजी परिसरों में लगे लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों से, व्यवहार्यता के अध्यधीन तार सुविधा की अनुमति देने का हाल ही में निर्णय लिया गया है। इस स्कीम को अभी लागू नहीं किया गया है।

(ख) इस स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां। ऐसे सभी व्यक्तियों को यह सुविधा प्रदान करने से पहले तार निपटान की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।

विवरण

निजी परिसरों में लगे लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों से फोनोकॉम सेवाएं प्रदान करने संबंधी नीति के दिशानिर्देश

1. निजी परिसरों में संस्थापित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों को चलाने के लिए जिन एजेंटों/व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त है उन्हें जहां कहीं व्यवहार्य हो, कमीशन के आधार पर तार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

2. प्रत्येक लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन के एजेंट को उसके द्वारा निपटाए गए तार परियात के लिए फिलहाल निम्नलिखित कमीशन दिया जाए :

बुक की गई प्रत्येक तार	—	1/- रु०
प्राप्त की गई तथा वितरित की गई प्रत्येक तार	—	1.50/- रु०

यह राशि टेलीफोन परियात निपटाने के लिए नियत किए गए भुगतान के अतिरिक्त होगी।

लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन एजेंट को दिए जाने वाले इन कमीशन प्रभारों को तार भेजने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले भुगतान में जोड़ा जा सकता है।

3. लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन एजेंट द्वारा तार बुक किए जाने के तत्काल बाद जावक तारों को तारघरों के लिए संप्रेषित कर दिया जाना चाहिए और प्राप्त हुए तारों को उनके प्राप्त होने पर तुरन्त कार्य समय में वितरित करवा दिया जाना चाहिए।

4. कार्य समय के बाद टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि संबंधी कार्य निपटाने के लिए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन एजेंट सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित दरों के आधार पर विलम्ब शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा।

महिलाओं पर अत्याचार

*619. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं पर अत्याचार के कितने मामले दिल्ली पुलिस के "महिला सेल" में दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

अपमानित महिलाओं द्वारा शिकायतें, दिल्ली पुलिस के नानकपुरा स्थित केन्द्रीय अपराध (महिला) कक्ष तथा प्रत्येक 9 जिलों में स्थित अपराध (महिला) कक्षों में की जाती हैं।

दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जब कभी शिकायतकर्ता राजीनामा कराने के लिए अनुरोध करते हैं तो अपराध कक्ष उनका आपस में समझौता कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकने पर अपराध कक्ष मामले को दर्ज करने की सिफारिश करते हैं। यह कार्य सतत प्रकृति का है।

विवरण

वर्ष	की गई शिकायतें	वे शिकायतें जिन्हें आपसी समझौते के जरिये हल किया गया है।	वे शिकायतें जिनके बारे में अभियोजन चलाने की सिफारिश की गई है।	शिकायतें वे जिन्हें उचित कारंवाई के लिए अन्य राज्यों को भेजा गया है।
1988	4923	1758	681	290
1989	6164	2372	729	295
1990	6182	2124	636	255

अन्य शिकायतों में कोई गम्भीर अपराध होने का पता नहीं लगा।

पाकिस्तानी राजनयिक मिशनों द्वारा कश्मीर के मामले में भारत-विरोधी प्रचार किया जाना

*620. श्री के० वोक्का राव :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के एक प्रमुख सहायक के इस कथित वक्तव्य की जानकारी है कि पाकिस्तान के मामले में भारत विरोधी प्रचार तेज किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यवाही के जवाब में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हाँ।

(ख) जम्मू और कश्मीर की स्थिति की सही तस्वीर पेश करने के लिए सरकार ने समुचित उपाय किए हैं और करती रहेगी। जम्मू और कश्मीर राज्य में, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, आतंकवाद और विध्वंसकारी कार्रवाईयों को पाकिस्तान की सहायता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता दिया गया है।

सरकार ने भी कई मौकों पर पाकिस्तान से कहा है कि वह शत्रुतापूर्ण प्रचार न करें तथा हमारे आन्तरिक मामलों में बेवजह दखल न दे जिससे शिमला समझौते का और अंतर-राज्यीय संबंधों के सार्वभौम रूप से स्वीकृत मापदण्डों का उल्लंघन होता है।

बारगी बांध परियोजना पर खर्च

***621 श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में बारगी बांध परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में बांध परियोजना पर 117.24 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ख) विश्व बैंक से संभव सहायता के लिए मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना के नाम से संयुक्त परियोजना के रूप में मध्य प्रदेश को राजघाट नहर परियोजना के साथ बारगी परियोजना के लिए वितरण प्रणाली की सिफारिश की गई है।

कलकत्ता महानगर टेलीफोन निगम

*622. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कलकत्ता महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : दूर संचार विभाग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ढांचे की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई उच्चस्तरीय समिति (आत्रे समिति) की सिफारिशों पर तत्परता से विचार किया जा रहा है। चूंकि कलकत्ता टेलीफोन देश की दूरसंचार संरचना का ही एक अंग है, अतः कलकत्ता महानगर टेलीफोन निगम का गठन करने से संबंधित कोई भी निर्णय समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों का ही एक अंग होगा।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की "इस्पात डोलोमाइट खदान"

[हिन्दी]

*623. **श्री भवानी लाल वर्मा :**

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ाद्वार में राउरकेला इस्पात संयंत्र की "इस्पात डोलोमाइट खदान" बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस खदान में पुनः कार्य शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उक्त संयंत्र के अधिकारियों ने इस खदान में पुनः कार्य शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खदान में कब तक पुनः काम शुरू होने की संभावना है?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इस्पात डोलोमाइट खदान, बड़ाद्वार में खनन प्रचालन कार्य को जून, 1983 में बन्द कर दिया गया था क्योंकि कर्मचारी संगठनों की लगातार आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण अधिकारी-कर्मचारी सम्बन्ध बार-बार खराब हो जाते थे।

(ग) से (ङ) : खदान को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय श्रम निदेशालय और क्षेत्रीय श्रम निदेशालय द्वारा समझौते के लिए तथा विचार-विमर्श के कई दौर चलाए गए। संगठनों द्वारा स्वीकृत 28-6-88 के कार्यवृत्त के अनुसार, राउरकेला इस्पात प्रबन्ध ने 2-6-89 को ठेका देने की पहल की, परन्तु उसके तुरन्त बाद ही पूर्व ठेकेदार के श्रमिकों को रोजगार देने के मामले के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ सका। इस्पात डोलोमाइट खदान, बड़ाद्वार को पुनः चालू करने से संबंधित विवाद को निपटाने के लिए उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली ने हाल ही में श्रमिक संगठनों और राउरकेला इस्पात संयंत्र प्रबन्धन के साथ विचार-विमर्श किया जिसमें राउरकेला इस्पात संयंत्र खान प्रबंधन तथा कार्यरत श्रमिक संगठनों को सौहार्दपूर्ण समझौता करने हेतु इस मुद्दे पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करने को कहा गया। इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श करने की तारीख उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा तय की जायेगी। आशा है कि राउरकेला खान प्रबंधन इस मुद्दे पर यूनियनों के साथ सितम्बर, 91 में किसी भी समय विचार-विमर्श करेगा और किए गए विचार-विमर्श के निष्कर्ष से उप श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को अवगत करायेगा।

बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था

*624. **श्री राजवीर सिंह** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस के बीच एक बैठक हाल ही में हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु उक्त बैठक में क्या निष्कर्ष निकले हैं?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) 23 अगस्त, 1991 को पंजाब सरकार के अधिकारियों और कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ पंजाब में स्थित बैंकों के सुरक्षा संबंधी उपायों के मुद्दे की समीक्षा की गई। यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और पंजाब सरकार द्वारा बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

अन्तर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन

***625. श्री काशीराम राणा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय विवादों तथा केन्द्र-राज्य विवादों को निपटाने के लिए बनी अन्तर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान। अन्तर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन दिनांक 23-8-1991 की सरकारी अधिसूचना के तहत कर दिया गया है।

(ख) पुनर्गठित अन्तर्राज्यीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. प्रधान मन्त्री — अध्यक्ष
2. गृह मन्त्री
3. वित्त मन्त्री
4. मानव संसाधन विकास मन्त्री
5. कृषि मन्त्री
6. कल्याण मन्त्री
7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री
8. सभी राज्यों के मुख्य मन्त्री
9. विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्री
10. विधान सभा रहित संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, उस राज्य के राज्यपाल।
12. जम्मू और कश्मीर के राज्य संविधान की धारा 92 के तहत जम्मू व काश्मीर राज्य के राज्यपाल के शासन के अधीन होने पर जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्यपाल।

हरियाणा में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

***626. श्री राम प्रकाश चौधरी :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान हरियाणा में जिलावार किन स्थानों पर ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन टेलीफोन एक्सचेंजों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण टेलीफोन, एक्सचेंजों की स्थापना के लिए क्या प्रस्ताव हैं और ये एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जिन स्थानों पर 1990-91 के दौरान ग्रामीण एक्सचेंज संस्थापित किए गए थे उनके नाम (जिलावार) संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जिन स्थानों पर 1991-92 के मौजूदा/प्रत्याशित 10 अथवा इससे अधिक भुगतान युदा मांग के आधार पर ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की अस्थाई योजना है, उनके नाम (जिलावार) संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं ।

विवरण-1

हरियाणा में 1990-91 के दौरान चालू किए गए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

क्र० सं०	स्टेशन का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	धीन	अम्बाला
2.	तंडवाला	,,
3.	साहिबपुर	,,
4.	कोट	,,
1.	मेहलानवाली	यमुनानगर
2.	इशापुर	,,
3.	भेरथाल	,,
4.	फतेगढ़	,,
5.	मल्लाह्	,,
6.	भूरकलान	,,
1.	रमाना रमानी	करनाल
2.	दहा	,,
3.	भौनी खुर्द	,,
1.	किरमीच	कुरुक्षेत्र
2.	चिरोनी	,,

1	2	3
1.	मेहलाना	सोनीपत
2.	रिवारा	"
3.	फरमाना	"
4.	खुबरू	"
5.	रोहत	"
1.	सिरसा	कैथल
2.	मुन्द्री	"
3.	करोडा	"
4.	बट्टा	"
5.	रसिना	"
6.	गंग	"
1.	करनवास	रिवाड़ी
2.	मोजाबाद	"
1.	चितलेंग	मोहिन्दरगढ़
2.	पाल्ली	"
1.	उझाना	जींद
2.	खाटकर	"
1.	घातिर	फरीदाबाद
2.	मन्दकाउला	"
3.	बिछोर	"
4.	अलवलपुर	"
1.	हिन्डनवाला	हिसार
2.	खेंरीबर्की	"
3.	बिघड़	"
4.	साइसी	"
5.	आयालकी	"
1.	दिन्गरोड़	सिरसा
2.	किरारकोट	"
3.	मसिता	"
4.	कलुहाना	"
5.	तेजाखेड़ा	"

1	2	3
6.	चानताला	सिरसा
7.	सिकन्दरपुर	,,
1.	जहांगीरपुर	रोहतक
2.	ढाकला	,,
3.	समन	,,
4.	जहाजगढ़	,,
5.	सीलानी	,,
6.	खरावाड़	,,
1.	इशरवाल	भिवानी
2.	भिरीकालान	,,
3.	कल्याना	,,
4.	सांगरपुर	,,
5.	हातमपुरा	,,

विवरण-2

हरियाणा दूरसंचार सर्किल में 1991-92 के दौरान चालू किए जाने वाले ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

क्र० सं०	स्टेशन का नाम	जिले का नाम	टिप्पणी
1.	धमारकला	जींन्द	अप्रैल, 1991 से जुलाई, 1991 तक पहले ही चालू किए जा चुके हैं।
2.	खुरैन	सिरसा	
3.	शाहपुर	अम्बाला	
4.	नाहरा	सोनीपत	
5.	मिलकपुर	सिरसा	
6. (i)	साहुवलान	,,	
7. (ii)	साहुवलान	,,	
8.	ओट्टू	,,	
9.	जमाल	,,	
10.	दुर्जनपुर	जीन्द	
11.	धामेराज	गुड़गांव	
12.	मोजगढ़	सिरसा	
13.	गंगा	,,	
14.	मेहरमाजरा	अम्बाला	

माइक्रोवेव संचार सम्पर्क

[अनुवाद]

*627. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान माइक्रोवेव संचार संपर्क की व्यवस्था करने के लिए कौन-कौन सी नई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और 1992-93 के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्बाध दूरसंचार सेवायें सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सूक्ष्म तरंग संचार संपर्क (यू० एंच० एफ० स्कीमों सहित) प्रदान करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कार्यान्वित की जा रही और 1992-93 में कार्यान्वित की जाने वाली नई परियोजनाओं के नाम क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-1

1991-02 के दौरान चालू की जा रही सूक्ष्म तरंग स्कीमें

क्र० सं०	मार्ग	क्र० सं०	मार्ग
1.	भदेवां-आलमबाग	13.	मुरादाबाद-लैंसडाउन
2.	भदेवां-केशरबाग	14.	नैनीताल-बरेली
3.	केशरबाग-महानगर	15.	शिमला-चंडीगढ़
4.	कलकत्ता-संबलपुर	16.	कोहिमा-सूक्ष्मतरंग कोहिमा एम० जी० आई०
5.	बारगढ़-बोलनगीर	17.	एर्नाकुलम-अरूर
6.	बोलनगीर-संबलपुर	18.	एर्नाकुलम-कोचीन
7.	दार्जिलिंग-गंगटोक	19.	एर्नाकुलम-कलामसेरी
8.	देवरिया-गोरखपुर	20.	एर्नाकुलम-पन्नमपल्ली नगर
9.	वाराणसी-मऊ	21.	एर्नाकुलम-त्रिपुनितुरा
10.	जयपुर-कोटा-इन्दौर	22.	मंगलौर-उल्लई
11.	देहरादून-सुरकंडा	23.	सैफाबाद-नचारम
12.	जालंधर-कपूरथला	24.	कोयम्बटूर-पोलाची

क्र० सं०	मार्ग	क्र० सं०	मार्ग
25.	मदुरई-पोलाची	31.	इन्दौर-उज्जैन
26.	कालीकट-मंगलोर	32.	पंजिम-मडगांव
27.	खम्माम-कोडाड	33.	पंजिम-मापुसा
28.	कुरनूल-नंदियाल	34.	पुणे-महाबलेश्वर
29.	मद्रास-टेलीफोन	35.	रायपुर-बिलासपुर
30.	धूलिया-नागपुर	36.	राजकोट-जूनागढ़

1991-92 के दौरान चालू की जा रही 60 और 120 सरणि पराउच्च आवृत्ति प्रणालियां

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल	क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
1.	महबूब नगर-नगरकुरनूल	आंध्र प्रदेश	23.	बिओरा-राजगढ़	मध्य प्रदेश
2.	वारंगल-जलगांव	,,	24.	नरसिंहपुर-पिपरिया	,,
3.	हैदराबाद-मोनगीर	,,	25.	शिलांग ईएसी-माउकलोट शिमला	उत्तर पूर्व
4.	चिलकापुरपेट-सेठापल्ली	,,			
5.	हैदराबाद-मडचल	,,	26.	शिलांग-गढ़ीखाना	,,
6.	विकराबाद-वेदारण्यम	,,	27.	शिलांग-उम्पलिंग	,,
7.	नालगोंडा-मरयालगोंडा	,,	28.	बोलनगीर-तितलागढ़	उड़ीसा
8.	गोलाघाट-सरूपठार	असम	29.	तितलागढ़-भवानीपटना	,,
9.	जोरहाट-कमलबाड़ी	,,	30.	मलकनगिरी-जगतसिंहपुर	,,
10.	जोरहाट-तुली	,,	31.	कटक-जगतसिंहपुर	,,
11.	डिगबोई-मरघरेटा	असम	32.	चण्डीगढ़-नांगल	पंजाब
12.	डिब्रूगढ़-दीमाजी	,,	33.	चंडीगढ़-चंडीमंदिर	पंजाब
			34.	लुधियाना-हलवारा (ओएंडजी)	,,
13.	अभिनम-धोवल	,,			
14.	बड़ौदा-कवाडिया कालोनी	गुजरात	35.	थेनी-कुंबुम	तमिलनाडु
15.	उधमपुर-बटोटे	जम्मू कश्मीर	36.	मदुरई-उसलिमपट्टी	,,
16.	पंढारपुर-शोलापुर	महाराष्ट्र	37.	खुर्जा-डिबाई	उत्तर प्रदेश
17.	अकोला-बुल्ढाना	,,	38.	बरेली-आंवला (आरएंडबी)	,,
18.	जबलपुर-मांडला	,,	39.	सुरकंडा-नई टिहरी	,,
19.	अकोला-करांजा	,,	40.	सुरकंडा-उत्तरकाशी	,,
20.	जबलपुर-नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	41.	चंपाडांगा-चंद्रानगर	पश्चिमी बंगाल
21.	इन्दौर-पीठमपुर	मध्यप्रदेश	42.	केनिंग-नरेन्द्रपुर	,,
22.	कटनी-शहडोल	,,	43.	रायगंज-बलूरघाट	,,

1991-92 के दौरान चालू की जा रही 30 सरणी डिजिटल पराउच्च आवृत्ति प्रणालियां

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल	क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
1.	तेनाली-रिपाली	आन्ध्र प्रदेश	12.	अचलपुर-अमरावती	महाराष्ट्र
2.	पलकोले-रजोले	,,	13.	नागपुर-सूक्ष्मतरंग सोनेगांव ए/एफ	,,
3.	गोधरा-हलोल	गुजरात	14.	मडगांव-कनकोना	,,
4.	सूरत-मांडवी	,,	15.	मोबोर-बेरका	,,
5.	सूरत-साचिल	,,	16.	खड़गवासला-पुणे	,,
6.	रिवाड़ी-धारूहेड़ा	हरियाणा	17.	लोनी-पुणे	,,
7.	पेरेला-केशरगोडे	कर्नाटक	18.	चिरावा-खेत्रीनगर	राजस्थान
8.	बंगलौर-एनएए-बीजीडीओटी	,,	19.	सलेम-यारकंड	तमिलनाडु
9.	इडडुकी-नेदमगडम	केरल	20.	लोनी-नोएडा	उत्तर प्रदेश
10.	चिचवाड-पीरांगुट	महाराष्ट्र	21.	कूचबिहार-दिनाहाटा	प० बंगाल
11.	माहुल-थाणे	,,			

विवरण-2

1992-93 के दौरान चालू की जाने वाली सूक्ष्म तरंग स्कीमें

क्र० सं०	मार्ग
1.	गुवाहाटी-दुर्गासरोवर
2.	कटक-चोदार
3.	कटक-संभलपुर
4.	कटक-नालटीगिरी
5.	दार्जिलिंग-कलिंगपोंग
6.	फैजाबाद-गोंडा
7.	मऊ-आजमगढ़
8.	रायगढ़-बारगढ़
9.	तक्सीयु-फुंतसोलिन
10.	नई दिल्ली-अम्बाला
11.	आगरा-इटावा
12.	जालंधर-होशियारपुर
13.	शिमला-मंडी
14.	सिलचर-आयजोल

क्र० सं०	मार्ग
15.	गुंटकल-हुबली
16.	एर्नाकुलम-इड्डुकी
17.	कोटायम-पोलाई
18.	मैसूर-ऊटी
19.	तिरुवल्ला-कोटायम
20.	बंगलौर-टेलीफोन
21.	बंबई-धुलिया
22.	नागपुर-आर.पुर-एस.बी.एल.पुर
23.	महावद्वार-पोरबंदर
24.	बारामती-पोल्टोन

1992-93 के दौरान चालू की जाने वाली 120 सरणी डिजिटल पराउच्च आवृत्ति प्रणालियां

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
1.	हैदराबाद-मेहचाल	आंध्र प्रदेश
2.	हैदराबाद-विक्राबाद	,,
3.	जगतिमाल-नचपाली-करीमनगर	,,
4.	धेमजी-डिब्रूगढ़	असम
5.	दिसपुर-दुर्गासरोबर	,,
6.	होजाई-नवगांव	,,
7.	हलबरी-बारपेटा	,,
8.	शिलांग-मदपात-गोरीखाना	,,
9.	धनबाद-के.गढ़-सिनाडीह	बिहार
10.	धनबाद-लोयाबाद	,,
11.	हजारीबाग-बरही-झू० तलैया	,,
12.	रांची-बड़ागांव-रामगढ़	,,
13.	बुलसर-धरमपुर	गुजरात
14.	सोराजी-उपलेटा	,,
15.	यूएनए-जफराबाद	,,
16.	चरखीदादरी-भिवानी	हरियाणा
17.	हिसार-उकलाना-टोहाना	,,
18.	कुंडली-सोनीपत	,,
19.	कुरुक्षेत्र-मडवा	,,

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
20.	धरमशाला-आर-नूरपुर	हिमाचल प्रदेश
21.	शिमला-निहरी-सुन्दरनगर	,,
22.	ऊधमपुर-नरोटा-बटोट	जम्मू व कश्मीर
23.	हुबली-लालहट्टी-डंडेली	कर्नाटक
24.	हुबली-नन्दीकाट-सिरसी	,,
25.	पुट्टूर-बलीपड़ी-सुलिया	,,
26.	कनानूर-मटनोरे	केरल
27.	एर्नाकुलम-नराकाल	,,
28.	सागर-टीकमगढ़	मध्य प्रदेश
29.	डौंड-यवाट-पुने	महाराष्ट्र
30.	फाउंटेन-सेवा	,,
31.	फाउंटेन-इरान	
32.	करमाला-माधा-म्होल-सोलापुर	,,
33.	लाटुर-उदगीर-अहमदपुर	,,
34.	नवा-फाउंटेन	,,
35.	नवा-टर्बे	,,
36.	पुणे-चाकन-राजगुरूनगर	,,
37.	पुणे-लोनी-उर्लीकंचन	,,
38.	पुणे-आर-आर-आर-जुनार	,,
39.	गरीखाना-शिलांग	उत्तर पूर्व
40.	शिलांग (वैक्स)-डिम्प्लिंग	,,
41.	गोविन्दापल्ली-आर-आर-जयिपोर	उड़ीसा
42.	राजगंगापुर-राउरकेला	,,
43.	भटिंडा-आर-मानसा	पंजाब
44.	चंडीगढ़-आर-नांगल	,,
45.	लुधियाना-समराला	,,
46.	अलवर-खैरंताल	राजस्थान
47.	कुचावानसिटी-मकराना-जेंपी	,,
48.	माउंट आबू-आबू रोड	,,
49.	नीम का थाना-श्रीमाधोपुर	,,
50.	अरकोनम-कांचीपुरम	तमिलनाडु

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
51.	मदुरई-प्रेमाकुडी	तमिलनाडु
52.	मदुरई-उसितामपट्टी	,,
53.	तिरूथिराईपुंडी-तिरूवरूर	,,
54.	उमरोहा-मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश
55.	आनन्दनगर-महाराजनगर	,,
56.	डिई-खुर्जा	
57.	गोरखपुर-आनन्दनगर	,,
58.	हेत्ता-देवरिया	,,
59.	झांसी-झांसीभेल	,,
60.	मुगलसराय-वाराणसी	,,
61.	बांकुरा-गोगाजलहट्टी	पश्चिमी बंगाल
62.	बांकुरा-खटारा	,,
63.	केनिंग-नरेन्द्रपुर	,,
64.	जे० तलैया-हजारीबाग	,,

1992-93 के दौरान चालू की जाने वाली सरणी डिजिटल पराउच्च आवृत्ति प्रणालियां

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
1.	हैदराबाद-इब्राहीमपट्टनम	आंध्र प्रदेश
2.	कम्मम-यालान्दू	,,
3.	कोठागुडम-पोलन्छा	,,
4.	एन०के०-सिरी सेलम	,,
5.	तान्दूर-विकाराबाद	,,
6.	मारीगांव-आर/आर-नौगांव	असम
7.	सिल्चर-विरांगटे	,,
8.	बनहा-एंगलिशिया-बेतिया	बिहार
9.	बेंगारी-डी० नगर-सासाराम	,,
10.	बिहारशरीफ-नालन्दा	,,
11.	दानापुर एम एल वाई-पटना डी ओ टी	,,
12.	दीपाटोली-एम एल वाई-रांची डी ओ टी	,,
13.	गया-राजगिर	,,
14.	हाजीपुर-वैशाली	,,

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
15.	जाइगोडा-किशनगंज	बिहार
16.	जमशेदपर-जाइगोडा	,,
17.	हाजिरा-सूरत	गुजरात
18.	जामनगर-सामोना	,,
19.	आदमपुर-हिसार	हरियाणा
20.	आसन्ध-करनाल	,,
21.	छिक्का-कैथल	,,
22.	इलनाबाद-सिरसा	,,
23.	गुडगांव-नूह	,,
24.	जींद-साफींदोन	,,
25.	कैथल-पुन्डरी	,,
26.	कालनवालो-सिरसा	,,
27.	कुरुक्षेत्र-नीलोखेड़ी	,,
28.	रतिया-फतेहाबाद	,,
29.	सिवानी-तोशम	,,
30.	हीरानगर-कथुआ	हिमाचल प्रदेश
31.	नाहन-बाराबन-पौंटासाहिब	,,
32.	गन्दरबाल-जारीखान-कनगन	जम्मू व कश्मीर
33.	अथानी-जामखण्डी	कर्नाटक
34.	बंगलूर डी ओ टी-बंगलौर ए/पी	,,
35.	बिलारी-सिरीगुप्पा	,,
36.	बेल्टरगाड़ी-पुतूर	,,
37.	बंगलौर डी ओ टी-बंगलौर एच ए एल ए टी सी	,,
38.	बीजापुर-इन्डी	,,
39.	चामराजनगर-मैसूर	,,
40.	मेरकारा-सोमवार पेठ	,,
41.	रायचूर-हिरेबोदूर-श० पुर	,,
42.	रायचूर-शक्तिनगर	,,
43.	आदिमाल्ली-इडुकी	केरल
44.	इडुकी-नेनेहमगुडम	,,
45.	मनानीहोडी-एस. बैटरी	,,

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
46.	अमीलिया-गजराही	मध्य प्रदेश
48.	गजराही-सनुमाना	,,
48.	जायवान-साक्षर	,,
49.	महासमुन्द-रायपुर	,,
50.	शाजाहार-वैधावन	,,
5'.	साजहर-सिंगरौली	,,
52.	छाकन-पूना	महाराष्ट्र
53.	दामोद-पालसमाल	,,
54.	देहूरोड-पूना एस/पी	,,
55.	धामोद-पालसमल	,,
56.	गोराई-कान्दीविली	,,
57.	आई एन एस शिवाजी-लोनावाला	,,
58.	माहुल-थाने	,,
59.	माहुल-थाने-डिफेन्स/नेवी	,,
60.	नागपुर डी ओ टी-नागपुर एअरपोर्ट	,,
61.	नागपुर-केलोड-पांडुरना	,,
62.	पुलगांव-वर्धा	,,
63.	अगरतला डी ओ टी-अगरतला ए/पी	उत्तर पूर्व
64.	अगरतला-तेलियागुरा	,,
65.	ऐकवाल-बुआलपुरी-साईरंग	,,
66.	आयजोल-डार्टलांग	,,
67.	आयजोल/कोलसिब-बैराबी	,,
68.	अगरतला-ए एन बारी-कमलपुर	,,
69.	दादनगिरी-बाल्कुल-तुरा	,,
70.	अबोहर-मालोट	पंजाब
71.	कुरुक्षेत्र-नीलोखेड़ी	,,
72.	मोंगा-तलवन्डीभाई	,,
73.	संगरूर-सुनाम	,,
74.	चुरू-बालेरी-सरदारशहर	राजस्थान
75.	फतेहपुर-सीकर	,,

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
76.	कोटपुतली-शाहपुरा	राजस्थान
77.	अन्नूर-कोयम्बटूर	तमिलनाडु
78.	छेंगम-तिरूवनमल्लाई	"
79.	मदुरई-एन कोहाई-बी गुंडू	"
80.	हवेली-विरदचलम	"
81.	परियाकुलम-थेनी	"
82.	पट्टुकोहाई-चिरादुरानी	"
83.	अल्मोड़ा-कालीमाता-रानीखेत	उत्तर प्रदेश
84.	आनन्दनगर-नौतनवान	"
85.	आनन्दनगर-सिद्धार्थनगर	"
86.	अनुपशहर-डिबाई	"
87.	बागपत-बड़ौत	"
88.	बिशालपुर-पीलीभीत	"
89.	डिबाई-नरोरा	"
90.	गोरखपुर-17विंग-गोरखपुर-डी ओ टी	"
91.	गोरखपुर-हाता-पड़रोना	"
92.	हापुड़-पिलखुवा	"
93.	जौनपुर-कानपुर	"
94.	झांसी-परीछा	"
95.	लखनऊ-डी ओ टी-लखनऊ एयरपोर्ट	"
96.	मवाना-मेरठ	"
97.	मेरठ-सरधना/आर्मी	"
98.	मुरादनगर-नोएडा	"
99.	न्यूटिहरी-टिहरी	"
100.	पीलीभीत-पूरनपुर	"
101.	सिकन्दराबाद एच जी-ई-सिकन्दराबाद एस ए-आई	"
102.	वाराणसी डी ओ टी-वाराणसी ए/पी	"
103.	बेरमपुर-रघनाथगंज	पश्चिमी बंगाल
104.	बोनगांव-हावड़ा	"
105.	बर्दवान-गालसी	"

क्र० सं०	मार्ग	सर्किल
106.	बर्दवान-गुसकारा	पश्चिमी बंगाल
107.	बर्दवान-जमालपुर	,,
108.	बर्दवान-सतगाछिया	,,
109.	बर्दवान-सेंहराबाजार	,,
110.	कूंच बिहार-तूफानगंज	,,
111.	फरक्का-मालदा	,,
112.	काकद्वीप-कुलपी	,,
113.	कृष्णनगर-मायापुर	,,
114.	पुरालिया-रघुनाथपुरम	,,
115.	ताराजेश्वर-चम्पाडांगा	,,

बारानी खेती

*628. **कुमारी उमा भारती :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का देश में बारानी खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) देश में बारानी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्र और जिस विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य का नाम	सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पन-धारी विकास परियोजना	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	मरू विकास कार्यक्रम	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	441.127	60.07	—	542.30	45.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.000	—	—	—	1.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	171.387	—	—	140.36	5.875
4.	बिहार	345.175	379.64	—	147.34	60.00
5.	गोवा	8.200	—	—	—	0.25
6.	गुजरात	528.502	362.78	222.13	529.27	60.00
7.	हरियाणा	84.100	67.50	425.00	183.69	18.81
8.	हिमाचल प्रदेश	26.400	—	200.00	24.01	1.55
9.	जम्मू व कश्मीर	34.112	142.25	300.00	39.40	0.50
10.	कर्नाटक	751.825	575.05	—	403.21	74.19
11.	केरल	153.900	—	—	—	0.75
12.	मध्य प्रदेश	1237.168	341.20	—	352.45	119.40
13.	महाराष्ट्र	988.450	654.81	—	477.01	110.00
14.	मणिपुर	5.900	—	—	—	0.25
15.	मेघालय	10.550	—	—	—	0.97
16.	मिजोरम	4.900	—	—	—	—
17.	नागालैंड	9.900	—	—	—	0.75
18.	उड़ीसा	379.908	270.18	—	271.39	31.48
19.	पंजाब	43.293	—	—	157.34	18.00
20.	राजस्थान	845.080	242.74	3702.46	492.28	115.00
21.	सिक्किम	4.950	—	—	40.45	1.00
22.	तमिलनाडु	209.212	284.84	—	481.98	29.00
23.	त्रिपुरा	17.800	—	—	6.30	0.25
24.	उत्तर प्रदेश	550.877	587.98	—	372.40	224.00
25.	पश्चिम बंगाल	273.731	255.37	—	202.60	10.58
26.	दादरा तथा नगर हवेली	1.350	—	—	—	—
27.	दमन और द्वीव	1.350	—	—	—	—
28.	अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	0.25
29.	दिल्ली	—	—	—	—	0.25
	कुल :	7137.147	4766.41	4849.59	4863.78	929.105

सीमा सुरक्षा बल द्वारा अपराधों का पता लगाना

[हिन्दी]

*629. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तस्करी, डकैती, लूट और घुसपैठ के कितने मामलों का क्षेत्रवार पता लगाया है;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बल को नई तकनीक और उपकरणों से लैस कर दिया गया है और इस प्रयोजनार्थ उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सरकार, विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए नवीनतम तकनीक की समीक्षा करती रहती है । सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराए गए उपकरणों में नाईट विजन डिवाईस दूरबीन, हाथ में पकड़ी जाने वाली टार्च, इत्यादि शामिल है । दलों को इन उपकरणों के प्रयोग के बारे में उचित रूप से प्रशिक्षण दिया गया है ।

विवरण

	पश्चिमी क्षेत्र			पूर्वी क्षेत्र		
	1989	1990	1991 (जुलाई तक)	1989	1990	1991 (जुलाई तक)
I. तस्करी के पता लगाए गए मामलों की संख्या	345	339	239	26631	31721	19221
II. राज्य सरकार द्वारा सी० सु० बल को सूचित किए गए लूटपाट के मामले	—	—	—	6	13	7
III. राज्य सरकार द्वारा सी० सु० बल को सूचित किए गए डकैती के मामलों की संख्या	—	—	—	28	38	16
IV. पता लगाए गए घुसपैठियों की संख्या	2714	988	1076	33331	47556	38729

बीजों की नई किस्मों का विकास

[अनुवाद]

4968. श्री के० प्रधानी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्षारीय और जल युक्त भूमि में खेती करने हेतु नए किस्म के बीजों को विकसित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) क्षारीय और जल-मग्न मिट्टियों में उगायी जा सकने वाली किस्मों और संकरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षारीय मिट्टियों के लिए विकसित की गई किस्में और संकर

फसल		किस्म/संकर
गेहूं	:	के० आर० एल० 1-4, डब्ल्यू० एच० 157, पी० बी० डब्ल्यू० 65, राज 1972, राज 3077, लोक-I
चावल	:	विकास, नरेन्द्र-I, मोहन, पटनाई-23
ज्वार	:	सी० एस० एच०-10, सी० एस० वी०-10, सी० एस० वी०-II
मंडुआ	:	टी० आर० आई-I
गन्ना	:	को० 455, को० 7314, को० 7717, को० एस० 767
चुकंदर	:	आई० आई० एस० आर० कम्पो०-I, रेमंस्कया-06
कुसुम	:	एच० यू० एस०-305 (मालव्य कुसुम)
तोरिया	:	एन० डी० आर० 8501

जल-मग्न मिट्टियों के लिए विकसित की गई किस्में/संकर

चावल	:	सुरेश (सी० एन० 540), विराज (सी० एन० एम०), जलमग्न, जोगन (सी० एन० 505-5-32-9), सबिता (एन० सी० 492), जलधि-1, जलधि-2 जानकी, उत्कल प्रभा
जूट	:	रेशमा, पद्मा
कपास	:	लक्ष्मी
गन्ना	:	को० 62175, को०एस० 8118, को०एम० 8119, को० एस० 8009, बी० ओ० 91, को०एस० 7918, को० एस० 837, को० एस० 767, को० 740

"दक्षेस" की बैठक के लिए भारत-पाकिस्तान की संयुक्त कार्य योजना

4969. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के सचिवों की मालदीव में होने वाली दक्षेस की विदेश

सचिवों संबंधी स्थाई समिति की बैठक में अपनाई जाने वाली संयुक्त कार्य योजना तैयार करने हेतु 30 जून, 1991 को बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

4970. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान राजस्थान में कुछ शाखा और उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) बैरन चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर जिलों में क्रमशः बैरन एल. एस. जी. उप डाकघर का हैडपोस्ट आफिस के रूप में, मैंडाफिया अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का विभागीय उप डाकघर के रूप में तथा रावला अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का विभागीय उपडाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव हैं ।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को) पर बिजली तथा उपकर की बकाया राशि

[हिन्दी]

4971. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को), कोरबा ने मध्य प्रदेश सरकार को बिजली शुल्क तथा उपकर की कितनी धनराशि देनी है; और

(ख) देय राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) बिजली शुल्क व उपकर की पूरी बकाया राशि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने मध्य प्रदेश सरकार को अदा कर दी है और बाल्को द्वारा चालू देयराशियों की भी नियमित अदायगी की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में महिलाओं के प्रति हिंसा

[अनुवाद]

4972. डा० सुधीर राय :

श्री पीयूष तीरकी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जून, 1991 को त्रिपुरा में महिलाओं, विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं घटित हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) यद्यपि कथित हिंसा के बारे में राज्य पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गई है, फिर भी समाचार पत्र के एक भाग में समाचार प्रकाशित हुआ था कि पुलिस कार्मिकों ने जनजातीय महिलाओं के एक ग्रुप के साथ बलात्कार किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के त्रिपुरा खण्ड-पीठ को, उन पांच जनजातीय महिलाओं से एक याचिका प्राप्त हुई, जिनके साथ 23 जून, 1991 को उत्तरी त्रिपुरा में गाछीरामपारा में पुलिस कार्मिकों द्वारा तथाकथित बलात्कार किया गया था। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मामले की जांच की जाए। तदनुसार मामले की जांच की गई और रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई। आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

डकैती व हत्या के एक अपराध की जांच पड़ताल के दौरान दुर्व्यवहार के लिए एक पुलिस सहायक उप-निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4973. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1991 के "हिन्दुस्तान" में "बहू को जलाकर मारने में पांच गिरफ्तार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या पुलिस की दोषी व्यक्तियों के साथ साठगांठ होने तथा पुलिस द्वारा रिकार्डों में हेराफेरी करने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिनांक 23 जुलाई, 1991 के "हिन्दुस्तान" में "वधू को जलाकर मारने में पांच गिरफ्तार" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ।

(ख) पांच व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उनके विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 304-ख और 498-क के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा प्रचार अभियान

4974. **श्री पीयूष तीरकी :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी अलगाववादियों ने अपने उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाने हेतु कश्मीर में तथा भारत से बाहर श्रव्य दृव्य तथा मुद्रण के प्रचार माध्यमों के जरिये एक संयुक्त अभियान छेड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कश्मीरी आतंकवादियों की गलत सूचनाओं और भ्रामक अभियानों की पोल खोलने और कश्मीर घाटी में "सूफी" परम्पराओं को प्रचारित करने के लिए देश के भीतर और देश के बाहर पहले ही कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है ;

हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा उत्पादन

4975. **श्री राम निहोर राय :**

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा किन-किन मदों का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी को किन-किन मदों का और कितनी मात्रा में उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है; और

(ग) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा कौन से कच्चे माल का आयात किया जाता है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (हिन्डाल्को) की उत्पाद-वार लाइसेंस क्षमता और उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मात्रा टन में)

उत्पाद	लाइसेंस क्षमता	उत्पादन 1990-91	उत्पादन अप्रैल-जुलाई 1991-92
एल्यूमिनियम धातु	1,50,000	1,39,762	55,456
रोल्ड उत्पाद	25,200	27,762	10,304
एक्स्ट्रुड उत्पाद	8,500	8,652	3,199
पुनर्कषित तार छड़ (प्रापर्जी)	22,000	39,954	13,743

नई औद्योगिक नीति के अनुसार, उपर्युक्त उत्पाद लाइसेंस प्रणाली से मुक्त है।

(ग) हिन्डाल्को द्वारा आयातित कच्चा माल इस प्रकार है :—

1. एन्थ्रासाइट कोल
2. कोल तार पिच
3. कैथोड ब्लाक
4. मिश्रासुकर धातुएं, जैसे मैग्नेशियम, सिलिकॉन, टिटैनियम बोरोन राड।
5. लाइनिंग के लिए सिलिकान ब्रिक्स।

केरल में एस० टी० डी० सुविधा का विस्तार, आधुनिकीकरण तथा प्रावधान

4976. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के कोट्टायम जिले में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों की एस. टी. डी. सुविधाओं का बिस्तार, आधुनिकीकरण और प्रावधान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं योजना अवधि (1990-91 से 1994-95) के दौरान कोट्टायम जिले के सभी 57 एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

कोट्टायम जिले में 14 एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है और 91-92 के दौरान 13 और एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। शेष एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा उत्तरोत्तर रूप से आठवीं योजना अवधि के दौरान उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

कोट्टायम जिले में 9 एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक हैं और शेष को आठवीं योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

जम्मू तथा कश्मीर में बम विस्फोट

4977. श्री गुरुदास कामत :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान जम्मू व कश्मीर में कितने बम विस्फोट हुए; और

(ख) उनमें से कितने मामले सुलझाए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) वर्ष 1990 और 30 जून, 1991 तक की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में 1833 विस्फोट हुए। ये विस्फोट आतंकवादियों द्वारा किए गए। सरकार ने आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है और इस अवधि के दौरान सीमा पर 553 आतंकवादी और राज्य में अन्य स्थानों पर 293 आतंकवादी मारे गए। इस अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 1610 व्यक्ति अभी भी नजरबंद हैं।

हज यात्री

4978. श्री एन० के० बलियान :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन हज यात्रियों पर वर्ष-वार कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) इस खर्च में हज यात्रियों की भागीदारी और सरकार द्वारा दिए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) हज समिति, बम्बई के प्रबन्ध के अधीन हज यात्रा के लिए जाने वाले लोगों की संख्या के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

1989	24695
1990	24227
1991	23318

इन लोगों के अलावा करीब 10,000 लोग हर वर्ष अपने आप भी जाते हैं जिनकी ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख)	1989	43,27,83,786/रु०
	1990	50,68,02,155/रु०
	1991	54,46,79,278/रु० (अनन्तिम)

(ग) सरकार सिर्फ विदेशी मुद्रा की सुविधा देती है।

पत्रकारों को टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

4979. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर अथवा कुछ विशेष कोटे के माध्यम से टेलीफोन कनेक्शन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) इस समय प्रत्यायित पत्रकार अपने आप को गैर-ओ० वाई० टी०-विशेष श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत करा सकते हैं जो अग्रता के आधार पर कनेक्शन प्रदान करने की श्रेणी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर में अभ्रक का उत्खनन

4980. श्री विश्वनाथ दास शास्त्री :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 और 1980 के बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के आस-पास खुदाई करने पर अभ्रक होने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां पर उक्त खनिज पदार्थ की ओर खोज तथा उत्खनन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि विद्युत प्रतिरोधिता अध्ययन और अन्य भू-भौतिकीय सर्वेक्षण के आधार पर इस क्षेत्र में अभ्रक होने के कोई संकेत नहीं हैं, इसलिए वहां गवेषण करने की कोई योजना नहीं है।

एस० टी० डी० और टेलेक्स सुविधाओं सहित दूरसंचार केन्द्र

[अनुवाद]

4981. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में एस० टी० डी० और टेलैक्स सुविधाओं सहित सर्किलवार कितने दूरसंचार केन्द्र थे;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान सर्किल-वार ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) बिहार में ऐसे केन्द्र और प्रस्तावित केन्द्र किन-किन स्थानों में स्थित हैं और किन-किन स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में प्रस्तुत की गई है।

(ग) 1.4.1991 की स्थिति के अनुसार, बिहार में भोजपुर जिले के आरा कोर्ट कम्पाउन्ड में, एस० टी० डी० और टेलेक्स दोनों सुविधाओं से युक्त एक दूरसंचार केन्द्र काम कर रहा था।

वर्ष 1991-92 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर चार ऐसे दूरसंचार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है :—

1. बोकारो
2. बेंल्को; जमशेदपुर
3. भगवानपुर; मुजफ्फरपुर
4. टावर चौक, दरभंगा।

विवरण

क० सं०	दूरसंचार सर्किल	एसटीडी और टेलेक्स, दोनों सुविधाओं से युक्त दूरसंचार केन्द्रों की संख्या	वर्ष 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित दूरसंचार केन्द्रों की संख्या जिनमें एसटीडी और टेलेक्स दोनों सुविधाएं होंगी
1	2	3	4
1.	आंध्र	33	8
2.	उत्तर पूर्व	1	4
3.	असम	2	3
4.	बिहार	1	4
5.	गुजरात	2	5
6.	हरियाणा	शून्य	शून्य
7.	हिमाचल	1	1
8.	जम्मू और कश्मीर	1	1
9.	कर्नाटक	6	11
10.	केरल	28	12
11.	महाराष्ट्र	38	5
12.	मध्य प्रदेश	5	शून्य
13.	उड़ीसा	8	शून्य

1	2	3	4
14.	पंजाब	6	10
15.	राजस्थान	9	10
16.	तमिलनाडु	6	शून्य
17.	उत्तर प्रदेश	6	शून्य
18.	पश्चिम बंगाल	4	4
19.	दिल्ली टेलीफोन जिला	5	75
20.	बम्बई टेलीफोन जिला	22	50
21.	मद्रास टेलीफोन जिला	11	4
22.	कलकत्ता टेलीफोन जिला	कलकत्ता शहर के लिए, यह कार्य पश्चिम बंगाल सर्किल ने हाथ में लिया है।	

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

4982. **श्री मनोरंजन भक्त** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की बढ़ी हुई दरों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1991 को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या 15012/8/86 स्था० (भत्ता) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने लागू किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

उड़ीसा में प्रधान डाक घर खोलना

[हिन्दी]

4983. **श्री मृत्युंजय नायक** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन जिलों में कोई प्रधान डाकघर नहीं है;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक जिले में विशेषकर जिला मुख्यालयों में कम से कम एक डाक-घर खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जिला मुख्यालयों सहित उड़ीसा के सभी 13 राजस्व जिलों में मुख्य डाकघर हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में ग्रेनाइट की खानें

[अनुवाद]

4984. **श्री राम नरेश सिंह** :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार तथा वर्ष-वार ग्रेनाइट की कितनी खानें कार्य कर रही हैं, कितनी मात्रा में उत्खनन हुआ तथा विभिन्न खानों से उक्त खनिज से कितनी धनराशि अर्जित की गई; और

सरकार राज्य-वार नई ग्रेनाइट खानों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1988 में भारत में ग्रेनाइट उत्पादकों की संख्या 196 थी ।

(ख) 1987 से 1989 तक ग्रेनाइट के उत्पादन और मूल्य के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) चूंकि ग्रेनाइट एक गौण खनिज है, इसलिए इसके गवेषण और विकास का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर है ।

विवरण

1987-89 में ग्रेनाइट का उत्पादन और मूल्य

(मात्रा हजार टन में)
(मूल्य हजार रु० में)

राज्य	1987		1988		1989	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भारत	902	9,19,92	1207	20,18,39	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
आंध्र प्रदेश	69	3,17,30	69*	3,17,30	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गोआ	121	13,77	334	33,49	49	4,892
गुजरात	2	37	38	6,40	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
हरियाणा	नगण्य	15	नगण्य	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	78	3,46,95	133	14,18,39	139	10,00,61
केरल	290*	43,51	290*	45,51	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान	2	5,12	3	6,53	5	10,47
तमिलनाडु	340	1,92,75	340*	1,92,75	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

न : आभूषण रत्नों से संबंधित

* : आंकड़े न मिलने के कारण गत वर्ष के आंकड़े ही पुनः उद्धृत किए गए हैं ।

ब्राजील से चिकोरी के बीजों का आयात

4985. डा० के० डी० जेस्वाणी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष ब्राजील से चिकोरी के बीजों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में बीजों का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष में भी उसका आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम के जरिए हालैंड से चिकोरी के रेक्सर किस्म के 60 क्विंटल बीजों का आयात किया।

(ग) और (घ) 1991-92 के दौरान सरकार का राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के जरिए हालैंड से रेक्सर किस्म के लगभग 3200 कि० ग्रा० तथा फ्रांस से ऑर्चीज किस्म के 225 कि० ग्रा० बीजों का आयात करने का प्रस्ताव है।

असम में धनसिरी और चम्पावती सिंचाई परियोजनाएं

4986. श्री प्रबीन देका :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में धनसिरी और चम्पावती सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) 1991-92 के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) धनसिरी परियोजना 15.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जून, 1975 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी थी। इस परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत लगभग 92 करोड़ रुपए आंकी गयी है। सातवीं योजना के अन्त तक 66 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और वर्ष 1990-91 के दौरान 8 करोड़ रुपए व्यय होने की आशा है। इस योजना से कोई सिंचाई लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया है।

चम्पावती सिंचाई परियोजना 15.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जुलाई, 1988 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी। इस परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 47.5 करोड़ रुपए आंकी गयी है। सातवीं योजना के अन्त तक 17.47 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और वर्ष 1990-91 के दौरान 3 करोड़ रुपए व्यय होने की आशा है। इस परियोजना से कोई सिंचाई लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ख) योजना आयोग के कार्यदल ने वर्ष 1991-92 के दौरान धनसिरी परियोजना के लिए

12.80 करोड़ रुपए और चम्पावती सिंचाई परियोजना के लिए 11.00 करोड़ रुपए की सिफारिश की है।

(ग) दोनों ही परियोजनाओं को आठवीं योजना के दौरान पुरा करने का कार्यक्रम है।

जम्मू से गायों की तस्करी

[हिन्दी]

4987. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू से पड़ोसी देशों को की गयी गायों की तस्करी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) सरकार को जम्मू से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से होकर पड़ोसी देशों को गायों की तस्करी करने के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के दूरभाष एक्सचेंजों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा

[अनुवाद]

4988. **श्री एम० ज्ञानेन्द्र रेड्डी :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के विभिन्न दूरभाष एक्सचेंजों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधायें उपलब्ध करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 1991-92 के दौरान चन्द्रगिरी में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

बिहार के मधुबनी जिले में लोकहा बाजार और बासापट्टी से सीधे टेलीफोन सेवा

[हिन्दी]

4989. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी जिले में लोकहा बाजार और बासापट्टी से सीधे टेलीफोन सेवा के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है;

(ख) क्या बिहार के दरभंगा जिले में बड़वाना से पी० सी० ओ० टेलीफोन सेवा आरम्भ हो गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार के मधुबनी जिले में खीरहार बाजार (ओमगांव डिवीजन) से पी० सी० ओ० टेलीफोन सेवा कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सीधी टेलीफोन सेवा वर्ष 1992-93 के दौरान प्रदान करने की योजना है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले में कोई बरवाना गांव नहीं है। सीतामढ़ी जिले में एक बरवाना गांव है। अभी तक इस गांव से सार्वजनिक टेलीफोन की शुरूआत नहीं की गई है।

विभागीय नीति के अनुसार पंचायत ग्रामों को वर्ष 1991-95 के दौरान और बचे हुए गांवों को वर्ष 1995-2000 के दौरान टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

(ग) खीरहार बाजार से सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है।

[अनुवाद]

महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी प्रकोष्ठ के निरीक्षकों की गतिविधियां

4990. **श्री कड़िया मुण्डा** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिला के महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी प्रकोष्ठ के निरीक्षकों द्वारा अनेक लड़कियों और महिलाओं को खराब किया जा रहा है तथा निरीक्षकों द्वारा अनेक महिलाओं को जम्मू और कश्मीर स्थित वेश्यलाओं में भेजा जा रहा है और लड़कियों को मंच पर नृतकियों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई जांच कराने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में बम विस्फोट

4991. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

श्री बलराम पासी :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार शीर्षकों, ब्लास्ट क्लोज अप रेल ट्रैक तथा "पुलिस फोर्स फेल्स अगेन" की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों का पता लगाने तथा दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 16 जुलाई, 1991 के अंक में "ब्लास्ट क्लोज अप रेल ट्रैक" तथा "पुलिस फोर्स फेल्स अगेन" शीर्षकों से दो समाचार प्रकाशित हुए।

(ख) सभी प्रयासों के बावजूद, पुलिस द्वारा अभी तक अभियुक्तों को नहीं पकड़ा जा सका है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में, रेलवे पटरियों पर गश्त बढ़ाना, सामरिक महत्व के स्थानों पर पुलिस नियन्त्रण कक्ष की गाड़ियां तैनात करना, चौकसी बढ़ाना, चलती-फिरती और पैदल गश्त बढ़ाना, सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करना, संचार तंत्र को आधुनिक बनाना, इत्यादि शामिल हैं।

मद्रास में सचिवालय के भवन को उड़ाने का प्रयास

4992. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 सितम्बर, 1990 को मद्रास में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक का स्थल, सचिवालय के दस मंजिले भवन को उड़ाने का प्रयास किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, और अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

न्यू मुम्बई टेलीफोन को मुम्बई टेलीफोन सर्किल में शामिल करने का प्रस्ताव

4993. **प्रो० राम कापसे** :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरभाष उपभोक्ताओं को मुम्बई और नई मुम्बई के बीच बातचीत करने के लिए उपभोक्ता-ट्रंक-डायलिंग कर उपयोग कराना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नई मुम्बई दूरभाष को मुम्बई दूरभाष सर्किल में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां । हाल ही में बम्बई और नई दिल्ली के बीच एक लिंक्ड नम्बरिंग स्कीम की शुरूआत की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अपने-अपने स्थानीय क्षेत्रों के साथ दो अलग-अलग स्थानीय एक्सचेंज प्रणालियों के रूप में बम्बई और नई बम्बई की वर्तमान स्थिति विभाग की मौजूदा नीति के अनुरूप है ।

पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष द्वारा भारत विरोधी बयान

4994. **श्री चन्द्रजीत यादव** :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने कुछ भारत विरोधी बयान दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) पाकिस्तान के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष ने समय-समय पर ऐसे बयान दिए हैं जिनसे दूसरी बातों के अलावा यह लगता है कि भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू कर सकता है ।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान को बहुत साफ तौर पर यह बताया है कि इस प्रकार के निराधार और शत्रुतापूर्ण बतानों से, जिनका उद्देश्य बाहरी प्रचार मात्र है, तनाव ही बढ़ता है और ये किसी भी तरह ऐसा माहौल पैदा नहीं करते जिसमें दोनों देशों के बीच के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए जा सकते हों ।

सेना की तैनाती पर होने वाले व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी

4995. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** :

श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संबंधित राज्यों द्वारा सेना की तैनाती पर होने वाले खर्च में हिस्सेदारी देने के लिए एक योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

कच्छ में पाकिस्तानी जासूसों का जाल

4996. श्री यशवंतराव पाटिल :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ।

श्री जनार्दन मिश्र ।

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जुलाई, 1991 को "टाइम्स आफ इण्डिया" में पाकिस्तानी स्पाईरिंग इन कच्छ बस्टड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ अधिकारियों को जासूसी की कार्रवाइयों में शामिल होने की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कच्छ जिले के निवासी, जूनास डोसाल नामक एक व्यक्ति को 5 मई, 1991 को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह भारत में घुसने का प्रयास कर रहा था । शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है । मामले की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) इस संबंध में ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा ।

(ङ) ऐसी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए, सीमावर्ती पट्टी के कुछ क्षेत्रों के निवासियों को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावकारी सीमा गश्त बढ़ा कर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई हैं । महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के इर्द-गर्द सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत कर दिया गया है ।

पुरुष और स्त्री जनसंख्या

4997. श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीनतम जनगणना के अनुसार पूरे देश में और विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में, राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार पुरुष और स्त्री जनसंख्या का अनुपात कितना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : 1991 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, भारत में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में एक हजार पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या का विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्त्री-पुरुष अनुपात
1	2	3
	भारत	979
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	973
2.	अरुणाचल प्रदेश	861
3.	असम	925
4.	बिहार	912
5.	गोवा	969
6.	गुजरात	936
7.	हरियाणा	874
8.	हिमाचल प्रदेश	996
9.	जम्मू व कश्मीर	923
10.	कर्नाटक	961
11.	केरल	1040
12.	मध्य प्रदेश	932
13.	महाराष्ट्र	935
14.	मणिपुर	961
15.	मेघालय	947
16.	मिजोरम	924
17.	नागालैंड	890
18.	उड़ीसा	972
19.	पंजाब	888
20.	राजस्थान	913
21.	सिक्किम	878
22.	तमिलनाडु	972
23.	त्रिपुरा	946
24.	उत्तर प्रदेश	881
25.	पश्चिम बंगाल	917

1	2	3
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	820
2.	चण्डीगढ़	793
3.	दादरा और नगर हवेली	953
4.	दमन और दीव	972
5.	दिल्ली	830
6.	लक्षद्वीप	944
7.	पांडिचेरी	980

* जम्मू और कश्मीर राज्य में 1991 की जनगणना नहीं की गई। जनसंख्या प्रक्षेपण विशेषज्ञ स्थायी समिति (अक्तूबर, 1989) द्वारा 1.3.1991 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए तैयार किए गए जनसंख्या प्रक्षेपणों को ध्यान में रखते हुए भारत तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में स्त्री-पुरुष की जनसंख्या अनुपात निकाला गया है।

मछुआरों के उत्थान के लिए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम

4998. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के बालासोर जिले के कासाफल क्षेत्र में मछुआरा समुदाय के लिए नावों की सहायता से सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सन् 1985 से मार्च, 1991 तक, नावों की सहायता से, मछुआरा समुदाय के लिए, एक सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा था। चूंकि रक्षा की दृष्टि से, यह परियोजना संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, इसलिए भारत सरकार ने, इस परियोजना को मार्च, 1991 से आगे नहीं बढ़ाया है।

"एक्शन फार वेलफेयर एंड अवेकनिंग इन रूरल एनवायरनमेंट" द्वारा तथाकथित अनियमितताएं

4999. **श्री के० चोक्का राव :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एक्शन फार वेलफेयर एण्ड अवेकनिंग इन रूरल एनवायरमेंट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ने विदेशी सहायता के उपयोग में कुछ अनियमितताएं बरती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इसकी जांच कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) विदेशी अभिदाय के प्रयोग के मामले में अनियमितता का कोई मामला अभी तक ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

सोयाबीन का उत्पादन

5000. **श्री दाऊदयाल जोशी** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार और विशेष रूप से राजस्थान के कोटा क्षेत्र में गत दो वर्षों के दौरान सोयाबीन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान में किसानों को अधिक उपज देने वाले तथा अच्छी किस्म के सोयाबीन के बीज प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को सोयाबीन की विश्वव्यापी खपत की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सोयाबीन के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान सोयाबीन के उत्पादन के राज्यवार तथा राजस्थान में जिला-वार अनुमानों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) किसानों के लिए बीजों का उत्पादन तथा वितरण करना, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है । फिर भी, राज्य सरकारों के प्रयासों को, राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा बढ़ाया जाता है । जैसा कि मार्च, 1991 में आयोजित खरीफ के क्षेत्रीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था, राजस्थान के लिए सोयाबीन के बीजों की मांग 7000 क्विंटल थी जबकि इसकी उपलब्धता 6500 क्विंटल थी । राज्य सरकार को, इस अभाव के लिए अपना प्रबन्ध स्वयं करने अथवा बीजों की उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रम का समायोजन करने की सलाह दी गई ।

(घ) और (ङ) विश्व में सोयाबीन का कुल उत्पादन लगभग 107 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है तथा निर्यात मण्डी के लिए अनुमानित मांग लगभग 26 मिलियन मीटरी टन है । परन्तु, भारत से सोयाबीन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है । विश्व में सोया आहार का उत्पादन करीबन 65 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि निर्यात बाजार के लिए इसकी मांग करीबन 26 से 27 मिलियन मीटरी टन है । सरकार सोया आहार के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जिसका निर्यात 1985-86 में 100 करोड़ रुपये की कीमत के 0.50 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1991 में 1.30 मिलियन मीटरी टन हो गया जिसकी कीमत 459 करोड़ रुपये है । नई नीति से पूर्व, सोया आहार के निर्यात के लिए प्रोत्साहन के रूप में 10

प्रतिशत नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की गई। नई निर्यात-आयात नीति के तहत, सरकार जिसों के आयात के लिए पावती के रूप में, सोया आहार की 30 प्रतिशत निर्यात लागत प्रदान कर रही है।

विवरण

1989-90 तथा 1990-91 (सम्भावित) के दौरान सोयाबीन के उत्पादन के राज्यवार अनुमान

("000 मीटरी टन)

राज्य	1989-90	1990-91 (सम्भावित)
गुजरात	19	13
मध्य प्रदेश	1408	2003
महाराष्ट्र	100	189
राजस्थान	135	160
उत्तर प्रदेश	28	32
अन्य	25	43
अखिल भारत	1715	2440

1989-90 तथा 1990-91 के दौरान राजस्थान में सोयाबीन के उत्पादन के जिलावार अनुमान

("000 मीटरी टन)

जिला		
कोटा	87	75
बून्दी	8	21
झालावाड़	19	29
चितौड़	20	34
बांसवाड़ा	1	1
राज्य कुल	135	160

नाफेड द्वारा पैकेटों में चावल का विपणन

5001. श्री मदन लाल खुराना :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाफेड चावल के पैकेटों पर पैकिंग की तारीख और अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित किए बिना इनका विपणन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां। नैफेड उपभोक्ताओं के लिए, 5 किलोग्राम के पैकेट में चावल का विपणन कर रहा है। व्यस्ततम बिक्री के समय उपभोक्ताओं की असुविधा को दूर करने के लिए, पैकेट पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं।

(ख) नैफेड को पैकेटों पर, पैकिंग की तिथि और अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित करने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश के बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

5002. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के सूखा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) कृषि संबंधी सूखे का मूल्यांकन तथा प्रबोधन प्रणाली को एक प्रमुख दूरस्थ अभिज्ञान अनुप्रयोग परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। सूखे का मूल्यांकन हरे वानस्पतिक कवर के परिमाण तथा इस आच्छादन के वर्द्धन पर उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है तथा इस समय यह 10 राज्यों के 240 जिलों में किया जा रहा है। किसी भी द्विसाप्ताहिक अवधि में वानस्पतिक स्थिति तथा विकास के रूख की, पिछले वर्षों के रूखों से तुलना करने से, सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। इस मूल्यांकन के परिणाम सूखे से संबंधित द्विसाप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किए जाते है, जिससे आकस्मिक कार्यवाही की जा सके। इस परियोजना के तहत, 1989 और 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश में सूखे का प्रबोधन किया गया था, जो 1991 में भी जारी है।

1988 तथा 1990 के मौसम में उत्तर प्रदेश के भागों में गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के बिक्री केन्द्र

[अनुवाद]

5003. श्री राम बदन :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के कितने-कितने बिक्री केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1991 के दौरान दिल्ली में और अधिक बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन बिक्री केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के बूथों की वर्तमान संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) **दिल्ली दुग्ध योजना**

सुबह	829
शाम	522
कुल :	1351

(2) **मदर डेरी**

बल्क वेन्डिंग बूथों की संख्या	350
इन्सुलेटेड कन्टेनरों की संख्या	241
कुल :	591

(बल्क वेन्डिंग बूथ और इन्सुलेटेड कन्टेनर दोनों ही सुबह और शाम कार्यरत रहते हैं)

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना का और अधिक बूथ खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1991 के दौरान मदर डेरी का 25 और बूथ खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से 17 निर्माणाधीन हैं, शेष आठ बूथों के लिए मदर डेरी ने स्थानीय प्राधिकरण से भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया हुआ है।

(ग) मदर डेरी के 17 और नये बूथों के स्थान निम्न प्रकार हैं :—

1. सरिता विहार (पाकेट-सी)
2. पुष्प विहार (सेक्टर-3)
3. पंचशील पार्क
4. कालकाजी एक्सटेंशन
5. अलकनन्दा
6. वसंत कुंज (सेक्टर-बी)
7. शालीमार बाग (पाकेट-एस०)

8. विकासपुरी (ब्लाक-ए)
9. विकास पुरी (ब्लाक-डी०)
10. राजौरी गार्डन (जी-8)
11. पश्चिम पुरी (जी० एच०-9)
12. पश्चिम पुरी (जी० एच०-14)
13. इन्दिरा एन्कलेव
14. मयूर विहार (फेज-2)
15. मयूर विहार एक्सटेंशन (फेज-2)
16. पांडव नगर
17. लक्ष्मी नगर

गुजरात में डाक और तारघर की स्थापना

[हिन्दी]

5004. **श्री चन्दूभाई देशमुख :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 के दौरान गुजरात के भड़ौच, बड़ौदा और सूरत जिलों में डाक और तार घर की स्थापना के लिए काल लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1991-92 के दौरान कितने डाक और तार घर स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) भड़ौच, बड़ौदा और सूरत जिलों में डाकघर और तारघर खोलने का लक्ष्य संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) केवल सूरत जिले में डाकघर खोलने का लक्ष्य पूरा किया गया है । भड़ौच और बड़ौदा जिलों में लक्ष्य से क्रमशः 1 और 5 डाकघर की कमी है । जहां तक तारघरों का संबंध है, इनमें से किसी भी जिले में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है । तथापि भड़ौच जिले के मामले में तारघर लक्ष्य से 5 कम हैं ।

(ग) बड़ौदा जिले में डाकघर खोलने में कमी का मुख्य कारण प्रस्तावों का देर से मिलना है और जहां तक भड़ौच जिले का संबंध है, प्रस्ताव विभागीय मानदंडों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता । तारघरों के मामले में, लक्ष्य उपस्कर की कमी/अनुपलब्धता के कारण पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका ।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान डाकघर और तारघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं ।

विवरण-1

वर्ष 1990-91 में डाकघर और तारघर खोलने के लिए जिलेवार लक्ष्य

जिला	डाकघर	तारघर
भड़ौच	4	8
बड़ौदा	10	2
सूरत	8	10

विवरण-2

वर्ष 1990-91 में डाकघर और तारघर खोलने के लिए जिलेवार लक्ष्य

जिला	डाकघर	तारघर
भड़ौच	4	6
बड़ौदा	9	4
सूरत	9	7

सवई घास की खेती

[अनुवाद]

5005. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में वाणिज्य स्तर पर सवई घास उगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सवई घास की चारे संबंधी कोई कीमत नहीं होती। उड़ीसा सरकार से भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

[हिन्दी]

5006. श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1990-91 के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों ने अभी तक कार्यकरण आरम्भ नहीं किया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1991-92 के दौरान ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये एक्सचेंज खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 1990-91 के दौरान 167 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। 1990-91 के दौरान खोले गए सभी एक्सचेंजों ने काम करना शुरू कर दिया है।

(ग) मौजूदा/संभावित 10 और इससे अधिक भुगतान शुदा मांगों के आधार पर 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में 152 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की अस्थाई योजना है। संलग्न विवरण-2 में इसके ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण-1

1990-91 के दौरान खोले गए नए एक्सचेंज

क्र० सं०	जिले का नाम	खोले गए एक्सचेंजों की संख्या	क्र० सं०	जिले का नाम	खोले गए एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	बालाघाट	5	15.	ग्वालियर	1
2.	बस्तर	6	16.	होशंगाबाद	3
3.	बेतूल	1	17.	इन्दौर	5
4.	भिण्ड	2	18.	जबलपुर	3
5.	भोपाल	2	19.	खाण्डवा	7
6.	बिलासपुर	7	20.	खरगोने	10
7.	छत्तरपुर	4	21.	माण्डला	2
8.	छिन्दवाड़ा	4	22.	मन्दसौर	12
9.	दमोह	3	23.	मुरैना	4
10.	दतिया	2	24.	नरसिंहपुर	4
11.	देवास	5	25.	पन्ना	2
12.	धर	6	26.	रायगढ़	5
13.	दुर्ग	1	27.	रायपुर	3
14.	गुना	5	28.	राजगढ़	2

1 2	3	1 2	3
29. राजनंदगांव	1	38. शाजापुर	8
30. रतलाम	5	39. शिवपुरी	4
31. रीवां	2	40. सिधी	1
32. सागर	4	41. टिकमगढ़	2
33. सरगुजा	2	42. उज्जैन	6
34. सतना	2	43. विदिशा	4
35. सहोर	3	44. रायसेन	1
36. सिवनी	4		
37. शहडोल	2	कुल :	167

विवरण-2

1991-92 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचजों की सूची

क्र० सं०	स्थान का नाम	जिला	क्र० सं०	स्थान का नाम	जिला
1	2	3	1	2	3
1.	जामली	इन्दौर	16.	मोहल्ला	राजनंदगांव
2.	अम्बाचदन	इन्दौर	17.	काप्सी	बस्तर
3.	बारगोंड	इन्दौर	18.	दूर्ग	बस्तर
4.	पनीड	इन्दौर	19.	कोण्डल	बस्तर
5.	बघाजी	जबलपुर	20.	सरोला	बस्तर
6.	कूण्डम	जबलपुर	21.	बरेली	रायपुर
7.	पिण्डरई	जबलपुर	22.	भाखड़ा	रायपुर
8.	थाना	जबलपुर	23.	सिरपुर	रायपुर
9.	जावा	रिवा	24.	अर्जुनी	रायपुर
10.	दगोरा	रिवा	25.	सोनाडीह	रायपुर
11.	काकड	रिवा	26.	कोठारी	बिलासपुर
12.	बोरई	दूर्ग	27.	पोडी-उपरोडा	बिलासपुर
13.	उतई	दूर्ग	28.	करतला	बिलासपुर
14.	मुसरा	राजनंदगांव	29.	खामी	बिलासपुर
15.	अर्जुनी	राजनंदगांव	30.	घूटकू	बिलासपुर

1	2	3	1	2	3
31.	धूरकोट	बिलासपुर	63.	प्रेमसर	मोरेना
32.	सकारा	बिलासपुर	64.	मडवासा	शिवपुरी
33.	सोलर	रायगढ़	65.	बीरा	शिवपुरी
34.	तोगी	रायगढ़	66.	बमोडी	गुना
35.	लुडेक	रायगढ़	67.	ओघेर	गुना
36.	मनोरा	रायगढ़	68.	भदोरा	गुना
37.	पटना	सरगुजा	69.	सिरसी	गुना
38.	नागपुर	सरगुजा	70.	बहादुरपुर	गुना
39.	ताला	शहडोल	71.	राजपुर	गुना
40.	खनोडी	शहडोल	72.	आचलगढ़	गुना
41.	सिग्गी	सतना	73.	उतिला	ग्वालियर
42.	सिरपुरा	सतना	74.	दरियापुर	दतिया
43.	त्रिपालपुर	सतना	75.	जाम	बालाघाट
44.	सुहावल	सतना	76.	कनकी	बालाघाट
45.	जस्सो	सतना	77.	धनोरा	सीवनी
46.	गैसाबार	दमोह	78.	सेहोरा	सीवनी
47.	मडियादोह	दमोह	79.	नारायणगंज	माण्डला
48.	हिनोटा	दमोह	80.	खटिया	माण्डला
49.	वर्धा	सागर	81.	घघरी	माण्डला
50.	परोडिया नोनागिर	सागर	82.	खजूरी	भोपाल
51.	ताज	सागर	83.	जानपुर	सेहोर
52.	शाजापुर	सागर	84.	फून्द्रा	सोहोर
53.	बरिठा	सागर	85.	सिरस	छिंदवाड़ा
54.	गुलगंज	छत्तरपुर	86.	सावरी	छिंदवाड़ा
55.	गंज	छत्तरपुर	87.	बड़गांव	छिंदवाड़ा
56.	करि	टिकमगढ़	88.	पाण्डरी	छिंदवाड़ा
57.	पलेड़ा	टिकमगढ़	89.	सुखारखेंडी	नरसिंहपुर
58.	बराह	भिण्ड	90.	देवनगर	नरसिंहपुर
59.	चनोखर	भिण्ड	91.	लठगांव	नरसिंहपुर
60.	दिमनी	मोरेना	92.	नंदनेर	नरसिंहपुर
61.	बुधेरा	मोरेना	93.	रामगढ़	उज्जैन
62.	शामपुर	मोरेना	94.	डोगोर	उज्जैन

1	2	3	1	2	3
95.	अकसोडा	उज्जैन	124.	हंसपलिया	रतलाम
96.	गुनावाह	उज्जैन	125.	घनसूटा	रतलाम
97.	कनवास	उज्जैन	126.	बोरी	रतलाम
98.	खापड़िया	होशंगाबाद	127.	कण्डनपुर	रतलाम
99.	अप्पागांव	होशंगाबाद	128.	चर्डो	रतलाम
100.	गटोन	होशंगाबाद	129.	जाट	रतलाम
101.	सैनेगांव	होशंगाबाद	130.	परसेडा	रतलाम
102.	सिमरी	होशंगाबाद	131.	माण्डवी	रतलाम
103.	खेलीबाजार	बेतूल	132.	तंखेर	रतलाम
104.	खोरडी	बेतूल	133.	खूरसवा	रतलाम
105.	गोरगोला	खाण्डवा	134.	हरकिया	मन्दसौर
106.	चर्वा	खाण्डवा	135.	चौकड़ी	मन्दसौर
107.	अम्बादा	खाण्डवा	136.	अठाना	मन्दसौर
108.	बोरी	खाण्डवा	137.	मिनकोड	मन्दसौर
109.	जनबाद	खाण्डवा	138.	खेंडोस	झबुआ
110.	पाटलिया	धर	139.	नावली	झबुआ
111.	अहू	धर	140.	महूआ	झबुआ
112.	काडतकला	धर	141.	पिपलिया सड़क	देवास
113.	चैनपुर	धर	142.	गोडिया	देवास
114.	मोहनपुर	धर	143.	पिपला कोटा	देवास
115.	तलून	खरगोने	144.	अगररोड	देवास
116.	चचोरिया पाटली	खरगोने	145.	बोवी	देवास
117.	नागलवाडी	खरगोने	146.	लहोरी	शाजापुर
118.	रंगगांव	खरगोने	147.	गोपीपुर	शाजापुर
119.	देसगांव	खरगोने	148.	चोली पलई	शाजापुर
120.	अमरखेड़ी	खरगोने	149.	पोलई खुर्द	शाजापुर
121.	केली	खरगोने	150.	गुलवाड़ा	राजगढ़
122.	कानापुर	खरगोने	151.	करेड़ी	शाजापुर
123.	बामण्डी	खरगोने			

अन्तर सीमा परमिट प्रणाली

[अनुवाद]

5007. श्री शंकर सिंह वघेला :

डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम, नागालैंड अथवा मेघालय की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अन्तर सीमा परमिट की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर सीमा परमिट प्रणाली संबंधी वर्तमान आदेशों की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसकी समीक्षा कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अधीन मिजोरम और नागालैंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 के अधीन मेघालय प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। भूटान के नागरिकों को छोड़कर सभी विदेशियों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले परमिट लेना अपेक्षित है। बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन, 1873 के अधीन, भारतीय नागरिकों को भी जो सामान्यतः नागालैंड और मिजोरम के कुछ भागों के निवासी नहीं हैं, इन क्षेत्रों में जाने के लिए आज्ञा लेना आवश्यक है।

(ख) विभिन्न पहलू, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की समीपता, सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्षेत्रों की संवेदनशीलता तथा विद्रोही तत्वों की उपस्थिति, इत्यादि इसके मुख्य कारण हैं।

(ग) से (ङ) स्थिति की अपरिहार्यता तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अन्तर-सीमा परमिट योजना से संबंधित आदेशों की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है।

खानों का बन्द किया जाना

[हिन्दी]

5008. श्री मंजय लाल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में खानें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नई प्रौद्योगिकी को अपना कर उन्हें पुनः चालू करने की कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन खानों को, कब तक खोले जाने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल डाक सेवा विभाग, वाराणसी के रुपयों का लूटा जाना

5009. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक सेवा विभाग, वाराणसी के कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले लगभग तीन लाख रुपये दिन-दहाड़े लूट लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कारंवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) 1.7.89 को लगभग 1210 बजे तीन सशस्त्र डकैतों ने 2,95,325.11 रु० उस समय लूट लिए जब इन रुपयों को एक साइकिल रिक्शा पर वाराणसी मेल ऑफिस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वाराणसी सब-रिकार्ड ऑफिस ले जाया जा रहा था। इस रकम में 78,415.65 रु० की वह रकम भी शामिल थी जिसे कर्मचारियों से कोआपरेटिव सोसाइटी के बकाया के रूप में वसूल किया गया था।

(ग) इस मामले की पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पाई गई विभिन्न गलतियों के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कारंवाई भी चल रही है।

अश्व प्रजनन केन्द्र

[अनुवाद]

5010. श्री एन० डेनिस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार, अश्व प्रजनन केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन केन्द्रों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी जाती है; और

(ग) इन केन्द्रों पर किस नस्ल के अश्वों का पालन होता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ग) पाली गई नस्लों के साथ सरकारी और पंजीकृत निजी अश्व प्रजनन केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण-1 और विवरण-2 में संलग्न है।

(ख) 7वीं योजना अवधि के दौरान राज्य-सरकार के कुछ अश्व प्रजनन फार्मों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

विवरण-1

सरकारी अश्व प्रजनन केन्द्रों की संख्या और पाली गई नस्लों के नाम (राज्य-वार)

क्र०सं०राज्यों के नाम	अश्व प्रजनन केन्द्रों की संख्या			नस्लों के नाम
	फार्म	इकाइयां	सेवा केन्द्र	
1. गुजरात	1	—	10	काठियावारी
2. हरियाणा	1×	1×	1	थौरोब्रेड
3. हिमाचल प्रदेश	1	—	—	स्पीति
4. जम्मू और कश्मीर	1	—	—	जांसकारी
5. मणिपुर	1	—	25	मणिपुर
6. पंजाब	—	1×	6	थौरोब्रेड/हाफ ब्रेड
7. राजस्थान	—	—	7	मारवारी
8. उत्तर प्रदेश	1×	2+1×	30	काठियावारी
9. महाराष्ट्र	—	—	11	थौरोब्रेड
	6	5	90	

× ये रक्षा मंत्रालय के रेमाउंट वेटरनरी कोर्प्स से सम्बद्ध हैं। ये थौरोब्रेड (भारतीय) ट्रूपर अश्व (हाफ ब्रेड) अरब, हार्फलिगर, पैक पोनीज एवं म्यूल्स का रखरखाव कर रहे हैं।

विवरण-2

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में पंजीकृत निजी अश्व फार्म

राज्य	अश्व फार्मों की संख्या	नस्ल
1. बिहार	1	थौरोब्रेड
2. दिल्ली	6	
3. गुजरात	2	
4. हरियाणा	23	
5. कर्नाटक	19	
6. मध्य प्रदेश	2	
7. महाराष्ट्र	21	
8. पंजाब	24	
9. तमिलनाडु	4	
10. राजस्थान	24	
11. उत्तर प्रदेश	8	
योग :	134	

हिमाचल प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

5011. **प्रो० प्रेम धूमल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिनकी वर्ष 1991-92 में खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) हिमाचल प्रदेश में 1990-91 के दौरान 21 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए। ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

इस अवधि के दौरान 66 सार्वजनिक टेलीफोन (पी० सी० ओ०) खोले गए। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) 1991-92 के दौरान निम्नलिखित नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की आशा है :

क्र० सं०	स्टेशन	जिला
1.	कारलोटी-मकरा	बिलासपुर
2.	कश्मीर	हमीरपुर
3.	लागरु	कांगड़ा
4.	घनारी	ऊना
5.	शरमोन	सिरमोर
6.	संदेश	मंडी
7.	दारंग	मंडी
8.	थाल टुखोर	मंडी
9.	हुरला	कुल्लू
10.	भुट्टी	कुल्लू
11.	शिमला	शिमला

विवरण-1

1990-91 के दौरान हिमाचल प्रदेश में खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	निवल क्षमता (लाइनें)
1	2	3
1.	बमानी	25
2.	भराड़	25

1	2	3
3.	चबूतरा	25
4.	चकलू	25
5.	चर्यरी	25
6.	दलाश	45
7.	दौलतपुर	25
8.	घमेटा	25
9.	घूहदन	25
10.	गोपा	56
11.	ज्वालापुर	25
12.	खजियार	25
13.	कोडवेडजा	56
14.	मन्धावनी	45
15.	माल्ती	25
16.	नेरवा	45
17.	पंजेडडा	88
18.	चिपलूघाट	25
19.	रोपा	25
20.	सापोग	45
21.	थाठल	25

विवरण-2

1990-91 के दौरान हिमाचल प्रदेश में खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन

टाइप	स्थान	संख्या
1	2	3
स्थानीय	हमीरपुर (बसस्टैंड)	01
* * *	पालमपुर (मरांडा रेलवे स्टेशन)	01
	पालमपुर (सिविल हास्पिटल)	01
	पालमपुर (नूगल कैफे)	01
	पालमपुर (टैक्सी स्टैंड)	01
	पालमपुर (एचपीओ)	08

1	2	3
	शिमला	13
	सोलन	04
	अमरपुर	01
	बादोरी	01
	बारोग	01
	भराड़ू	01
	छमोह	01
	डेहरा	01
	हरोद	01
	डिन्नर	01
	जेठलादेवी	01
	कफोटा	01
	कन्दाराल	01
	कसौली	02
	कोडला	01
	कोटबेंजा	01
	मशोबरा	01
	मेरा-मतीत	01
	मोहाल	01
	महगरा	01
	परवानू	02
	राख	01
	सेरी	01
	शिमला	03
	डिहरा (सुजानपुर)	01
लम्बी दूरी	भरलू	01
	गराहन	02
	जमता	01
	लागरू	01
	तलेल	01

1	2	3
एस० टी० डी०	मेल्योदगंज	01
	शिमला	02
	कुल्लू	01
	मनाली	01
	मंडी	01
	हमीरपुर	02
	बिलासपुर	01
	ऊना	02
		66

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

*5012. **श्री फ्रिडा तोपानो :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा पाइपों के निर्यात से गत दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी धनराशि अर्जित की गयी;

(ख) निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) संयंत्र के आधुनिकीकरण का प्रथम चरण कब तक होने की संभावना है और उस पर अब तक कितना खर्च हुआ है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान, श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को नौकरी दी गयी और श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को नौकरी देने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र से पाइपों का कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा उत्पाद आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्यात की योजना कम्पनी (सेल) स्तर पर बनाई जाती है और कार्यान्वित की जाती है। इस्पात संयंत्र के सामान्य उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. उच्च उत्पादकता और प्रौद्योगिकीय मापदण्डों का कड़ाई से अनुपालन करने सहित गुणवत्ता में प्रेरक कार्य संस्कृति में परिवर्तन;

2. उपयुक्त गुणवत्ता तथा मात्रा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित संयंत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन;

3. उर्जा खपत में कमी करने तथा संयंत्र तथा उपकरण के उन्नत अनुरक्षण के लिए जागरूकता लाने के हेतु विशेष अभियान।

(ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के चरण-1 के जुलाई, 1993 तक पूरा हो जाने की आशा है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के चरण-1 पर जुलाई, 1991 तक 196.43 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कुल
1989-90	107	271	378
1990-91	93	701	794
1991-92 में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या	50	531	571

की जाने वाली वास्तविक भर्ती आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

श्रमिक शक्ति का नियतन वार्षिक आधार पर किया जाता है जिसमें विभिन्न इकाइयों के लिए श्रम शक्ति की गणना की जाती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की उपर्युक्त योजना वर्ष 1991-92 के लिए श्रमिक-शक्ति संबंधी बजट पर आधारित है।

आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में डाकघरों को बन्द करना

*5013. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेश्वरालु :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों को खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में बहुत उप डाकघरों को बन्द किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) डाकघर खोलने के मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में किसी भी डाकघर को बन्द किए जाने की संभावना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदण्ड : (1.4.91 से प्रभावी)

शाखा डाकघर :—

सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में :—

1. **जनसंख्या** :—

गांवों के समूह की जनसंख्या 3000

2. **दूरी** :—

निकटतम मौजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि० मी० ।

3. **अनुमानित आय** :—

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का $33\frac{1}{3}\%$ होगा ।

पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में ।

1. **जनसंख्या** :—

किसी एक ग्राम की जनसंख्या 500 या ग्रामों के समूह की जनसंख्या 1000 हो ।

2. **दूरी** :—

दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है लेकिन पहाड़ी इलाकों के मामले में निदेशालय द्वारा न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है ।

3. **अनुमानित आय** :—

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15% होना चाहिए ।

उप डाकघर :—

जहां तक शहरी क्षेत्रों का संबंध है, डाकघर खोलने से संबंधित मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

1. अनुमानित आय डाकघर की अनुमानित लागत से कम नहीं होनी चाहिए । पहली वार्षिक पुनरीक्षा के समय वास्तविक आय डाकघर की वास्तविक लागत से 5% अधिक होनी चाहिए ।

2. किसी भी मौजूदा डाकघर से 2 कि०मी० की दूरी के भीतर कोई नया डाकघर नहीं खोला जाना चाहिए (महानगरों तथा 20 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले अन्य शहरों के मामले में 1.5 कि० मी०) ।

सिंचाई क्षमता

*5014. **श्री सुधीर गिरि** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सिंचाई की कितनी क्षमता जुटाई गई;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाने का निर्धारित लक्ष्य क्या था;

(ग) यह लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किया गया है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 675.3 लाख हैक्टयेर।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के लिए 129·1 लाख हैक्टेयर के मुकाबले प्रत्याशित उपलब्धि 122.1 लाख हेक्टेयर होने की सूचना मिली है।

(घ) 26.23 लाख हैक्टेयर।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों और तारघरों का खोला जाना

[हिन्दी]

*5015. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक और तारघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाक और तारघर खोलने जाने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में खोले जाने वाले डाक/तारघरों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) हालांकि आठवीं योजना के दौरान विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 6000 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है लेकिन इस बारे में अंतिम तस्वीर तभी सामने आएगी जब आठवीं योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने 1991-95 के दौरान पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। चुने हुए सार्वजनिक टेलीफोनों पर फोनाकॉम तार सेवा चालू की जाएगी। इसे प्रदान करना जनता की मांग पर निर्भर करेगा।

(ख) नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तारघर खोलने के लिए मांग और व्यवहार्यता दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है।

(ग) इस समय रामपुर जिले में डाकघर खोलने का कोई अनुरोध लंबित नहीं पड़ा है। तथापि, मुरादाबाद डाक डिवीजन जिसमें रामपुर जिला भी शामिल है, उसमें 1991-92 में 6 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि उनका औचित्य बनता हो।

1991-92 में रामपुर जिले में 53 स्थानों पर फोनोकॉम तार सेवा चालू करने की योजना बनाई गई है।

विवरण

गामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्ड/ मापक—1-4-1991 से प्रभावी

शाखा डाकघर खोलने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए हैं जो 1-4-1991 से प्रभावी हैं।

1· **जनसंख्या :—**

(क) **सामान्य क्षेत्र में :**

किसी गाम समूह की जनसंख्या 3000 (पी.पी.ओ. गावों सहित)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में :**

किसी एक गांव की जनसंख्या 500 या ग्राम समूह की जनसंख्या 1000 हो।

2. **दूरी :—**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

निकटतम मोजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि० मी० होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में :**

दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है लेकिन पहाड़ी इलाकों के उन मामलों में निदेशालय द्वारा न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितिर्यों में ऐसी छूट देने की आवश्यकता हो। प्रस्ताव भेजते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

3. **अनुमानित आय :—**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

न्यूनतम अनुमानित राजस्व आय लागत का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

विभागीय उप डाकघर (योजना)

नवम्बर, 1987 से, विभागीय उप डाकघर योजना स्कीम के अन्तर्गत भी मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

1. इस योजना के अन्तर्गत विभागीय उप डाकघर परियोजना क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों/टाउनशिप/नगरों की सीमाओं पर बसी नई कालोनियों/शहरों के इधर-उधर बसे उप-नगर तथा राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों और एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के कारण नए क्षेत्रों के रूप में सामने आए ऐसे ही अन्य विकास-क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हैं। दूसरे शब्दों में, पोस्टल सेक्टर प्लान की अवधारणा का उस सीमा तक विस्तार किया जाना है जिससे समूची राष्ट्रीय योजना के लिए अपेक्षित डाक सुविधायें मुहैया हो सकें।
2. प्रस्तावित डाकघर का न्यूनतम अनुमानित कार्यभार 5 घण्टे प्रतिदिन होना चाहिए।
3. जबकि, विभागीय उप डाकघरों से यह अपेक्षा होती है कि वे आत्मनिर्भर हों, पर ग्रामीण इलाकों में प्रतिवर्ष 2400 रु० का घाटा अनुमेय है (पहाड़ी/पिछड़े/जनजाति इलाकों में 4800 रु०)।

गोआ में दूरसंचार प्रणाली

[अनुवाद]

*5016. श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ दूरसंचार प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वहां दूरसंचार प्रणाणी में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का है; और

(ग) क्या सरकार की गोवा में सभी एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी रंगय्या नायडू) : (क) गोवा में दूरसंचार प्रणाली का कार्य निष्पादन सामान्य रूप से संतोषजनक है।

(ख) तथापि, गोवा में दूरसंचार प्रणाली में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. सभी 48 एक्सचेंजों को स्वचालित किया गया है।

2. एसटीडी सुविधा उत्तरोत्तर रूप से और अधिक क्षेत्रों में प्रदान की जा रही है।

3. आन्तरिक और बाह्य संयंत्रों के उन्नयन का कार्य किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) आठवीं योजना अवधि के अन्त तक पंजिम और वास्को के अलावा अन्य सभी एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है ।

साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को रोजगार

*5017. श्री धर्मंना मोन्डय्या साबुल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में सांप्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन्हें नौकरियां कब तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आतंकवादी गतिविधि (निरोधक) कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*5018. **श्री बलराज पासी :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 तक आतंकवादी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से उन व्यक्तियों की राज्यवार अलग-अलग संख्या कितनी है जिनकी सजा रद्द कर दी गई थी अथवा जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था अथवा जिन्हें 1991 के दौरान पर्याप्त आरोपों के आधार पर दोषी ठहराया गया था;

(ग) 1990-91 के दौरान गिरफ्तार किए गए और लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) 31 मार्च, 1991 को गिरफ्तार लोगों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ङ) 1 अप्रैल, 1991 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों द्वा । केन्द्र सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजे गए मामलों की संख्या कितनी थी;

(च) क्या सरकार को इस अधिनियम का दुरुपयोग करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क), (ग) और (घ) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (निवारक) अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में उपलब्ध सूचना विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) ब्यौरे सुलभ नहीं हैं । राज्य सरकार से ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ङ) टी० ए० डी० ए० के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को मामलों की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार को भेजना अपेक्षित नहीं है ।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान । अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याया की हत्या न हो, उपयुक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	डी० ए० डी० ए० के अन्तर्गत नजरबंद व्यक्तियों की संख्या 31.3.90 की स्थिति (भाग-क)	1990-91 के दौरान अतिरिक्त नजरबंदियों की संख्या (भाग-ग)	नजरबंदियों की कुल संख्या 31.3.91 की स्थिति (भाग-घ)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2389	542	2931
2.	अरुणाचल प्रदेश	29	9	38
3.	असम	4593	2505	7098
4.	बिहार	15	17	32*
5.	गुजरात	6449	6077	12526
6.	हरियाणा	366	159	525
7.	हिमाचल प्रदेश	21	20	41
8.	जम्मू व कश्मीर	983	230	1213
9.	महाराष्ट्र	426	167	593
10.	मणिपुर	766	91	857
11.	पंजाब	9552	2628	12180
12.	राजस्थान	90	210	300
13.	उत्तर प्रदेश	157	73	230
14.	पश्चिम बंगाल	525	—	525
		26361	12728	39089

*31.12.90 तक की स्थिति के आंकड़े

दिल्ली में रात्रि के दौरान यातायात नियंत्रित करने वाली बत्तियों का कार्यकरण

5019. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान दिल्ली में यातायात नियंत्रित करने वाली बत्तियों के विफल हो जाने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या रात्रि के दौरान यातायात नियंत्रित करने वाली अधिकांश बत्तियां बुझा दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रात्रि के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन बत्तियों को कार्य करने की स्थिति में रखने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् । रात के समय यातायात की बत्तियां बुझाई नहीं जाती हैं । तथापि, रात में चौराहों पर आने-जाने वाले यातायात की मात्रा को देखते हुए अधिकतर यातायात सिगनलों की जलने-बुझने की अवधि को बदल दिया जाता है तथा उन्हें ब्लींकर प्रणाली पर रख दिया जाता है ।

राजस्थान के अलवर जिले में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

5020. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़, खेराली और कठमूर में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(ख) भरतपुर और डीग के टेलीफोन एक्सचेंजों में इलेक्ट्रोनिक प्रणाली कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) खेरोली में 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है । उपस्कर की कमी के कारण लक्ष्मणगढ़ और कठमूर में मौजूदा योजना के अनुसार एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) भरतपुर तथा डीग में क्रमशः 1992-93 तथा 1991-92 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ।

केरल में "आरारााम फार्म्स" का विकास

[अनुवाद]

5021. **श्री रमेश चेन्नितला :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल में "आरालाम फार्म" के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय राज्य फार्म निगम, जो आरालाम फार्म के प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्य करता है, का इसके विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के वित्त पोषण से एक कार्यक्रम है।

बिहार में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

5022. **श्री शिवशरण सिंह** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में, लालगंज, सराय, गोरोल साहेबगंज, देवरिया और सरैया में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। केवल वैशाली के अलावा जहां अभी तक अपेक्षित दत्त मांगों के उपलब्ध न होने के कारण कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है।

(ख) सराय : इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित कर दिया गया है।

लालगंज : वर्ष 1991-92 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदलने की योजना है।

गोरोल
साहेबगंज
देवरिया
सरैया } वर्ष 1991-95 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदलने की योजना है।

नए डाकघर खोलने के मानदण्ड

5023. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के किन-किन स्थानों पर 1991-92 के दौरान नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) देश में विभिन्न श्रेणियों के डाकघर खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के प्रत्येक गांव में डाक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में मानदण्डों में ढील देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 1991-92 के दौरान आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मुस्तीकुन्ता, ओगीरला और अयुरुपुड़ी में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इन्हें खोलने का औचित्य हो।

(ख) डाकघर खोलने के मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में मानदण्डों में संशोधन किया है जो 1.4.91 से प्रभावी हैं।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदण्ड : (1.4.91 से प्रभावी)

शाखा डाकघर :—

सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में :

(i) **जनसंख्या** :

गांवों के समूह की जनसंख्या 3000

(ii) **दूरी** :—

निकटतम मौजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि०मी०।

(iii) **अनुमानित आय** :

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 33⅓ प्रतिशत होगा।

पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में।

(i) **जनसंख्या** :

किसी एक ग्राम की जनसंख्या 500 या ग्रामों के समूह की जनसंख्या 1000 हो।

(ii) **दूरी** :

दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है लेकिन पहाड़ी इलाकों के मामले में निदेशालय द्वारा न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है।

(iii) **अनुमानित आय** :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

उपडाकघर :

जहां तक शहरी क्षेत्रों का संबंध है, डाकघर खोलने से संबंधित मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(i) अनुमानित आय डाकघर की अनुमानित लागत से कम नहीं होनी चाहिए। पहली वार्षिक पुनरीक्षा के समय वास्तविक आय डाकघर की वास्तविक लागत से 5 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।

(ii) किसी भी मौजूदा डाकघर से 2 कि०मी० के भीतर कोई नया डाकघर नहीं खोला जाना चाहिए (महानगरों तथा 20 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले अन्य शहरों के मामले में 1.5 कि०मी०)।

महाराष्ट्र में जेल व्यवस्था के सुधार हेतु केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

5024. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में जेलों की वर्तमान व्यवस्था को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) भारत सरकार, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार सहित, विभिन्न राज्य सरकारों को फंड दिए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर महाराष्ट्र में जेलों के आधुनिकीकरण हेतु 1987 से 1991 तक की अवधि में 120.41 लाख रुपये की राशि जारी की है।

अण्डमान और निकोबार मोटरयान चालक यूनियन की मांगें

[अनुवाद]

5025. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

' क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च, 1991 में अण्डमान और निकोबार मोटर यान चालक यूनियन सादीपुर, पोर्टब्लेयर से मांगों की कोई सूची प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में मोटर यान चालक 15 जुलाई, 1991 से हड़ताल पर है;

(घ) क्या सरकार को इन चालकों पर पुलिस द्वारा अत्याचार किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन को 15.3.1991 को अंडमान और

निकोबार मोटर वाहन चालक यूनियन से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें निम्नलिखित मांगें हैं :—

(i) रोके गए सभी लाइसेंस को तुरन्त जारी किया जाए।

(ii) बदलकर किसी सिविल अधिकारी को लाइसेंसिंग प्राधिकारी बनाना।

(iii) यातायात पुलिस कार्मिकों को, ड्राईवरों को परेशान करने, और भारी संख्या में उनका चालान करने से रोका जाए।

अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा इन मांगों पर विचार किया गया और इन्हें न्यायसंगत नहीं पाया गया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना

5026. **श्री विजय नवल पाटिल :**

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात उत्पादन में कोई नई प्रौद्योगिकी अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए टेक्नालाजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेन्ट काउंसिल से बातचीत कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाना एक सतत् प्रक्रिया है और इसलिए यह अनिवार्य है कि इस्पात उत्पादन में नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता रहेगा।

(ख) और (ग) 'सेल' टेक्नालाजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल से कोई सहायता नहीं ले रही है फिर भी, परस्पर विचार-विमर्श होता रहता है। लोहा और इस्पात प्रौद्योगिकी के लिए डाटा-बेस सृजित करने के लिए टेक्नालाजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल ने 'सेल' को चुना है और काउंसिल के अनुरोध पर 'सेल' ने रिपोर्टें भी तैयार की हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा

[हिन्दी]

5027. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :**

श्री सज्जन कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस कर्मियों को यह सुविधा दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के गैर-आबादी वाले द्वीप समूह में स्थित पहरेदारी चौकी पर तैनात केवल ऐसे 45 पुलिस कार्मिकों को मुफ्त राशन सुविधा अथवा इसके बदले में 183 रु० प्रतिमाह दिया जा रहा है। अन्य संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस कार्मिकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली के पुलिस कार्मिकों को मुफ्त राशन सुविधा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

5028. **श्री आर० रामास्वामी** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी तमिलनाडु की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पास लंबित तमिलनाडु की नयी बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनके तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

नई बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

क्रम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लाभ (हजार हेक्टेयर में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
	बृहद स्कीम			
1.	कावेरी डेल्टा	78.80	70.00	परामर्शदात्री समिति ने 7880 लाख रुपए (एस. आर. 87) की लागत की यह परियोजना मई, 1989 में योजना आयोग के अनु-

1	2	3	4	5
				मोदन हेतु भेजी है, बशर्ते इसे अन्तर्राज्यिक दृष्टिकोण से भी स्वीकृति प्राप्त हो। राज्य सरकार से कर्नाटक राज्य सरकार की परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति भेजने तथा उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है क्योंकि उन्होंने इस परियोजनना प्रस्ताव का विरोध किया था। इसी बीच, कावेरी जल की हिस्सेदारी का निर्णय करने के वास्ते कावेरी जल विवाद अधिकरण गठित किया गया है।
	मध्य स्कीम			
2.	अनईमदुव जलाशय	11.46	2.821	18-5-89 को आयोजित बैठक में परामर्शदात्री समिति द्वारा 1146 लाख रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना को स्वीकार्य पाया गया है। योजना आयोग ने 4/90 में वन स्वीकृति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।

उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाएं

*5029. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं और उनकी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है, जो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन्हें कब तक मंजूरी दे दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा से कोई बाढ़ नियंत्रण परियोजना केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ब्रह्मानी नदी पर रेंगाली बहुप्रयोजनी परियोजना के बाढ़ नियंत्रण घटक

के लिए बांध और इससे सम्बद्ध कार्यों की लागत के 30% की दर से उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है। पिछले तीन वर्षों में दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता निम्नवत् है।—

1988-89	—	0.5 करोड़ रुपए
1989-90	—	शून्य
1990-91	—	शून्य

आठवीं योजना के दौरान टेलीफोन लाइनों में वृद्धि

5030. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना में टेलीफोन लाइनों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 1990-95 की अवधि के लिए योजना मसौदे के प्रस्तावों में 52 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्विचिंग क्षमता की 59 लाख लाइनें जोड़ने की व्यवस्था है। इसमें सभी ग्राम पंचायतों से कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन खोला जाना शामिल है। इन प्रस्तावों के केन्द्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों को लाभ होगा।

(ग) इन प्रस्तावों के लिए 1989 की कीमतों पर 19,700 करोड़ रुपए का अनुमानित परिव्यय अपेक्षित है।

कश्मीर के विस्थापितों की ओर से अभ्यावेदन

*5031. **श्री आर्क फर्नांडीज** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर के विस्थापितों के प्रतिनिधियों की ओर से दिल्ली प्रशासन को विस्थापितों का पुनर्वास करने के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कारंवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कश्मीरी प्रवासियों को उनका दिल्ली में पुनर्वास करने के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

श्रीलंका में दक्षेस शिखर सम्मेलन

[हिन्दी]

*5032. **श्री साईमन मरांडी :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त तक श्रीलंका में दक्षेस शिखर बुलाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उसमें सरकार द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्य सदस्य देशों के साथ आरम्भ किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(घ) दक्षस कार्यक्रम समिति की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है और उसमें भाग लेने वाले समान विचारधारा वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ङ) दक्षेस के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सार्क बैठकों की कार्यसूची सभी सदस्य राज्यों की सर्वसम्मति के आधार पर तय की जाती है, न कि किसी सदस्य विशेष की सहमति पर। इस कार्यसूची में तकनीकी समितियों तथा तकनीकी समितियों की परिधि से बाहर गठित सार्क विशेषज्ञ दलों/समितियों से संबंधित सभी विषय शामिल किए जाते हैं। सदस्य देशों के साथ विचार-विनियम तकनीकी समितियों, स्थाई समिति तथा मंत्रिपरिषद की बैठकों में किया जाता है।

(घ) सार्क कार्यक्रम समिति में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या अभी तय नहीं की गई है। उम्मीद है कि सार्क के सभी सदस्य राज्य इस बैठक में भाग लेंगे।

(ङ) सार्क के सदस्य की हैसियत से भारत समय-समय पर सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की पहलकदमियां करने का सुझाव देता रहा है। ये ये सुझाव सार्क के गतिविधि कार्यक्रम तथा सार्क के तत्वावधान में क्रियान्वित अन्य परियोजनाओं और कार्यक्रमों में प्रतिलक्षित हैं।

असम में स्वायत्त राज्य

[अनुवाद]

*5033. **डा० जयन्त रंगपी :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संविधान की धारा 244 (क) के अन्तर्गत असम राज्य के अन्दर एक स्वायत्त राज्य बनाने के संबंध में असम के दो पर्वतीय जिलों वियांगलोंग और नार्थ कछार हिल्स में की जा रही मांग के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) असम सरकार को पर्वतीय जनजातीय लोगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने और उनकी उचित कठिनाईयों का परस्पर स्वीकार्य हल ढूंढ़ने की सलाह दी गई है ।

हिमाचल प्रदेश में खनिज पदार्थों का दोहन

*5034. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल सरकार की ओर से राज्य में उपलब्ध विभिन्न खनिज पदार्थों का दोहन करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कारंवाई की है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) खनिजों का पूर्वेक्षण एवं खनन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन पट्टों का अनुदान किया जाता है । अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के लिए, लाइसेंस और पट्टों का अनुदान करने से पहले केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है । हिमाचल प्रदेश सरकार से पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन पट्टों के अनुदाव हेतु ऐसे अनेक प्रस्तावों को अनुमति दी गई है ।

नक्सलवाद का मुकाबला

*5035. **श्री रवि राय** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में नक्सलवाद की समस्या का मुकाबला करने के लिए हाल ही में नक्सलवादियों से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इसके के क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने उनके राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं के विस्तृत ब्यौरे दिए हैं । उसके बाद किए गए विचार-विमर्श में यह सहमति हुई कि राज्य सरकारें एक ऐसी कारंवाई योजना तैयार करेंगी जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और विकासीय उपाय करना शामिल होंगे, जो कि समस्या के मूल कारण से निपटने के लिए आवश्यक है । यह सर्व सम्मति हुई कि इस बारे में गृह मंत्रालय को एक आदर्श एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। गृह मंत्री ने इस सामले में राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया ।

बारक बांध परियोजना

*5036. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में बारक बांध परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 1988 के मूल्य स्तर पर बारक बांध परियोजना की लागत 1316 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को अभी स्वीकृत किया जाना है। तथापि, चालू मानसून के बाद निर्माण-पूर्व कार्यकलाप शुरू करने का प्रस्ताव है। परियोजना प्रतिपादन के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषणों पर अब तक 182 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) परियोजना कार्यों का निष्पादन शुरू करने के लगभग 11 वर्षों के बाद।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में डाकघर तथा तारघर खोलना

*5037. **श्री डी० डी० खनोरिया :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किन-किन गांवों में कोई उप-डाकघर अथवा तारघर नहीं हैं; और

(ख) वर्ष 1991-92 में ऐसे डाकघर/उप-डाकघर अथवा तारघर खोलने के लिए कितने गांवों की पहचान की गई है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 3656 गांवों में उप डाकघर और 3593 गांवों में तारघर नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तारघर खोलने के लिए पांच गांव विनिर्दिष्ट किए गए हैं और उप डाकघर खोलने के लिए किसी भी गांव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तथापि, 1-4-91 की स्थिति के अनुसार, कांगड़ा जिले में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या 497 थी।

विद्यार्थी-पुलिस गश्त योजना

*5038. **श्री रामनारायण बैरवा :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने "विद्यार्थी-पुलिस गश्त" नाम की एक योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी जिले में अप्रैल, 1991 से "विद्यार्थी गश्त" नामक एक योजना शुरू की है।

(ख) योजना के उद्देश्य, जनता-पुलिस के बीच गहन संबंध बनाना, विद्यार्थियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना तथा उन्हें आसूचना एकत्र करने और विशेष अपराधों का पता लगाने में शामिल करना है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत एक सौ चौहत्तर विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है।

(घ) कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कृषि क्षेत्र में भारत-सोवियत संघ में परस्पर सहयोग

[हिन्दी]

5039. **श्री राम शरण यादव** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी भारत-सोवियत संघ कार्यदल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग करने के नए विषयों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-रूस कार्यकारी दल की तीसरी बैठक 24 मई से 31 मई, 1990 तक मास्को में आयोजित की गई थी। कार्यकारी दल ने कृषि-उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के नए रूपों के विकास, भारत की नई बीज नीति के तहत विशेष तौर पर तिलहन मोटे अनाज, दाल और चारा के लिए दोनों देशों के कृषि अनुसंधान संगठनों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने और दोनों देशों के वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान संगठनों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए युवा वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान करने के लिए सहयोग के विस्तार पर जोर दिया है।

आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

*5040. **श्री एम० बागा रेड्डी** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 के दौरान 'उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग" सुविधाओं से युक्त इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में जहीराबाद, सदाशिव पेट तथा अन्य तालुका मुख्यालयों को शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू और पूरा होगा ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) नारायण खेड और नारसापुर तालुक मुख्यालय में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

— वर्ष 1991 के दौरान केवल नरसापुर में ही एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

— जहीराबाद, सदाशिव पेट और मेडक जिले के अन्य तालुका मुख्यालयों में वर्ष 1991 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा सहित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

[हिन्दी]

*5041. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री तेज नारायण सिंह :

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक गांव में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं, वर्ष 1991-95 के दौरान विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह कार्य काफी बड़ा है इसलिए 1991-95 के दौरान ग्राम पंचायतों को ही टेलीफोन सुविधा में शामिल किए जाने की योजना है। बचे हुए गांवों को नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

केरल में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की दिशा मोड़ना

[अनुवाद]

5042. **श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दन :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में भूमिगत जल स्तर को कायम रखने और जल के खारापन को रोकने के लिए राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की दिशा पूर्व की ओर मोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने तमिलनाडु के सूखा प्रवण क्षेत्रों में लगभग एक लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए केरल में पम्बा और अचनकोविल नदियों में उपलब्ध अधिशेष जल के एक भाग का दिक्परिवर्तन करने हेतु पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रस्ताव से तमिलनाडु में भूजल स्तर को बनाए रखने और लवणता नियंत्रण जैसे अप्रत्यक्ष लाभ भी प्रोद्भूत हो सकते हैं।

(ख) इस प्रस्ताव में केरल में पम्बा और अचनकोविल पर एक-एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इन दोनों बांधों को एक सुरंग (टनल) के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु के सूखा प्रवण जिलों में सिंचाई करने तथा पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वैप्पार और वैगई बेसिनों को अधिशेष जल अन्तरित करने का प्रस्ताव है।

पटना (बिहार) में डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

[हिन्दी]

5043. **श्री तेजनारायण सिंह** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना (बिहार) में इस समय कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और डाकघर है; और

(ख) सरकार वहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों और डाकघरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) पटना (बिहार) में सार्वजनिक टेलीफोनों की वर्तमान संख्या 182 है। इस समय पटना में 77 डाकघर हैं जिनमें से दो प्रधान डाकघर, 72 उपडाकघर 2 अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर और 1 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर है।

(ख) बिहार में (पटना सहित) 1991-92 के दौरान लगभग 375 और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना है। पटना डाक क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में 3 उपडाकघर खोलने की भी योजना है।

समुद्री उत्पाद प्रसंकरण इकाइयां

5044. **श्री सुधीर सावन्त** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एकक हैं और इस समय उनमें प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है;

(ख) देश में राज्यवार मत्स्य पालन के लिए कुल कितना क्षेत्र उपलब्ध है तथा कितने क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एककों का विकास करने तथा समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 31-7-1991 को 246 हिमीकरण एकक और 320 शीत गोदाम थे जिनकी अधिष्ठापित क्षमता क्रमश: 2715.90 मीटरी टन प्रतिदिन और 49,000 मीटरी टन थी। 1990-91 के दौरान 893.37 करोड़ रु० मूल्य के 1,39,419 मीटरी टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया था।

(ख) खारे पानी में मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध क्षेत्र और अब तक उपयोग में लाए गए क्षेत्र के राज्य वार आंकड़े विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ग) मत्स्य पालन, समुद्री उत्पाद संसाधन एककों के विकास को बढ़ावा देने और समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं—

1. सभी समुद्र तटीय राज्यों और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में मार्गदर्शी तथा प्रदर्शन प्रॉन फार्म और प्रॉन सीड हैचरियों की स्थापना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-पोषित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके अर्द्ध गहन प्रान फार्मिंग, प्रान सीड उत्पादन आदि के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उन्नतीकरण।
3. मत्स्य पालन के विकास की क्षमता वाले तटवर्ती जिलों में खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की स्थापना।
4. मत्स्य पालन के विकास के लिए खारा जल वाले क्षेत्रों का बृहत और सूक्ष्म स्तर पर सर्वेक्षण करना।
5. छोटे और सीमान्त किसानों सहित विभिन्न वर्ग के प्रॉन पालकों, उनकी सहकारी संस्थाओं तकनीकीविदों और निजी उद्यमों को अपेक्षित वित्तीय, तकनीकी और विस्तार सहायता का प्रावधान।
6. मत्स्य पालन के विकास में विदेशी सहयोग और संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहन देना।
7. समुद्री उत्पादों में नई प्रौद्योगिकी और मूल्य परिवर्धन का प्रयोग।
8. परिसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, गुणवत्ता उन्नयन और बरबादी को कम करना।

विवरण

31 मार्च, 1991 को कुल अनुमानित खारा जल क्षेत्र और उपयोग में लाए गए क्षेत्र का राज्यवार विवरण

("000 हैक्टेयर)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	× अनुमानित संवर्धन क्षेत्र	गहन संवर्धन के तहत क्षेत्र
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	210.0	33.82
2.	उड़ीसा	8.0	7.08
3.	आंध्र प्रदेश	124.0	6.00

1	2	3	4
4.	तमिलनाडु	72.0	0.25
5.	पांडिचेरी	0.5	नगन्य
6.	केरल	142.0	13.00
7.	कर्नाटक	85.0	2.53
8.	गोवा	4.5	0.50
9.	महाराष्ट्र	70.0	1.80
10.	गुजरात	187.0	0.12
	कुल :	903.0	65.10

× भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा आकलित।

देश में दूरसंचार प्रणाली का विस्तार

5045. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना अवधि के दौरान दूरसंचार प्रणाली का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में आठवीं योजना के दौरान दूरसंचार प्रणाली में विस्तार के लिए बनाई गई विशेष योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग के मसौदा योजना प्रस्तावों में 1990-95 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्य शामिल किए गए हैं :—

— 52 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्विचन क्षमता में 59 लाख लाइनें जोड़ना

— मांग होने पर टेलेक्स सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 37,000 टेलेक्स लाइनें जोड़ना

— प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना

— सभी उपमंडल मुख्यालयों, सभी पर्यटन/तीर्थ-स्थानों और औद्योगिक विकास केन्द्रों में एस० टी० डी० सुविधा का विस्तार करना।

(ग) 1990-95 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में दूरसंचार का विकास करने संबंधी कार्यक्रम में निम्न शामिल है :—

— 1.75 लाख से अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्विचन क्षमता में 2 लाख से अधिक लाइनें जोड़ना

— लगभग 490 टेलेक्स लाइनें जोड़ना

— राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना

— इस अवधि के दौरान लगभग 126 स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करना।

अमरोहा जिले में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

5046. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में सिवरा, काथ, हसनपुर, धनौरा और धामपुर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) अमरोहा एक तहसील मुख्यालय है न कि एक जिला। अमरोहा तहसील में सिवारा नाम का कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है। बिजनौर जिले के सिवहारा में टेलीफोन एक्सचेंज है।

(i) कंठ (काठ नहीं) और सिवहारा के टेलीफोन एक्सचेंजों को 1991-92 के दौरान बदलने की योजना है।

(ii) हसनपुर और धामपुर के टेलीफोन एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान बदलने की योजना है।

(ii) धनोरा (मुरादाबाद जिला) में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले ही कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) जी हां। विभागीय नीति के अनुसार तहसील मुख्यालय होने के कारण 1990-95 के दौरान केवल हसनपुर से एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

दिल्ली पुलिस कर्मियों की संख्या

[हिन्दी]

5047. **श्री सज्जन कुमार :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति की देखभाल के लिए दिल्ली पुलिस कर्मियों की संख्या पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनकी संख्या में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस की संख्या जो 1985 में लगभग 30,700 थी, जुलाई,

1991 तक बढ़कर 51,000 हो गई है। दिल्ली पुलिस की संख्या में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब कभी और अधिक बलों की आवश्यकता होती है तो अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मामलों की तरह इस आवश्यकता की पूर्ति केन्द्रीय पुलिस संगठनों से बलों की तैनाती करके की जाती है।

नान-ट्राइबल्स ग्रेब चकमा लैंड शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[अनुवाद]

5048. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अगस्त, 1991 के दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "नान-ट्राइबल्स ग्रैब चकमा लैंड" शीर्षक से समाचार की तरफ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बंगलादेश में चकमा का मामला बंगलादेश का आन्तरिक मामला है। तथापि, जहां तक भारत में चकमा शरणार्थियों का सवाल है, सरकार ने उनकी शीघ्र बंगलादेश वापसी के मसले को बंगलादेश की सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर बार-बार उठाया है। हमें आशा है कि बंगलादेश की सरकार ऐसे आवश्यक और प्रभावकारी कदम उठाएगी जिनसे इन शरणार्थियों में चट्टगांव पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी मर्जी से और यथाशीघ्र अपने घरों को लौटने का विश्वास पैदा हो।

चीनी उत्पादन पर जानकारी एकत्र करने हेतु आस्ट्रेलिया के लिए अध्ययन दल

[हिन्दी]

5049. **डा० जी० एल० कनौजिया :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया में गन्ने के उत्पादन पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेतार टेलीफोन

[अनुवाद]

5050. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेतार टेलीफोनों का निर्माण हो रहा है, यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या देश में ऐसे टेलीफोनों की मांग बढ़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। डोरी रहित टेलीफोन भारत में 1990 से विनिर्मित किए जा रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) देश में डोरी रहित टेलीफोनों का विनिर्माण करने के लिए 34 विनिर्माताओं को पहले लाइसेंस दिए गए हैं। इसके बाद हाल ही में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार डोरी रहित टेलीफोनों का विनिर्माण करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

बिहार में सोना मिश्रित सल्फाइट पाइराइट्स में भंडार

[हिन्दी]

5051. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मुंगेर (बिहार) के कर्मातीय गांव में सल्फाइट पाइराइट्स मिश्रित स्वर्ण के विशाल भंडारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां पर उत्खनन कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का मुंगेर में उक्त खनिज पर आधारित उद्योग की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसागर बांध परियोजना, चरण-एक

[अनुवाद]

5052. **श्री धर्मभिक्षम** :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में श्री रामसागर बांध परियोजना, चरण-एक पर आज तक कितनी धन-राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ख) इस परियोजना के जरिये आज तक सिंचित की जा रही भूमि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) श्री रामसागर परियोजना चरण-1 पर मार्च, 1990 के अन्त तक 589.47 करोड़ रु० व्यय हुए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान 44.29 करोड़ रुपये व्यय होने की प्रत्याशा है।

(ख) 3/90 के अन्त तक 253420 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि 10,000 हेक्टेयर है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का गैर-सरकारीकरण

5053 **श्री अनादि चरण दास :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन टेलीफोन इंडस्टीज का गैर-सरकारीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, बर्नपुर को हुआ घाटा

5054. **डा० एस० पी० यादव :**

श्री प्रताप सिंह :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, बर्नपुर पर वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या उक्त संयंत्र निरन्तर घाटे में चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों में इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) में किए गए पूंजीगत खर्च तथा नकद हानि निम्नानुसार है :

	पूंजीगत खर्च (करोड़ रुपये)	नकद हानि (करोड़ रुपये)
1987-88	48	98.69
1988-89	99	97.59
1989-90	106	115.49

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1989-90 में "इस्को" को 138.08 करोड़ रुपये की हानि हुई। वर्ष 1990-91 के दौरान भी "इस्को" को हानि हुई, परन्तु इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अभी लेखा-परीक्षा का कार्य किया जा रहा है।

हानि होने के मुख्य कारणों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) कच्चे माल की घटिया क्वालिटी तथा आदान संबंधी अड़चनें;

(2) अत्यधिक ऊर्जा खपत और पुरानी प्रौद्योगिकी;

(3) पुराने एवं अप्रचलित संयंत्र और उपकरण।

पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को हथियारों की सप्लाई

5055. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 13 अगस्त, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "लेस आर्म्स सप्लाई क्रिप्पल्ड सी० आर० पी० एफ० इन जे० एंड के० पंजाब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पंजाब और जम्मू व कश्मीर में किसी भी संभाव्य घटना का मुकाबला करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को अनिवार्य शस्त्र और गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्री उपलब्ध करायी है।

हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पानी का बंटवारा

5056. **श्री चित्त बसु :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे के मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंपने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान विकास

5057. **श्री सांग्ये गोवर्धन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में उद्यान के विकास की क्या सम्भावना है;

(ख) विकास की प्रगति क्या है और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में उद्यान उत्पादन क्या-क्या हैं;

(ग) इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए/कार्यक्रम शुरू किए गए; और

(घ) निर्यातोन्मुख उद्यान उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत के सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई जाने वाली संभावित बागवानी फसलों तथा मुख्य बागवानी फसलों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दी जाती है :—

(1) सरकार राज सहायता प्राप्त दरों पर पौध रोपण सामग्री, उर्वरक कीटनाशकों, पादप रक्षण उपस्करों, सिंचाई सुविधाओं आदि जैसे आदान उत्पादकों को मुहैया कराती है।

(2) विभिन्न विस्तार अभिकरणों के माध्यम से तकनीकी सेवा प्रदान करना तथा उत्पादकों को प्रशिक्षण देना।

(3) फसल उपरान्त नियंत्रण अवसंरचनाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(4) बागवानी के विकास के लिए वाणिज्यिक संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(5) फसल उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी पर किसानों को शिक्षा देने के लिए प्रदर्शन करना।

(6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान समर्थन मजबूत बनाया जा रहा है।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की गई हैं :—

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाएं;

(ख) नारियल विकास बोर्ड की योजनाएं;

(ग) सर्वोत्कृष्ट संतति के फलोद्यानों की स्थापना के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम को सहायता देने की योजना;

(घ) फल एवं सब्जियों के उत्पादन तथा सब्जियों के बीज के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना;

(ङ) उष्ण कटिबंधीय तथा अनुर्वर क्षेत्र के फलों के एकीकृत विकास की योजना;

(च) मसाला विकास के लिए समेकित कार्यक्रम योजना;

(छ) काजू विकास के लिए योजना।

(घ) आठवीं योजना के निरूपण के लिए रोपण फसलों तथा कृषि निर्यात पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात क्षमता वाली निम्नलिखित फसलें अभिज्ञात की गई हैं :—ताजा आम, ओक्रा, बिटर गार्ड, अखरोट, लीची, सैपोटा, टेबल ग्रेप, सेब, अन्य सब्जियां, खुबानी, संकर बीजें, सभी कट फ्लावर्स और पर्णीय पौधे।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सम्भाव्य फसलें	महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	आम, अंगूर, अमरूद, सिट्रस, सपोता, केला, बेर, पपीता, शरीफा, नारियल, सुपारी, काजू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, खीरा, मटर बन्दगोभी, फूलगोफी, फलियां, आलू, खुम्बी, कंद फसलें—कसावा, शकरकंद कोलोकेसिया, डायोस्कोरिया अमोरफोफिलस, करेला, लोभिया, डोलिकोज बीन्स, फ्रैन्च बीन्स, बीज मसाले, हल्दी, गुलाब, क्राइसेन्थीमम, आर्किड	आम, अंगूर, अमरूद, सपोता, केला, सिट्रस, पपीता, शरीफा, नारियल, काजू, बैंगन, टमाटर मिर्च, खीरा, बन्दगोभी, सेम की फलियां, आलू, कसावा, शकरकंद, कोलोकेसिया, करेला लोभिया, डोलिकोज, बीन्स, फ्रैन्च बीन्स, बीज मसाले, हल्दी गुलाब, क्राइसेन्थीमम
2. अरूणाचल प्रदेश	सिट्रस, अन्नास, केला, सेब, सुपारी, बैंगन, डोलिकोज, बीन्स आलू, कसावा, शकरकंद कोलोकेसिया, अमोरफोफिलस, बड़ी इलाइची, केसर, आर्किड,	सिट्रस अन्नास, केला, बैंगन, डोलिकोज, सेम की फलियां, शकरकंद, कोलोकेसिया
3. असम	सिट्रस, अनन्नास, केला, सुपारी, नारियल, काजू, बैंगन, डोलिकोज बीन्स, आलू, कसावा, शकरकंद, कोलोकेसिया, अमोरफोफिलस, बड़ी इलायची, आर्किट्स	सिट्रस, अनन्नास, केला, सुपारी बैंगन, डोलिकोज बीन्स, शकरकंद, कोलोकेसिया
4. बिहार	आम, अमरूद, लीची, बेल, केला पपीता, अनोला, नारियल, बैंगन फूलगोभी, टमाटर, घिया, लोबिया सेम, फ्रैंच सेम, बार्डेन, मटर, खरबूजा, तरबूजा, काशीफल, चिकनी तोरी, आलू, कोलोकेसिया, डायोस्कोरिया, अमोरफोफिलस, अदरक, हल्दी	आम, अमरूद, लीची, केला, पपीता, बैंगन, फूलगोभी, टमाटर, घिया, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रैंच सेम, गार्डन, मटर, खरबूजा, तरबूजा, काशीफल, चिकनी तोरी, आलू, कोलोकेसिया, डायोस्कोरिया, अमोरफोफिलस, अदरक, हल्दी

1	2	3
5. गोवा	आम, केला, अनन्नास, टमाटर, खीरा, फूलगोभी, बन्दगोभी, बगन, काजू, नारियल, अदरक	आम, काजू, नारियल ।
6. गुजरात	आम, केला, सपोता, खजूर का पेड़, बेर, सिट्रस, अनार, अनोला, नारियल, लहसुन, प्याज, आलू, बैंगन, फूलगोभी, टमाटर, बीज मसाले	आम, केला, सपोता, सिट्रस, नारियल, लहसुन, प्याज, आलू, बैंगन, फूलगोभी, टमाटर, बीज मसाले ।
7. हरियाणा	आम, अंगूर, सिट्रस, बेर, खजूर का पेड़, अनार, बैंगन, करेला, घिया, गाजर, फूलगोभी, लोबिया बड़ी सेम, फ्रैंच सेम, खरबूजा, प्याज, गाडंन, मटर, लहसुन, टमाटर, खीरा, काशीफल, तरबूजा चिकनी तोरी, आलू, खुम्बी, गुलाब कार्नेशन क्राइसेन्थीमम	आम, अंगूर, सिट्रस, बैंगन, करेला, घिया, गाजर, फूलगोभी लोबिया, बड़ी सेम, खरबूजा, प्याज, गाडंन, मटर, टमाटर, खीरा, काशीफल, तरबूजा, चिकनी तोरी, आलू, गुलाब
8. हिमाचल प्रदेश	सेब, आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा, बादाम, अखरोट, लीची सिट्रस, केपसिकम, टमाटर, बन्द-गोभी, गाजर, फूलगोभी, मिर्च, आलू, खुम्बी, अदरक, गुलाब, ग्लाडिओलस, क्राइसेन्थीमम, चीड़	सेब, आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा, सिट्रस, केपसिकम, टमाटर, बन्दगोभी, गाजर, फूल गोभी, आलू, खुम्बी, अदरक, ग्लाडिओलस क्राइसेन्थीमम
9. जम्मू और कश्मीर	सेब, आड़ू, नाशपाती, आलूबुखारा, बादाम, वालनट, सिट्रस, केपसिकम, टमाटर, बन्दगोभी, गाजर, फूल-गोभी, मिर्च, खुम्बी, गुलाब, ग्लाडियोलस, क्राइसेन्थीमम	सेब, आड़ू, नाशपाती, बादाम, वाल्नट, सिट्रस, केपसिकम, टमाटर, बन्दगोभी, गाजर फूलगोभी, ग्लाटियोलस
10. कर्नाटक	आम, अंगूर, अमरूद, सिट्रस, सपोता, केला, पपीता, शरीफा, नारियल, सुपारी, काजू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, खीरा, मटर, बन्दगोभी, फूलगोभी, सेम, आलू, खुम्बी, कसावा, शकरकंद, कोलो-	आम, अंगूर अमरूद, सपोता, केला, सिट्रस, पपीता, शरीफा, नारियल, काजू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, खीरा, बन्दगोभी, सेम, फ्रैंच सेम, बीज मसाले, हल्दी, ग्लाडिओलस ट्यूबरोज

1	2	3
	केसिया, डायोसकोरिया, अमोर-फोफिलस, करेला, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रेंच बीन, बीज मसाले, हल्दी ग्लाडिओलस, ट्यूबरोज	
11. केरल	आम, सिट्रस, केला, अनन्नास, कटहल, नारियल, सुपारी, काजू कोका, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन आलू, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, जायफल, चीड़, एन्थुरीमस	केला, अनन्नास, नारियल, सुपारी, काजू, कोका, बैंगन, फूलगोभी, अदरक, काली मिर्च इलायची, दालचीनी, लौंग
12. मध्य प्रदेश	आम, अमरूद, सिट्रस, पपीता, केला, शरीफा, बेर, अनार, नारियल, बैंगन, गाजर, फूलगोभी लोबिया, बड़ी सेम, फ्रेंच, बीन, खरबूजा, प्याज, गार्डन, मटर, टमाटर, तरबूज, आलू, खुम्बी, बीज मसाले	आम, अमरूद, सिट्रस, पपीता, बैंगन, मिर्च, बड़ी सेम, फ्रेंच बीन, खरबूजा, गार्डन, मटर, टमाटर, तरबूज, आलू, बीज मसाले
13. महाराष्ट्र	अंगूर, सिट्रस, पपीता, अनोला, केला, शरीफा, बेर, अनार, नारियल, काजू, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रेंच बीन, खरबूजा, प्याज, गार्डन मटर, लहसुन, टमाटर, खीरा, काशीफल, तरबूज, आलू, खुम्बी, करेला, बीज मसाले, ग्लाडिओलिअस, गुलाब, क्राइ-सेन्थिमम, चीड़	अंगूर, सिट्रस, पपीता, अनोला, केला, शरीफा, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रेंच बीन, खरबूजा, प्याज, गार्डन मटर, लहसुन, टमाटर, खीरा, काशीफल, तरबूज, आलू करेला, बीज मसाले, ग्लाडि-ओलिअस, गुलाब, क्राइ-सेन्थिमम, चीड़
14. मणिपुर	सिट्रस, अनन्नास, केला, बैंगन, बड़ी सेम, आलू, कसावा, शकरकंद कोलोकेसिया, अमोरकोफिलस, चीड़	सिट्रस, अनन्नास, केला, बैंगन बड़ी सेम, शकरकंद, कोलो-केसिमम
15. मेघालय	सिट्रस, अनन्नास, केला, सेब, बैंगन, बड़ी सेम, आलू, कसावा, शकरकंद, कोलोकेसिया, अमोर	सिट्रस, अनन्नास, केला, बैंगन बड़ी सेम, शकरकंद, कोलो-केसिया, अदरक

1	2	3
	फोफिलस अदरक ग्लाडिओलिस चीड़	
16. मिजोरम	सिट्रस, अनन्नास, केला, बैंगन, बड़ी सेम, आलू कसावा, शकरकंद, कोलोकेसिया, अमोरफोफिलस, चीड़, ग्लाडिओलस	सिट्रस, अनन्नास, केला, बैंगन, बड़ी सेम, शकरकंद, कोलोकेसिया
17. नागालैण्ड	सिट्रस, अनन्नास, केला, सुपारी, बैंगन, टमाटर, बन्दगोभी, मिर्च, ओकरा, तरबूजा, आलू, अदरक बड़ी इलायची, गुलाब, ग्लाडिओलस	सिट्रस, अनन्नास, केला, बैंगन टमाटर, बन्दगोभी, मिर्च, ओकरा तरबूजा, सुपारी, अदरक
18. उड़ीसा	आम, अमरूद, सिट्रस, पपीता लीची, सुपारी, नारियल, बैंगन, करेला, कुकुरबिट्स, मिर्च, लोबिया बड़ी सेम, फ्रेंच बीन, टमाटर, आलू, बीज मसाले, हल्दी	आम, अमरूद, सिट्रस, पपीता, लीची, सुपारी, बैंगन, करेला, कुकुरबिट्स, मिर्च, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रेंच, बीन, टमाटर आलू
19. पंजाब	आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा, लीची, सिट्रस, पपीता, अंगूर, अमरूद, बैंगन, करेला, घिया, गाजर, फूलगोभी, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रेंचबीन, खरबूजा, प्याज, गार्डन मटर, लहसुन, टमाटर, खीरा, काशीफल, तरबूजा चिकनी तोरी, आलू, खुम्बी, गुलाब, कार्नेशन, क्राइसेन्थीमम, ग्लाडिओलस	आड़ू, नाशपाती, आलूबुखारा, सिट्रस, अंगूर, अमरूद, बैंगन, करेला, घिया, गाजर, फूलगोभी, लोबिया, बड़ी सेम, खरबूजा, प्याज, गार्डन मटर, टमाटर, खीरा, काशीफल, तरबूजा, चिकनी तोरी, आलू, गुलाब, कार्नेशन, ग्लाडिओलस
20. राजस्थान	खजूर का पेड़, बेर, अनार, अनोला बैंगन, मिर्च, बड़ी सेम, फ्रेंचबीन, खरबूजा, गार्डन मटर, टमाटर, तरबूजा, आलू, गुलाब, कर्नेशन, क्राइसेन्थीमम	बेर, बैंगन, मिर्च, बड़ी सेम, फ्रेंचबीन, खरबूजा, गार्डन मटर टमाटर, तरबूजा, आलू, गुलाब
21. सिक्किम	सेब, आड़ू, नाशपाती, खजूर का पेड़, सिट्रस, अनन्नास, बैंगन, बड़ी सेम, आलू, कसावा, शकरकंद,	सिट्रस, अनन्नास, बैंगन, बड़ी सेम, शकरकंद, कोलोकेसिया, अदरक, बड़ी इलायची, चीड़

1	2	3
	कोलोकेसिया, अमोरफोफिलस, अदरक, बड़ी इलायची, चीड़	
22. तमिलनाडु	केला, आम, नारियल, काजू, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन, आलू, बीज मसाले, हल्दी, गुलाब, चमेली, ग्लाडिओलस, दालचीनी, कालीमिर्च	केला, आम, नारियल, काजू, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन, आलू, काली मिर्च, दालचीनी, चमेली, ग्लाडिओलस
23. त्रिपुरा	सिट्रस, अनन्नास, केला, सुपारी, नारियल, काजू, बैंगन, बड़ी सेम, आलू, कसावा, शकरकंद, कोलोकेसिया, अमोरफोफिलस, बड़ी इलायची, चीड़	सिट्रस, अनन्नास, केला, सुपारी, बैंगन, बड़ी सेम, शकरकंद, कोलोकेसिया
24. उत्तर प्रदेश	सेब, आडू, नाशपाती, खजूर का पेड़, बादाम, अखरोट, लीची, सिट्रस, बेर, अनार, बैंगन, करेला, घिया, गाजर, फूलगोभी, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रैंचबीन, खरबूजा, प्याज, गार्डन मटर, लहसुन, टमाटर, खीरा, काशीफल, तरबूजा, चिकनी तोरी, आलू, खुम्बी, अदरक, गुलाब, ग्लाडिओलस, क्राइसेन्थीमम	सेब, आडू, नाशपाती, खजूर का पेड़, सिट्रस, बैंगन, करेला, घिया, गाजर, फूलगोभी, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रैंचबीन, खरबूजा, प्याज, गार्डन मटर, लहसुन, टमाटर, खीरा, काशीफल, तरबूजा, चिकनी तोरी, आलू, अदरक, गुलाब, ग्लाडिओलस, क्राइसेन्थीमम
25. पश्चिम बंगाल	आम, लीची, नारियल, टमाटर, बन्दगोभी, मिर्च, ओकरा, तरबूज, आलू, खुम्बी, कसावा, शकरकंद, कोलोकेसिआ, डायोस्कोरिया अमोरफोफिलस, सुपारी, बड़ी इलायची, ट्यूबरोज, चमेली, गुलाब, डालिया, चीड़	आम, लीची, नारियल, सुपारी टमाटर, बन्दगोभी, मिर्च, ओकरा, तरबूजा, आलू खुम्बी कसावा, शकरकंद, कोलोकेसिया, बड़ी इलायची, ट्यूबरोज, चमेली, गुलाब, डालिया, चीड़
26. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	केला, अनन्नास, नारियल, सुपारी	—
27. चण्डीगढ़	आडू, नाशपाती, आलूबुखारा, बेर, लीची, नींबू जाति के फल, पपीता, अंगूर, अमरूद, बैंगन,	—

1	2	3
	करेला, लौकी, गाजर, फूलगोभी, लोबिया, बड़ी सेम, फ्रेंच सेम, खरबूज, प्याज, गार्डेन, मटर, लहसुन, टमाटर, खीरा, कद्दू, तरबूज, घियातोराई, गुलाब, गुलदाउदी ग्लैडिओलस	
28. दादरा तथा नगर हवेली	आम, केला, अनन्नास, टमाटर, खीरा, फूलगोभी, बंदगोभी, बैंगन, काजू, नारियल, अदरक	—
29. दमन तथा दीव	आम, केला, अनन्नास, टमाटर, खीरा, फूलगोभी, बन्दगोभी, बैंगन, काजू, नारियल, अदरक	—
30. दिल्ली	आम, अंगूर, सिट्रस, बेर, खजूर का पेड़, अनार, बैंगन, करेला, लौकी, गाजर, फूलगोभी, लोबिया बड़ी सेम, फ्रेंचबीन, खरबूज, प्याज, गार्डेन मटर, लहसुन, टमाटर, खीरा, कद्दू, तरबूज, घियातोरई, आलू, खुम्बी, गुलाब, कोर्नेशन, गुलदाउदी	—
31. लक्षद्वीप	सुपारी	—
32. पाण्डिचेरी	केला, आम, नारियल, काजू, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन, आलू, मसालों के बीज, हल्दी, गुलाब, जैसमाईन, ग्लैडियोलस, दालचीनी, काली मिर्च	—

कई बागवानी फसलों के उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। तथापि, 26.6 मिलियन मीटरी टन, फलों, 52.76 मिलियन मीटरी टन सब्जियों (1988-89), 9,283.4 मिलियन नारियल की गिरियों (1989-90) और अन्य बागानी फलों सहित देश में लगभग 91 मिलियन मीटरी टन बागवानी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन द्वारा अनुज्ञप्त अथवा पंजीकृत यात्रा एजेंट

5058. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कुल कितने यात्रा एजेंट अनुज्ञप्त अथवा पंजीकृत किए गए हैं;

(ख) उनके नाम क्या हैं और वे कहां कहां स्थित हैं;

(ग) पासपोर्ट कार्यालय का उन पर कितना नियंत्रण है;

(घ) क्या इनमें से कुछ एजेन्ट असंतोषजनक पाए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यात्रा एजेन्टों के कुल कितने प्रार्थना पत्र पंजीकरण अथवा अनुज्ञप्ति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(छ) ऐसे प्रार्थना पत्र कितने समय के लिए लम्बित रहे; और

(ज) इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) 34

(ख) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) पासपोर्ट कार्यालय ट्रेवल एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्टों के माध्यम से और निरीक्षण के द्वारा नियंत्रण रखते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) एक

(छ) 11.7.1991 से।

(ज) पासपोर्ट कार्यालय ने राज्य पुलिस, सी० आई० डी०, रिजर्व बैंक और प्रवर्त्तन निदेशालय से अपेक्षित रिपोर्टें मांगी हैं, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंसियां—आर० पी० ओ० कोचीन

1. अजन्ता ट्रैवल्ज,
   कोचीन शिपयार्ड के सामने,
   एम० जी० रोड, कोचीन-15

2. एसोसिएटिड एयर ट्रैवल्ज,
   टी० के० रोड, तिरूवल्ला,
   पथनामथिन्ता।

3. एयर ट्रैवल, एन्टर प्राइजिज (के) प्रा० लि०
   एयर इंडिया के समीप, श्री कन्दथ रोड,
   रवि पुरम, कोचीन-16

4. एयर ट्रैवल एन्टर प्राइजिज (क) प्रा० लि०,
ग्राउंड फ्लोर, न्यू कार्पोरेशन बिल्डिंग,
पालायाम, त्रिवेन्द्रम

5. अब्बीस अल अरब ट्रैवल सर्विस,
नं० 9, जी० सी० डी० ए० स्टेडियम कम्पलेक्स,
के० एस० आर० टी० सी० बस स्टैंड के समीप, कोचीन

6. एस्पिन ट्रैवल्ज,
म्युनिसिपल कम्पलैक्स,
कोडूनगल्लूर, त्रिचूर जिला

7. सैन्चुरी ट्रैवल्ज,
मनोरम जंक्शन, जी० एस० रोड,
कोट्टायाम-1

8. डीलक्स इन्टरनेशनल ट्रैवल्ज,
इनामावु रोड, चवाकड्डु,
त्रिचूर 1

9. इरीनजेरी ट्रैवल्ज,
प्रैसटीज बिल्डिंग, कुरूप्पम रोड,
त्रिचूर-1

10. गोवन ट्रैवल्ज,
31/1078-ए हस्पताल रोड,
अरनाकुलम, कोचीन 1

11. गल्फ इंडिया टूर एंड ट्रैवल्ज,
मुल्लासरी कैनाल रोड,
कोचीन-II

12. हैरीसन मलयालम लि०,
ब्रिस्टो रोड, कोचीन-3

13. हंसा ट्रैवल्ज (प्रा०) लि०,
सहोदरन्न अयूयाप्पन रोड,
पल्लीमुक्कु, कोचीन-16

14. इन्टरनेशनल ट्रैवल्ज,
होटल एयर लाइन्स बिल्डिंग,
ए० जी० रोड, कोचीन-II

15. जय हिन्द ट्रैवल्ज,
रविपुरम, एम० जी० रोड,
कोचीन-16

16. केरल ट्रैवल्ज,
एल० एम० एस० बिल्डिंग,
म्युजियम, जंक्शन,
त्रिवेन्द्रम

17. सी० आई० मैथ्यू एंड कम्पनी,
मुल्लसरी कैनाल रोड,
कोचीन-II

18. मार्वल ट्रैवल सर्विस (प्रा०) लि०,
पोट्टेकट बिल्डिंग, स्वराज राउंड,
त्रिचूर-I

19. ओमेगा ट्रैवल एंड टूरिस्ट एजेन्सी,
वारीयम रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-I

20. ओवरसीज एयर ट्रैवल एंड टूर आपरेटरजं,
चैंचेरी बिल्डिंग, एम० जी० रोड, कोचीन-II

21. पी० एस० वर्ल्ड वेज लि०,
एम० जी० रोड, कोचीन-16

22. रेबल टूर एंड ट्रैवल,
बेकरी जंकशन, त्रिवेन्द्रम-695001

23. शाह ट्रैवल्ज,
पी० वी० बिल्डिंग, नार्थ नाडा,
कोट्टुनगलूर, त्रिचूर जिला

24. सीता वर्ल्ड ट्रैवल्ज,
थरकन बिल्डिंग, एम० जी० रोड, कोचीन-16

25. शरीफ ट्रैवल एंड कारगो सर्विस (प्रा०) लि०,
"सुप्रभा" पट्टम पैलेस रोड, त्रिवेन्द्रम-4

26. सुजीथा ट्रैवल कारपोरेशन,
परीशत बिल्डिंग, हस्पताल रोड, कोचीन-II

27. ट्रेड विन्ज,
36/321 (1), एम० जी० रोड, कोचीन-16

28. ट्रावनकोर ट्रैवल्ज,
राजधानी बिल्डिंग, त्रिवेन्द्रम-23

29. ट्रैवल इंडिया,
सचिवालय के सामने, एम० जी० रोड, त्रिवेन्द्रम।

30. ट्रैवल वर्ल्ड,
9, पार्थसारथी बिल्डिंग, डी० एच० रोड, कोचीन-16

31. ट्रैवल कार्पोरेशन (आई) प्रा० लि०,
टैलस्टार बिल्डिंग, एम० जी० रोड, कोचीन-16

32. यूनाइटेड टूर (इंडिया) प्रा० लि०,
पल्लीमुक्कु, एम० जी० रोड, कोचीन-11

33. यूनाइटेड टूर (इंडिया) प्रा० लि०,
एम० जी० रोड, त्रिवेन्द्रम।

34. पी० एल० वर्ल्डवेज प्रा० लि०,
एम० जी० रोड, त्रिवेन्द्रम।

लिट्टे की गतिविधियां

5059. **श्री पी० पी० कालस :**

श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिट्टे उग्रवादियों ने अपना जाल केरल तक बिछा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) इस बात की जानकारी नहीं है कि लिट्टे उग्रवादियों ने केरल में अपना जाल बिछा दिया है। तथापि, इस संबंध में केरल सरकार द्वारा कड़ी चौकसी रखी जा रही है।

आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में टेलीफोन कनेक्शन

5060. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में टेलीफोन कनेक्शन के कितने आवेदन पत्र लंबित हैं; और

(ख) आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) आंध्र प्रदेश के जिला अनन्तपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 31-7-1991 तक 1237 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान 750 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है शेष प्रतीक्षा सूची को वर्ष 1993 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की संभावना है।

मुहाजिरों द्वारा भारत में प्रवेश का प्रयास

5061. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के मुहाजिरों ने हाल में भारतीय भू-भाग में प्रवेश करने का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, इन मुहाजिरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) 24 जून, और 12 अगस्त, 1991 के मध्य की अवधि के दौरान पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा लगभग 370 मोहाजिरों को बलपूर्वक भारत में भेजने के कई प्रयास किए गए। तथापि, सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों द्वारा दृढ़प्रतिज्ञ होकर किसी को भी अवैध रूप से नहीं घुसने दिया गया। इसलिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया।

दूरसंचार सेवाओं का निजी फर्मों द्वारा संचालन

*5062. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने कुछ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना और उनके संचालन का अधिकार निजी फर्मों को देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में निजी फर्मों द्वारा नए नेटवर्क/एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे;

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें दूरसंचार सेवाओं का विकास करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(घ) क्या इस प्रस्ताव में टेलीग्राफ सेवा को भी सम्मिलित करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय एकता परिषद

5063. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान राष्ट्रीय एकता परिषद् का गठन क्या है;

(ख) क्या सरकार का परिषद् के पुनर्गठन का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का देश की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक आयोजित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) 1990 में पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्यों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

विवरण

प्रधान मन्त्री   अध्यक्ष

I. केन्द्रीय मन्त्री और मुख्य मन्त्री,

1. केन्द्रीय गृह मन्त्री
2. केन्द्रीय वित्त मन्त्री
3. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री
4. केन्द्रीय कल्याण मन्त्री
5. केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्री

6. से 31. सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्री जहां संलग्न सूची के अनुसार विधायन हैं।

II. चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के नेता

32. श्री राजीव गांधी, अध्यक्ष,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

33. श्री एस. आर. बोम्मई,
अध्यक्ष, जनता दल।

34. श्री एल. के. आडवाणी,
अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।

35. श्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद,
महासचिव,
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

36. श्री सी. राजेश्वर राव,
महा-सचिव,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।

37. श्री सरत चन्द्र सिन्हा,
अध्यक्ष, भारतीय कांग्रेस (समाजवादी सरत चन्द्र सिन्हा)
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एस.)

38. श्री इन्दुभाई पटेल, अध्यक्ष,
जनता पार्टी (जे. पी.)

39. श्री आर. एन. कुशवाहा,
अध्यक्ष, लोकदल (बी.)

III. चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों के नेता और जिसका संसद के किसी एक सदन में कम से कम एक प्रतिनिधि हो।

40. सेल्वी जे० जयललिता, महासचिव,
आल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम

41. श्री पी. डी. पालीवाल, अध्यक्ष
आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक

42. *श्री प्रफुल्ल कुमार महन्त,
अध्यक्ष, असम गण परिषद

43. डा० एम० करुणानिधि, अध्यक्ष
द्रविण मुनेत्र कड़गम

44. डा० फारुक अब्दुल्ला, अध्यक्ष
जम्मू और कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस

45. श्री त्रिदिब चौधरी, महासचिव
क्रांतिकारी समाजवादी दल

46. श्री एन. बी भण्डारी, अध्यक्ष
सिक्किम संग्राम परिषद

47. श्री एन. टी. रामाराव, अध्यक्ष
तेलगू देशम दल

48. श्री पी. जे. जोसेफ, अध्यक्ष
केरल कांग्रेस

49. श्री कांसी राम, अध्यक्ष
बहुजन समाज पार्टी

50. अध्यक्ष,
शिरमणि अकाली दल

51. सैयद मोहम्मद अली साहिब थंगल,
अध्यक्ष मुस्लिम लीग

52. सरदार सिमरनजीत सिंह मान, अध्यक्ष
शिरोमणि अकाली दल
(सिमरनजीत सिंह मान)

53. श्री बाला साहब थैकरे, अध्यक्ष
शिवसेना

54. श्री बबन नायक, अध्यक्ष
महाराष्ट्रवादी गोमान्तक दल

55. श्री के. एम. मनी, अध्यक्ष,
केरल कांग्रेस (एम०)

56. श्री शिबू सोरेन, अध्यक्ष,
झाड़खण्ड मुक्ति मोर्चा

* ये नाम राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की सूची में भी है।

IV. प्रतिष्ठित व्यक्ति

57. श्री कमला पति त्रिपाठी
58. श्री चन्द्र शेखर
59. सरदार स्वर्ण सिंह
60. श्री पी. वी. नरसिम्हाराव
61. श्री एन. डी. तिवाड़ी
62. सैय्यद मीर कासिम
63. श्री पी. एन. हक्सर
64. श्री प्रकाश सिंह बादल
65. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
66. श्री एच. एस. सुरजीत
67. श्री इन्द्रजीत गुप्त
68. श्री सी. के. जाफर शरीफ
69. श्री जस्टिस राजेन्द्र सच्चर
70. ले० जनरल जे. एस. अरोरा (सेवानिवृत)
71. डा० रफीक जकारिया
72. आचार्य राम मूर्ति

73. आचार्य तुलसी
74. श्री प्रकाश अम्बेडकर
75. श्री शरद जोशी
76. ब्रिगेडियर राम सिंह (सेवा निवृत्त)
77. ब्रिगेडियर टी० सैलो
78. श्री मामा बालेश्वर
79. श्री राजमोहन गांधी
80. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओविसी
81. सुश्री शबाना आजमी
82. श्री दत्ता सामन्त
83. फादर (एफ. आर.) ए. मिंज
84. श्री राम सुन्दर दास
85. श्री न्यायमूर्ति आर. पी. मण्डल
86. श्री विजोल
87. श्री एम. एम. जोशी
88. श्री एम. फारूकी
89. श्री जावेद हबीब
90. श्री शहीद सिद्दिकी
91. श्री एम. अफजल
92. श्री भीष्म साहनी
93. प्रो० सतीश चन्द्र
94. श्री के. एफ. रुस्तमजी
95. डा० सी. नारायण रेड्डी
96. श्री सुभाष घीषिंग
97. श्री पिंटो नारबू

V. व्यापार

98. श्री एस. के. बिरला
अध्यक्ष, एफ. आई. सी. सी. आई
99. श्री ए० मजूमदार,
अध्यक्ष, ए. एस. एस. ओ. सी. एच. एम.

VI. श्रम

100. श्री जी. रामानुजम,
अध्यक्ष, इंटक (आई. एन. टी. यू. सी.)

101. श्री चतुरानन मिश्र,
ए. आई. टी. यू. सी.

103. अध्यक्ष, सी. आई. टी. यू.

123. श्रीमती कमला सिंहा,
अध्यक्ष, एच. एम. एस.

104. श्री आर. बी. जोशी,
अध्यक्ष, बी. एम. एस.

VII. आयोग

105. श्री एस. एम. बर्नी,
अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग

106. प्रो० यशपाल, अध्यक्ष,
यू. जी. सी.

107. श्री राम धन,
अध्यक्ष, अ०जा० और अ०ज०जा०

VIII. प्रचार

108. श्री निखिल चक्रवर्ती
सम्पादक मेनस्ट्रीम

109. श्री प्रभु चावला
पत्रकार

110. श्री प्रभाष जोशी
सम्पादक जनसत्ता

111. श्री आर. के. मिश्रा,
सम्पादक, पेट्रोट

112. श्री एन. राम

113. चौधरी रामोजी राव
सम्पादक तथा प्रशासक "ऐनाडू"

114. श्री माधव गदकारी,
सम्पादक, लोक सत्ता

115. श्री बी. जी. वर्गीस
पत्रकार

116. श्री के. आर. मल्कानी,
पत्रकार

117. श्री खुशवन्त सिंह,
पत्रकार

118. श्री नरेन्द्र मोहन
पत्रकार, दैनिक जागरण

119. श्री इन्द्रजीत,
पत्रकार

120. श्री एम. एल. कोतरू,
स्थानीय सम्पादक, दि स्टेटसमैन

121. श्री प्रेम भाटिया
पत्रकार

IX. महिला प्रतिनिधि

122. श्रीमती सुभाशिनी अली
123. श्रीमती इला भट्ट
124. डा० रोमिला थापर
125. श्रीमती कमला मानकेकर
126. सुश्री विमला ठाकर
127. डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला

विधान परिषद वाले राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के मुख्य मन्त्रियों की सूची

1. डा० एम. चेन्नारेड्डी,
मुख्य मन्त्री, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

2. श्री गीगोंग अपांग,
मुख्य मन्त्री, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर

3. श्री पी. के. महन्ता,
मुख्य मन्त्री, असम, डिसपुर

4. श्री लालू प्रसाद यादव,
   मुख्य मन्त्री, बिहार, पटना

5. श्री चिमनभाई पटेल,
   मुख्य मन्त्री, गुजरात, गांधी नगर

6. श्री लुईस प्रोटो बारबोसा,
   मुख्य मन्त्री, गोवा, पणजी

7. श्री हुकम सिंह,
   मुख्य मन्त्री, हरियाणा, चण्डीगढ़

8. श्री शान्ता कुमार,
   मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला

9. श्री जी. सी. सक्सैना,
   राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर

10. श्री वीरेन्द्र पाटिल,
    मुख्य मन्त्री, कर्नाटक, बंगलौर

11. श्री ई. के. नय्यनार,
    मुख्य मन्त्री, केरल, त्रिवेन्द्रम

12. श्री सुन्दर लाल पटवा,
    मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश, भोपाल

13. श्री शरद पवार,
    मुख्य मन्त्री, महाराष्ट्र, बम्बई

14. श्री राजकुमार रणबीर सिंह,
    मुख्य मन्त्री, मणिपुर, इम्फाल

15. श्री बी. बी. लिंगदो,
    मुख्यमन्त्री, मेघालय, शिलांग

16. श्री लालथानावला,
    मुख्य मन्त्री, मिजोरम, एजवल

17. श्री वामुजो,
    मुख्य मन्त्री, नागालैंड, कोहिमा

18. श्री बाजू पटनायक,
मुख्य मन्त्री, उड़ीसा, भुबनेश्वर

19. *श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा,
पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़

20. श्री भैरोंसिंह शेखावत,
मुख्य मन्त्री, राजस्थान, जयपुर

21. श्रीं नर बहादुर भण्डारी,
मुख्य मन्त्री, सिक्किम, गंगतोक,

22. डा० एम. करुणानिधी,
मुख्य मन्त्री, तमिलनाडु, मद्रास

23. श्री एस. आर. मजूमदार,
मुख्य मन्त्री, त्रिपुरा, अगरतल्ला

24. श्री मुलायम सिंह यादव,
मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

25. श्री ज्योति बसु,
मुख्य मन्त्री, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता

संघ शासित क्षेत्र

1. श्री डी० रामचन्द्रन,
मुख्य मन्त्री, पांडीचेरी, पांडीचेरी-605001

* राज्यपाल/राष्ट्रपति शासन के अधीन।

नए डाकघर खोलना

5064. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डाकघरों/उप डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने उप-डाकघर/शाखा डाकघर खोले गए; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 1-4-1990 की स्थिति के अनुसार डाक सर्किल-वार डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) वार्षिक योजना 1990-91 के अंतर्गत खोले गए उप डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) 1990-91 के दौरान डाक नेटवर्क (सर्किलवार) के विस्तार के लिए आबंटित बजट और व्यय की राशि को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-3, विवरण-4 और विवरण-5 में दिए गए हैं।

विवरण-1

1-4-1990 की स्थिति के अनुसार सर्किल-वार डाकघरों का ब्यौरा

सर्किल	उप डाकघर	अन्य डाकघरों की संख्या	कुल
1. आंध्र प्रदेश	2481	13763	16244
2. असम	595	2985	3580
3. बिहार	1594	9586	11180
4. दिल्ली	413	123	536
5. गुजरात	1390	7300	8690
6. हरियाणा	446	2037	2883
7. हि० प्रदेश	451	2088	2539
8. जम्मू एवं कश्मीर	272	1257	1529
9. कर्नाटक	2019	7588	9607
10. केरल	1971	2890	4861
11. मध्य प्रदेश	1421	9398	10819
12. महाराष्ट्र	2273	9720	11993
13. उत्तरपूर्व	320	2187	2507
14. उड़ीसा	1332	6373	7705
15. पंजाब	793	2997	3790
16. राजस्थान	1468	8292	9760
17. तमिलनाडु	3018	9043	12061
18. उत्तर प्रदेश	3216	15585	18801
19. पश्चिम बंगाल	2013	6538	8551
योग=	27486	119750	147236

विवरण-2

1990-91 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या

सर्किल	संख्या		कुल
	अ० वि० शा० डाकघर+	वि० उप डाकघर*	
1. आंध्र प्रदेश	58	1	59
2. असम	75	1	76
3. बिहार (अस्थाई)	44	1	45
4. दिल्ली	—	4	4
5. गुजरात	24	5	29
6. हरियाणा	37	1	38
7. हिमाचल प्रदेश	37	—	37
8. जम्मू एवं कश्मीर	25	—	25
9. केरल	43	1	44
10. कर्नाटक	34	7	41
11. मध्य प्रदेश	53	1	54
12. महाराष्ट्र	155	—	155
13. उत्तर पूर्व	79	1	80
14. उड़ीसा	88	7	95
15. पंजाब	35	6	41
16. राजस्थान	99	4	103
17. तमिलनाडु	6	6	12
18. उत्तर प्रदेश	423	7	430
19. पश्चिमी बंगाल	52	2	54
योग :	1367	55	1422

+ ई० डी० बी० ओ० --अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर।

* डी० एस० ओ०—विभागीय उप डाकघर।

विवरण-3

बजट आवंटन (सर्किल वार) 1990-91

सर्किल/यूनिट	ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलना/अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों की नियुक्ति बी० 2(5)	जनजातीय क्षेत्रों में नए डाक घर खोलना/अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति बी० 2(6)	कुल योजना (हजार रुपये में)
1. आंध्र प्रदेश	370	10	380
2. असम	102	—	102
3. बिहार	—	—	—
4. दिल्ली	—	—	—
5. गुजरात	50	49	99
6. हरियाणा	130	—	130
7. हिमाचल प्रदेश	20	—	20
8. जम्मू और कश्मीर	—	—	—
9. कर्नाटक	100	—	100
10. केरल	50	—	50
11. मध्य प्रदेश	128	—	128
12. महाराष्ट्र	—	17	17
13. उत्तर पूर्व	—	—	—
14. उड़ीसा	185	39	224
15. पंजाब	—	—	—
16. राजस्थान	—	—	—
17. तमिलनाडु	50	—	50
18. उत्तर प्रदेश	—	—	—
19. पश्चिमी बंगाल	200	—	200
योग :	1385	115	1500

विवरण-4

401-5 के अधीन खर्च ग्रामीण क्षेत्र (योजना) के अन्तर्गत नए डाकघर खोलना/अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति

क्रम सं० सर्किल	कुल
1. पश्चिम बंगाल	2,00,114.45
2. उत्तर पूर्व	49,646.29
3. बिहार	3,85,873.30
4. उड़ीसा	66,926.65
5. उत्तर प्रदेश	1,53,877.77
6. दिल्ली	—
7. पंजाब	—
8. जम्मू व कश्मीर	1,40,708.00
9. तमिलनाडु	48,433.95
10. आंध्र प्रदेश	4,10,278.50
11. कर्नाटक	99,999.50
12. केरल	90,416.95
13. महाराष्ट्र	2,84,633.00
14. मध्य प्रदेश	19,44,642.47
15. राजस्थान	—
16. गुजरात	2,17,381.95
17. बेस	—
18. हरियाणा	—
19. हिमाचल प्रदेश	3,66,296.93
20. असम	1,00,503.20
कुल :	45,59,762.91

विवरण-5

101-6 के अधीन खर्च—जनजातीय क्षेत्र (योजना) में नए डाकघर खोलना/ अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति

क्रम सं० सर्किल	कुल
1. पश्चिमी बंगाल	—
2. उत्तर पूर्व	—
3. बिहार	1,58,347.00
4. उड़ीसा	1,95,621.50
5. उत्तर प्रदेश	—
6. दिल्ली	1,82,653.83
7. पंजाब	—
8. जम्मू व कश्मीर	—
9. तमिलनाडु	1,930.00
10. आंध्र प्रदेश	—
11. कर्नाटक	—
12. केरल	—
13. महाराष्ट्र	17,534.85
14. मध्य प्रदेश	—
15. राजस्थान	50,285.50
16. गुजरात	3,62,623.50
17. बेस	—
18. हरियाणा	—
19. हिमाचल प्रदेश	—
20. असम	—
कुल :	5,78,310.58

हैड्स आफ मिशन और हैड्स आफ पोस्ट

5065. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989, 1990 और 1991 की स्थिति के अनुसार "हैड्स आफ मिशन" और "हैड्स आफ पोस्ट" के कुल कितने-कितने पद थे;

(ख) उपर्युक्त तिथियों पर "हैड्स आफ मिशन" और "हैड्स आफ पोस्ट" के पदों पर अलग-अलग कितने भारतीय विदेश सेवा से इतर सेवा के अधिकारी थे;

(घ) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार "हैड्स आफ मिशन" और "हैड्स आफ पोस्ट" के पदों पर भानतीय विदेश सेवा से इतर अखिल भारतीय केन्द्रीय रक्षा सेवाओं के सेवा-वार कितने-कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत थे;

(ग) इनमें से कितने उपर्युक्त सेवाओं के सेवा-वार सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं; और

(ङ) उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें इस सेवा में जन जीवन अथवा राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों से लाया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) :

(क)	तारीख	मिशन प्रमुख जिनमें स्थायी प्रतिनिधि भी शामिल हैं	केन्द्र प्रमुख
	1.4.89	107	33
	1.4.90	107	34
	1.4.91	105	35

(ख)	तारीख	भारतीय विदेश सेवा से बाहर के मिशन प्रमुख	भारतीय विदेश सेवा से बाहर के केन्द्र प्रमुख
	1.4.89	5	शून्य
	1.4.90	8	शून्य
	1.4.91	10	1

(ग) प्रतिनियुक्ति पर भारतीय विदेश सेवा से बाहर के मिशन/केन्द्र प्रमुख
मिशन प्रमुख

भारतीय प्रशासनिक सेवा — 2

केन्द्र प्रमुख		
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	—	1
(घ) **मिशन प्रमुख**		
भारतीय प्रशासनिक सेवा	—	1
भारतीय पुलिस सेवा	—	1
केन्द्र प्रमुख	—	शून्य
(ङ) मिशन प्रमुख	—	6
केन्द्र प्रमुख	—	शून्य

राजस्थान में अजमेर जिले में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

5066. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का अजमेर के "क्रॉस बार टेलीफोन एक्सचेंज" को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने का विचार है, और यदि हां, तो कब;

(ख) राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, सीराबाद, विनयनगर, पुष्कर आदि में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मिलने की संभावना है; और

(घ) इस प्रतीक्षा सूची के कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। इस एक्सचेंज को सन् 2000 तक अपना उपयोगी कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद बदलने की योजना है।

(ख) 31-7-91 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

अजमेर	—	4245
ब्यावर	—	497
किशनगढ़	—	266
नसीराबाद	—	31
विजय नगर (विनय नगर नहीं)	—	119
पुष्कर	—	7
केकरी	—	28
कम क्षमता के शेष 38 एक्सचेंजों को मिलाकर	—	77

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान जितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मिलने की संभावना है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

अजमेर	—	500
ब्यावर	—	शून्य
किशनगढ़	—	शून्य
नसीराबाद	—	31
विजयनगर	—	600
पुष्कर	—	7
केकरी	—	28
कम क्षमता के शेष 38 एक्सचेंज		40

(घ) वर्तमान प्रतीक्षा सूची की निम्नानुसार निपटाए जाने की संभावना है :—

अजमेर	—	1993-94 तक
ब्यावर	—	1994-95 तक
किशनगढ़	—	1992-93 तक
नसीराबाद	—	1991-92 तक
विजय नगर	—	1993-94 तक
पुष्कर	—	1991-92 तक
केकरी	—	1991-92 तक
कम क्षमता के शेष 38 एक्सचेंज	—	1992-93 तक

सिख नजरबंदियों को रिहा किया जाना

[अनुवाद]

5067. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पंजाब में जेल से कई उग्रवादियों को रिहा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने नजरबंदियों को रिहा किया गया है; और

(ग) इनकी रिहाई से सद्भावनापूर्ण वातावरण में कितनी मदद मिली है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान 359 मामलों को, जिनमें 481 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त है, वापस लेने के आदेश जारी किए गए।

(ग) उग्रवादी गतिविधियों की मात्रा में कोई खास कमी नहीं हुई है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों की सप्लाई

5068. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम से वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न किस्म के तिलहनों अनाजों, दालों और कपास के कितनी मात्रा में बीज देने का अनुरोध किया था;

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किस हद तक मांग पूरी कर दी गई है अथवा वर्ष 1991 के दौरान यह मांग कहां तक पूरी कर देने की संभावना है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किए गए बीजों का मूल्य देश के संस्थापित बीज उत्पादकों द्वारा बेचे जाने वाले प्रमाणित बीजों के मल्यों से अधिक है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार का प्रमाणीकृत बीजों की मांग तथा इसकी आपूर्ति को दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे गए बीजों की कीमतों को निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है :—

(1) बीज उत्पादकों को अदा किए गए आदान-मूल्य तथा अधिप्राप्ति मूल्य;

(2) ऊपरी खर्च; और

(3) ब्याज का भार ।

यह भी बताया गया है कि बीजों के मूल्यों का निर्धारण करने में कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है।

विवरण

(मात्रा क्विंटल में)

क्र० सं०	फसल/किस्म	एम० पी० एस० एस० तथा एफ०डी०सी० भोपाल द्वारा मांगी गई मात्रा	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा एम०पी०एस०एस० तथा एफ०डी०सी० को आपूर्ति की गई मात्रा*
1	2	3	4
1.	धान		
	आई आर-36	10000	8161
2.	महसूरी	2500	2478
3.	सुरेखा	1500	930

1 2	3	4
4. पी-2-21	600	331
5. रासी	1000	1015
	15600	12915
मक्का		
6. जी-5	1000	1078
7. जी एस-2	250	205
8. डी-103	200	166
9. बी० काम्प●	500	500
10. नवज्योत	200	—
11. पूसा काम्प० 2	200	—
12. अगेती-76	100	95
13. प्रभात	100	—
	2550	2044
बाजरा		
सी सी-75		
14. डब्ल्यू	400	389
15. एम एच-179	—	281
	400	570

● मध्य प्रदेश राज्य बीज तथा फार्म विकास निगम।

16. गेहूं :		
डब्ल्यू एच-147	—	608
17. सोनालिका	—	938
18. एच डी-2285	—	262

1	2	3	4
19.	एच डी-2329	—	183
20.	के० सोना	—	124
21.	लोक-1	—	18
		शून्य	2133
1.	मूंग : पी बी	300	574
2.	के०-851	700	594
3.	उरद टी-9	2000	1949
4.	अरहर टी-21	400	728
5.	अरहर आई सी पी एल-87	600	687
6.	अरहर यू पी ए एस-120	—	2
7.	मसूर के-75	—	204
		4000	4738
1.	मूंगफली जे एल-24	2000	1627
2.	सनफ्लावर मार्डन	300	90
3.	तिल पी बी-1	130	139
4.	अरण्ड-अरुणा	250	—
5.	अलसी	—	2
		2680	1858
	कुल योग।	25230	28258

बिहार के सीतामढ़ी जिले में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

5069. श्री नवल किशोर राय :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के सीतामढ़ी जिले के सैदपुर, सोनवर्षा, सुरसन्द, परिहार और नानपुर नामक स्थानों में और मुजफ्फर जिले के औदई नामक स्थान पर सी-डाट इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) सीतामढ़ी जिला :—

सैदपुर : 128 पोर्ट सी-डॉट रैक्स (इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज) पहले ही 9.2.91 से कार्य कर रहा है।

सोनवरसा, सुरसन्द, परिहार : 128 पोर्ट सी-डॉट रैक्स (इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने की योजना है।

नानपुर : नानपुर में इस समय कोई एक्सचेंज नहीं है। न्यूनतम अपेक्षित मांग प्राप्त होने पर नए टेलीफोन एक्सचेंज की योजना बनाई जाएगी।

मुजफ्फरपुर जिला :

सरई : 128 पोर्ट सी-डॉट रैक्स (इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज) 1991-95 के दौरान स्थापित किए जाने के योजना है।

सिविल प्रयोजनों के लिए सेना की तैनाती

5070. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

श्री मुकुल वासनिक :

श्री शरद दिघे :

श्री भाग्ये गोवर्धन :

श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिविल प्रयोजनों के लिए कितनी बार सेना तैनात की गयी और उस पर कितना खर्च हुआ;

(ख) ऐसी तैनाती के दौरान सेना के हताहत सैनिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सिविल प्रयोजनों के लिए सेना तैनात किए जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

काकतीय एक्सप्रेस में जला कर मारे गए यात्री

5072. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष हैदराबाद के निकट काकतीय एक्सप्रेस में 45 यात्रियों को जला कर मारने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कारंवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) रेलवे संबंधी अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना सरकारी रेलवे पुलिस की जिम्मेवारी है, जो राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य करती है। संदर्भाधीन अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने तथा उसका पता लगाने की कारंवाई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है।

कीटनाशक दवाइयों के लिए राजसहायता

[हिन्दी]

5073. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कीटनाशक दवाइयों के लिए राजसहायता जारी रखने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का दालों और तिलहनों की फसलों पर कीटों के आक्रमण को रोकने के लिए किसानों को मुफ्त कीटनाशक दवाइयां वितरित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार इस समय निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृमिनाशकों पर किसानों को सबसिडि दे रही है :—

(1) कृषि महत्व के कृमियों और रोगों के नियन्त्रण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना;

(2) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम पर केन्द्र प्रायोजित योजना;

(3) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम पर केन्द्र प्रायोजित योजना;

(4) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन);

(5) चावल विकास के लिए समेकित कार्यक्रम;

(6) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का और कदन्न);

(7) गहन कपास विकास कार्यक्रम; और

(8) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम ।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत रसायनों की लागत का 50 प्रतिशत की दर से पौध संरक्षण पर सबसिडि दी जाती है, बशर्ते कि वह कुछ निर्धारित सीमाओं के भीतर हो।

सरकार इस समय इन कार्यक्रमों को जारी रखने का विचार रखती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मध्यपूर्व के देशों का दौरा

[अनुवाद]

5074. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री बलराज पासी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के एक प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में मध्यपूर्व के अनेक देशों का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) "सेल" के अपर निदेशक, निर्यात प्रभाग के नेतृत्व में "सेल" के दल ने जुलाई-अगस्त, 1991 में दौरा किया था। दल ने बाजार स्थिति का जायजा लिया और उन देशों में इस व्यवसाय की संभावनाओं तथा प्रतिस्पर्धा आदि की स्थिति का अध्ययन किया और इस क्षेत्र के देशों में "सेल" के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए दुबई में वेयरहाउसिंग सुविधाएं और/अथवा प्रेषण एवं बिक्री एजेंसी स्थापित करने की सिफारिश की है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चण्डीगढ़ से पासपोर्टों का गायब हो जाना

5075. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री बलराज पासी :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ से कुछ पासपोर्ट गायब हो गए हैं;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी घटनाएं कितनी बार घटित हुई है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1989 से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ से 34 पासपोर्ट गुम पाए गए हैं। ये पासपोर्ट नवीकरण/विविध सेवाओं के लिए उक्त कार्यालय को भेजे गए थे और बाद में पाया गया कि ये पासपोर्ट वहां पर मिल नहीं रहे हैं। इन 34 पासपोर्टों के गुम होने का पता अलग-अलग अवसरों पर (13.4.89, 30.7.91 और 7.8.91) लगा। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त सभी मामलों में स्थानीय पुलिस में छान-बीन करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं और इस छानबीन के परिणाम की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। पासपोर्टों को सुरक्षित अभिरक्षण में रखने के लिए सभी पासपोर्ट कार्यालयों को मौजूदा हिदायतें एक बार फिर दी गई हैं। पासपोर्ट अधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि भविष्य में जब उनके कार्यालय में पासपोर्ट नहीं मिल रहे हों तो वे इस संबंध में स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करा दें।

विवरण

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चण्डीगढ़ से गायब 34 पासपोर्टों का ब्यौरा

क्र०सं०/आवेदक का नाम		फाइल संख्या
1	2	3
1.	तारावती सिंघला	आर ई/1074/89
2.	रोमिन्द्र कौर रंधावा	आर ई/3884/89
3.	बलजीत कौर	आर ई/4038/89
4.	कर्ण सिंह दलाल	आर एल/4375/89
5.	सन्तोष कपूर	आर ई/5687/89
6.	धर्मपाल कपूर	आर ई/5686/89
7.	दर्शन सिंह	आर ई/6305/89
8.	बलजीत कुमार	आर ई/6562/89
9.	आनन्द स्वरूप वर्मा	आर ई/7403/89
10.	ऊधा राम भगत	आर ई/10018/89
11.	सुशील कुमार	आर ई/10021/89
12.	इन्दु महाजन	4294/89

1	2	3
13.	मदन मोहन कपिला	17132/91
14.	रेखा कपिला	17133/91
15.	कृष्ण कौर	15415/91
16.	जतिन्द्र कौर	—
17.	स्वरूप चन्द गुप्ता	12048/91
18.	जया गुप्ता	16359/91
19.	रामेश्वर कुमार विज	पी॰ सी॰ सी॰/729/91
20.	शालु ओसवाल	16101/91
21.	रघुवीर चरणजीत कौर	15532/91
22.	मोहन सिंह बरार	11557/91
23.	हरजोत कौर सिन्धु	7905/91
24.	आदर्श दत्ता	8483/91
25.	कुन्दन सिंह सोहल	14514/91
26.	बलबीर कौर	आर ई/5780/91
27.	कृष्ण दत्त कालिया	आर ई/678[illegible]/91
28.	मनमोहन सिंह	आर ई/7814/91
29.	करतार सिंह	आर ई/10341/91
30.	निरंजन सिंह	आर ई/16645/91
31.	रीतनाथ	आर ई/14839/91
32.	तेज प्रताप सिंह	आर ई/14840/91
33.	गोपाल कृष्ण ऋषि	पी॰ सी॰ सी॰/553/91
34.	गुरदयाल कौर	बी/18017
(क)	क्रम सं॰ 1 से 11 तक के पासपोर्ट	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 6.6.89 को इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था।
(ख)	क्रम सं॰ 12 से 25 तक के पासपोर्ट	पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट 30.7.91 को दर्ज की गई।
(ग)	क्रम सं॰ 26 से 34 तक के पासपोर्ट	पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट 7.8.91 को दर्ज कराई गई।

मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

5076. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान सिंचित भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन विकास मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र-विशेष के साथ नहीं जोड़ी जाती। योजना आयोग के कार्यदल ने वर्ष 1991-92 के दौरान सिंचाई क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश को 52:.74 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा दर्शाए गए निष्पादन पर लघु सिंचाई स्कीम के लिए तथा कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चौथे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करना

5077. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि यदि पति पत्नी सरकारी कर्मचारी हों तो उन दोनों की नियुक्ति एक ही स्थान पर की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सिफारिश केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में लागू की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

फिलीपीन्स के ज्वालामुखी क्षेत्र में भारतीय

[अनुवाद]

5078. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलीपीन्स के ज्वालामुखी क्षेत्र में कुल कितने भारतीय हैं; और

(ख) उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) पीनातुबो के आसपास रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की सही-सही संख्या तो मालूम नहीं है, लेकिन अनुमानतः इनकी संख्या 40 होगी।

(ख) लावा फूटने वाले इलाकों में रहने वाले भारतीयों को मनीला स्थित हमारे राजदूतावास ने यह सलाह दी है कि वे सुरक्षित स्थानों को चले जाएं तथा स्थानीय प्राधिकारियों के निदेशों का पालन करें। लावा फूटने के कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

जलाशयों की "लाइव स्टोरेज कैपेसिटी"

5079. डा० सी० सिलवेरा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख जलाशयों की "लाइव स्टोरेज कैपेसिटी" में पर्याप्त वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देश में 56 महत्वपूर्ण जलाशयों, जिनके लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भण्डारण स्थिति का प्रबोधन किया जाता है, में से 44 जलाशयों में सक्रिय भण्डारण पिछले अनेक वर्षों के उनके औसत सक्रिय भण्डारण से अधिक है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	जलाशय का नाम	राज्य का नाम	टी०एम०क्यूमेक में पूर्ण जलाशय स्तर पर सक्रिय क्षमता	इस वर्ष सक्रिय क्षमता (टी.एम.-क्यूमेक)	पिछले अनेक वर्षों की औसत सक्रिय क्षमता (टी.एम.-क्यूमेक)	पिछले वर्षों की सक्रिय क्षमता के औसत की तुलना में इस वर्ष क्षमता का %	पिछले वर्षों के संदर्भ में सक्रिय भण्डारण (अधिक/कम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्रीसेलम	आंध्र प्रदेश	8.288	7.357	5.306	138	अधिक
2.	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश	6.841	6.377	4.126	155	अधिक
3.	श्रीरामसागर	आंध्र प्रदेश	2.300	1.542	0.942	164	अधिक
4.	सोमसिला	आंध्र प्रदेश	1.994	0.536	(—)0.022 मि.ज.	2436	अधिक
5.	तेनुघाट	बिहार	0.821	0.237	0.272 स्तर से	87	कम
6.	मैथोन	बिहार	0.571	0.404	0.511 नीचे	79	कम
7.	पनचेट हिल	बिहार	0.223	0.442	0.295	150	अधिक
8.	कोनार	बिहार	0.275	0.196	0.179	109	अधिक
9.	तिलैया	बिहार	0.319	0.092	0.135	68	कम
10.	उकई	गुजरात	7.100	3.576	5.012	71	कम

1	2	3	4	5	6	7	7
11.	साबरमती	गुजरात	0.778	0.715	0.352	203	अधिक
12.	कडाना	गुजरात	1.202	1.048	0.770	136	अधिक
13.	शतरंजी	गुजरात	0.343	0.073	0,095	77	कम
14.	भादर	गुजरात	0.199	0,109	0,051	214	अधिक
15.	गोबिन्दसागर	हिमाचल प्रदेश	7.172	5.422	4.918	110	अधिक
16.	पोंग बांध	हिमाचल प्रदेश	7.119	4.462	4.122	108	अधिक
17.	कृष्णा राजा सागर	कर्नाटक	1.163	1.105	0.773	143	अधिक
18.	तुंगभद्रा	कर्नाटक	3.276	3.248	2.747	118	अधिक
19.	घट प्रभा	कर्नाटक	1,391	1.390	1.152	121	अधिक
20.	भादरा	कर्नाटक	1.785	1.735	1.006	172	अधिक
21.	लिंगनोमक्की	कर्नाटक	4.294	4.003	2.457	163	अधिक
22.	नरायणपुर	कर्नाटक	0.863	0.422	0,331	127	अधिक
23.	मालप्रभा	कर्नाटक	0.972	0.833	0.448	186	अधिक
24.	काबिनी	कर्नाटक	0.275	0.257	0.188	137	अधिक
25.	हेमावती	कर्नाटक	1.013	0.931	0.668	139	अधिक
26.	हरंगी	कर्नाटक	0,220	0.200	0,172	116	अधिक
27.	इदनामलायार	केरल	1.018	0,599	0.474	126	अधिक
28.	इडुक्की	केरल	1,460	0,953	0,612	156	अधिक

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	गांधी सागर	मध्य प्रदेश	6,827	5.112	1.510	339	अधिक
30.	तवा	मध्य प्रदेश	1.944	1.343	1.404	96	कम
31.	महानदी	मध्य प्रदेश	0.767	0.587	0,415	141	अधिक
32.	जायकवाडी	महाराष्ट्र	2.171	1.883	0.675	279	अधिक
33.	कोयना	महाराष्ट्र	2.677	2,677	2.088	128	अधिक
34.	भीमा	महाराष्ट्र	1.415	0.687	0.730	94	कम
35.	ईसापुर	महाराष्ट्र	0.965	0.313	0,351	89	कम
36.	माला	महाराष्ट्र	0,608	0.542	9.294	184	अधिक
37.	येलदारी	महाराष्ट्र	0.809	0.787	0,310	254	अधिक
38.	खडकवासला	महाराष्ट्र	0.086	0.043	0.050	86	कम
39.	हीराकुंड	उड़ीसा	5.822	2.367	1.910	124	अधिक
40.	बालीमेला	उड़ीसा	2.676	0.847	0.273	310	अधिक
41.	सालान्दी	उड़ीसा	0.558	0.237	0.249	95	कम
42.	रेंगाली	उड़ीसा	3.432	1,537	1.348	114	अधिक
43.	मचकुंड	उड़ीसा	0.893	1.437	0,246	178	अधिक
44.	माही बजाजसागर	राजस्थान	1.833	1.718	0,538	319	अधिक
45.	झाकम	राजस्थान	0.132	0.083	0.056	148	अधिक
46.	राणा प्रताप सागर	राजस्थान	1.573	0.090	0.484	225	अधिक

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	लोअर भवानी	तमिलनाडु	0.929	0.517	0.295	175	अधिक
48.	मेत्तूर	तमिलनाडु	2.647	2.533	0.941	269	अधिक
49.	वेगई	तमिलनाडु	0.194	0.073	0.064	114	अधिक
50.	परमबीकुलम	तमिलनाडु	0.380	0.301	0.167	180	अधिक
51.	अलियार	तमिलनाडु	0.095	0.057	0.027	211	अधिक
52.	माताटीला	उत्तर प्रदेश	0.750	0.558	0.384	145	अधिक
53.	रामगंगा	उत्तर प्रदेश	2.053	0.761	0.556	137	अधिक
54.	रिहन्द	उत्तर प्रदेश	8.967	7.736	5.014	154	अधिक
55.	मयूराक्षी	पश्चिम बंगाल	0,547	0,331	0.304	43	कम
56.	कंगसाबती	पश्चिम बंगाल	0.914	0.298	0.521	57	कम

नि० ज० स्तर से नीचे—निष्क्रिय जलाशय स्तर से नीचे।

उड़ीसा में सुरंग दुर्घटना

5080. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कालाहांडी जिले में हाल में हुई सुरंग दुर्घटना में कितने लोग डूब गए थे;

(ख) क्या दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बाढ़ आने के समय ठेकेदार के 16 कर्मचारियों के सुरंग के अन्दर फंस जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनके मर जाने की आशंका है। तथापि, केवल 14 शव ही प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने मुख्य मन्त्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के शोक संतप्त परिवार को 25,000 रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा की है। नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ने नियमों के तहत स्वीकार्य सामान्य मुआवजे के लंबित होने तक मृत कर्मचारियों के निकट संबंधी को तत्काल राहत के रूप में 3000 रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा भी की है। सहायक श्रम आयुक्त, जसपुर ने 10.72 लाख रु० का अनन्तिम मुआवजा प्रदान किया है। प्रत्येक मृतक के परिवार से एक सदस्य को रोजगार भी देने के वास्ते राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

(घ) से (छ) राज्य सरकार ने विकास आयुक्त को दुर्घटना की विस्तृत जांच करने का कार्य सौंपा है। इस कार्य में तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल विकास आयुक्त की सहायता करेगा। जांच की रिपोर्ट 2 महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत की जानी है। केन्द्रीय सरकार का एक जांच समिति गठित करने का भी विचार है। इसके विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उल्फा से बातचीत

5081. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा (उल्फा) तथा असम के अन्य उग्रवादी संगठनों से बातचीत आरम्भ करने हेतु कोई नई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) असम के मुख्य मन्त्री ने 8-7-91 को दूरदर्शन/आकाशवाणी पर निम्नलिखित घोषणाएं की :—

1. उल्फा नजरबंदियों को, जिनके विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं है, तुरन्त रिहा कर दिया जाएगा।

2. यदि उल्फा अपने हथियार त्याग दे और बातचीत के लिए राजी हो जाएं तो सरकार उन सभी उल्फा नजरबंदियों को, जो जघन्य अपराधों में अर्न्तग्रस्त हैं, रिहा कर देगी और आम माफी दे देगी।

3. यदि आवश्यक हुआ तो सरकार, उल्फा पर लगे प्रतिबन्ध हटाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करेगी। उपरिलिखित घोषणा के अनुसरण में लगभग 450 नजरबंदियों को सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया। तथापि, उल्फा ने अभी तक सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है।

हरियाणा में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

5082. **श्री राम प्रकाश चौधरी :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान हरियाणा में खोले गए डाकघरों और उप डाकघरों की जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ख) 1991-92 के दौरान, हरियाणा में जिले-वार कितने डाकघर और उप डाकघर खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) हरियाणा में 1991-92 में 25 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 6 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1991-92 के दौरान 4 विभागीय उप डाकघर खोले जा चुके हैं। इनमें से 3 गुड़गांव में और 1 फरीदाबाद में खोला गया है। इस दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर भी खोला गया है। इसके अलावा, हरियाणा में 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले संभावित विभागीय उप डाकघरों की जिलावार संख्या, बशर्ते कि उनका औचित्य हो, तथा 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

1990-91 के दौरान हरियाणा में खोले गए डाकघरों और उप डाकघरों का जिले-वार ब्यौरा।

क्र० सं०	जिले का नाम	उप डाकघर	1990-91 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या
1.	गुड़गांव	1	8
2.	यमुनानगर		2
3.	कुरुक्षेत्र		4
4.	कथल		3
5.	करनाल		3
6.	जींद		3
7.	सोनीपत		1
8.	रोहतक		2
9.	भिवानी		3
10.	हिसार		4
11.	सिरसा		2
12.	महिंद्रगढ़		1
13.	फरीदाबाद		1

विवरण-2

जिले का नाम	डाक घर की श्रेणी उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
अम्बाला	2	2
हिसार	1	2
करनाल	1	3
भिवानी	1	2
फरीराबाद	1	2
रोहतक	1	1

जिले का नाम	डाकघर की श्रेणी उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
सिरसा		3
गुड़गांव		3
यमुनानगर		1
जींद		1
महेंद्रगढ़		1
रिवाड़ी		1
सोनीपत		1
कुरुक्षेत्र		1
कैथल		1

हरियाणा को दिल्ली से एस० टी० डी० सुविधा द्वारा जोड़ना

5083. **श्री राम प्रकाश चौधरी :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें 1990-91 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा द्वारा दिल्ली से जोड़ा गया है; और

(ख) 1991-92 के दौरान हरियाणा में किन-किन स्थानों को दिल्ली से एस० टी० डी० सुविधा द्वारा जोड़ा गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) (क) डववाली, नरवाना और कैथल।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान छः और स्थानों जैसे—नारायणगढ़, बरारा, कुण्डली, गोहाना, छाछरोली चोटाला और कुरुक्षेत्र को दिल्ली से एस० टी० डी० सुविधा द्वारा जोड़ने की योजना है।

अनुसूचित जनजातियों को कथित रूप से सामान्य श्रेणी में गिनना

[अनुवाद]

5084. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे एवं निवास कर रहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार से आए अनुसूचित जनजातीयों के अनेक लोगों को 1991 की जनगणना कार्य के दौरान सामान्य श्रेणी में गिना गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजातियों की कोई अधिसूचित सूची नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप 1991 की जन-गणना में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति की अनुसूचित जनजाति के रूप में गणना नहीं की गई।

राजस्थान में डाक तथा तार घरों की स्थापना

[हिन्दी]

5085. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में कितने डाक तथा तार घर एवं टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने डाक तथा तारघर एवं टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान राजस्थान में खोले गए डाकघरों, तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नलिखित है :—

डाकघर	175
तारघर	349
टेलीफोन एक्सचेंज	270

(ख) हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1.4.1992 से शुरू होगी। हाल ही में निर्धारित आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1991-92 में राजस्थान में 125 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 12 उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। 8वीं योजना के दौरान राजस्थान में 250 टेलीफोन एक्सचेंज और 16 विभागीय तारघर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा काफी संख्या में चुने हुए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों पर फोनोकाम तार सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस सेवा की व्यवस्था जनता की मांग पर निर्भर करेगी।

झींगा मछली पालन

[अनुवाद]

5086. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी तट के साथ-साथ उपलब्ध परित्यक्त खारे पानी में झींगा मछली पालन की काफी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र में झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उस राज्य में झींगा मछली पालन में कितने लोगों को रोजगार दिया गया तथा उसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई; और

(घ) इस संबंध में भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी हां, उड़ीसा के पास 80,000 हेक्टेयर खारे जल क्षेत्र की शक्यता है ।

(ख) उड़ीसा में झींगा पालन के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में कुछ निम्नलिखित हैं ।

1. बालासौर जिला में सर्था (चरण-1 और 2), पुरी जिला में मुदिरथ (चरण-1 और 2) और कटक जिला में मौजा जम्बू में झींगा फार्मों की स्थापना ।
2. बालासौर कटक, गंजम और पुरी जिलों में खारा पानी मछली पालन विकास एजेंसियों की स्थापना।
3. गंजम जिला में गोपालपुर तथा पुरी जिला में चन्द्रबधा में झींगा डिम्ब हैचरियों की स्थापना ।
4. झींगा पालन आदि के उपयुक्त क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए विभव खारा जल क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना; आदि

(ग) पिछले तीन वर्षों में, बालासौर, कटक, गंजम और पुरी जिलों की खाराजल मछली पालक विकास एजेंसियों ने लगभग 49 लाख मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया किया है, 7080 हेक्टेयर क्षेत्र झींगा पालन के तहत लाया है तथा लगभग 1000 झींगा पालकों को प्रशिक्षण दिया है ।

(घ) उड़ीसा में झींगा पालन विस्तार के लिए बनाई गई भावी योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से प्रतिवर्ष चार जिलों में से प्रत्येक में कम से कम 50 हेक्टेयर क्षेत्र झींगा पालन के तहत लाना;
2. विश्व बैंक सहायता से पूर्व तटीय राज्यों, जिनमें उड़ीसा शामिल है, में खारा जल झींगा पालन परियोजना को हाथ में लेना । परियोजना अभी मूल्यांकन की अवस्था में है; और
3. अर्द्ध संघन झींगा फार्म, झींगा डिम्ब हैचरियों तथा झींगा आहार मिलों की स्थापना के लिए सभी श्रेणी के किसानों, जिसमें छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, प्रौद्योगिकीविदों तथा निजी उद्यमियों को वित्तीय सहायता जुटाना, मछली पालन के लिए संसाधन सुविधाओं का उन्नयन तथा मानवशक्ति संसाधनों का विकास ।

बोक्साइट के भण्डार

5087. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर उड़ीसा और बिहार में राज्य-वार अनुमानतः कितने बॉक्साइट भण्डार का पता चला है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य-वार उसके समुचित खनन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) ओड़िसा और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में बाक्साइट भण्डारों की जानकारी संलग्न विवरण-1 में है।

(ख) बाक्साइट का खनन इस समय एल्यूमिनियम, सीमेंट, रिफ्रेक्ट्री, अपघर्षी और रसायन उद्योगों और साथ ही निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए खनन पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत, जिसमें बाक्साइट सहित खनिजों के उचित विदोहन का प्रावधान है, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं।

वर्ष 1988-90 के दौरान, बाक्सइट खानों की राज्य-वार संख्या और उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण-2 में हैं।

विवरण

बाक्साइट के राज्य-वार भण्डार

(हजार टन में)

राज्य का नाम	प्रमाणित	संभावित	संभाव्य	योग
आंध्र प्रदेश	78,899	148,634	228,305	455,838
बिहार	21,379	15,398	26,742	63,519
गोआ	9,151	11,975	11,133	32,259
गुजरात	35,353	3,706	48,364	87,423
जम्मू और कश्मीर	85	301	2,904	3,290
कर्नाटक	1,259	10,490	15,249	26,990
केरल	463	4,481	3,682	8,626
मध्य प्रदेश	59,717	30,754	36,334	126,805
महाराष्ट्र	57,798	13,067	16,856	87,721
ओड़िसा	281,351	211,773	877,329	1370,453
राजस्थान	—	—	79	79
तमिलनाडु	4,122	11,075	2,014	17,211
उत्तर प्रदेश	5,193	250	3,977	9,420

(स्रोत : भारतीय खनिज वार्षिक अंक—1990)

विवरण-2

भारत में बाक्साइट खनन

(उत्पादन टन में)

1988 से 1990 के दौरान खानों की संख्या और उत्पादन

राज्य	खानों की संख्या	1988	1989		1990	
		मात्रा	खानों की संख्या	मात्रा	खानों की संख्या	मात्रा
बिहार	133	4013,427	194	4471,458	189	4837,293
बिहार	26	832,329	25	721,764	31	861,480
गोआ	4	7,975	2	28,245	3	24,676
गुजरात	84	435,785	89	549,359	82	830,278
जम्मू और कश्मीर	1	35	1	12	—	—
कर्नाटक	2	18,501	3	19,301	3	5,4880
मध्य प्रदेश	64	566,298	60	485,879	56	526,050
ओड़िसा	2	1539,810	2	2045,219	3	1853,157
तमिलनाडु	6	76,979	7	83,170	7	123,290
महाराष्ट्र	4	535,715	5	538,509	4	563,482

(स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो)

मध्य प्रदेश में डाकघरों का खोलना

[हिन्दी]

*5088. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में जिलेवार कितने डाकघर और उप डाकघर खोले गए; और

(ख) इस संबंध में 1991-92 के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मध्य प्रदेश में 1991-92 में 150 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 10 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि इनका औचित्य हो।

विवरण

अनुबंध "क"

मध्य प्रदेश में 1990-91 के दौरान खोले गए डाकघरों और उप डाकघरों का जिलेवार विवरण।

क्र० सं०	जिले का नाम	खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या	खोले गए उप डाकघर
1	2	3	4
1.	दुर्ग	5	—
2.	बिलासपुर	10	—
3.	शहडोल	10	1
4.	बालघाट	3	—
5.	रायपुर	2	—
6.	रायगढ़	3	1
7.	रीवा	1	—
8.	छिंदवाड़ा	2	—
9.	रतलाम	1	1
10.	गुना	8	—
11.	धार	4	—

1	2	3	4
12.	देवास	1	—
13.	मंदसौर	3	—
14.	इन्दौर	—	2
15.	टीकमगढ़	—	1
16.	सागर	—	1

मध्य प्रदेश को दिल्ली के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़ना

5089. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या हैं जिन्हें 1990-91 के दौरान दिल्ली के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़ा गया है; और

(ख) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या है जिन्हें 1991-92 के दौरान दिल्ली के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़े जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) बालाघाट, नागदा, झबुआ, बरसिया, आदमपुर, निसरीद और अब्दुल्लागंज को वर्ष 1990-91 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा के साथ जोड़ दिया गया है।

(ख) 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के 14 और स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके नाम इस प्रकार हैं :—दमोह (जोड़ दिया गया है।), मांडला, गुना, शिवपुरी, बेतुल, सीधी, छतरपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, राजगढ़, शहडोल, शाजापुर, टीकमगढ़ और सिंगरौली।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन

5090. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के क्योंझर जिले में कितने ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्योंझर जिले में 41 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई।

वर्षा पर आधारित खेती

5091. **श्री मंजय लाल :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर किसान वर्षा से सिंचित होने वाले क्षेत्रों में खेती करते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने किसान वर्षा पर आधारित खेती करते हैं तथा वे कितने प्रतिशत हैं;

(ग) क्या सिंचित खेतो की तुलना में वर्षा पर आधारित खेती से होने वाला उत्पादन औसत से कम होता है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की भूमियों पर खाद्यान्न का पृथक-पृथक औसत उत्पादन कितना होता है; और

(ङ) वर्षा से सिंचित भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) कृषि संगणना 1985-86 के अनुसार देश की 94.91 मिलियन क्रियात्मक जोतों में से 41.88 मिलिन (44.12%) जोतों में आंशिक या पूर्णरूप से सिंचाई की गई थी और 53.03 मिलियन (55.88%) जोतें असिंचित रहीं।

(ग) और (घ) जी हां। सिंचित और असिंचित भूमियों में खाद्यान्न पैदावार का औसत उत्पादन निम्नलिखित है :—

फसल	औसत पैदावार (कि० ग्रा०/हेक्टेयर) 1988-89	
	सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र
1. चावल	1686	1191
2. गेहूं	2065	1174
3. मक्का	1497	1225
4. ज्वार	1112	665
5. बाजरा	1365	799
6. रागी	1826 (1985-86)	958
7. जौ	1600 (1985-86)	1179
8. चना	882	664

(ङ) सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, यथा

1. अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान परियोजना।
2. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
3. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

4. मरुस्थल विकास कार्यक्रम।

5. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।

6. तिलहन विकास कार्यक्रम।

7. चावल, मक्का, कदन्न आदि संबंधी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम।

इस्पात उत्पादन की लागत

5092. श्री संजय लाल :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के बजट प्रस्तावों को देखते हुए इस्पात के मूल्य में वृद्धि की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना है;

(ग) क्या देश में इस्पात की उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इस्पात उत्पादन की लागत में ईंधन, कच्चे माल, परिवहन, प्रशासनिक व्यय, श्रम और करों का कितना योगदान है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) "सेल" संयंत्रों के संबंध में उत्तर निम्नानुसार है :

जी, हां।

(ख) हाल के रेलवे तथा केन्द्रीय बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप लोहे तथा इस्पात के उत्पादन मूल्यों में लगभग 1.5% की वृद्धि हो जाएगी।

(ग) और (घ) इस्पात का उत्पादन करने वाले अन्य देशों में इस्पात के उत्पादन के मूल्य की प्रामाणिक एवम् तुलनात्मक सूचना उपलब्ध न होने से इन देशों के साथ भारत में इनके उत्पादन लागत की तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ङ) "सेल" के बाद एकीकृत इस्पात संयंत्रों के इस्पात की कुल उत्पादन लागत में निम्नलिखित विभिन्न घटक सन्निहित हैं :—

लागत-घटक		कुल लागत का प्रतिशत (लगभग)
कोककर कोयले सहित ईंधन	—	22
कच्चा माल	—	8
परिवहन (केवल आवक)	—	9
प्रशासनिक खर्च	—	3
श्रमिक	—	15
कर	—	11

दिल्ली बिक्री कार्यालय द्वारा व्यापारियों को इस्पात के वितरण में तथाकथित अनियमितताएं

[अनुवाद]

5093. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**

श्री रमेश चन्द तोमर :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की खपत वाली उन 20 शीर्षस्थ इकाइयों का ब्योरा क्या है जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की नई दिल्ली स्थित शाखा बिक्री कार्यालय द्वारा इस्पात-मदों का आवंटन किया गया था और उक्त अवधि में प्रत्येक इकाई को प्रति तिमाही मात्रा-वार एवं मद-वार कितना इस्पात आवंटित किया गया;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा इस्पात की खपत वाली विभिन्न इकाइयों/व्यापारियों को इस्पात मदों का आवंटन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को इस्पात वितरण में कोई अनियमिताएं होने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पृथक-पृथक उपभोक्ता को सप्लाई की गई सामग्रियों का ब्योरा सार्वजनिक रूप से देना व्यवसाय नीति के अनुसार उचित नहीं है।

(ख) सेल, अपने दिल्ली स्थित शाखा विक्रय कार्यालय सहित संयुक्त संयंत्र समिति के वितरण सम्बन्धी मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस्पात मदों की सप्लाई करता है। व्यापारी इस प्रकार की बिक्री की सेवा-शर्तों के अनुसार जे० पी० सी०/स्टाकयार्ड मूल्यों पर इस्पात की उन मदों को उठा सकते हैं जो समय-समय पर "फ्री सेल नोटिस" के अन्तर्गत रखी जाती हैं।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों में इस्पात वितरण में अनियमितताओं के संबंध में कुछ आरोप-पत्र प्राप्त हुए और उन आरोप-पत्रों की समय-समय पर जांच की गई। सरकार को शाखा विक्रय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान संयुक्त संयंत्र समिति के वितरण में की गई अनियमतताओं के सम्बन्ध में कोई प्रमाण-नहीं मिला।

गुजरात के पाटन में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

5094. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के पाटन में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और वहां एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) पाटन में 1992-93 के दौरान 3000 लाइनों की क्षमता का एक नया, क्रासबार टाइप का टेलीफोन एक्सचेंज (इलेक्ट्रानिक नहीं) चालू करने की योजना है। पाटन से एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

वर्ष 1992 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शन देना

[हिन्दी]

5096. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1992 के दौरान राज्यवार कितने नये टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान 7 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की योजना है। राज्यवार कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिया गया है। 1992 की शेष अवधि का कार्यक्रम 1992-93 की वार्षिक योजना का अंग होगा और यह योजना अभी तैयार नहीं की गई है।

विवरण

1991-92 के दौरान प्रदान किए जाने वाले राज्यवार नए टेलीफोन कनेक्शन।

क्र० सं०	राज्य का नाम	1991-92 के दौरान प्रदान किए जाने वाले नए टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	37771
2.	असम	16299
3.	बिहार	22747
4.	गुजरात, दमन द्वीव और दादरा तथा नगर हवेली	45323
5.	हरियाणा	17371
6.	हिमाचल प्रदेश	8283
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3987
8.	कर्नाटक	32309
9.	केरल लक्ष्यद्वीप सहित	40445

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	59088
11.	महाराष्ट्र गोवा सहित	112221
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा)	8679
13.	उड़ीसा	9589
14.	पंजाब, चंडीगढ़ सहित	25458
13.	राजस्थान	36797
16.	तमिलनाडु, पांडिचेरी सहित	34138
17.	उत्तर प्रदेश	68932
18.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सहित	50725
19.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	70169
	योग=	700331

सी-डॉट की कार्य-प्रणाली

[अनुवाद]

5097. **श्री वीरेन्द्र सिंह :**

श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डॉट, समयबद्ध कार्यक्रम को सुविधा प्रदान करने के लिए नियमों को उदार बनाए जाने के बावजूद अपने मूल उद्देश्यों को कार्यान्वित नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सी-डॉट द्वारा उत्तरोत्तर रूप से डिजिटल स्विचिंग प्रणाली श्रेणी के विकास के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है और स्वदेशी घटकों का अधिकतम प्रयोग करने का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। मोडयुलर दृष्टिकोण का सिद्धान्त अपनाते हुए सी-डॉट ने सफलतापूर्वक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, रूरल आटो-

मेटिक एक्सचेंज और 10,000 लाइनों तक की क्षमता के मुख्य एक्सचेंजों का डिजाइन तैयार किया है। सी-डॉट ने एक सक्षम अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना की है और देश में बहुत से विनिर्माताओं द्वारा सी-डॉट डिजाइन के उपस्कर का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। बड़े आकार के मुख्य एक्सचेंजों के विकास में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ख) आधुनिक डिजिटल स्विचिंग प्रणाली के डिजाइन और विकास का कार्य एक जटिल कार्य है और सी-डॉट की यह प्रक्रिया नए सिरे से आरम्भ करनी पड़ी क्योंकि यह एक नवगठित संगठित था। डिजिटल स्विचिंग प्रणाली के विकास के लिए सी-डॉट द्वारा लिया गया समय अन्य संगठनों द्वारा इसी प्रकार के उत्पाद के विकास में लिए गए समय से कम था।

(ग) विकास कार्यक्रम को तेज करने केलिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सी-डॉट ने अपनी परियोजनाओं की स्थिति की पहले ही समीक्षा कर ली है और उनको पूरा करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंजों तथा उपकरणों का आयात

5098. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों तथा उपकरणों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और वर्ष 1992-93 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा बचत करने के उद्देश्य से टेलीफोन एक्सचेंजों के उपकरणों का स्वदेश में निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1988-89	36.71
1989-90	27.27
1990-91	16.11

पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन उपकरणों का कोई आयात नहीं किया गया। 1992-93 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) देश में पहले ही बहुत से टेलीफोन एक्सचेंज घटकों का विनिर्माण निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र विनिर्माताओं द्वारा किया जा रहा है। केवल कुछ गर स्वदेशी उपलब्ध घटकों का कारखाना मूल्य पर आयात किया जा रहा है।

पासपोर्ट कार्यालयों की आय और व्यय

5099. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1990-91 के दौरान देश में प्रत्येक कार्यालय की आय और व्यय का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1990-91 के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा अर्जित राजस्व और उनके द्वारा किया गया व्यय

क्र०सं० पासपोर्ट कार्यालय	राजस्व	व्यय
1. अहमदाबाद	85,84,723.00	31,21,878.00
2. बंगलौर	58,66,964.00	32,77,028.00
3. बरेली	52,02,22.700	22,49,875.00
4. भोपाल	15,83,640.00	9,24,203.00
5. भुवनेश्वर	5,01,272.00	5,80,056.00
6. बम्बई	2,17,19,417.00	69,98,864.00
7. कलकत्ता	46,00,275.00	25,04,741.00
8. चंडीगढ़ शिमला	75,23,852.00	36,45,247.00
9. कोचीन त्रिवेन्द्रम	1,00,74,539.00	46,87,978.00
10. दिल्ली	1,10,88,255.00	68,83,624.00
11. गुवाहटी	4,74,811.00	7,60,654.00
12. हैदराबाद	82,76,354.00	40,17,826.00
13. जयपुर	46,24,308.00	20,59,694.00
14. जालंधर	84,16,799.00	39,43,899.00
15. कोजीकोड	87,05,815.00	32,74,028.00
16. लखनऊ	44,02,756.00	27,90,882.00
17. मद्रास	67,82,212.46	39,10,512.00
18. नागपुर	5,08,121.15	5,91,686.00
19. पणजी (गोवा)	12,34,591.00	15,82,112.00
20. पटना	15,98,341.00	11,10,352.00
21. त्रिचुनापल्ली	93,11,329.09	23,20,759.00

मसालों की खेती

5100. **श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा किसानों को प्रोत्साहन देने और इन्हें प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : 1991-92 के दौरान 451.30 लाख रुपए के परिव्यय से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राज्यों में तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में मसालों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र का एकीकृत कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में मसाले की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत, किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) काली मिर्च, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च, पैपरिका, धनिया, सफेद जीरा, सौंफ, मेथी, सैलरी, लौंग, जायफल तथा दालचीनी की पौधरोपण सामग्रियों का उत्पादन तथा इमदादी दर पर उनका वितरण।

(2) काली मिर्च के उत्पादकों को 125/- रुपए के आदान किटों की 25/- रुपए के टोकेन मूल्य पर आपूर्ति तथा 50% राजसहायता प्राप्त मूल्य पर पादम रक्षण स्प्रेयरों का वितरण।

(3) उच्च उपज वाली किस्मों की खेती तथा खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को बढ़ावा देने के लिए लागत की 20% पर मिनिकिट दिए जाते हैं। मिनिकिट में धनिया, सफेद जीरा, सौंफ, मेथी और सैलारी के लिए उर्वरक, बीज और पौध रक्षण रसायन शामिल है।

(4) राजसहायता के रूप में पहले वर्ष मे सुधार लागत का 50% और द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, प्रत्येक में 25% देकर केरल में पुराने काली मिर्च के बागान का सुधार।

(5) उत्तर-पूर्वी राज्यों, जिसमें पश्चिमी बंगाल शामिल है में मसालों के 7 प्रदर्शन सह संतति फलोद्यानों की स्थापना तथा अनुरक्षण ताकि उक्त क्षेत्र में प्रमुख मसालों के विकास के लिए मज़बूत आधार जुटाया जा सके।

सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए केन्द्रीय सहायता

5101. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए विभिन्न राज्यों को दी गयी केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्यवार दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सिंचाई सेक्टर के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 के रूप में दिया गया है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों तथा लघु सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों को प्रदान की गयी विशेष केन्द्रीय सहायता ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) अधिकांश राज्यों के वर्ष 1991-92 के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-1

परिव्यय (करोड़ रुपए में)

क्र०सं० राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	295.00	295.00	295.00
2. अरुणाचल प्रदेश	4.78	5.12	9.20
3. असम	66.52	67.32	68.25
4. बिहार	400.50	389.12	354.44
5. गोआ	19.20	25.51	28.41
6. गुजरात	345.30	363.00	381.90
7. हरियाणा	89.26	80.95	99.20
8. हिमाचल प्रदेश	16.81	20.80	25.35
9. जम्मू एवं कश्मीर	29.31	28.86	33.59
10. कर्नाटक	196.43	214.84	209.40
11. केरल	75.00	69.00	88.45
12. मध्य प्रदेश	395.68	399.54	452.71
13. महाराष्ट्र	528.20	529.80	462.02
14. मणीपुर	18.82	22.15	31.60
15. मेघालय	2.80	3.00	6.71
16. मिजोरम	1.81	1.93	2.62
17. नागालैंड	2.74	3.10	3.23

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	189.13	180.54	239.38
19.	पंजाब	69.32	54.14	66.06
20.	राजस्थान	150.43	159.79	178.09
21.	सिक्किम	1.90	2.00	1.90
22.	तमिलनाडु	74.75	71.47	73.50
23.	त्रिपुरा	9.36	11.05	14.40
24.	उत्तर प्रदेश	415.03	400.40	462.97
25.	पश्चिम बंगाल	74.90	83.03	104.76
	केन्द्र शासित प्रदेश	4.65	4.62	6.51

विवरण-2

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	कमान क्षेत्र विकास			लघु सिंचाई स्कीमें		
		1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	.0498	1.6018	0.5019	1.4482	0.7359	0.2471
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	0.3660	0.0049	—
3.	असम	0.6826	1.0795	1.8523	0.4614	0.4096	—
4.	बिहार	5.8267	13.4054	1.9932	0.058	—	0.1111
5.	गोआ	0.5059	0.6448	—	0.0007	—	—
6.	गुजरात	9.4198	6.5562	5.7683	0.1679	0.1075	0.1512
7.	हरियाणा	5.4304	4.9767	5.1016	0.3487	0.3373	0.2713
8.	हिमाचल प्रदेश	0.5288	0.4256	0.2142	0.0440	0.0641	0.0311
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.9832	0.9753	0.7525	0.7603	1.1957	—
10.	कर्नाटक	8.5652	8.2597	5.0273	0.0417	—	0.0512
11.	केरल	5.3448	3.8950	6.1272	0.2770	0.1537	0.0839

1	2	3	4	5	6	7
12. मध्य प्रदेश	5.7777	9.3278	7.9936	0.5007	0.3058	0.8021
13. महाराष्ट्र	20.1608	17.5151	14.6775	0.5561	1.0347	0.4785
14. मणीपुर	0.3721	0.6250	0.48	0.2976	0.1517	0.0452
15. मेघालय	0.02	0.18	—	0.0311	0.10	0.0134
16. मिजोरम	—	—	—	0.0576	0.1523	0.02
17. नागालैण्ड	—	—	—	0.3410	0.4094	—
18. उड़ीसा	5.1248	—	3.1434	0.1699	0.3434	0.0274
19. पंजाब	—	—	—	0.6138	0.3764	0.0305
20. राजस्थान	27.7873	19.0382	20.6992	0.1402	0.1881	—
21. सिक्किम	—	—	—	—	0.0292	—
22. तमिलनाडु	4.4949	3.9539	3.0428	1.0161	0.2488	—
23. त्रिपुरा	0.0290	0.0240	0.0499	0.0027	0.2469	—
24. उत्तर प्रदेश	24.5919	12.1806	15.0905	0.5631	4.0129	—
25. पश्चिम बंगाल	1.55	1.3501	1.4659	0.0724	0.1622	—
केन्द्र शासित प्रदेश	—	—	—	0.2283	0.0075	—

अधिकतम पानी के प्रावधान हेतु दक्षिणी राज्यों की समिति

5102. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक दूसरे राज्य को अधिकतम पानी प्रदान करने हेतु दक्षिणी राज्यों की एक समिति गठित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) इस पर दक्षिणी राज्यों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने वर्ष 1982 से प्रायद्वीपीय नदियों के अन्तर्बेसिन जल अंतरण तथा 17 जल अंतरण सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु अध्ययन शुरू किए हैं। अभिकरण ने ऐसी 7 सम्पर्कों की पूर्वव्यवहार्यता रिपोर्टें पहले ही तैयार कर ली हैं तथा शेष सम्पर्कों पर रिपोर्टें आठवीं योजना के दौरान पूरी किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) नदी को आपस में जोड़ने के संबंध में प्रस्तावों पर तकनीकी प्रशासनिक समिति की बैठकों, जिनमें संबंधित दक्षिणी राज्यों ने भी भाग लिया, में प्रतिपादन के विभिन्न चरणों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा राज्यों से प्राप्त सुझावों पर उचित ध्यान दिया गया है।

तमिलनाडु में सिंचाई सुविधाओं के बारे में अध्ययन

5103. **श्री आर० रामास्वामी :**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल द्वारा तमिलनाडु में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार का ऐसा कोई अध्ययन कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पूर्व में, केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पूर्व की ओर दिक्परिवर्तन करने की सम्भावनाओं की जांच करने हेतु भारत सरकार द्वारा दो समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की कि महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल की अधिशेष जल ले जाने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बेसिनों का हितकर उपयोग अन्यत्र, विशेषरूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में, किया जा सकता है।

(ग) और (घ) दक्षिणी क्षेत्रों में अधिशेष जल के दिक्परिवर्तन की संभावनाओं पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अन्तर्बेसिन अध्ययन करने के वास्ते राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। प्रायद्वीपीय नदी विकास कार्यक्रम

के अन्तर्गत 17 जल अन्तरण सम्पर्कों पर व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार कर ली गई है। इस अभिकरण ने ऐसे 7 जल अंतरण सम्पर्कों पर पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें पहले ही तैयार कर ली हैं जिनमें पम्बा-अचन कोविल-वैगई सम्पर्क भी शामिल है। इसके क्रियान्वयन से तमिलनाडु के सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ायी जा सकेंगी।

हरियाणा के सोनीपत जिले में संचार सुविधाएं

5105. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के सोनीपत जिले में 31 दिसम्बर, 1988 को कितने डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज थे;

(ख) संचार माध्यमों की संख्या में विगत दो वर्षों के दौरान हुई बढ़ोत्तरी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का भविष्य में इन संचार माध्यमों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) हरियाणा के सोनीपत जिले में 31.12.88 की स्थिति के अनुसार डाकघरों, तारघरों, और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नलिखित है :

डाकघर	170
तारघर	31
टेलीफोन एक्सचेंज	12

(ख) एक डाकघर मार्च, 1991 में खोला गया था। दिनांक 31.12.90 तक 5 टेलीफोन एक्सचेंज और खोले गए। इस अवधि के दौरान कोई नया तारघर नहीं खोला गया।

(ग) 1991-92 के दौरान एक डाकघर, दो तारघर तथा 9 और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है।

मोर्स कोड प्रणाली के माध्यम से तार भेजने की सुविधा

[हिन्दी]

5106. **श्री राम बदन :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के ठेकमा बाजार में मोर्स कोड प्रणाली के माध्यम से तार भेजने की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उस क्षेत्र में लोगों के लिए तार भेजने के लिए कौन सी वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने का है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) आजमगढ़ जिले

के ठेकमा बाजार में फोनोकॉम प्रणाली के माध्यम से तार भेजने की सुविधा पहले ही उपलब्ध है। वर्तमान तार परियात बहुत कम है और इसके कारण मौजूदा प्रणाली का उन्नयन मोर्स कोड प्रणाली में करने का औचित्य नहीं बनता।

नई राज्य पुनर्गठन समिति गठित करना

[अनुवाद]

5107. **श्री मुकुल वासनिक** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान राज्य सीमाओं को बदलने और पृथक राज्यों की स्थापना करने की मांग करने वाले विभिन्न अभ्यावेदनों की जांच करने हेतु कोई नई राज्य पुनर्गठन समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पारगमन संधि

5108. **श्री मुकुल वासनिक** :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल के साथ नए सिरे से व्यापार और पारगमन संधि तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास नेपाल के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिए एक दीर्घकालिक संदर्शी योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फरवरी, 1991 में भारत के प्रधान मन्त्री की नेपाल यात्रा के दौरान लिए गए एक फैसले के अनुसरण में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से भारत-नेपाल उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया है।

(घ) इस कार्य दल की पहली बैठक 4 अगस्त, 1991 को काठमाण्डू में हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच तरह-तरह के द्विपक्षीय आर्थिक मसलों के बारे में बातचीत की गई थी। यह बातचीत अभी जारी है तथा इसके लिए और बैठकें की जाएंगी।

कश्मीर पर अमरीकी कांग्रेस शोध सेवा की रिपोर्ट

5109. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :**

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीर पर अमरीकी कांग्रेस शोध सेवा द्वारा हाल ही में की गई रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

2 अगस्त, 1991 को कांग्रेस की अनुसंधान सेवा (कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस) (सी. आर. एस.) ने "कश्मीर विवाद : मौजूदा संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि" नामक शीर्षक से एक 23 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

कांग्रेस की अनुसंधान सेवा (सी० आर० एस०) अमरीकी कांग्रेस की एक सहायक एजेंसी है। कांग्रेस की अनुसंधान सेवा (सी० आर० एस०) का, जो कांग्रेस के पुस्तकालय का एक अंग है, एकमात्र कार्य समितियों, उनके सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों के अनुरोध पर अनुसंधान, विधानों का विश्लेषण तथा सूचना देना है। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अध्ययनों, रिपोर्टों, संकलनों और ऐतिहासिक संक्षिप्त विवरणों के रूप में निष्पक्ष रूप से ऐसे शोधपत्र उपलब्ध कराएगी। अनुरोध करने पर कांग्रेस की अनुसंधान सेवा विधायी प्रस्तावों तथा मसलों के विश्लेषण में और इन प्रस्तावों के संभावित प्रभावों का आकलन करने तथा उनके विकल्प सुझाने में समितियों की मदद करती है।

यह रिपोर्ट कांग्रेस के कुछ सदस्यों के लिए जनवरी, 1991 में तैयार किए गए ज्ञापन का अद्यतन पाठ है। यह रिपोर्ट कांग्रेस के सदस्य श्री डेविड ड्रेयर (रिपब्लिक पार्टी के सदस्य—केलिफोर्निया) तथा श्री विक फेजिओ (डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य—केलिफोर्निया) के अनुरोध पर तैयार की गई थी।

रिपोर्ट का उद्देश्य इसके लेखकों के दृष्टिकोण से तथाकथित कश्मीर समस्या की तथ्यपरक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देना है। इस रिपोर्ट में जहां उग्रवादियों के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान से आने वाले हथियारों के जिक्र आए हैं वहां वर्तमान स्थिति की समीक्षा तो की गई है लेकिन इस मुद्दे पर उस देश की निन्दा नहीं की गई। इस रिपोर्ट में जनमत संग्रह के सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश की गई है। तथा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आज के संदर्भ में जनमत संग्रह "वर्तमान संकट को हल करने के लिए वास्तविक आधार के रूप में उतना प्रासंगिक नहीं है जितना कि वह पाकिस्तान के लिए बहस के मुद्दे के रूप में अथवा आत्म निर्णय के अन्य प्रस्तावों से भिन्न मुद्दे के रूप में है। कश्मीर समस्या पर समाचार जगत द्वारा दी गई अधिकांश खबरों से इस बात का संकेत मिलता है कि कश्मीरी मुसलमानों में से बहुत कम लोग पाकिस्तान के साथ रहना पसन्द करते हैं, जबकि अप्रभावित अधिसंख्य कश्मीरी पर्याप्त स्वायत्तता अथवा एकदम स्वाधीनता की मांग कर रहे हैं।"

इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि कश्मीर समस्या का संभावित समाधान इस बात में निहित था कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए, जिसका उद्देश्य अर्ध स्वायतता का दर्जा देना है, लेकिन व्यवहार में इस अनुच्छेद को इस कदर निष्प्रभावी कर दिया गया है कि वह अर्थहीन बनकर रह गया है।"

तथाकथित कश्मीर मसले पर भारत की स्थिति सर्वविदित है, अर्थात कश्मीर भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और केवल यही समस्या बाकी है कि इस समय पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र खाली हो। कांग्रेस की अनुसंधान सेवा (सी० आर० एस०) की रिपोर्ट में उसके लेखकों के मत तथा निर्णय हैं और यह जरूरी नहीं है कि वह अमरीकी सरकार की सरकारी स्थिति अथवा कांग्रेस के मतों को परिलक्षित करती है। निस्संदेह, इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत सरकार की स्थिति परिलक्षित करना नहीं है। सरकार इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए अमरीका में नीति निर्धारकों तथा विधायकों और अन्य प्रभावी वर्गों को कश्मीर की वर्तमान घटनाओं के बारे में हमारी मान्यता से अवगत कराने के प्रयास करती रहेगी।

देश में नक्सलवाद से निपटने के लिए नोडल संस्था

5110. **श्री रवि राय :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के नक्सलवाद से निपटने के लिए एक नोडल संस्था स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय एक नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा और वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए उपाय करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगा।

आतंकवाद और अपहरण की घटनाएं

[हिन्दी]

5111. **श्री राम नारायण बैरवा :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आतंकवाद और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का इन घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों और सभी राज्यों के पुलिस बलों के सहयोग से राष्ट्र व्यापी अभियान छेड़ने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) देश के कुछ भागों, विशेषकर पंजाब, जम्मू और कश्मीर, असम तथा आंध्र प्रदेश में, अपहरण सहित, आतंकवादी हिंसक घटनाएं हुई हैं; और

(ख) संबंधित राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां समुचित कार्यवाही कर रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र सरकार सभी सम्भव सहायता दे रही है।

दिल्ली में पुलिस हिरासत में मृत्यु

[अनुवाद]

5112. श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 में पुलिस हिरासत में मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई मौतों की तुलना में इनकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन सभी मामलों के बारे में अलग-अलग कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो उनका परिणाम क्या रहा; और

(घ) पिछले एक वर्ष में महीनेवार और पुलिस थानेवार दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 107 और 151 के अन्तर्गत पंजीकृत मामले की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

दूरसंचार कर्मचारियों के बच्चों के लिए बालगृहों की स्थापना

5113. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कर्मचारियों के बच्चों के लिए किसी विभागीय बाल गृह की स्थापना की है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग तथा इसके अन्तर्गत अन्य दूरसंचार क्षेत्र संचार कर्मचारियों के बच्चों के लिए बालगृह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सोसाइटियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत) को किसी प्रकार की सहायता देते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित बालगृहों की संख्या कितनी है; और

(घ) दिल्ली में उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम ने बालगृह चलाने के लिए सहायता दी तथा वर्ष-वार दी गई सहायता की प्रकृति तथा मात्रा कितनी है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) बाल गृह चलाने के लिए दूरसंचार महिला केन्द्रीय संगठन को दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता की किस्म तथा उसकी मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

दूरसंचार महिला केन्द्रीय संगठन को दी गई वित्तीय सहायता की किस्म तथा उसकी मात्रा नीचे दी गई है :—

कार्यालय का नाम	वर्ष			सहायता की किस्म
	1988-89	1989-90	1990-91	
दूरसंचार विभाग	12,000	12,000	12,000	कार्यालय व्यय के लिए अनुदान
मुख्य महाप्रबंधक, अनुरक्षण एन० टी० आर० नई दिल्ली का कार्यालय	5,000	5,000	7,500	बाल गृह चलाने के लिए अनुदान
महानगर टेलीफोन निगम लि० नई दिल्ली	42,060	42,060	48,000	बाल गृह चलाने के लिए आर्थिक इमदाद

उड़ीसा में मानवचालित ट्रंक बोर्ड

5114. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान "लांग डिसटेंस स्विचिंग सिस्टम्स" के अन्तर्गत विशेष रूप से ट्रंक्स आउटो एक्सचेंजों की स्थापना के मामले में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और दूर आउटो एक्सचेंज क्षमता और मानव चालित बोर्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा में मानव चालित ट्रंक बोर्डों/"टैक्स" की संख्या में वृद्धि करने के लिए की गई प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इस समय इनकी स्थिति कैसी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) (i) आज की तारीख तक उड़ीसा में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की कुल क्षमता 2500 लाइनों की है ।

वर्ष 91-92 के दौरान भुवनेश्वर के टैक्स का 500 लाइनों से विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ii) उड़ीसा में 43 ट्रंक केन्द्रों पर 181 मैनुअल ट्रंक बोर्ड काम कर रहे हैं । वर्ष 1991-92 के दौरान 16 और मैनुअल ट्रंक बोर्ड चालू करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

देश में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई उपलब्धियों का ब्यौरा

1988-89	क्षमता	
क्र० सं० ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज का नाम	मुख्य	विस्तार
1. रांची	1000 लाइनें	—
2. भोपाल	1000 ,,	—
3. पुणे	3000 ,,	—
4. जोधपुर	1000 ,,	—
5. दिल्ली (करोल बाग)	7000 ,,	—
6. हैदराबाद	2500 ,,	—
	15500 लाइनें	—
1989-90		
1. एर्नाकुलम	—	1000 लाइनें
2. भोपाल	—	500 लाइनें
3. बम्बई	8000 लाइनें	—
4. कलकत्ता	5000 ,,	—
5. वाराणसी	—	500 लाइनें
6. पटना	[illegible]00 लाइनें	—
7. सूरत	—	1500 लाइनें
8. दिल्ली (जनपथ)	4000 लाइनें	—
9. जालंधर	—	1.5 हजार
10. विजयवाड़ा	500 लाइनें	—
11. कटक	—	1.0 हजार
12. पुणे	—	3000 लाइनें
	18000 लाइनें	9000 लाइनें

90-91 क्र० सं०	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज का नाम	क्षमता मुख्य	विस्तार
1.	मद्रास	2000 लाइनें	—
2.	मद्रास	—	3000 लाइनें
3.	मंगलौर	1500 लाइनें	—
4.	दिल्ली (करोल बाग)	—	2000 लाइनें
5.	गुवाहाटी	500 लाइनें	—
6.	बंगलौर	—	1500 लाइनें
7.	रांची	—	1000 „
8.	राजकोट	—	1000 „
9.	पटना	—	500 „
10.	लखनऊ	—	1000 „
11.	विशाखापट्टनम	—	500 „
12.	लुधियाना	—	1000 „
13.	जबलपुर	1200 लाइनें	—
14.	इन्दौर	1000 „	—
15.	बम्बई (प्रभा देवी)	6000 „	—
16.	चंडीगढ़	1000 „	—
17.	जोधपुर	—	500 लाइनें
18.	विजयवाड़ा	—	1500 „
19.	हैदराबाद	—	2000 „
20.	बंगलौर	—	1500 „
21.	गाजियाबाद	1500 लाइनें	—
22.	नई दिल्ली (जनपथ)	—	3000 लाइनें
23.	पटना	—	500 „
24.	लखनऊ	—	500 „
25.	भुवनेश्वर	500 लाइनें	—
		15200 लाइनें	21000 लाइनें

देश में आज की तारीख तक ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की कुल संख्या 54 है जिनकी कुल क्षमता 156500 लाइनों की है।

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थापित मैन्युअल ट्रंक बोर्डों का ब्यौरा

1988-89		107 अदद
1989-90		121 अदद
1990-91		65 अदद
	जोड़ :	293 अदद

क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र

5115. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र (आर० एफ० पी० डी०) कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) चारा फसलों की उन्नत किस्मों का प्रयोग करके अब तक कितने प्रदर्शन किए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितने मिनीकिटों की सप्लाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) हिसार (हरियाणा), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), गांधीनगर (गुजरात), सूरतगढ़ (राजस्थान), ममिडीपल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), अलामाधी, मद्रास (तमिलनाडु) और श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में सात क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र स्थित हैं ।

(ख) अधिक उपज देने वाली चार फसलों की किस्मों का प्रयोग करते हुए अभी तक आयोजित प्रदर्शनों की संख्या एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को सप्लाई किए गए मिनिकिटों की संख्या संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है ।

विवरण-1

क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्रों द्वारा अधिक उपज देने वाली चारा फसलों की किस्मों का प्रयोग करते हुए अब तक आयोजित प्रदर्शनों की कुल संख्या

क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र का नाम	प्रदर्शनों की संख्या
हैदराबाद	1433
हिसार	3398
सूरतगढ़	4134
कल्याणी	3812
श्रीनगर	5585
अवाडी	3060
गांधीनगर	6259

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्रों द्वारा सप्लाई किए गए मिनिकिटों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	450	400	शून्य
2.	असम	150	75	76
3.	अरुणाचल प्रदेश	110	50	60
4.	बिहार	180	84	80
5.	गुजरात	510	265	शून्य
6.	हरियाणा	578	445	शून्य
7.	कर्नाटक	450	400	शून्य
8.	केरल	200	230	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	320	260	शून्य
10.	महाराष्ट्र	500	250	शून्य
11.	मणिपुर	110	50	60
12.	मेघालय	110	50	60
13.	मिजोरम	110	50	60
14.	नागालैंड	110	50	60
15.	उड़ीसा	450	400	शून्य
16.	पंजाब	468	168	शून्य
17.	राजस्थान	480	540	206
18.	सिक्किम	110	50	60
19.	तमिलनाडु	250	220	शून्य
20.	त्रिपुरा	110	50	60
21.	उत्तर प्रदेश	390	120	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	182	280	166
	संघीय क्षेत्र			
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	100	100	शून्य
2.	दिल्ली	64	65	शून्य

इस्पात के क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाना

5116. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहे का निर्माण करने वाले इस्पात संयंत्र विदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन संयंत्रों को निर्यात से कितनी आय हुई ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्पंज लोहे का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा नहीं किया जा रहा है। तथापि, आंध्र प्रदेश में 6000 टन वार्षिक क्षमता का एक स्पंज लोहा संयंत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की स्पंज आयरन इण्डिया लि॰ (सिल) नामक कम्पनी द्वारा प्रचालित किया जा रहा है। इस संयंत्र का प्रथम मापक वार्षिक क्षमता 30000 टन है। 1981 में चालू किया गया था। इसको 'यूनिडो' की सहायता से स्थापित किया गया था और इसकी प्रौद्योगिकी जर्मनी की मैसर्स लुर्गी, जी॰ एम॰ बी॰ एच द्वारा सप्लाई की गई थी। इतनी क्षमता का दूसरा मापक सिल द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था।

(ग) स्पंज लोहे का इस समय निर्यात नहीं किया जा रहा है क्योंकि देश में इसकी कमी है।

आयल पाम की खेती

5117. श्री सुधीर सावन्त :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में आयल पाम की खेती की जाती है;

(ख) क्या आयल पाम की खेती के लिए पिछड़े, पर्वतीय और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों को कोई प्रोत्साहन दिए जा रहे है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयल पाम की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) तेल ताड़ पौध-रोपण के अंतर्गत आकलित क्षेत्र का राज्य/संघशासित क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1593 हेक्टेयर
आंध्र प्रदेश	1215 हेक्टेयर
कर्नाटक	1020 हेक्टेयर

केरल	3700 हेक्टेयर
महाराष्ट्र	700 हेक्टेयर
कुल :	8228 हेक्टेयर

(ख) और (ग) भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, प्रत्येक में लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में शामिल क्षेत्र ये हैं : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिले, कर्नाटक का शिमोगा जिला और महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र। इस परियोजना में ये प्रोत्साहन शामिल है—पौध-रोपण सामग्री, उर्वरक, पौध रक्षण रसायन और खेतों में पौध-रोपण के बाद पहले चार वर्षों के लिए श्रम का एक अंश।

(घ) तेल ताड़ की खेती के क्षेत्र के विस्तार के लिए अग्रिम कार्यवाही के रूप में निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की गई हैं :—

1. तेल ताड़ बीज उद्यान आन्ध्र प्रदेश
2. फ्रंट-लाईन प्रदर्शन काबिनी सिंचाई परियोजना मैसूर
3. कर्नाटक और शिमोगा और मैसूर जिलों में एक-एक बीज नर्सरी
4. सी० पी० सी० आर० आई० पोलोड में बीज अंकुरण क्षमता का विस्तार।

आन्ध्र प्रदेश के 12,100 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा कर्नाटक के 500 हेक्टेयर क्षेत्र में तेल ताड़ विकास की दो परियोजनाओं को यूरोपीय आर्थिक समुदाय को उनकी सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है।

रक्षित मत्स्य पालन

5118. **श्री सुधीर सावन्त :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिंचाई परियोजना में रक्षित मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इनमें किस प्रकार की प्रौद्योगिकी अपनाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस प्रकार की परियोजनाओं का देश में कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मात्स्यिकी अनुसंधान संगठन द्वारा "केज कल्चर" पर किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में प्रस्तावित विश्व बैंक की सहायता प्राप्त श्रिम्प एवं मत्स्य पालन परियोजना के अन्तर्गत जलाशयों में छोड़ने हेतु मत्स्य डिम्ब

का पालन करने के लिए व्यापक पैमाने पर "पेन कल्चर" का उपयोग करने का प्रस्ताव शामिल है। केरल सरकार के पास भी जर्मनी की सहायता से जलाशयों में मछली के "पेन और केज कल्चर" से सम्बन्धित एक योजना है। बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम, मद्रास के अन्तर्गत तमिलनाडु की किल्लई झील में पेन्स में झींगा मछली पालन के लिए एक योजना कार्यान्वित की गई थी जिसके परिणाम बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहे।

जल प्रबन्धन सेल

5119. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रबंध सैलों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) अब तक ऐसे कितने सेल स्थापित दिए गए हैं और इन सैलों ने कितनी परियोजनाओं पर कार्य किया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय में एक जल प्रबंध सेल है। इस सेल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना, जिसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय करना है। जल प्रबन्ध सेल स्वयं परियोजना का कार्यान्वयन नहीं करता। यह सेल राज्यों द्वारा राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को तैयार (प्रोसेस) करता है। अब तक यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों की 78 परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए उनका प्रोसेस कर चुका है।

"चांद बीबी" और "अहमद नगर किला" के बारे में स्मृति डाक टिकट

5120. **श्री यशवन्त राव पाटिल :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमद नगर किला के 500 वर्ष की अवधि पूरी करने के अवसर पर "चांद बीबी" और "अहमद नगर किला" पर कोई स्मृति डाक-टिकट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) फिलहाल, "चांद बीबी" और "अहमद नगर के किले" पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बर्तानिया की लेबर पार्टी के एक नेता का जम्मू और कश्मीर का दौरा

5121. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी के किसी नेता ने हाल ही में जम्मू व कश्मीर की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस यात्रा के लिए पूर्व अनुमति ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न भारतीय नेताओं के साथ हुई उसकी बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (घ) लेबर पार्टी के संसद सदस्य और छाया विदेश मन्त्री श्री गेराल्ड कौफमैन 7 से 11 अगस्त, 1991 तक भारत की यात्रा पर आए थे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों की यात्रा भी की। यह यात्रा भारत और यू० के० की लेबर पार्टी के बीच लम्बे अरसे से चले आ रहे संबंधों के सामान्य संदर्भ में और इसके नेताओं के साथ नियमित सम्पर्कों के माध्यम से इन संबंधों को बनाए रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की इच्छा से हमारे निमन्त्रण पर की गई सद्भावना यात्रा थी।

(ङ) विभिन्न भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्री कौफमैन की बातचीत के दौरान, उभरती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, विशेषकर यूरोप की घटनाएं, लेबर पार्टी की नीतियों और राजनैतिक अवसरों तथा काश्मीर के प्रश्न सहित हमारे क्षेत्र की घटनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

उड़ीसा के जिलों में टेलीफोन अदालतें

[हिन्दी]

5122. **श्री मृत्युन्जय नायक** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1990 से 31 जुलाई, 1991 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा के फूलबनी और अन्य जिलों में टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इन अदालतों के आयोजन में और मामलों एवं विवादों को निपटाने में किन-किन नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) टेलीफोन अदालतें केवल छोटे/बड़े दूरसंचार जिलों तथा दूरसंचार सर्किलों में ही आयोजित की जाती हैं। क्योंकि फूलबनी टेलीफोन जिला नहीं है, अतः वहां कोई अदालत आयोजित नहीं की जानी थी।

इस अवधि के दौरान कटक तथा भुवनेश्वर दूरसंचार जिलों और उड़ीसा सर्किल में टेलीफोन अदालतों का आयोजन किया गया था।

(ख) विस्तृत विवरण इस प्रकार है :—

अदालत (तारीख)	जितने शिकायतकर्ताओं की सुनवाई हुई उनकी संख्या	अभ्युक्तियां
कटक दूरसंचार जिला (11-3-91)	22	सभी मामले उसी समय निपटा दिए गए
भुवनेश्वर दूरसंचार जिला (13-3-91)	12	—वही—
उड़ीसा सर्किल (8-4-91)	17	—वही—

(ग) इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

टेलीफोन अदालतों के नियम

दूरसंचार विभाग में टेलीफोन अदालतों को आरम्भ करने का उद्देश्य किसी नियत तारीख को जनता की शिकायतों को दूर करना था। प्रारम्भ में इन्हें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और कानपुर जैसे बड़े शहरों में काम करना था। यह समझा गया था कि इन स्थानों पर टेलीफोन अदालतें आयोजित करने के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुभवों और परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा था तदुपरांत उनके आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी अदालतों का आयोजन करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। ऐसी अदालतें तीन माह के अन्तराल पर आयोजित की जानी होती हैं।

न्यायपीठ :

अदालत की न्यायपीठ में जिला/महाप्रबन्धक तथा वित्त और इंजीनियरी शाखाओं से दो अन्य सदस्य शामिल होते हैं। लोक शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अनिवार्यतः सदस्य होते हैं।

कार्य क्षेत्र :

अधिक राशि के बिल आने संबंधी शिकायतें, टेलीफोन कनेक्शन/सहायक उपकरण न लगाने/देर से लगाने, विभिन्न कारणों से टेलीफोन काट देने जैसी सेवा सम्बन्धी शिकायतें इन टेलीफोन अदालतों के कार्यक्षेत्र में आएंगी।

पद्धति :

टेलीफोन अदालतों के आयोजन, इनके आयोजन के स्थान एवं समय, जनता से अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के नाम और पते के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। सामान्यतः, जनता को अपने अभ्यावेदन भेजने के लिए लगभग 30 दिन का समय दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर भली-भांति विचार किया जाता है ताकि इन पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। अभ्यावेदकों को निर्णय सम्बन्धी उपयुक्त उत्तर भेज दिया जाता है अथवा उन्हें अदालत की कार्रवाई में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए कहा जाता है।

मूल्यांकन :

विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई अदालतों के सत्रों की कारंवाई का मूल्यांकन दूरसंचार विभाग के मुख्यालय में किया जाता है ताकि इनका विश्लेषण किया जा सके और प्रणाली सम्बन्धी दोषों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए किस प्रकार की उपचारात्मक कारंवाई की जाए, इस संबंध में भी निर्णय लिया जा सके।

असम में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

5123. **श्री प्रवीन डेका :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में शुरू की जाने वाली मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और उन पर अभी तक कितना खर्च किया जा चुका है; और

(ग) कब तक इन्हें पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) असम की मूल्यांकित निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	अद्यतन लागत	सातवीं योजना (3/90) के अन्त तक व्यय	प्रत्याशित व्यय 1990-91	चरम क्षमता	सातवीं योजना के अन्त तक सृजित क्षमता	1990-91 के दौरान सृजित क्षमता (प्रत्याशित)	पूरा करने की योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कलदिया	बारपेटा	8.11	6.99	1.50	16.50	9.08	0.39	आठवीं योजना
2.	डेकाडोंग	बारपेटा	4.60	3.26	0.40	6.05	4.83	—	—वही—
3.	बारबीकेरई	सुनितपुर	18.39*	18.83	1.54	25.53	8.05	1.00	—वही—
4.	समेकित कोल्लोंग	नागांव	31.28	22.77	1.70	34.00	8.09	2.00	—वही—
5.	पहुमारा	बारपेटा	26.87	17.00	2.50	12.96	—	2.00	—वही—
6.	बूढ़ी दिहुंग	डिब्रूगढ़	5.00	3.55	0.80	4.70	—	1.00	—वही—
7.	बरोलिया	कामरूप	22.92	10.76	1.70	13.56	—	1.00	—वही—

* संशोधन की जा रही।

हरियाणा में सिंचाई परियोजनाएं

5124. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हथनीकुंड बराज का निर्माण तथा हरियाणा सिंचाई-III परियोजना (विश्व बैंक कार्यक्रम) नामक दो परियोजनाएं क्रमशः अगस्त, 1990 तथा अप्रैल, 1991 में तकनीकी-आर्थिक जांच हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थीं। इन परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति निम्नवत है :—

(I) **हथनीकुंड बराज :** विद्यमान ताजेवाला शीर्ष कार्य, जो कि बहुत पुराना हो गया है, के स्थान पर इस बराज का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित नए बराज की अनुमानित लागत 72.89 करोड़ रुपए है। परामर्शदात्री समिति ने मार्च, 1991 में आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना पर विचार किया तथा यह परियोजना शीर्ष नियामकों की क्षमताओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सहमति के अध्यधीन स्वीकार्य पाई गई।

(i) **हरियाणा सिंचाई-III परियोजना (विश्व बैंक कार्यक्रम) :** इस परियोजना में एक घटक के रूप में हथनीकुण्ड बराज सहित 16 घटक शामिल हैं। इन 16 घटकों में से, स्प्रिंकलर सेट लगाने, पेय जल आपूर्ति बढ़ाने, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा सड़क यातायात के विकास से सम्बन्धित नहीं हैं। शेष में से 7 घटकों के लिए रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं। इन 7 घटकों की अनुमानित लागत 579 करोड़ रुपए है तथा लाभान्वित क्षेत्र 244 हजार हेक्टेयर है। केन्द्रीय जल आयोग में जांच के बाद हरियाणा सरकार को अनुपालना हेतु जुलाई, 1991 में टिप्पणियां भेज दी गई थीं। हरियाणा सरकार को अभी इनकी अनुपालना भेजनी है। हरियाणा सरकार को शेष 4 घटकों की परियोजना रिपोर्ट भी भेजनी है।

निम्नलिखित परियोजनाओं, जो निर्माण के उन्नत स्तर में थी जिन पर पर्याप्त व्यय हुआ है, के लिए भी परामर्शदात्री समिति को संक्षिप्त टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी :—

बृहद सिंचाई परियोजनाएं

(i) **सेवानी लिफ्ट सिंचाई स्कीम :** दिसम्बर 1986 में संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गई थी। 27.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना 10.87 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी।

(ii) **सतलुज यमुना सम्पर्क नहर (हरियाणा का हिस्सा) :**

अगस्त, 1988 में 28.30 करोड़ रुपए के लिए संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गई थी। अब अनुमानित लागत 55.81 करोड़ रुपए है, यह परियोजना पूर्ण होने के बाद 566.8 हजार हेक्टेयर को सिंचाई लाभ प्रदान करेगी। जून, 1991 में राज्य सरकार से प्राप्त संशोधित लागत पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

मध्यम परियोजनाएं

(iii) **बीबापुर झील की क्षमता बढ़ाना** : अक्तूबर, 1986 में संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गई थी। 45 लाख रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना 13.75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी।

(ख) इन स्कीमों की स्वीकृति का समय मुख्य रूप से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के संतोषजनक उत्तर तत्परता से प्रस्तुत करने, अन्तर्राज्यीय मुद्दों के हल होने तथा जहां कहीं आवश्यक हों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

बाह्य दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज

5126. **श्री सज्जन कुमार :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाह्य दिल्ली में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता कितनी बार बढ़ाई गई है और उसको प्रत्येक बार कितना बढ़ाया गया;

(ख) बाह्य दिल्ली में कार्यरत प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कितनी है; और प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतीक्षा-सूची में कितने आवेदक हैं; और

(ग) इन प्रतिक्षा सूचियों के निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों की सज्जित क्षमता 31-3-1991 को अनुमानतः 6 लाख लाइनों की थी जिसे 31-3-1995 तक बढ़ा कर अनुमानतः 10 लाख लाइनों की करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ-साथ 1-4-91 तक की प्रतीक्षा सूची को 31-3-1995 तक अधिकांशतः निपटा दिए जाने की संभावना है।

विवरण-1

अनुबन्ध—क

बाहय दिल्ली के क्षेत्र में स्थित एक्सचेंजों में विस्तार करने संबंधी ब्यौरे

क्र० सं०	एक्सचेंजों का नाम	कोड	1-8-91 को मौजूदा क्षमता	विस्तार/बदलना		तारीख
1	2	3	4	5		6
1.	रोहणी	727	8,000 लाइनें	2000 लाइनें		15.3.1988
				3000 लाइनें	विस्तार	28.1.1989
				1000 लाइनें	विस्तार	28.6.1989
				500 लाइनें	विस्तार	26.11.1990
				500 लाइनें	विस्तार	7.2.1991
				1000 लाइनें	विस्तार	27.5.1991
2.	बादली	729	3,000 लाइनें	1000 लाइनें (600 लाइनें बदल गईं)		30.3.1988
				1000 लाइनें	विस्तार	25.10.1989
				1000 लाइनें	विस्तार	31.3.1991
3.	अलीपुर	720	1,000 लाइनें	1000 लाइनें (200 लाइनें बदली गईं)		16.1.1989
4.	नरेला	728	2,000 लाइनें	1000 लाइनें (700 लाइनें बदली गईं)		10.2.1989
				1000 लाइनें	विस्तार	18.1.1991
5.	लारेंस रोड	718	8,000 लाइनें	8000 लाइनें		18.3.1991

1	2	3	4	5		6
6.	शक्तिनगर (एस॰ एस॰) एम॰ई॰सी॰	711/712	20,000 लाइनें	5000 लाइनें		31.3.1991
				5000 लाइनें	विस्तार	31.8.1979
				10000 लाइनें	विस्तार	21.5.1983
7.	शक्तिनगर बी/1	721/722 723	23000 लाइनें	10000 लाइनें		:2.11.1986
				2000 लाइनें	विस्तार	16.5.1987
				400 लाइनें	विस्तार	17.9.1987
				603 लाइनें	विस्तार	20.12.1987
				1400 लाइनें	विस्तार	28.1.1988
				3000 लाइनें	विस्तार	25.3.1988
				1000 लाइनें	विस्तार	10.7.1988
				3600 लाइनें	विस्तार	14.3.1989
				1000 लाइनें	विस्तार	13.3.1990
8.	शक्ति नगर-बी-II	724	9,000 लाइनें	1000 लाइनें		27.12.1990
				1000 लाइनें	विस्तार	7.1.1991
				7000 लाइनें (5100 लाइनें बदली गई)	विस्तार	5.3.1991
9.	बसन्त कुन्ज	68	[illegible],000 लाइनें	1000 लाइनें		26.12 1989
				2000 लाइनें	विस्तार	25.1.1990
				1000 लाइनें	विस्तार	14.9.1990
				1000 लाइनें	विस्तार	14.2.1991
				1000 लाइनें	विस्तार	31.3.1991

1	2	3	4	5		6
10.	छतरपुर	680	3,000 लाइनें	1000 लाइनें		20.9.1989
				2000 लाइनें	विस्तार	31.3.1990
11.	नांगलोई	547	3500 लाइनें	2000 लाइनें	विस्तार	7.3.1988
				(600 लाइनें बदली गई)		
				1000 लाइनें	विस्तार	10.3.1989
				500 लाइनें	विस्तार	26.10.1989
12.	नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल कॉम्प्लेक्स	5452	500 लाइनें	500 लाइनें		14.9.1987
13.	राजौरी गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक	544	5000 लाइनें	[illegible]000 लाइनें		27.3.1991
14.	राजौरी गार्डन डी—II	543/545	19000 लाइनें	10000 लाइनें		30.6.1986
				1000 लाइनें	विस्तार	10.4.1987
				1400 लाइनें	विस्तार	21.8.1987
				1000 लाइनें	विस्तार	10.3.1989
				4000 लाइनें	विस्तार	30.3.1990
				2000 लाइनें	विस्तार	22.3.1988
15.	नजफगढ़	5562/5566	2000 लाइनें	1000 लाइनें		22.3.1991
				(500 लाइनें बदली गई)		
				1000 लाइनें		30.3.1991
16.	पालम	3295	500 लाइनें	500 लाइनें		15.2.1990

1	2	3	4	5		6
17.	दिल्ली कैंट	329	4000 लाइनें	4000 लाइनें		31.3.1990
				(3600 लाइनें बदली गई)		
18.	पश्चिम विहार	558	10000 लाइनें	5000 लाइनें		31.3.1991
				3000 लाइनें	विस्तार	9.7.1990
				1000 लाइनें	विस्तार	6.3.1990
				1000 लाइनें	विस्तार	30.3.1991
19.	जनकपुरी	550/555/559	18000 लाइनें	12000 लाइनें		1.3.1990
				2000 लाइनें	विस्तार	28.12.1990
				1000 लाइनें	विस्तार	24.1.1991
				1000 लाइनें	विस्तार	20.2.1991
				1000 लाइनें	विस्तार	27.21.991
				1000 लाइनें	विस्तार	30.3.1991
				(3900 लाइनें बदली गई)		
				(1000 लाइनें बदली गई)		

विवरण-2

बाह्य दिल्ली क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या

एक्सचेंज का नाम	मौजूदा क्षमता	1-8-1991 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या
1. बादली "729"	3000	1762
2. शक्ति नगर "711/712, 721/722/723/724/725"	52000	49845
3. नरेला "728"	2000	710
4. रोहणी "727"	8000	15060
5. लारेंस रोड "718"	8000	6194
6. वसन्त कुन्ज "689"	6000	2720
7. छत्तरपुर "680"	2000	690
8. दिल्ली कैंट "329/5452"	4500	4320
9. जनकपुरी "550/555/559"	18000	16489
10. नजफगढ़ "5562/5566"	2000	2032
11. नांगलोई "547"	3500	3945
12. राजौरी गार्डन "50, 53, 59, 541, 543, 545,	50000	40813
13. पश्चिम विहार "558"	10000	8046
14. अलीपुर "720"	1000	635
जोड़—	170000	153261

बाह्य दिल्ली में डाकघर

[हिन्दी]

5127. श्री सज्जन कुमार :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

बाह्य दिल्ली क्षेत्र में कुल कितनी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां डाकघरों की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और शीघ्रातिशीघ्र इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : संघ क्षेत्र दिल्ली में ग्राम पंचायत वाले ऐसे 79 ग्राम हैं, जहां इस समय कोई डाकघर नहीं है। इन ग्रामों में डाकघर खोलने के मामले की जांच की गई थी लेकिन मानदण्डों के अधीन डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया।

आतंकवादियों को ग्रामीणों की सहायता

[**अनुवाद**]

5128. **श्री एस० बी० सिदनाल** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 1991 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "राजस्थान विलेजर्स प्रोवाइडिंग हेल्प" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

"पाक वान्ट्स यू० एन० रोल इन कश्मीर" शीर्षक के समाचार

5129. **श्री एस० बी० सिदनाल** :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1991 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक वान्ट्स यू० एन० रोल इन कश्मीर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है। जो एक मात्र मसला तय होना है वह यह है कि पाकिस्तान ने हमारे जिस प्रदेश पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है, उसे वह खाली करे। शिमला समझौते की शर्तों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मतभेदों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक सुलझाया जाना है। इस मामले में न तो संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका है और न किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की।

व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत

[**हिन्दी**]

5130. **श्री यशवन्तराव पाटिल** :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पाकिस्तान के साथ व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के बारे में बातचीत करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जुलाई 1989 में भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के कुछ उपायों पर विचार-विमर्श हुआ था और उस पर सहमति भी हो गई थी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पाकिस्तान पर इस बात का जोर देती आई है कि संयुक्त आयोग और उप आयोगों की बैठकें की जानी चाहिए। अन्ततः दिसम्बर, 1990 में सिद्धान्ततः तो बैठक बुलाने की बात स्वीकार कर ली लेकिन इन बैठकों के वास्तविक आयोजन में वह आनाकानी करता रहा है।

टेलीफोन बिलों का भुगतान

[अनुवाद]

5131. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली उपभोक्ताओं पर दो महीनों के टेलीफोन बिलों का नियत तिथि से पहले भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नियत तिथि से पूर्व बिलों का भुगतान करने लिए उपभोक्ताओं पर दबाव नहीं डाल रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सर्वोत्तम टेलीफोन आपरेटर पुरस्कार

5132. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने हाल ही में सर्वोत्तम टेलीफोन आपरेटर पुरस्कार शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) इस पुरस्कार की विस्तृत रूपरेखा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सर्वश्रेष्ठ टेलीफोन आपरेटर पुरस्कार

मैनुअल ट्रंक (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) और विशेष सेवा एक्सचेंजों से प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर में और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से शीघ्र ही एक नई स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत टेलीफोन आपरेटरों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन ग्राहकों को उत्तर देते समय उनके शिष्टाचार, विनम्रता और सहयोगपूर्ण रवैये की दृष्टि से किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ आपरेटर को उपयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा।

2. इस स्कीम के अंतर्गत, टेलीफोन आपरेटरों का कार्य-निष्पादन एक माइक्रोप्रोसेसर-नियंत्रित ऑटोमेटिक रिकार्डिंग प्रणाली के माध्यम से मानीटर किया जाएगा। इस प्रणाली द्वारा आपरेटर की बातचीत को उसे पता लगे बिना मानीटर किया जा सकेगा। इस माइक्रोप्रोसेसर का समय इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि आपरेटर की बातचीत को प्रत्येक सैट में 3 मिनट के लिए टेप पर रिकार्ड किया जाएगा तथा इसके साथ ही, तारीख, समय व पोजीशन-संख्या आदि जैसे ब्यौरे भी रिकार्ड किए जाएंगे। इस प्रकार रिकार्ड की गई कैसेटें जूरी के सदस्यों द्वारा सुनी जाएंगी जो आपरेटरों को पांच श्रेणियों अर्थात् बहुत अच्छा, अच्छा, बुरा नहीं, बुरा तथा बहुत बुरा, में विभाजित करेंगे। जूरी के सिफारिशों के आधार पर, अत्यधिक शिष्ट आपरेटरों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार मासिक आधार पर दिया जाएगा। इसके बाद जूरी का एक प्रतिष्ठित पैनल शिष्टाचार, विनम्रता, तत्परता तथा सबसे अधिक उपभोक्ता के प्रति सहयोगपूर्ण रवैये की दृष्टि से इसका मूल्यांकन करेगा।

3. इन पैरामीटरों के आधार पर प्रतिमाह अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक सेवाओं, राष्ट्रीय ट्रंक एक्सचेंज और विशेष सेवाओं पर कार्य कर रहे आपरेटरों में से एक-एक सर्वश्रेष्ठ आपरेटर का चयन किया जाएगा।

दिल्ली में होटल और गेस्ट हाऊस

5133. **श्री साईमन मराण्डी :**

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जुलाई, 1991 को "जनसत्ता" में "गेस्ट हाऊस और होटल गैर कानूनी धन्धों की निरंकुश सारंगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली में कितने 5 तारा, 3 तारा और अन्य होटल तथा गेस्ट हाऊस हैं;

(घ) उनमें से कितने होटल तथा गेस्ट हाऊस लाइसेंस प्राप्त तथा कितने लाइसेंस रहित हैं;

(ङ) लाइसेंस रहित होटलों और गेस्ट हाऊसों के खिलाफ क्या कार्यवाई की जा रही है; और

(च) सरकार के पास होटलों और गेस्ट हाऊसों के लिए लाइसेंस हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं और ऐसे लाइसेंसों की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) "जनसत्ता" के दिनांक 29 जुलाई, 1991 के अंक में "गेस्ट हाऊस और होटल गैर-कानूनी धन्धों की निरंकुश सारंगी" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) स्थानीय पुलिस द्वारा अनधिकृत और लाइसेंस रहित होटलों/अतिथि गृहों के विरुद्ध समय-समय पर कानूनी कारंवाई की जाती है। उनकों बन्द करने के लिए न्यायालय में भी मामले ले जाये जाते हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि ऐसे होटलों और अतिथि गृहों की संख्या 596 है।

(घ) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि लाइसेंस युक्त होटलों और अतिथि गृहों की संख्या 247 है तथा लाईसेंस रहित होटलों और अतिथि गृहों की संख्या 349 है।

(ङ) जैसा कि ऊपर भाग (ख) में दिया गया है।

(च) दिल्ली पुलिस संबंधित एजेन्सियों के परामर्श से 60 आवेदनों पर कारंवाई कर रही है।

शक्ति नगर टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन

5134. **श्री मदन लाल खुराना** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक्ति नगर टेलीफोन एक्सचेंज दिल्ली में, सामान्य श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में किस तारीख तक के पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं;

(ख) अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है;

(ग) क्या शक्ति नगर में जिस तिथि तक के पंजीकृत व्यक्तियों को कनेक्शन दिए गए हैं वह तिथि अन्य एक्सचेंजों की तुलना में बहुत पीछे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) शक्ति नगर एक्सचेंज में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज आवेदकों में से 27-12-82 तक की प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया गया है। विभिन्न एक्सचेंजों में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज आवेदकों की सूची को जिस तारीख तक निपटाया गया है उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आबंटित किए गए उपस्कर के उपलब्ध न हो पाने के कारण शक्ति नगर एक्सचेंज क्षेत्र में निपटान की तारीख में कुछ विलंब हो रहा है। 1991-1992 के दौरान 13,000 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता को चालू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 13-3-1995 तक इस क्षेत्र में एक्सचेंज की क्षमता में 50,000 लाइनों तक वृद्धि किए जाने की योजना है।

विवरण

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के विभिन्न एक्सचेंजों में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज आवेदकों की सूची को निपटाए जाने की तारीखें

स्तर		एक्सचेंज	जिस तारीख तक कनेक्शन दिए गए हैं।	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
केन्द्रीय				
31,34,35	जनपथ	जे.पी.	19-12-1988	1137
61,69,462	जोरबाग	जे.बी.	5-9-1984	6348
331, 332, 371	किदवई भवन	के.बी.एन.	15-9-1987	2682
38, 378	राजपथ	आर.पी.	31-1-1991	241
301, 379	सेना भवन	एस.बी.एन.	8-11-1985	487
36 (लोदी रोड़)	लोदी रोड	पी.आर.एक्स.	25-3-1988	133
उत्तर: 720	अलीपुर	ए.एल.पी.	12-4-1989	603
729	बादली	बी.डी.एस.	19-3-1987	1689
23, 251, 252, 291, 292	तीस हजारी	टी.एच.	30-1-1987	10744
711, 712, 721, 722, 723, 724	शक्ति नगर	एस.के.	27-12-1982	44179
728	नरेला	एन.आर.एल.	29-1-1990	710
727	रोहिणी	आर.एच.एन.	21-12-1984	13188
718	लारेंस रोड	एल.डब्ल्यू.आर.	27-12-1982	5339
पूर्व : 326, 327, 328	दिल्ली गेट	डी.जी.	12-12-1983	9883
61, 52, 77, 73, 753	ईदगाह	आई.डी.	28-4-1986	16162
220, 221, 222, 224	लक्ष्मी नगर	एल.एक्स.आर.	8-4-1985	33884
227	यमुना विहार	वाई.बी.आर.	26-12-1979	6256
228	शाहदरा	एस.एच.आर.	16-10-1984	9435

1	2	3	4	5
225	मयूर विहार	एम.वी.आर.	8-4-1985	3816
दक्षिण : 60, 67, 687	चाणक्यपुरी	सी.एच.वाई.	30-10-1986	8146
65, 66, 686	हौजखास	एच.के.	24-3-1987	8845
641, 642, 643, 644, 646	नेहरू प्लेस	एन.पी.	7-5-1986	19242
63, 683, 684	ओखला	ओ.के.एच.	7-12-1987	8928
689	वसंत कुन्ज	वी.के.जे.	20-9-1989	2598
680	छत्तरपुर	सी.पी.आर.	19-1-1989	690
पश्चिम : 329, 5452	दिल्ली कैंट	सी.ए.एन.	12-8-1989	1838
550, 559, 555	जनक पुरी	जे.के.पी.	23-2-1983	14813
58, 571, 573, 573, 575	करोलबाग	के.बी.	27-4-1987	9144
5456	नजफगढ़	एन.जे.एफ.	29-7-1985	1790
547	नांगलोई	एन.जी.एल.	12-9-1984	3187
50,53,59, 541, 543, 545	राजौरी गार्डन	आर.जी.	3-4-1984	38986
570	शादीपुर	एस.पी.आर.	18-8-1989	1092
558	पश्चिम विहार	पी.वी.आर.	12-6-1984	7287
			कुल योग :	293612

दुष्काल (स्केर्सिटी) राहत नियमावली की समीक्षा

5135. श्री बलराज पासी :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सूखा, बाढ़, हिमपात, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दुष्काल (स्केर्सिटी) राहत नियमावली की समीक्षा करने और इसे आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए बनाए गए तंत्र का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत उपलब्ध कराने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का होता है। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल राहत नियमावली तैयार की जाती है जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पिछले अनुभव और राज्यों की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राहत नियमावलियों को अद्यतन बनायें।

बिहार के रोहतास जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

5136. **श्री छेदी पासवान** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहतास जिले के स्थित विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बिहार के रोहतास जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के सुनियोजित विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम के ब्योरे :—

(I) सासाराम (जि० मुख्यालय)	—	1991-92 के दौरान 500 लाइनों के मैक्स-II एक्सचेंज के स्थान पर 1400 लाइनों के सी-डॉट एक्सचेंज की संस्थापना की योजना है।
(II) डालमिया नगर	—	1991-92 के दौरान 400 लाइनों के मैक्स-II एक्सचेंज के स्थान पर 1000 लाइनों के सी-डॉट एक्सचेंज की संस्थापना की योजना है।
(III) भभुवा	—	1991-92 के दौरान 50 लाइनों के मैक्स-II के स्थान पर 128 पोर्ट सी-डॉट की संस्थापना की योजना है।
(IV) बंजारी	—	50 लाइनों के मैक्स-II के स्थान पर 128 पोर्ट सी-डॉट की संस्थापना की योजना है।

(V) कोचास	—	25 लाइनों के मैक्स-III	के स्थान पर चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान 128 पोर्ट सी-डॉट रैक्स की संस्थापना की योजना है।
(VI) नरसीगंज	—	25 लाइनों के मैक्स-III	
(VII) नोखा	—	50 लाइनों के मैक्स-III	
(VIII) कुद्रा	—	50 लाइनों के मैक्स-III	
(IX) विक्रमगंज	—	सी-डॉट-128 पोर्ट	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले से ही कार्य कर रहे हैं।
(X) मोहनिया	—	एम.आई.एल.टी. 64 पोर्ट	
(XI) रामगढ़	—	एम.आई.एल.टी. 64 पोर्ट	

"किट्टूर रानी चेन्नमा" पर स्मारक डाक टिकट जारी करना

[अनुवाद]

5138. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान स्वतन्त्रता सैनानी किट्टूर रानी चेन्नमा की स्मृति में जनवरी, 1992 में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) कित्तूर रानी चेन्नमा पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावकों को सूचित किया गया हैं कि इनके सम्मान में 23 अक्तूबर, 1977 को एक डाक टिकट पहले ही जारी किया चुका है तथा इन पर दूसरा डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीज का बफर स्टाक

5139. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बीज निगम प्राकृतिक आपदाओं के समय बीज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका बफर स्टॉक अपने पास बनाए रखता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा रखें गए बीज के बफर स्टॉक का फसल-वार ब्योरा क्या है और इस स्टॉक का कुल कितना मूल्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) 7वीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए बीज का बफर स्टाक रख रहा था ताकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सके; वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान बफर स्टॉक मे राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा रखे जा रहे बीजों की मात्रा का फसलवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा रखे जा रहे भण्डार का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(लाख रुपए)
1988-89	74.44
1989-90	124.57
योग :	199.01

1990-91 के दौरान, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का कोई बफर स्टाक नहीं रखा गया।

विवरण

(मात्रा क्विंटल में)

क्र०सं०/फसल	श्रेणी	1988-89	1989-90
1	2	3	4
1. धान	आ० बी०	373.00	411.00
	प्र० बी०	14963.00	16480.00
2. मक्का	आ० बी०	—	1.00
	प्र० बी०	56.00	62.00
दालें			
3. मूंग	आ० बी०	18.00	18.00
	प्र० बी०	314.00	350.00
4. उड़द	आ० बी०	6.00	6.00
	प्र० बी०	35.00	25.00
5. अरहर	आ० बी०	12.00	12.00
	प्र० बी०	60.00	100.00
6. लोभिया	आ० बी०	6.00	6.00
	प्र० बी०	50.00	50.00
7. मसूर	आ० बी०	10.00	12.00
	प्र० बी०	24.00	50.00
8. चना	आ० बी०	10.00	12.00
	प्र० बी०	10.00	50.50
9. मटर	आ० बी०	5.00	6.00
	प्र० बी०	165.00	100.00

1	2	3	4	5
	तिलहन			
10.	सोयाबीन	आ० बी०	146.00	170.00
		प्र० बी०	1780.00	2325.00
11.	सरसों	आ० बी०	45.00	43.00
	तोरियां	प्र० बी०	747.00	4675.00
	योग		18835.00	24964.50

आ० बी० — आधारी बीज

प्र० बी० — प्रमाणीकृत बीज

दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए राशन भत्ता

5140. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :**

क्या गृह मंत्री 6 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4746 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर दिल्ली पुलिस के अन्य सभी कर्मियों को राशन भत्ते के रूप में प्रतिमाह 200 रुपए का भुगतान करने के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के अलावा सभी दिल्ली पुलिस कार्मिकों को राशन भत्ते के रूप में 200 रु० प्रतिमाह भुगतान करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में दिल्ली प्रशासन द्वारा सरकार को अभी तक कोई अन्तिम सिफारिश नहीं की गई है।

अण्डमान द्वीप में ज्वालामुखी का फटना

5141. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान में हाल ही में ज्वालामुखी के फटने तथा उससे लावा और गैसों के निकलने के कारणों का कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भूकंपीय रेखा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रो में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या एहतियाती उपाय किए हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस ज्वालामुखी के फटने का अध्ययन कर रहा है। उसका कहना है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के बैरीन द्वीपसमूह में वर्तमान ज्वालामुखी प्रस्फुटन वहां गहन विवर्त्तनिक कारकों में ज्वालामुखी कटिबन्धों की मौजूदगी के कारण हुआ है। इस प्रस्फुटन से निकले लावा और राख का अध्ययन किया गया है। प्रस्फुटन से निकली चट्टानें आग्नेय (बैसाल्टिक एन्डेसाइट) वर्ग की हैं।

(घ) भारतीय मौसम सर्वेक्षण ने भी इस ज्वालामुखी प्रस्फुटन का अध्ययन किया है और सूचित किया है कि यह प्रस्फुटन मामूली कम्पनयुक्त बहुत निम्न तीव्रता का है और इस ज्वालामुखी प्रस्फुटन का प्रभाव बैरन द्वीपसमूह के 5-10 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित रहेगा।

चूंकि ज्वालामुखी क्षेत्र से 70 किलोमीटर की दूरी तक कोई आबादी नहीं है, इसलिए ज्वालामुखी से इस भूकम्पीय रेखा पर आबाद और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आबाद लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र ज्वालामुखी से 1200 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र

5142. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने इस्पात संयंत्र चल रहे हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के कितने इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ग) अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर रहे इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की क्षमता सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) देश में प्रचालनरत इस्पात संयंत्रों की कुल संख्या निम्नानुसार है :—

(1) सार्वजनिक क्षेत्र में·········9 संयंत्र

(2) निजी क्षेत्र में················

(क) एक एकीकृत इस्पात संयंत्र

(ख) गौण क्षेत्र में 169 लघु इस्पात संयंत्र

(ख) दो

(ग) शून्य

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति

5143. **श्री एम० रमन्ना राय :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं और मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) क्या सभी का समान दर्जा है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्तियां भारत सरकार भारतीय विदेश सेवा अथवा सरकार से बाहर के विख्यात लोगों में से अपने विवेक से करती है ।

(ख) जहां तक प्राप्तकर्ता राज्य का सवाल है, राजदूत के दर्जे में उनके लिए कोई अन्तर नहीं होता लेकिन जहां तक हमारा सवाल है प्रशासनिक उद्देश्य से इन राजदूतों की सेवा में उनकी वरीयता के अनुसार और भारतीय विदेश सेवा से बाहर के लोगों के मामले में सरकार के निश्चय के अनुसार वर्गीकरण होता है ।

दिल्ली तथा मुम्बई में स्थानीय टेलीफोन कालों के लिए मीटर लगाना

5144. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार को महानगर टेलीफोन निगम की ओर से दिल्ली और मुम्बई के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में सभी स्थानीय कालों को प्रत्येक तीन मिनटों की अवधि के अन्तर से मीटर में दिखाने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने इस प्रस्ताव के विरोध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । टेलीफोन प्रयोक्ताओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) स्थानीय कॉलों को तीन मिनट की अवधि के आधार पर प्रभारित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

भूटानी नागरिकों द्वारा घुसपैठ

5146. **श्री चित्त बसु :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नेपाली मूल के भूटानी नागरिक बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में घुस आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) हाल में नेपाली मूल के भूटानी नागरिकों द्वारा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ करने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

निवर्तमान पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों का पुनर्वास

5147. **श्री चित्त बसु :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवर्तमान पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों में से कई व्यक्तियों का पुनर्वास का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में आवासीय समस्याओं को सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचार हेतु कई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में जुलाई, 1991 में एक ज्ञापन दिया है ।

(ग) ज्ञापन की जांच की गई है । पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की 1950 के बाद की 607 अनाधिवासी बस्तियों को नियमित करने संबंधी शेष समस्या को पूरा करने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

अण्डमान द्वीप में ज्वालामुखी

5148. **श्री साईमन मरान्डी :**

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान द्वीप में ज्वालामुखी बड़ी मात्रा में आग और लावा उगल रहा है और समुद्र के अशान्त होने के कारण वहां पहुंचना कठिन हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ज्वालामुखी के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों को तेजी से शोध कार्य प्रारम्भ करने हेतु समुचित सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) बैरन द्वीप में हुए ज्वालामुखी प्रस्फुटन के अध्ययन के लिए अंडमान प्रशासन तथा नौसैनिक प्राधिकारियों द्वारा वैज्ञानिकों को हर सम्भव सुविधाएं दी जा रही हैं। उनकी सहायता से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दल, समुद्री विकास विभाग तथा स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के वैज्ञानिकों का दल बैरन द्वीप में तीन बार जा चुका है तथा उसने वहां से लावा और राख के कुछ नमूने अध्ययन के लिए एकत्र किए हैं।

जून, 1991 के अन्त से खराब मौसम के कारण बैरन द्वीप पर समुद्री मार्ग से पहुंचना सम्भव नहीं रहा है और गंतव्य स्थल पहले से ही धधकते लावा से भर गया है, अतः मौसमी हालात में सुधार के बाद उस द्वीप में परवर्ती अध्ययन शुरू करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हेली-कोप्टरों और समुद्री जहाजों की वाहक मदद के लिए रक्षा प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

ज्वालामुखी गतिविधि एक प्राकृतिक घटना है तथा ज्वालामुखीय लावा एवं राख के प्रस्फुटन की रोकथाम नहीं की जा सकती। तथापि, अंतरिक्ष विभाग द्वारा उपग्रह से मिले आंकड़ों की मदद से इस घटनाक्रम की निगरानी की जा रही है।

जाली नोट पकड़े जाना

5149. **डा० लक्ष्मी नारायण** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि के जाली नोट पकड़े गए;

(ख) इस सम्बन्ध में न्यायालयों में कितने आपराधिक मामले लम्बित पड़े हैं और इन वर्षों में कितने व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया गया; और

(ग) भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जाली मुद्रा (नोटों) सहित, अपराधों के पंजीकरण, छानबीन और जांच पड़ताल की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। इस सम्बन्ध में सूचना और आंकड़े तथा न्यायालय के मामले, पूरे भारत के आधार पर, केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा एकत्रित, समन्वित और मोनीटर नहीं किए जाते हैं।

(ग) क्योंकि पंजीकरण, छानबीन और जांच-पड़ताल राज्य का विषय है, इसलिए ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाने का कार्य राज्य सरकारों का है।

नई दिल्ली में नयी यातायात प्रणाली के लिए विशेषज्ञ दल

[हिन्दी]

5150. **श्री पीयूष तिरकी** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली में जिस यातायात संचरण प्रतिमान का प्रयोग किया जा रहा है उस पर विचार करने के लिए सरकार का एक विशेषज्ञ दल गठित करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्षेत्र के निवासियों तथा व्यापारियों के क्षोभ का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका के सहयोग से ट्रेफिक पुलिस द्वारा कनाट प्लेस में प्रयोगात्मक आधार पर अपनाई गई नवीन यातायात परिचालन पद्धति का विकास केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। इस समय एक और विशेषज्ञ दल के गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

टिहरी परियोजना द्वारा सिंचाई

5151. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में टिहरी परियोजना द्वारा जिले-वार कुल कितने भूमि क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मध्य गंगा नहर चरण-1, आगरा नहर, निम्न गंगा नहर और समानान्तर निम्न गंगा नहर के विद्यमान कमान क्षेत्र में टिहरी बांध परियोजना 2.7 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी। मेरठ, बिजनौर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुजफ्फरनगर, इटावा, मैनपुरी, एटा और फर्रुखाबाद जिले इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जिलावार सिंचित किए जाने वाले क्षेत्रों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

———

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली महानगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव 5 फरवरी, 1983 को हुए थे। कार्यकाल पूरा होने और चुनाव की घोषणा के चार दिन पहले 24 दिसम्बर, 1987 को केन्द्र सरकार ने दिल्ली को नया ढांचा देने हेतु सरकारिया कमेटी का गठन किया और दिल्ली के चुनाव स्थगित कर दिए। सरकारिया कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। नौवीं लोक सभा में इस मुद्दे को अनेक बार उठाया गया और उस समय के प्रधानमन्त्री और होम मिनिस्टर बार-बार यह आश्वासन देते रहे कि दिल्ली का स्टेटहुड का बिल इस सदन में आएगा परन्तु वायदे ऐसे ही रहे। दिल्लीवासियों को घोषणा और वायदों के अलावा कुछ नहीं मिला। आज पंजाब में चुनाव कराने की मांग हो रही है परन्तु दिल्ली में चुनाव को आठ वर्ष हो गए, इस बारे में कोई भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली में कोई भी

[श्री मदन लाल खुराना]

निर्वाचित ढांचा नहीं है जो दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हो। अफसरशाही का राज है, ये एकतरफा नीति बनाते हैं और घोषणा करते हैं। दिल्ली की जनता अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के के लिए मारी-मारी फिरती है। यह अति आवश्यक है कि दिल्ली के चुनाव के बारे में केन्द्रीय गृह मन्त्री इस सदन को वक्तव्य दें।

कुछ दिन पूर्व प्रधानमन्त्री जी से दिल्ली के सभी संसद सदस्य श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में एक डैलीगेशन के रूप में इस बारे में मिले थे। प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि आपको बहुत जल्दी इस बारे में बताया जाएगा। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बारे में जो नोटीफिकेशन जारी हुआ है, 3 या 4 सितम्बर को उसकी डेट समाप्त हो रही है। उसका नोटीफिकेशन फिर से होने वाला है। होम मिनिस्टर यहां बैठे हैं, आज दिल्ली की जनता बहुत दुखी है, तंग है। दिल्ली में स्टेटहुड बाद में मिलता रहे, उसका फैसला बाद में करते रहें, भावी ढांचे का फैसला बाद में करते रहें लेकिन दिल्ली की जनता को उनके जनतान्त्रिक अधिकारों से जो वंचित रखा जा रहा है उसको बहाल करने के लिए चुनाव करवाए जाएं। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) । अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में विधान सभा की मांग होती रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। अन्य दल भी इस मांग से सहमत हैं। लेकिन विधान सभा मिलना तो अलग रहा, कारपोरेशन और मैट्रोपोलीटन काउंसिल के चुनाव नहीं हो रहे हैं। चौबे जी छब्बे बनने थे और दुबे ही रह गए। चिराग तले अन्धेरा ठीक नहीं है। दिल्ली में तत्काल चुनाव होने चाहिएं। जो भी संस्थाएं हैं वे निर्वाचित हों। जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका काम चलाया जाए। दिल्ली की उलझती हुई समस्याएं हल हों। गृह मन्त्री जी उत्तर प्रदेश में बहुत रूचि ले रहे हैं जरा दिल्ली में भी रूचि लें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ श्री अयूब खां जी जो कहेंगे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझनू) : जनाब सदरे मोहतरम, मेरी जानकारी में यह बात लाई गई है कि राजस्थान में एक समुदाय के, लोगों को खासकर मुसलमानों को, टाडा कानून के तहत बिना छानबीन किए गिरफ्तार किया गया है। वह बेसहारा लोग आज दो साल से जेलों में सड़ रहे हैं, यह कितनी आश्चर्यजनक और दुखद बात है। राजस्थान में ऐसी कोई हालत भी नहीं है जहां पर टाडा जैसे कानून का प्रयोग ऐसे हल्के स्तर पर किया जाए और सिर्फ मुसलमानों पर ऐसा जुल्म लादा जाए। राजस्थान की सरकार किन कारणों से इन राजस्थानी मुसमलानों को दो नम्बर का शहरी मानती है, यह दुभांत किस वजह से है, मुसलमानों के प्रति यह दुराग्रह क्यों है ? मुसलमानों पर यह अन्याय क्यों है ?

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजस्थान में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसका मैं आपसे अनुरोध करूंगा । आज राजस्थान के मुसलमान दो साल से जेलों के अन्दर टाडा एक्ट के अन्दर सड़ रहे हैं, जिनमें उम्र 80 साल, 60 साल और 70 साल के बूढ़े लोग भी हैं, जिनको टाडा एक्ट के अन्दर बन्द किया गया है ।

साम्प्रदायिक झगड़े में सभी समुदाय के लोगों को पकड़ा गया मगर मुसलमानों के अलावा बाकी सबको छोड़ दिया गया और फक़त मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया । आज दो साल से राजस्थान के वे 119 मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं और उन जेलों के अन्दर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है । उनमें 13 और 14 साल के बच्चे भी हैं और 60 साल, 70 साल और 80 साल के ज़ईफ लोग भी शामिल हैं ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में विधान सभा के अन्दर बताया है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं मिला । उन्होंने माना है कि किसी के पास भी कोई विस्फोटक चीज नहीं मिली है, मेरे पास उस क्वश्चन की कॉपी है । मैं आपके सामने राजस्थान विधान सभा का क्वश्चन नं० 27 पेश कर रहा हूं जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि उन व्यक्तियों में से किसी के पास भी कोई हथियार नहीं मिला, कोई विस्फोटक चीज नहीं मिली, उसके बावजूद किस बिना पर राजस्थान की सरकार उन मुसलमानों को दो नम्बर का शहरी मानकर जेल में रख रही है ?

मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से यह आग्रह करूंगा कि 150 लोगों का डेलीगेशन होम मिनिस्टर साहब से मिला है, 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिला है लेकिन अभी तक उनको कोई भी सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला है । मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अब सरकार उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय दे और यह तसल्ली दिलाए कि भारत का संविधान क्या यह इजाजत देता है कि एक समुदाय के लोगों को, सिर्फ मुसलमान होने के नाते जेल में डाल दिया जाए, यह ताज्जुब की बात है ? अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है और जुर्म साबित होता है, अगर वह कसूरवार है तो उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन अगर कसूरवार नहीं है तो सिर्फ इस बिना पर जेल में डालें कि वह मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखता है, यह ठीक नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम मुख्य रूप से आतंकवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण पाने हेतु लाया गया था लेकिन अनेक राज्य सरकारों द्वारा इस आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम को निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक आधार पर प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जाए जो उन सब राज्यों के लम्बित पड़े हैं जहां कि सत्ता वैसे लोगों के हाथों में है जो कि पूर्णतः साम्प्रदायिक भावना से ग्रसित हैं और वहां गिरफ्तार सभी निर्दोष व्यक्तियों को मुक्त किया जाए । मैं गृह मन्त्री जी से आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम के अन्तर्गत सभी मामलों पर पुनर्विचार करने और स्थिति में सुधार लाने का आग्रह करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम माननीय **गृह मन्त्री से स्पस्ट आश्वासन चाहते (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दाऊदयाल जी आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालकादास जी आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : **अध्यक्ष** महोदय, यह दिल्ली **के लोगों का मामला है। आप इस** तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आप **सभा में उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप उचित** भाषा का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप **उचित भाषा का प्रयोग** करें। यह सभा सिर्फ कालका दास जी के लिए नहीं है, यह **सभा श्री अयूब खां और श्री दिग्विजय** सिंह जी के लिए भी है। यह आप सभा का समस्त समय ले लें तो मैं **इसकी अनुमति नहीं दे** सकता ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना स्थान ग्रहण करना है। **कृपया इस प्रकार से मत** कीजिए। इस मुद्दे को उठाने की अनुमति मैंने सबसे पहले खुराना जी को दी है। इस मुद्दे पर भाषण देने की अनुमति मैंने आपके दल के एक और सदस्य को दी है। मैं आपके दल के सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता, अन्य सदस्यों को भी बोलना है। कृपया सभा में प्रभुत्व जमाने अथवा इस प्रकार का व्यवहार करने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे एक वरिष्ठ सदस्य के लिए यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

गृह मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से एक **शिष्टमण्डल आया** था और मुझसे भेंट की थी ।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक **अनुरोध करना चाहता हूं।**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा। उन्होंने किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, आपने माननीय गृह मन्त्री महोदय को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे नहीं कहा है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे दूसरों को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, राजस्थान से एक शिष्टमण्डल आया था और मुझसे मिला था। उन्होंने मुझे बतलाया कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत अनेक ऐसे लोगों को जेल में बन्द कर दिया गया है जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोप नहीं है। मैंने राजस्थान सरकार से इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की छानबीन करने जा रहा हूं और यदि इसमें निर्दोष लोगों को बन्द किया गया है तो निश्चित रूप से हम सभी मामलों पर पुनर्विचार करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने कहा है कि निर्दोष व्यक्तियों को जेल में बन्द नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी सबूत है, मेरे क्षेत्र से उसी सम्प्रदाय के लोगों को पकड़ा गया है, जिनको भाजपा के लोगों ने टाडा में बन्द किया हुआ है। मैं गृह मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे खास ध्यान दें, क्यों एक खास सम्प्रदाय के लोगों को पकड़ा जा रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सरकार का, विशेष रूप से पैट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत कुछ विदेशी तेल कम्पनियों को तेल निकालने के लिए बम्बई हाई, जो कि हमारे देश में तेल और गैस का महत्वपूर्ण भंडार है, के कुछ महत्वपूर्ण खण्डों को देने का निश्चय किया गया है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ चित्त बसु जी के वक्तव्य को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री चित्त बसु : महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि तेल की खोज और ड्रिलिंग कार्य के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग हमारे देश की एक प्रमुख संस्था है। बम्बई हाई में तेल निकालने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त है और हमारे देश समेत पूरे विश्व

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री चित्त बसु]

में तेल की खोज करने के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। अब बम्बई हाई के उन खण्डों को किसी विदेशी कम्पनी को सौंपने के सरकार के निर्णय का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विरोध किया गया है। चौंका देने वाली बात यह है कि इस मामले में रक्षा मन्त्रालय भी आ चुका है और ऐसी खबर है कि उसने विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज करने सम्बन्धित परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

यदि हमारे देश के तेल संसाधनों पर विदेशी कम्पनियों का वर्चस्व कायम होने दिया जाता है तो इससे उत्पन्न सम्भावित खतरे का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हमारे देश में विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज करने का सम्बन्ध है, अभी तक हमें बहुत ही बुरे और दुखद अनुभव हुए हैं। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं कि तेल की खोज करने का कार्य भी विदेशी कम्पनियों को सौंप दिया जाये जोकि बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनियां हैं। यह कदम जो सरकार उठाने जा रही है बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूं कि इससे न सिर्फ एक प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्वायत्तता कम होगी बल्कि इससे हमारे देश की सुरक्षा का भी खतरा होगा।

इसलिए, मैं चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का कोई आदेश है तो उसे तत्काल वापस ले लिया जाना चाहिए और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं तेल की खोज का कार्य कर सकें और फलस्वरूप तेल उत्पादन के क्षेत्र में देश आत्म निर्भर बन सके।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, दो या तीन सप्ताह पहले मैं और मेरे सहयोगी प्रधान मन्त्री जी से मिले थे और उनके सामने हमने यह बात रखी कि चार साल से दिल्ली की जनता मेट्रोपोलिटन काउंसिल और कारपोरेशन से वंचित रही है और इसलिए हमारे लिए या जो भी यहां से स्वीकृत हो लोक सभा के लिए उनका दायित्व निभाना मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारा निवेदन है कि या तो असेम्बली की बात स्वीकार की जाए या चुनाव कराए जाएं।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि आपकी बात न्यायोचित है, मैं इस बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय करके आपको अवगत कराऊंगा। अब 3 सितम्बर को नोटिफिकेशन समाप्त होने वाला है और फिर से उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इसलिए मेरे साथियों ने आग्रह-पूर्वक यह जानना चाहा गृह मंत्री जी से, कि इस बारे में क्या निर्णय हुआ है। क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है कि हम असेम्बली बनाने जा रहे हैं या मेट्रोपोलिटन काउंसिल के चुनाव कराने जा रहे हैं। आज जो गृह मंत्री सदन को अनशेड्यूल्ड जानकारी देने के लिए खड़े हैं और जो उन्होंने जानकारी दी, उससे यह आभास मिला कि जैसे राजस्थान की सरकार टाडा का दुरुपयोग कर रही है। मैं चाहूंगा कि हमारी सारी सरकारों को वहां पर निर्देश हैं कि टाडा का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब कि मैं गुजरात से आया हूं, वहां का प्रतिनिधि हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 426 लोग टाडा के अन्दर बन्दी हैं (व्यवधान) मैं चाहूंगा कि टाडा का दुरुपयोग जहां पर भी होता हो उसको रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार कठोर कदम उठाए, उनको आवश्यक

निर्देश दे। जहां तक राजस्थान का सवाल है मेरे यहां पर साथी बैठे हैं वे लोग बताते हैं कि जो लोग बन्दी हैं वे बम विस्फोट में सारे उलझे हुए हैं और इसीलिए किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी दिल्ली के बारे में हमको जानकारी दें कि उन्होंने क्या निर्णय किया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : श्रीमान, पहले तो मैं इस बात से इंकार करता हूं राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल एक सम्प्रदाय के लोगों के लिए टाडा का इस्तेमाल क्यों किया जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे राजस्थान में चल रहे घटनाक्रम का हवाला देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि इसके लिए मैंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को पहले से ही अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : जब आप श्री बूटा सिंह को अनुमति दे सकते हैं तो क्या मुझे बोलने का कोई हक नहीं है ? आप मुझे अनुमति क्यों नहीं देंगे ? मैं राजस्थान का प्रतिनिधि हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को पहले से ही अनुमति दे दी है। आप कृपया संयम रखें।

श्री जसवन्त सिंह : वे विरोधी दल के नेता की हैसियत से बोल सकते हैं। आप संयम रखने के लिए क्यों कहते हैं जब कि श्री बूटा सिंह को आपने इजाजत दी है आपने उन्हें अनुमति क्यों दी है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों से हम यही उम्मीद करते हैं कि जब कभी किसी सदस्य द्वारा कोई मामला उठाया जाता है, तो दूसरा सदस्य उसी विषय पर न बोले। लेकिन किन्हीं मामलों में यदि वरिष्ठ सदस्य अथवा नेतागण कुछ कहने के लिए उठते हैं तो उन्हें ऐसा करने देना शिष्टाचार की बात है। यदि आप इस नियम को सभी पर लागू करना चाहते हैं तो इस सदन में मुझे 542 सदस्यों की अनुमति होगी। इसमें निहित कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं एक और मुद्दा उठाने के लिए आपको अनुमति दे रहा हूं उसे भी मैंने ध्यान में रखना है। इसलिए कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। हम यहां आपकी सुविधा के लिए है आपकी भावना को दबाने के लिए नहीं। परन्तु यदि इस प्रक्रिया में यदि श्री जसवन्त सिंह को मैं नकारात्मक उत्तर दे रहा हूं, तो आपको इसे समझना चाहिए। ऐसा कहना मेरे लिए बहुत कठिन भी है क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा जो कि नियमों के अनुसार न हो। परन्तु कभी-कभार यदि मुझे तनिक कहना भी पड़े तो कृपया यह न समझें कि मैं आपके प्रति अशिष्टाचार का व्यवहार कर रहा हूं। मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि आप हमेशा नियमों का पालन करते हैं। मना करने की

अपेक्षा मैं आपको बोलने की अनुमति देना अधिक पसन्द करूंगा । परन्तु उस अवस्था में यदि मैं एक सदस्य को अनुमति देता हूं तो दूसरों को भी अनुमति प्रदान करनी होगी । कृपया इस कठिनाई को समझिएगा (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, जब अटल जी और आडवाणी जी बोलते हैं तब हम लोग उनको चुपचाप सुनते हैं, लेकिन जब बूटा सिंह जी बोलने के लिए खड़े हुए तो सारे बी० जे० पी० के मेंबर खड़े हो गए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको दो बार बोलने की अनुमति दी है । मैंने उनको रोका नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह न सोचें कि मैं सभा में बोल रहा हूं । सभा में आप बोल रहे हैं । अधिक से अधिक सदस्यों को समय मिल सके, यह देखना मेरी जिम्मेदारी है । श्री बूटा सिंह को बोलने की अनुमति मैंने दी है । केवल एक बार नहीं अपितु वे दूसरी ओर भी बोले हैं । जब मैंने बल-पूर्वक श्री जसवन्त सिंह को बैठने के लिए कहा तो मैं श्री बूटा सिंह को भी बोलने से रोक सकता था फिर भी उन्होंने कई बातें कही हैं । मैं उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहा था । कृपया मामले की जटिलता को समझकर अनुशासित रहकर मुझे सहयोग दें । मैं यहां आपकी भावना को दबाने के लिए नहीं हूं । आपको बोलने से रोकने के लिए नहीं हूं । बोलने में आपकी सुविधा के लिए ही मैं यहां हूं । आपको वह सुविधा तब दी जा सकती है जब आप सभी अपने अधिकारों के दायरे में कार्य करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा अभिप्राय आपके विरुद्ध कहने का है । कृपया तर्क न करें । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा । यदि कोई और मामला शेष है, तो आपको अनुमति दे दूंगा । पहले श्री बूटा सिंह ने भी कुछ बातें कही हैं लेकिन आप वैसा नहीं कर सकते । कृपया समझने की कोशिश करें । मैंने आपको स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है । मैं आपका सहयोग मांग रहा हूं । आपको यह समझना चाहिए । मन को दबाने की कोशिश न करें । मैं यह समझ रहा हूं कि आप अपनी बात को कहने के लिए बहुत उत्सुक हैं । लेकिन हम उसे 24 घण्टे से आगे नहीं ले जा सकते ।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, जब हम इनकी बात शान्तिपूर्वक सुनते हैं तो फिर इनको भी हमारी बात शान्तिपूर्वक सुननी चाहिए । जब श्री बूटा सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तो ये सब लोग खड़े हो गए, यह ठीक बात नहीं है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार, जिस प्रकार मैंने श्री कालका दास को चेतावनी दी है, उसी प्रकार मैं आपको भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करने की चेतावनी देता हूं। अगर आप इस तरह के छिछोरे ढंग की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं आपके विरुद्ध भी अपने प्राधिकार का प्रयोग करूंगा।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : मैंने इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज नहीं की है, मैंने कहा है कि जब अटल जी, आडवाणी जी या अन्य माननीय सदस्य बोलते हैं तो हम शांतिपूर्वक सुनते हैं, लेकिन जब श्री बूटा सिंह जी बोलने के लिए खड़े हुए तो ये सब लोग खड़े हो गए। इस तरह से श्री बूटा सिंह जी को न बोलने देना और प्रेशर बिल्टअप करना ठीक बात नहीं है! इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। न ही आप और न ही इस पक्ष के लोग इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। अगर आप सीमा से बाहर जाओगे, तो मैं आपको इस प्रकार की अनुमति नहीं दूंगा। सभा को झांसा देने का प्रयत्न मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह समय उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए नहीं है, जो उठाए गए हैं, लेकिन एक प्रश्न जो उठाया गया था उसके बारे में मेरे पास जानकारी है और चूंकि प्रतिनिधिमंडल आ चुका था अतः उस प्रश्न का जवाब देना मैं आवश्यक समझता था। मैंने प्रपत्रों का अध्ययन कर लिया है क्योंकि उस वक्त मेरे पास उपलब्ध थे। जो कुछ मैंने कहा उसका अर्थ मात्र यही था कि यह प्रश्न उन लोगों से संबंधित है, जो निर्दोष हैं। अगर सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है कि कुछ व्यक्ति जो वास्तव में निर्दोष हैं और आतंकवादी तथा विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार हैं तो मैं अवश्य ही व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करूंगा और यह किसी के ऐसा-वैसा कहने की बात नहीं है बल्कि सरकार को यह विश्वास हो गया है कि निर्दोष व्यक्ति व्यर्थ ही इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तभी तो मैंने कहा कि जहां भी ऐसे मामले होंगे मैं उनका पुनरावलोकन करूंगा। यह केवल राजस्थान की ही बात नहीं है......
(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : गुजरात भी।

श्री एस० बी० चव्हाण : गुजरात भी भारत का ही भाग है। कृपया मेरा साथ दीजिये। जब भी ऐसे मामले मेरे नोटिस में लाये जाते हैं और मुझे विश्वास हो जाता है कि वास्तव में उन लोगों को रियायत की जरूरत है और मामले में वास्तव में केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की जरूरत है तो हम मामले की जांच करेंगे।

माननीय विपक्षी नेता द्वारा उठाए गए विषय पर मेरे पास अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक बात पर मैं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करूंगा। चुनाव करवाने का मामला ऐसा है

[श्री एम० वी० चव्हाण]

जिस पर सरकार ध्यान दे रही है और केवल एक ही मामला ऐसा है जिस पर हमें निर्णय लेना है और वह यह है कि चुनाव परिसीमन से पहले होने चाहिए अथवा बाद में होने चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है। जितनी जल्दी उसे अन्तिम रूप दिया जाता है उतनी जल्दी हम इस मामले में अन्तिम निर्णय ले सकेंगे। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का प्रयोग ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं मुझे यह पसन्द नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है। क्या आप यह चाहते हैं कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, उसे सुना जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। चूंकि श्री आडवाणी और श्री वाजपेयी दोनों यहां मौजूद हैं, मैं एक महत्वपूर्ण मसला उठाना चाहता हूं। मेरा संकेत डाला स्थान पर स्थित उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम के मजदूरों के सामने आ रही समस्याओं की तरफ है, जहां गोली चलाई गई और कुछ श्रमिक मारे गए। पिछले कुछ दिनों से लखनऊ में अब 500 महिलाओं समेत तीन हजार मजदूर अपनी मांग के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। एक नेपाली नाम का आदमी भूख से मर गया है। श्री आडवाणी के दल ने अपने चुनाव-घोषणा-पत्र में यह सम्मिलित किया था कि चुनावों के पश्चात् निजी इकाई के साथ हुए समझौते को समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। चार-पांच हजार कामगार अस्पताल में हैं। यह मामला बहुत गम्भीर हो गया है। मैं सरकार से भी इस मामले की जांच करने के लिए कहूंगा तथा उन्हें, विशेषकर अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों श्री आडवाणी और श्री वाजपेयी को श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने हेतु अपनी सद्भावना का प्रयोग करने के लिए कहूंगा। ऐसे कुछ कदम उठाये जा सकते हैं ताकि उनकी जायज मांगों को पूरा किया जा सके। श्रीमती सुभाषिनी अली ने मुझे फोन पर बताया कि वे खुले में बैठे हैं वर्षा में भीग रहे हैं। कितने दिनों से वे वहां बैठे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति वहां यह देखने तक नहीं गया है कि वहां क्या हो रहा है। अतः मैं सरकार से और विपक्ष के नेता से भी अनुरोध करूंगा कि इस मानवीय समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाये। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : हम भी यह प्रश्न उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और डालमिया के मध्य हुआ समझौता संदेहास्पद है। **(व्यवधान)**

मैंने कहा है, "उत्तर प्रदेश सरकार"। वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषित किया था और अपने चुनाव-घोषणा-पत्र में कहा था कि जैसे ही वे फिर से सत्ता में आएंगे उसे तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन दो-तीन महीने बीत जाने

के पश्चात् भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। बल्कि वे तो डालमिया समूह का समर्थन कर रहे हैं ताकि उस व्यापार-समझौते को जारी रखा जा सके। हमारी मांग है कि उस सन्देहास्पद व्यापार-समझौते को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये और कामगारों के हित की सुरक्षा की जानी चाहिये। यही हमारी मांग है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पिछली सीटों पर बैठे सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पुलिस की गोली के शिकार हुए कामगारों के परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आडवाणी जी अपने दल के सदस्यों को शांत रखें ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। हिमाचल प्रदेश में पिछली रात कर्मचारी नेता, विद्युत परियोजनाएं निगम को सौंपने के खिलाफ धरना दे रहे थे तो उन पर लाठी चार्ज हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के हर गांव व शिमला; सोलन, सरमौर, उना, कांगड़ा, चम्बा और मण्डी जैसे तमाम जिलों में पानी व बिजली की सप्लाई बन्द हो गई है। हिमाचल सरकार ने आपात बैठक करके मुख्यमन्त्री ने सेना के सुपुर्द कर दिया। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों के कर्मचारी, मरीज व गांवों की महिलाओं को मुश्किल में डाला है। सरकार फेल हो चुकी है। पहले भी पालनपुर से लेकर मण्डी, चम्बा, नाहन और शिमला जैसे तमाम जिलों में फौज का मार्च करवाकर लोगों में दहशत पैदा की थी जब मण्डल आयोग के बारे में एजीटेशन चल रहा था।······(व्यवधान) मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल के लोगों को इस जालिम सरकार से बचाया जाए और लोगों के साथ न्याय किया जाए। अगर सरकार इनकी आवाज नहीं सुनती है तो वहां की सरकार को डिसमिस किया जाए। ···(व्यवधान)

श्री राम लखन सिंह यादव (आरा) : बिहार प्रदेश के डालमिया नगर में बहुत वर्षों से सीमेंट, चीनी, कागज और वनस्पति आदि से ही बहुमूल्य सामग्रियों का कारखाना चल रहा था जिसमें पन्द्रह हजार कर्मचारी कार्यरत थे। लेकिन कुछ वर्ष पहले मालिकों और प्रबन्धकों के कारण यह कारखाना बन्द हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार की ओर से पन्द्रह करोड़ रुपए और बिहार सरकार की ओर से भी पन्द्रह करोड़ रुपए यानी तीस करोड़ रुपए की राशि देकर इस कारखाने को चलाने के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन तीस करोड़ रुपए वहां के वर्तमान प्रबन्धक की गड़बड़ी के कारण समाप्त होता रहा है और कारखाना चलाने की दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। इतना ही नहीं, पन्द्रह हजार कर्मचारियों के ऊपर लगभग दो लाख सदस्यों का जीवन निर्भर करता है। आज वे भूखो मर रहे हैं। उपरोक्त स्थिति में मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तीन व्यक्तियों की टीम बनाकर उस कारखाने को सही ढंग से पुनर्जीवित करने की दिशा में जांच कर कदम उठाएं और आदेश दें ताकि पन्द्रह हजार कर्मचारी तथा उनके ऊपर निर्भर दो लाख व्यक्तियों का जीवन निर्वाह हो सके। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत प्रत्येक सराचक कम्पनी में कुछेक हजार की संख्या में ठेके के श्रमिक स्थायी और सतत चलने वाले कार्य में

[श्री हाराधन राय]

नौकरी कर रहे हैं। यह ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम का सरासर उल्लंघन है। भारत सरकार के संबंधित मन्त्रालय ने कुछ नौकरियों को निषिद्ध श्रेणी में रखा है जिन्हें ठेकेदार द्वारा नहीं लिया जा सकता। लेकिन कोल इण्डिया लिमिटेड सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए अभी भी ठेके पर श्रमिकों को रखे हुए है। वे सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, मृत्यु और चिकित्सा के आधार पर अयोग्य ठहराये जाने आदि के कारण रिक्त हुए पदों को नहीं भर रहे हैं। वे इन रिक्त पदों पर ठेके के श्रमिकों को नियुक्त कर रहे हैं।

कुल कोयला उत्पादन का 40 प्रतिशत भाग खुली खदानें उत्पादित कर रही हैं। सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए बहुत सी ये खुली खदानें ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही हैं जिनमें उनके अपने आदमी और मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन दबाव में आने के कारण अब कोल इण्डिया लिमिटेड ने ठेकेदारों द्वारा चलाई जाने वाली खुली खदानें कुछ क्षेत्रों में बन्द कर दी हैं और उसके परिणामस्वरूप कामगार बेरोजगार हो गए हैं।

इन ठेके के श्रमिकों को मजदूरी/वेतन और अन्य लाभों से वंचित रखा जा रहा है, जो उनके प्रतिनिधियों को मिल रहे हैं जो कम्पनी के वेतन-चिट्ठे पर निर्भर थे या हैं। ये कामगार पूर्णतः ठेकेदारों की दया पर निर्भर करते हैं।

अतः, मैं मांग करता हूं कि ये सभी खुली खदानें विभागीय आधार पर चलाई जानी चाहिए और उपरोक्त वर्णित ठेके के श्रमिकों, जो वहां कार्य कर रहे थे अथवा कर रहे हैं, को तुरन्त ही भूतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाना चाहिए और उन्हें वे सभी लाभ जो उनके प्रतिपक्षियों को कम्पनी के वेतन-चिट्ठे से मिल रहे हैं दिए जाने चाहिए।

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, मैं बिजली से चलने वाले पम्प पुर्जों/अतिरिक्त पुर्जों को उत्पाद शुल्क से छूट देने के मामले को उठाना चाहता हूं।

बिजली द्वारा चालित पानी के पम्प मुख्यतः कृषि कार्य में प्रयुक्त किए जाते हैं और उन्हें उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है। लेकिन जब इस समय पुर्जे और अतिरिक्त पुर्जों को पम्प-कारखानों से बाहर उपभोग के लिए बनाया जाता है, तो उन पर उत्पाद-शुल्क लगना चाहिए।

ये पम्प लघु पैमाने के उद्योगों में बनाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय ऊर्जा के 20 प्रतिशत भाग का उपभोग करते हैं। कम ऊर्जा खपत वाले और कम मूल्य वाले प्रारूप अब विकसित रूप में हैं जो 30 प्रतिशत तक आयातित दुर्लभ कच्चे माल और 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत बिजली की बचत कर सकते हैं। इसके घटकों का निर्माण तथा मानकीकरण व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा किया जाना चाहिए जबकि उनकी असम्बली का कार्य एस० एस० आई० द्वारा किया जाना चाहिए। इन पम्पों पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने से इसमें प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी और ऊर्जा बचत करने वाले पदार्थ बनाने और उनके मानकीकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा होने दिया गया, तो इससे निर्धन किसान प्रभावित होंगे।

अतः, मैं माननीय वित्त मन्त्री से पम्प के अतिरिक्त पुर्जों और घटकों से उत्पाद शुल्क हटाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, बिहार में सोन नहर पांच जिलों को जिन्दा रखती है। 28 लाख एकड़ जमीन में इससे सिंचाई होती है। यह अंग्रेजों के समय में बनी थी। लेकिन 42 वर्ष की आजादी के बाद इस नहर की दयनीय हालत है। यहां के इन्जीनियर ने रिपोर्ट दी है कि अगर भारत सरकार 20 अरब रुपए खर्च करे तो उसको पक्का बना दिया जायेगा और 28 लाख एकड़ की जगह 34 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। पिछले साल सरकार ने 22 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पांच जिलों के लोगों को जिन्दा रखने वाली सोन नहर को पक्का करने के लिए 20 अरब रुपए जल्दी से दिए जायें जिससे कि वहां की जमीन में सिंचाई हो सके।

श्री चन्द्रभाई देशमुख (भड़ौच) : अध्यक्ष जी, गुजरात में करजण, दमन गंगा, देव और गुहाई बांध सात साल से बने हुए हैं, लेकिन उन बांधों का पानी बनवासी क्षेत्रों को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी नहरें रेल क्रासिंग के नीचे गुजरती हैं। उस पर आज तक नाले नहीं बनाए गए। नाले बनवाने के लिए गुजरात सरकार ने रेल मन्त्रालय को लिखा है और लाखों रुपयों की धनराशि जमा करा दी गई, फिर भी सात साल से इस समस्या का हल नहीं हो रहा है। गुजरात की योजनाएं ऐसी हैं जो वन मन्त्रालय की ओर से जंगल की जमीन नहीं मिलने के कारण लम्बित पड़ी हुई हैं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या को तुरन्त हल करे।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत : (राजापुर) : मैं पिछले एक महीने से इस मुद्दे को उठाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। छोटे और सीमांत किसानों को प्रभावित करने वाला यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : हम कृषि मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। और आप शून्यकाल में इसकी चर्चा कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : मैं नहीं जानता कि कृषि मन्त्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर मुझे मिलेगा कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृषि मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री सुधीर सावंत : पिछले एक महीने से मैं इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयास करें कि हम कृषि मन्त्रालय की मांगों पर पहले ही चर्चा कर रहे हैं और ऐसी बातों की अभी अनुमति नहीं दी जाती। आप नए सदस्य हैं आप प्रक्रिया को नहीं समझते, इसीलिए आप यह गलती कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : यह कृषि से संबंधित नहीं है। यह कर्ज माफी और राहत से संबंधित है। मेरे क्षेत्र में कृषि क्रियाकलाप बिल्कुल चरमरा गए हैं। आप पिछले एक महीने से मुझे इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहे। मैं इसका कारण नहीं जानता। सारा समय सिर्फ वरिष्ठ सदस्यों को ही मिलता है और सभा में वे ही बोलते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझें, आप अभी कृषि मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : यह कृषि से संबंधित नहीं है, यह कर्ज माफी से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। आप अपना अज्ञान ही प्रदर्शित कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के वायदे से सम्बन्धित है जो पूरा नहीं किया गया। किसानों को धोखा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, भगवान के लिए, बात को समझें, जब आप कृषि मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हों तो आप से वहां बोलने की आशा की जाती है। अगर आप यह नहीं जानते तो अध्यक्षपीठ को सलाह मानें। आप सिर्फ अपनी अज्ञानता का ही प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : कृपया कृषि मन्त्रालय की मांगों पर बोलने का मुझे समय दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको कृषि मन्त्रालय की मांगों पर बोलने के लिए दस मिनट दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष की अवज्ञा करना एक आदत बन गई है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचना चाहता हूं। इस सदन में बार-बार अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचारों पर चर्चा होती है, लेकिन ज्यों-ज्यों दवा होती है त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता जा रहा है। आज मेरे पास दो टेलीग्राम आए हैं। एक तमिलनाडु से आया है जहां 18 अगस्त को परमकुडि में डा० अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर पुलिस ने गोली चलाई और 7 अनुसूचित जाति के व्यक्ति मारे गए और 100 से अधिक अस्पताल में हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। दूसरा मामला है जो आंध्र प्रदेश वाला है, जहां की चर्चा इस सदन में भी हुई है। चर्चा के बावजूद चेन्दूर में कोई कारंवाई नहीं की गई है और उल्टे आज हमारे पास टेलीग्राम आया है कि जो वहां के विधायक हैं नरसिंह मल्लू और जो दूसरे विधायक हैं और निर्दोष लोग हैं, उनको पुलिस पकड़-पकड़ कर जेल में भरने का काम कर रही है। छः दिन से हजारों आदमी वहां आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष जी, आप सदन और संविधान के रक्षक हैं। इस सदन में चर्चा भी चली है। इस समय गृह मन्त्री नहीं हैं लेकिन सदन के नेता श्री अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं, गृह राज्य मन्त्री भी हैं। इसके अलावा ऐसी महाराष्ट्र में भी घटना हुई है। ये टेलीग्राम आपके पास भिजवा रहा हूं। सदन के नेता से या जैकब साहब दोनों में से कोई इस सदन को आश्वासन दें कि इस तरह की घटनाओं में जो वृद्धि हो रही है और पिछले दिनों इस पर विचार भी हो गया है फिर भी मैं समझता हूं कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है। हम लोगों का सिर शर्म से झुक रहा है। इसलिए सरकार इस सदन के माध्यम से राज्य सरकारों को यह चेतावनी दे कि सम्बन्धित लोगों के सम्बन्ध में कड़ी कारंवाई नहीं की जायेगी तो कुछ नहीं होगा और दिनों-दिन हजारों ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो जायेगी। इसलिए

मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से आग्रह करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पूरे सदन को आश्वासन दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कुछ कहना चाहते हैं। यह उससे संबंधित है। उसके बाद आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे अवसर दिया। यह मामला इतना गम्भीर है, इसलिए सदन का समय लेने का साहस किया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को लेकर यह घटना एक जगह की नहीं है बल्कि मेरा अनुभव रहा है कि कई जगह जहां पर उनकी मूर्तियों को लेकर अनुसूचित जाति का नौजवान तबका अपनी बात रखने के लिए होता है, अपमानित किया गया है और उस पर वहां प्रहार किया गया है। यह देखा जाता है कि सत्ता का ढांचा उसको रक्षा देने में असमर्थ रहता है। इसलिए अनुरोध है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो सामाजिक न्याय के प्रतीक रहे और अब चारों तरफ जागरण का प्रतीक बने हुए हैं, ऐसी घटनाओं के लिए हम सदन के नेता जो यहां बैठे हुए हैं, यह आश्वासन दें कि इस पर कार्यवाही होगी। जैसे आंध्र प्रदेश की गए दिनों बहस होकर फिर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर भी प्रोत्साहन मिलता है कि पार्लियामेंट में बात आयेगी, चर्चा भी होगी, सरकारी घोषणायें होंगी, उसके बाद कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसे तत्वों को साहस मिलता है। वे और भी इस तरह के अन्याय करेंगे। हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि नेता सदन इसका पूरा विश्वास दें और गृह मन्त्री इस पर विश्वास दें कि यह कार्यवाही एक अवधि के अन्दर करके ऐसे लोगों को दण्डित करके सदन को सूचित करें। (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की एक घटना परभनी जिला (महाराष्ट्र) में हुई है। उसके बारे में मैंने आपको लिखा भी है···

[अनुवाद]

यह आरोप लगाया गया है कि 16 अगस्त को जिला परभनी में पिन्त्री देशमुख अम्बादास सावने नामक एक पुलिस कोतवाल को ऊंची जाति के लोगों ने पत्थरों से सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि श्री सावने ने मन्दिर के अहाते में प्रवेश किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस देश का क्या होगा ?

श्री अन्ना जोशी : पुलिस उप अधीक्षक ने मृत्यु की तो पुष्टि की है किन्तु मृत्यु का कारण नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अदालत के मामले की तरह है।

श्री अन्ना जोशी : नहीं, नहीं, यह अदालत का मामला नहीं है। (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिए। (व्यवधान)

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : वह मन्दिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। **(व्यवधान)** उसे मार डाला गया। **(व्यवधान)** उसे पत्थरों से मार डाला गया। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सरकार को इसे रोजमर्रा के मामले के तौर पर नहीं लेना चाहिए। प्रतिदिन हम सुनते हैं। हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं। इस देश को क्या हो रहा है ? धर्म के लिए लोगों की हत्या हो रही है। एक विशेष जाति के होने के कारण लोगों की हत्या की जा रही है। इस देश का क्या होगा ?

श्री अन्ना जोशी : महोदय, श्री सावने जो निचली जाति 'मेहर' के थे, उसने वर्षा से बचने के लिए मन्दिर की सीढ़ियों पर आश्रय लिया था। शहर के निवासियों ने उसके बारे में पूछताछ की और यह पता चला कि उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटा गया और वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। उनका भाई काचरु उसे दूसरे शहर के पुलिस थाने में ले गया जहां अगले दिन 10 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसी शहर की निचली जातियों के लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता। और उन्हें उसी शहर में डा० अम्बेडकर की मूर्ति लगाने नहीं दी गई। पुलिस ने सिर्फ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पर, गृह मन्त्री को मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए और इस सदन में इस घटना पर एक वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि वे भी उसी क्षेत्र के हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, राजस्थान की जनता और ··

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं भी कहना चाहता था···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मैं आपको श्री जसवंत सिंह के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको श्री जसवंत सिंह के बाद अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : इस विषय पर समाप्त हो गया, क्या दूसरा विषय चल रहा है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जसवंत सिंह को बुलाया है। मैंने उनसे दो या तीन बार बैठने के लिए कहा था। यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : मैं फिर बैठ जाता हूं। अगर वह जवाब दे रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए० चारलेस (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, आपने अपना विनिर्णय दे दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने विवेक का प्रयोग किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह एक अलग विषय पर बात कर रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से बीच में क्यों बोल रहे हैं ? वे अलग विषय पर बोल रहे हैं।

श्री ए० चारलेस : महोदय, आप सदन में कार्यवाही वृत्तान्त को देख सकते है। आप पाएंगे कि सदन के नेता ही सदन का अधिकांश समय ले लेते हैं। अधिकांश समय थोड़े से सदस्य लेते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, वे एक अलग विषय के बारे में कह रहे हैं। आप आवश्यक रूप से बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : महोदय, यदि माननीय सदस्य इसी विषय पर बोल रहे हैं, फिर यह सही है। अन्यथा, हमें अवसर मिलता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, आप सदन में काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए, मेरे विचार से, आप अध्यक्ष की दुविधा को समझ सकते हैं। मैंने जसवंत सिंह जो से चार बार बैठने के लिए कहा है। यह सही नहीं है। और जब रवि राय जी उठ गए, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं उन्हें श्री जसवंत सिंह के बाद बोलने की अनुमति दूंगा। श्री रवि राय ने सम्मानपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अगर आप भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप हमें भी अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं तो सदन का सारा समय ले लीजिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़): महोदय, कुछ सदस्यों को जब वे चाहते हैं तभी उन्हें बोलने की अनुमति मिल जाती है। अतः, यह स्वाभाविक ही है कि अन्य सदस्य अप्रसन्न होंगे और वे भी अपनी बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुमति मांग रहा था राजस्थान के विषय को लेकर बोलने की। उन्हें मैं उजागर करना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान की जनता, राजस्थान प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसके कुछ उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट आए हैं। एक तो आज ही का वाकया है, उसका मैं उल्लेख नहीं करना

[श्री जसवंत सिंह]

चाहता, परन्तु दो अन्य मसले हैं। एक है राजस्थान में, और मैं जानता हूं कि सरदार बूटा सिंह जी मेरी बात का समर्थन करेंगे। वहां पुलिस अकादमी है। पिछले कई सालों से वह पुलिस अकादमी माउन्ट आबू में रही है। उस पुलिस अकादमी को बढ़ाने की मांग थी। राजस्थान सरकार ने उसके लिए जो जमीन चाहिए थी, उस जमीन की मांग पूरी कर दी। राजस्थान सरकार ने कहा कि आप अपने अफसर नियुक्त कर दीजिए, वह आकर जमीन देख लें। अफसर नियुक्त हुए, मुआयने की तारीख तय हो गई परन्तु अफसर नहीं भेजे गए केन्द्र सरकार द्वारा, और अब कहा जाता है कि 31 अगस्त को जो पुलिस अकादमी इतने सालों से राजस्थान में है, उसको बंगलौर शिफ्ट कर दिया जाए। केवल इसलिए कि राजस्थान में जो सरकार है, वह उस मत की नहीं है जो केन्द्र में सरकार है ! मैं निवेदन करूंगा कि जिस तत्परता से गृह मन्त्री जी ने न्याय और व्यवस्था के बारे में यहां जवाब देने की पहल की है, वही तत्परता इस मामले में दिखाएं। यह मामला कई सालों से अटका हुआ है और यह बूटा सिंह जी की कांस्टीट्यूएंसी का मामला है।

अध्यक्ष जी, दूसरा मसला यह है कि बीकानेर हाउस, जो राजस्थान सरकार की सम्पत्ति है, इतने सालों से केन्द्र सरकार के पास बीकानेर हाउस रहा है। जो मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान से आते हैं, उन्हें ठहरने के लिए वहां जगह नहीं है, जो मैम्बर्स ऑफ लैजिस्लेटिव असेम्बली के हैं, उनके ठहरने के लिए जगह नहीं है। बीकानेर हाउस में पहले रॉ (Raw) का एक दफ्तर हुआ करता था जिसे पिछली सरकार ने खाली करा दिया था क्योंकि रॉ के पास अपनी जगह की व्यवस्था थी लेकिन बीकानेर हाउस को खाली कराने के बाद अब राजस्थान सरकार को सौंपे जाने का सवाल आया तो अब चूंकि त्रैवनकोर हाउस को खाली होना है, उसका सामान वहां रखा जाए, इस बहाने से फिर बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार को नहीं सौंपा जा रहा है। ये दो उदाहरण और गृह मन्त्री जी का वक्तव्य हमें इस विचार की ओर बाध्य करता है कि राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान प्रदेश के साथ और राजस्थान सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरी दो स्पष्ट मांगे हैं—पहली मांग है राजस्थान की पुलिस एकाडेमी आउन्ट आबू से न हटायी जाए राजस्थान सरकार उसे जमीन देने को तैयार है, और दूसरी मांग है कि जो बीकानेर हाउस खाली किया जा चुका है, उसे तुरन्त राजस्थान सरकार के सुपुर्द कर दिया जाए। मैं सदन के नेता से निवेदन करूंगा कि वे हमारी बात को समझें और स्थिति की गम्भीरता को समझें और हमें उसके बारे में आश्वस्त करें। मैं जानता हूं कि बूटा सिंह जी भी इन बातों का समर्थन करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय जी।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सब प्रकार से राजस्थान सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष जी, इस मामले में, हमारी बात भी सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय।

श्री रविराय : अध्यक्ष जी, मैं वैसे ही खड़ा नहीं होता हूं और आज इसलिए खड़ा हुआ हूं कि यहां अभी भी हमारे साथी और इस सदन के माननीय सदस्य, श्री राम विलास पासवान, श्री वी०पी०

सिंह जी और दूसरे साथियों ने जो सवाल उठाया, पहले तो मैं आपसे एक विनती करूंगा कि पिछले दिनों हाउस में जिस तरह से आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटना सामने आयी और उस पर यहां बहस हुई, उससे हमें लगा कि सारा सदन अनुसूचित जातियों की हत्या के मामले में एकमत है, सारा सदन चिन्तित है। हमें लगा कि यहां से एक मैसेज भी गया कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री उन दिनों यहां थे, वे भी यहां से फौरन वहां गए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जब सारे सदन ने उस पर चिन्ता व्यक्त की, विशेष बहस यहां हुई, लेकिन 8-10 दिन के बाद फिर अनुसूचित जाति के लोगों को बाकायदा हजारों की तदाद में गिरफ्तार कर लिया गया। परसों यहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे। मैं नहीं जानता कि सदन के नेता या भारत सरकार के किसी मन्त्री ने इस बारे में उनसे बात की जबकि पासवान साहब भूख हड़ताल पर बैठे थे और हाउस में भी उसके बारे में सवाल उठाया गया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों पर जिस तरह अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, तरह-तरह के कष्ट उन्हें दिए जाते हैं, उनके बारे में सारे सदन ने चिंता प्रकट करने के बाद, बाकायदा सर्वसम्मत एक फैसला लिया परन्तु राज्य सरकार पर उसका कोई असर पड़ा प्रतीत नहीं होता। अनुसूचित जातियों के संबंध में सदन में जब भी बहस होती है, अत्याचारों के सिलसिले में, मैं नहीं जानता कि आप सरकार को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि जहां भी देश में अनुसूचित जातियों या दलित वर्गों पर अत्याचार के मामले ध्यान में आते हैं, यह एक मानवीय सवाल है और मैं समझता हूं कि सदन के नेता भी हमसे सहमत होंगे ऐसे मामलों में पार्टीबाजी से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और कोई कदम उठाना चाहिए। यहां विजय भास्कर रेड्डी जी, लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, उससे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि—यू मस्ट बी विजिलेंट एबाउट द राइट्स ऑफ द हरिजन्स एण्ड आदिवासीज—मैं इसलिए सदन में इस बात को कह रहा हूं कि सदन के नेता खड़े होकर कुछ ऐसा बोलें जिससे हमें कुछ तसल्ली हो जाए। उनके बोलने के बाद, जिस तरह से सदन में अत्याचार के मामलों पर बहस होती है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं, यदि राज्य सरकारें उसे नजरअन्दाज करने लगें तो संसद को उसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि ऐसे मामलों को नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए, सदन के नेता स्वयं सदन में खड़े होकर कहें कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के मामले में, उनके अधिकारों के मामले में, हम पूरी तरह सजग हैं; अजेय हैं।

श्री बूटासिंह : अध्यक्ष जी, मेरा यह अनुरोध है कि आये दिन यह जो मसला अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों के लोगों पर अत्याचार का सामने आता है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, वह भी बाबा साहेब की मूर्ति को या उनके नाम को लेकर जो कुछ हो रहा है, वह कोई साधारण देश में व्यवस्था या अपराध की स्थिति नहीं है, इसके पीछे एक दुर्भावना है।

बाबा साहब प्रतीक हैं हरिजनों की जागृति के लिए, उपेक्षितों की जागृति के लिए। जैसे हम प्रेरणा लेते हैं महात्मा गांधी जी से, उसी तरह से हम बाबा साहब से प्रेरणा लेते हैं। उनकी मूर्ति को तोड़ने, अपमानित करने या उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना, जो उपेक्षित है, उन समूचे लोगों का अनादर करना और दुर्व्यवहार करना है।

अध्यक्ष महोदय, जब हरिजनों के ऊपर अत्याचारों के सम्बन्ध में सदन में बहस हुई थी, तो उस वक्त कुछ सुझाव दिए थे जिनके बारे में आदरणीय गृह मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि नेशनल इंटीग्रेशन की मीटिंग हो। अगर यह मसला सदन में बहस करके हट जाए, तो लोग हमारी हंसी

[श्री बूटा सिंह]

उड़ाएंगे, हमारा मजाक करेंगे कि हम सदन में बोले और उसके बाद समाप्त हो गया। यह मसला एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, यह ला एण्ड आर्डर का मसला नहीं है और यह केवल स्टेट गवर्नमेंट का मसला नहीं है। पूरे राष्ट्र को इस पर चिंतन करके सभी पार्टियों के नेता नेशनल कौंसिल में बैठें और इस पर विचार करें। इस बारे में हमें एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण निर्धारित करना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं और इससे हमारे सदन के नेता भी, हमारे साथ सहमत होंगे कि अब प्रश्न यह नहीं है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, अब तो होता क्या है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो सबसे पहले वह यह कदम उठाती है कि जुडिश्यल इन्क्वायरी बैठा देती है।

[अनुवाद]

इसके मायने यह हुए कि अत्याचार पर पर्दा डालना। क्षमा करें।

[हिन्दी]

मैं जुडिशियरी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, लेकिन जब आपने जुडिश्यल इन्क्वायरी की घोषणा कर दी, तो समझो उसको कफन पहना दिया, वह साल भर के लिए खत्म। अब उसके बाद न कोई रिपोर्ट भेजी जाएगी और न स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप कृपया इस तरह का सिस्टम देश में चालू करें जिससे कि भारत सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदारी ले। यह विषय भारत सरकार का है। संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति स्वयं इसके लिए ध्यान देंगे। विशेष कर्त्तव्य राष्ट्रपति जी का है कि वे इन लोगों को, उपेक्षित वर्गों को, दलित वर्गों को, अनुसूचित जाति के लोगों का संरक्षण करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे, मैं आदरणीय जसवन्त सिंह जी के साथ पूर्णतः सहमत हूं। दूसरी बातों पर मेरा उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन जो दो मुद्दे उन्होंने अभी उठाए हैं राजस्थान के बारे में, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। एक जो पुलिस अकादमी का प्रश्न है। यह मेरे क्षेत्र का ही प्रश्न है। यही नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त में हुआ था, यह हमारी सरकार के वक्त में हुआ था वहां से पुलिस अकादमी हटाने का, और उस वक्त मैंने कहा था कि अगर यहां से पुलिस अकादमी उठानी ही है, तो सी० आर० पी० एफ० का सेन्टर खोल दिया जाए, ताकि जो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, उसका फायदा उठाया जाए। मुझे दुख है, आज जैसा जसवन्त सिंह जी ने कहा है कि उसको वहां से उठाकर कहीं और बदला जा रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि उस इंस्टीट्यूशन को वहां से न उठाया जाए।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के तमाम सांसदों ने भी इस पर साइन किए हैं।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सब एक स्वर में बोलते हैं, इसमें कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। राजस्थान की बहुत सी ऐसी डिवेलपमेंटल परियोजनाएं हैं जो पेंडिंग हैं, उनके बारे में राजस्थान सरकार की ओर से हम सांसदों की ओर से और वहां की जनता की ओर से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनकी ओर ध्यान दें और बीकानेर हाउस खाली होना चाहिए, उनकी इस मांग में हम उनके साथ हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० चारलेस (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल के सदस्यों की आवास समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। केरल भवन में सदन के नवनिर्वाचित सदस्य रह रहे हैं। ...(व्यवधान)।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, अनुसूचित जातियों के प्रश्न का क्या हुआ ? हम इस तरह नहीं चल सकते ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस समस्या पर हम सदन के नेता की प्रतिक्रिया सुनना चाहते हैं ।

...(**व्यवधान**)

श्री ए० चारलेस : त्रावनकोर भवन सरकार की सम्पत्ति है । उसे तुरन्त सरकार को सौंप देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चारलेस, मुश्किल यह है कि कुछ मामलों को सभा में नहीं उठाया जा सकता । इस मामले की चर्चा अध्यक्ष से करनी होगी । आप कृपया मेरे कक्ष में आएं और मैं आपके साथ इस पर विचार विमर्श करूंगा ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार इसकी सदन में अनुमति नहीं दी जाती । आप मेरे कक्ष में आइए और मैं इस पर आपके साथ विचार-विमर्श करूंगा ।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री रविराय जी और अन्य सम्माननीय सदस्यों ने जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, निश्चित ही वह ऐसा विषय है जिसमें इस सदन में कोई मतभेद नहीं है । हम सब इस बात से सहमत हैं कि समाज मे कमजोर वर्गों के लिए, हरिजन, आदिवासियों के लिए, जो भी सुरक्षा के नियम कानून-कायदे हैं, उनका केवल अनोपचारिक रूप से पालन नही होना चाहिए, केवल फार्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, सही मायने में जो जिम्मेदार है, जो कार्यवाहक अधिकारी है, जिस राज्य की जिम्मेदारी है, वह पूरी तरह से पालन की जानी चाहिए । यह भी देखने को मिल रहा है

1.00 म० प०

और माननीय सदस्यों की चिन्ता और नाराजगी भी वाजिब है कि कई स्थानों पर उनकी पुनरावृत्ति हो रही है । चेतावनी मिलने के बाद भी घटनायें हो रही हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर लोगों के मन में यह आशंका बैठती है कि शायद जिनकी जिम्मेदारी है वे अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसी शंका बिलकुल निर्मूल है, ऐसा नहीं है । प्रश्न इस बात का है कि आज हमारे जो कार्य करने की सीमाएं और तौर-तरीके हैं उनके बारे में हमें आमूल रूप से कुछ विचार करना पड़ेगा और विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के प्रति करना पड़ेगा जिनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से समूचे भारत के हर राज्य को, हर अधिकारी को संवैधानिक रूप से सौंपी गई है । सदन में जो कुछ कहा गया है, चाहे वह किसी भी राज्य के बारे में हो, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वह एक विशेष विषय है, महत्वपूर्ण विषय है । मैं प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अनोपचारिक प्रक्रियायें अपनी जगह हैं, उनको लागू किया जाए लेकिन इस विषय को एक राष्ट्रीय महत्व और जिम्मेदारी का विषय बनाकर समूचे प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्रियों से विचार-विमर्श किया जाए और ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जिससे कभी भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने की परिस्थिति में इस प्रकार से कार्यवाही हो कि जो इस प्रकार के काम करते हैं उन्हें इसकी पुनरावृत्ति करने का साहस न हो ।

जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अपमान करने का सवाल है, मैं सदन के मान॰

[श्री अर्जुन सिंह]

नीय सदस्यों की उस राय से पूरी तरह सहमत हूं कि बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं थे उन्होंने आज़ाद भारत की विचारधारा को समन्वय की ओर, समानता की ओर और सामाजिक न्याय को प्रतिस्थापित करने की ओर जिस तेजी, दृढ़ता और सूक्ष्मता से मोड़ा था आज वह हम सबके लिए एक राष्ट्रीय धरोहर है और उस धरोहर की रक्षा करना हम में से प्रत्येक का कर्त्तव्य है। इस विषय को जिस गंभीरता से यहां लिया गया है मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान मन्त्री जी सदन की इस गंभीरता को समझते हुए निश्चित रूप से ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू करेंगे जिसमें आप लोगों की भी सलाह-मशविरा का पूरा समावेश हो और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता को सुन रहा था, पहले भी सुना है। मैं निश्चित राय का हूं कि सरकार इस मामले मे बिलकुल सीरियस नहीं है। यदि सरकार जरा-सा भी सीरियस होती तो क्या प्रधान मन्त्री या होम मिनिस्टर का यह कर्तव्य नहीं था कि वहां जाकर दौरा करते। पहली बार ऐसा मौका आया है जब इतनी बड़ी घटना की पुनरावृत्ति हो रही है और भारत सरकार का कोई मन्त्री वहां नहीं पहुंच रहा है। जो स्थानीय मन्त्री हैं वे रो-पीटकर चले आते हैं। सरकार इस मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है।···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : अध्यक्ष महोदय, असम, पश्चिम बंगाल और सीमावर्ती राज्यों में बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि कृषि मन्त्रालय, विशेष रूप में भारतीय पटसन निगम पटसन-उत्पादकों से पटसन नहीं खरीद रहा है। पटसन उत्पादकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अब गैर-सरकारी कम्पनियां उन्हें बहुत ही कम मूल्य चुका कर उनसे पटसन खरीद रहे हैं और पटसन की खरीद पर अपना एकाधिकार कायम कर रहे हैं। उन्हें समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है।

मैं यह अनुरोध करूंगा कि कृषि मूल्य आयोग को एक मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए ताकि भारतीय पटसन निगम इन राज्यों के पटसन उत्पादकों से पटसन खरीद सके।

मैं आशा करता हूं कि इस संदर्भ में कृषि मन्त्रालय अविलम्ब कदम उठाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अनेक माननीय सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में सूचना दी है। आज हमने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है······

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल से ही हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने ऐसे समय में मुझे इसके लिए अवसर प्रदान किया है जब सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता यहां उपस्थित हैं। यह मुद्दा अयोध्या में विवाद-ग्रस्त भूमि का अधिग्रहण कर लेने के लिए प्रस्तावित विधान से सम्बन्धित है। अब यह एक ऐसा कदम है जिससे हमें भय है कि देश एकजुट नहीं होगा बल्कि विभाजित हो जाएगा। जब तक विपक्ष के नेता जिनका दल वहां सत्तारूढ़ है, वहां के मन्त्रिमण्डल को यह कदम उठाने से रोकने में सफल नहीं होते, तो इससे आग भड़क ही उठेगी और देश संगठित नहीं रह पायेगा। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार वहां राज्य सरकार से जल्द

यह अनुरोध हम श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और सदन के नेता से भी करना चाहते हैं। हम इस माननीय सभा के समक्ष यही अनुरोध करना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...(**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : हमें निश्चित रूप से यह समाचार प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार और वहां सत्तारूढ़ दल ने विवादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। यहां तक कि मुख्य मन्त्री ने भी यह कह दिया है कि हम लोग अयोध्या में विवादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इस बात पर राष्ट्रीय सहमति है कि इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझ कर इस मामले पर देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही है जबकि इस सभा में सभी दल इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपसी समझ, विचार-विमर्श से इस विवाद का समाधान ढूंढ़ लेंगें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा जानबूझ कर इस राष्ट्र को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार का स्पष्ट रवैया जानना चाहते हैं। केन्द्र सरकार वास्तव में क्या कदम उठाने जा रही है ? केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को इस तरह का विधान बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है अथवा नहीं ? इस मुद्दे पर हम केन्द्र सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। सदन के नेता भी यहां उपस्थित हैं। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए कि वे इस मुद्दे पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(**व्यवधान**)

1.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

शहरी विकास मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं शहरी विकास मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-481/91]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-482/91]

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : मैं श्री कमल नाथ की ओर से पर्यावरण और वन मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-483/91]

दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 1989 और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 1989, जो 22 अगस्त, 1989 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 5/36/89-गृह(पी)/स्था० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी-484/91]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1991, जो 9 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 79 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-485/91]

पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचंद्रन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पंजाब राज्य बीमा निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब राज्य बीमा निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-486/91]

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के ढांचे की जांच करने और इस संबंध में सिफारिशें करने हेतु विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के बारे में संकल्प

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के ढांचे की जांच करने और इस संबंध में सिफारिशें करने हेतु विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के बारे में संकल्प की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 487/81]

1.08 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 27 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संविधान) विधेयक, 1991 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया है :—

नया खण्ड—3

1991 का आदेश 7	3. (1)	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 को निरस्त किया जाता है ।	निरसन और बचाव
	(2)	इन सब बातों के होते हुए भी ऐसा निरसन उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य अथवा की गई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश के अन्तर्गत किया गया कुछ कार्य अथवा की गई कार्यवाही मानी जाएगी ।	

अतः राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसरण में मैं उक्त विधेयक इस अनुरोध के साथ वापिस करता हूं कि उक्त संशोधन के बारे में लोक सभा की सहमति के बारे में इस सभा को सूचित किया जाए ।

1.09 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित

महासचिव : महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1991 को सभा पटल पर रखता हूं जिसे राज्य सभा द्वारा एक संशोधन के साथ वापिस किया है।

1.10 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 (1) (उन्नीस) के अनुसरण में परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश द, दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्य विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता-प्राप्त कालेज या संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 (1) (उन्नीस) के अनुसरण में परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्य विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त कालेज या संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

1.11 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु के कामराज जिले में पचेयारू जलाशय योजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन (तिरुचेन्दूर) : पचेयारू जलाशय योजना, जो तमिलनाडु के

कामराज जिले में एक महत्वपूर्ण परियोजना है, केन्द्रीय वन विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण तमिलनाडु सरकार के पास बहुत समय से लम्बित पड़ी है।

1.11 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

जबकि राज्य सरकार ने इस परियोजना पर अनुकूल विचार किया है फिर भी केन्द्र सरकार के वन विभाग ने इसे इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी कि दुर्लभ जाति के बन्दर, जिन्हें स्थानीय रूप से 'लॉयन टेल मंकीज' कहा जाता है, और जो कलाक्कडू पहाड़ियों के जंगलों में रहते हैं, इस परियोजना से प्रभावित होंगे।

इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि 'पचेयारु जलाशय' पर 300 फुट की ऊंचाई पर एक छोटा सा बांध बनाना है जबकि बन्दरों की दुर्लभ जाति कलाक्कडू पहाड़ियों के जंगलों में रहती हैं वह 4000 फुट की ऊंचाई पर है। अतः इस दुर्लभ नस्ल को कोई नुकसान पहुंचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। नांगेमेरी तालुक और अन्य आस-पास के इलाके पूरे देश में सबसे अधिक सूखा-प्रभावित क्षेत्र हैं। अतः 'पचेयारु जलाशय' बनने के बाद यह आस-पास के क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय वन विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के लिए तत्काल कार्यवाही करे ताकि इस योजना को तत्काल क्रियान्वित किया जा सके।

(दो) स्वतन्त्रता आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर चिमूर के लोगों को पर्याप्त सम्मान और मान्यता देने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अब वह समय आ गया है जब संसद और राष्ट्र का ध्यान चिमूर के शहीदों की ओर आकर्षित किया जाए जिन्होंने 'भारत छोड़ो' आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए कार्य किया था।

महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के छोटे से गांव चिमूर के वीर पुरुष और महिलाओं ने अपने मुफस्सिल क्षेत्र से अंग्रेजों को निकाल बाहर किया तथा देश भक्ति का प्रदर्शन किया। नौ कीमती जानें चली गयीं। अंग्रेजों ने उनसे बदला लेने के लिए वीर और निर्भय स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढाया और उनमें से 20 को मृत्यु दण्ड दिया गया तथा अन्य अनेक व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

इस ऐतिहासिक घटना पर हम सबको गर्व होना चाहिए और मुझे विश्वास है कि सभी व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे कि चिमूर को शहीदों की कर्मभूमि के रूप में मान्यता दी जाए। इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। 9 अगस्त, 1992 को स्वतंत्रता आंदोलन की पचासवीं वर्षगाठ के अवसर पर सरकार को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए :—

1. विशेष आर्थिक उपायों और परियोजनाओं की घोषणा करके चिमूर के लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए।
2. प्रमुख सरकारी क्षेत्र का एक एकक चिमूर में स्थापित किया जाए अथवा प्रमुख गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक को चिमूर में विनिर्माण एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इसे उन लोगों की याद में समर्पित किया जाए जिन्होने

[श्री विलास मुत्तेमवार]

इस क्षेत्र में स्वतत्रता संघर्ष में लिए अपने जीवन का बलिदान किया।

3. पूरे देश से सभी स्वतंत्रता सेनानियों को चिमूर में आमंत्रित किया जाए और इस अवसर पर उन्हें पुरस्कार तथा सम्मान दिया जाए।

4. चिमूर में होने वाले कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मन्त्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए।

चिमूर के लोगों की महानता को क्रान्तिकारी स्वतंत्रता सेनानी और कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है :

[हिन्दी]

"शहीदों की चिताओं पर लगेगें हर बरस मेले,
वतन में मिटने वाले का बाकी यही निशां होगा।

[अनुवाद]

(तीन) छोटे समाचार पत्रों को अधिक रियायतें दिए जाने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : मैं इस माननीय सभा का ध्यान अखबारी कागज की कीमतों में बार-बार वृद्धि के कारण छोटे समाचार पत्रों पर होने वाले प्रभाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक छोटा दैनिक समाचार-पत्र निकालने के लिए लगभग 70% कुल लागत अखबारी कागज के दामों पर निर्भर करती है। एक छोटे दैनिक की बिक्री उसकी पूरी लागत को नहीं निकाल पाती है। अतः एक छोटे समाचार-पत्र को सरकारी तथा गैर-सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर होना पड़ता है।

अखबारी कागज की कीमतों में बार-बार से, विशेषरूप से हाल ही में छः सप्ताह में दो बार कीमतों में वृद्धि से छोटे समाचार-पत्रों को बहुत धक्का पहुंचा है। छोटे समाचार-पत्र निकलना बहुत कठिन हो गया है।

माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री के हाल ही में दिए गए वक्तव्य की प्रशंसा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि वह देश में छोटे समाचार पत्रों को बचाने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं।

सरकारी विज्ञापनों की दरों में 18% की वृद्धि से केवल बड़े समाचार-पत्रों को ही लाभ होगा।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार को इस अधिकार से उन छोटे समाचार-पत्रों को छूट देनी चाहिए जिनका प्रसारण प्रतिदिन 50,000 से कम है। दूसरे सरकार को अपने कुल विज्ञापनों में छोटे समाचार-पत्रों को अधिक हिस्सा देना चाहिए।

तीसरी, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है यह है कि सरकार को प्रसारण के आधार पर आयातित और स्वदेशी अखबारी कागज का कोटा छोटे समाचार-पत्रों को देना चाहिए और यह कम दामों पर देना चाहिए ताकि यह छोटे समाचार-पत्र चलते रहें जो हमारे लोकतन्त्र के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।

(चार) हमीरपुर उत्तर प्रदेश में टेलीफोनों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर में टेलीफोन सम्पर्क व्यवस्था नहीं के बराबर है। जिला मुख्यालय का जिले के किसी भी तहसील या ब्लाक केन्द्र से संपर्क नहीं है। 85 हजार की आबादी के स्थान महोबा में 10% फोन भी काम नहीं करते। चरखारी नगर में सन् 1965 से 1985 तक फोन काम करते रहे। अब पिछले 6 साल से न फोन काम करते हैं न उनका बिल जाता है न जमा होता है। इसी प्रकार श्री-नगर-राठ-कुल पहाड़-खरेला मोदहा नगर-पालिकाओं में भी फोन व्यवस्था अत्यन्त खराब है। एक नगर से दूसरे नगर के बीच बात नहीं हो पाती है। जिला मुख्यालय हमीरपुर का प्रदेश व देश के अन्य भागों से भी सम्बन्ध नहीं है। तत्काल ध्यान देकर टेलीफोन व्यवस्था ठीक कराई जाये।

(पांच) सीतापुर-बुढ़वल छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर) : महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की बात सर्वविदित है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए सन् 1964 में अशोक मेहता कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए काफी हद तक यहां पर बनी छोटी रेल लाइन जिम्मेदार है। छोटी रेल लाइन के चलते यह क्षेत्र एक टापू बना हुआ है। सन् 1977 में केन्द्र सरकार ने वाराणसी से भटनी के बीच करीब 120 किलोमीटर लाइन बदलने की स्वीकृति दी है। इसके बाद उक्त समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। फलस्वरूप देश के अन्य भागों से इस क्षेत्र का खुला रेल सम्पर्क नहीं हो पा रहा है और वहां का पिछड़ापन यथावत बना हुआ है। ठीक यही स्थिति इसी भाग में स्थित सीतापुर जनपद की है जहां पर आज तक आवागमन की परेशानी के कारण कोई सरकारी उपक्रम या उद्योग स्थापित नहीं हो सका है। मेरे विचार से यदि सीतापुर से बुड़वल तक बनी छोटी लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित कर दिया जाये तो सीतापुर का सीधा रेल सम्पर्क गोरखपुर, गोण्डा, लखनऊ तथा दिल्ली व देश के अन्य शहरों से हो जाएगा। इससे जनपद का भी पिछड़ापन दूर हो सकता है।

अतः मैं जनहित में केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सीतापुर से बुड़वल तक बनी छोटी लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन करने की अविलम्ब व्यवस्था की जाए।

(छह) धनहा, बिहार में चीनी मिल लगाने की योजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र बैठा (बगहा) : महोदय, बिहार राज्य के बगहा संसदीय क्षेत्र में धनहा एक विधान सभा क्षेत्र है। धनहा विधान सभा क्षेत्र गंडक नदी से पश्चिमी चम्पारण जिले के अन्य क्षेत्रों से विभाजित है तथा इससे पश्चिम उ० प्र० का पडरौना क्षेत्र पड़ता है। धनहा विधान सभा क्षेत्र की मिट्टी ऐसी है जहां केवल गन्ना ही पैदा किया जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख क्विंटल गन्ने की खेती होती है। लेकिन इस क्षेत्र में एक भी चीनी मिल नहीं है, जिसके कारण वहां के कृषकों को खांडसारी मिल-मालिकों के हाथ 18-20 रु० प्रति क्विंटल की दर से गन्ना बेचना पड़ता है जबकि बिहार में गन्ने की दर 41.50 रु० प्रति क्विंटल है। बिहार सरकार द्वारा तमकुहा टाड़ पर एक चीनी मिल की स्थापना के लिए चार-पांच साल पूर्व अनुशंसा कर केन्द्रीय सरकार को भेजी गई थी। लेकिन इस बिन्दु पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके कारण धनहा के कृषकों को आर्थिक एवं शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

[श्री महेन्द्र बैठा]

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि धनहा क्षेत्र में प्रस्तावित चीनी मिल की स्थापना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये ताकि वहां के कृषकों को सुविधा मिल सके।

(सात) जमालपुर रेलवे वर्कशाप में माल-डिब्बों और सवारी डिब्बों का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जमालपुर कारखाने में आजादी के पूर्व 22 हजार मजदूर काम करते थे। आज मात्र 12 हजार मजदूर काम करते हैं। इस कारखाने की 30 कार्यशालाओं, में से 10 मृतप्राय हैं और 10 पर काम का कोई भार नहीं है और 8 को किसी तरह से चलाया जा रहा है। पहले यहां 30 वाष्प इंजन का निर्माण होता था, अब मात्र 10 का निर्माण हो रहा है। 1992 तक पूर्ण रूप से वाष्प इंजन बनना बन्द हो जायेंगे। तब इस विशाल कारखाने और वहां के मजदूरों का क्या होगा ? क्या मजदूरों को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जायेगा ?

इस कारखाने में अभी भी सैंकड़ों करोड़ रुपये की मशीनें हैं जिनसे काम लिया जा सकता है। कहा जाता है कि 70 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

अतः मै रेल मन्त्री और केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि यहां वैगन बनाने और कोच बनाने का काम शुरू किया जाए। यह जमालपुर नगर और कारखाना ही नहीं बरना राष्ट्रहित में किया गया काम होगा।

(आठ) बिहार में बन्द पड़ी कटिहार जूट मिल को पुनः खोलने की आवश्यकता

श्री राम सागर (बाराबंकी) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बिहार की कटिहार स्थित "कटिहार जूट मिल" पिछले चार वर्षों से जूट की आपूर्ति के अभाव में बन्द पड़ी है। उत्पादन न होने से मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। वे तथा उनके परिवार भूखों मर रहे हैं। सरकार ने न तो अब तक भुखमरी के शिकार मजदूरों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया है और न ही भविष्य में मौत से जूझ रहे मजदूरों व उनके परिवारजनों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है।

पिछली सरकार द्वारा इस मिल को नेशनल जूट मैन्यूफक्चरर्स कारपोरेशन को लीज पर सौंपने व इसे वित्तीय सहायता दिए जाने के फैसले पर वर्तमान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

सरकार को चाहिए कि वह कटिहार जूट मिल को यथाशीघ्र खुलवाने के लिए कार्यवाही करे।

1.22 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92, जारी

कृषि मन्त्रालय, खाद्य मन्त्रालय और ग्रामीण विकास मन्त्रालय

सभापति महोदय : यह सभा अब कृषि मन्त्रालय, खाद्य मन्त्रालय और ग्रामीण विकास

मन्त्रालय के अनुदान की मांगों पर मद संख्या 11 से 13 पर एक साथ आगे चर्चा करेगी ।

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीर सागर अपना भाषण जारी रखेंगी ।

***श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर** (बीड) : सभापति महोदय, जैसा कि मैं कल कह रही थी सिंचाई और विद्युत आपूर्ति कृषि के लिए मौलिक आदान हैं । हमारे देश की 70 प्रतिशत भूमि असिंचित है । इसीलिए इस भूमि का कृषि उत्पादन सिंचित भूमि के कृषि उत्पादन से अपेक्षाकृत बहुत कम है । यदि सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो कृषि उत्पादन में तीन से चार प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है और वर्ष में तीन या चार फसलें उगाई जा सकती हैं । महाराष्ट्र में केवल 12 प्रतिशत भूमि सिंचित है और नहर तथा कुंआ ही सिंचाई का मुख्य स्रोत है । चूंकि वर्षा कम होने लगी है, इसलिए जल का स्तर नीचे चला गया है । अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है । महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कई सिंचाई परियोजनाएं आर्थिक अभाव के कारण पूरी नहीं की जा सकी हैं । यदि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया गया तो इन परियोजनाओं का खर्च आठ से दस प्रतिशत बढ़ जाएगा । मेरा यह सुझाव है कि सहकारी समितियों से ऋण लेकर या बांड जारी करके सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जुटायी जा सकती है । अविलम्ब पर्याप्त धनराशि जुटायी जानी चाहिए । हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 70 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जाए ।

प्रतिवर्ष वर्षा का अधिकतर पानी बर्बाद हो जाता है । इसे फिर से एकत्र किया जाना चाहिए और इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाना चाहिये । यदि हम ऐसी योजनाओं पर कार्य शुरू करें तो लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी और इससे हमारा कृषि उत्पादन भी बढ़ जाएगा । सरकार का सामान्यत: उत्तर यही होता है कि संसाधनों की कमी है । लेकिन, चूंकि कृषि के विकास के लिए सिंचाई अत्यधिक आवश्यक है इसलिये हमें संसाधन उपलब्ध कराने होंगे और वर्षा के पानी को जमा करने के लिए कोई योजना लागू करनी होगी ।

किसानों को समय पर बीज कीटनाशी दवाओं और उर्वरक की आपूर्ति की जानी चाहिए । बुवाई के मौसम से पहले किसानों को बैंकों से ऋण मिलना चाहिये । किसानों को प्रमाणित और अच्छे किस्म के बीज मिलने चाहिये । जहां तक उर्वरकों की आपूर्ति का सम्बन्ध है लघु, मध्यम और बड़े किसानों का अन्तर किए बिना सभी किसानों को उर्वरक मिलने चाहिये । देश के सभी किसानों को पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण किया जाना चाहिये । जिस तरह उद्योगपतियों को बैंकों के पास माल गिरवी रखने पर ऋण दिए जाते हैं उसी तरह किसानों को भी अपने कृषि उत्पाद गिरवी रखकर ऋण मिलना चाहिये । सहकारी विपणन समितियों द्वारा भी किसानों को अग्रिम ऋण राशि दी जानी चाहिये ।

यह सर्वविदित है कि किसानों को अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है । व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं और उनकी वस्तुओं को बहुत अधिक कीमत पर बेचते हैं । किसानों का व्यापारियों के हाथ इस तरह शोषण तुरन्त रोका जाना चाहिये । इसलिए किसानों को उनकी उपज के आधार पर अग्रिम ऋण राशि का भुगतान करने की योजना तुरन्त लागू की जानी चाहिये ।

तिलहन का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है । सभी तालुकों और पहाड़ी क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्र खोले जाने चाहिए ताकि तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध कार्य चलाए जा सकें । चूंकि

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

[श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर]

तिलहन का उत्पादन हमारे यहां बहुत कम है इसलिए हमें बहुत अधिक मूल्य पर तेल का आयात करना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अनुसंधान केन्द्र देश में तिलहन के उत्पादन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे।

देश में बागवानी को बढ़ाया जाना चाहिए। सभी किसानों को कम से कम पांच एकड़ के क्षेत्र में फलदार वृक्ष उगाने चाहिए। फलों को प्रसंस्कृत करके निर्यात किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने फलों के उत्पादन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार प्रति हेक्टेयर 14,000 रुपये की राजसहायता प्रदान कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा भी इस प्रकार की योजना चलाई जानी चाहिए।

डेयरी, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे सहयोगी उद्योगों के विकास के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिये। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी। यदि प्राकृतिक आपदाओं का भी प्रकोप होता है तो किसान इन सहयोगी व्यवसाय की सहायता से अपनी जीविका चलाने में सक्षम रहेंगे।

किसान स्वभावत: ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। वह उन कर्जों को भी चुकाता है जिसे उनके पिता और दादा ने लिया था। यदि प्रकृति उनके अनुकूल नहीं है तो उन्हें कष्टों का सामना करना होता है। यहां तक कि उनके घर और जमीन नीलाम हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई उद्योगपति कर्ज लेता है और नहीं लौटा पाता है तो उसके मशीन की नीलामी नहीं होती है। बल्कि कर्ज को लौटाने के लिए उन्हें और समय दिया जाता है। यह सुविधा किसानों को भी दी जानी चाहिये। किसानों को कम ब्याज पर दीर्घकालीन कर्ज दिया जाना चाहिये। चूंकि किसान पूरी जिंदगी अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए व्यतीत कर देता है इसलिए सरकार को यह चाहिए वह उन्हें हर संभव रियायत उपलब्ध कराये।

किसान संगठित नहीं हैं इसलिए उनकी मांगों की उपेक्षा की जाती है। यदि किसान आंदोलन करने का निर्णय ले लें और अपनी उपज को न बेचें तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि देश की क्या स्थिति होगी। हमें किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और उन्हें आवश्यक सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि यह हमारे हित में ही होगा।

प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये जो लोगों को इस संबंध में अद्यतन जानकारी देगा।

डेयरी एक महत्वपूर्ण सहयोगी उद्योग है। गायों और भैंसों को खरीदने के लिए बैंकों से अग्रिम ऋण मिलने चाहिए। युवाओं को डेयरी विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। इससे देश में बेरोजगारी कम करने में सहायता मिलेगी।

देश में काफी चीनी उत्पादन होता है। लेकिन चीनी की मांग भी बढ़ रही है। विशेषरूप से महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन काफी अधिक है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी किस्म की चीनी का उत्पादन होता है और गन्ने से चीनी प्राप्त करने की मात्रा भी अधिक है। लेकिन महाराष्ट्र में गन्ने का मूल्य अन्य राज्यों की तरह अधिक नहीं है। मैं नहीं जानता कि गन्ने के मूल्य में यह अन्तर क्यों है। महाराष्ट्र सरकार ने नई चीनी मिलें खोलने के प्रस्ताव भेजे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से छह चीनी

मिलें शुरू करने के प्रस्ताव हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दे।

उचित दर की दुकानों की संख्या अपर्याप्त है। अनेक दुकानों में खाद्य तेल, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इन दुकानों में पिछले छह महीनों से मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी भारी कमी है। उचित दर की दुकानें प्रति 500 जनसंख्या के हिसाब से खोली जानी चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का कोटा अधिक है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह कम है। यह भेदभाव अनुचित है। लेकिन शहरों में लोग अपनी मांगों को कारगर रूप से उठा सकते हैं। यद्यपि गांवों में भी मांग की जाती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं सुझाव देती हूं कि उचित दर की दुकानों का प्रबन्ध युवा पुरुषों और महिलाओं को सौंपा जाये।

रोजगार गारंटी योजना के तहत उत्पादक कार्य किए जाएं। इस कार्यक्रम के तहत कुओं का निर्माण किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप गांवों में बेरोजगार श्रमिकों को काम मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत फल उगाने का कार्य भी लिया जा सकता है। केन्द्र सरकार भी ऐसी योजना शुरू करे जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले।

जवाहर योजना को पंचायतों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे कार्य शुरू किये जाएं जो गांवों की जरूरत पूरी करें। लेकिन इस योजना के लिए उपलब्ध राशि बहुत कम है। अगर इस योजना के लिए और अधिक राशि मंजूर कर दी जाए तो सड़क अथवा स्कूल और अस्पताल इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जा सकते हैं।

लाखों गांवों में पेयजल नहीं है। अपर्याप्त वर्षा के कारण जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री माननीय राजीव गांधी ने पेयजल की इस गम्भीर कमी को महसूस किया था और वह स्वयं प्रभावित गांवों में गए और पेयजल की पूर्ति के लिए एक योजना बनाई। मैं माननीय प्रधान मन्त्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजीव गांधी के नाम पर एक योजना की घोषणा की जिसके अन्तर्गत 8,000 गांवों को पेयजल की पूर्ति की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह गांवों में होम्योपैथी की डिस्पैंसरी खोले। ऐलोपैथिक दवाओं की अपेक्षा होम्योपैथिक दवा सस्ती है। गरीब लोग इसे खरीद सकते हैं। एक ऐलोपैथिक क्लीनिक की बजाय होम्योपैथिक डिस्पैंसरी खोलने के लिए बहुत कम धनराशि की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक होम्योपैथिक डिस्पैंसरी खोले।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पैंसरियां कम हैं इसलिए लोगों को डिस्पैंसरी जाने के लिए 40 से 50 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। चिकित्सा सुविधा न होने से अनेक लोग मर भी जाते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 500 की आबादी वाले सभी गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले।

शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थिति भयावह है। शौचालय न होने से लोगों को अत्यधिक असुविधा होती है, विशेषकर महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं अनुरोध करती हूं कि सरकार गांवों में शौचालय बनाने की योजना को कार्यान्वित करे। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार 75% सहायता प्रदान करे और इस पर तुरन्त कार्य शुरू होना चाहिए। ऐसा करने से चेचक जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी

[श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर]

क्योंकि खराब सफाई व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बीमारियां बहुत अधिक होती हैं।

अनेक गांवों में परिवहन व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं हैं और किसानों को अपना सामान शहर ले जाने में कठिनाई होती है। इससे व्यापार और वाणिज्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सड़क बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार ने 11 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सिफारिश की है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव को यथाशीघ्र मंजूरी प्रदान कर दे।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों का पूर्ण समर्थन करती हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री के० वी० तंग्काबालू (धर्मपुरी) : महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए कृषि मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं भारत सरकार के इस दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि को बढ़ावा देने पर तथा देश में गरीब किसानों की मदद करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और कृषि को बढ़ावा देने तथा कृषक समुदाय की उन्नति के लिए भी अनूठे कदम उठाये जाने चाहिए।

महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मन्त्री से यह कहना चाहता हूं कि किसानों की यह मांग है कि कृषि को उद्योग के बराबर का दर्जा दिया जाये और इसे उद्योग की श्रेणी में रखा जाये। केवल तभी हमारे देश की जनसंख्या के 75 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व कर रहे कृषक समुदाय को उसका उचित हिस्सा मिल सकेगा। मैं उद्योगों के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र को राजसहायता तथा अन्य सुविधाओं जैसे लाभ मिल रहे हैं और इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र की अधिक वृद्धि हो रही है जबकि हमारे समाज यह बहुसंख्य भाग उद्योग के बराबर इन लाभों को प्राप्त नहीं कर रहा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाये ताकि इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी राजसहायता, बोनस जैसे लाभ मिलें।

दूसरे, फसल बीमा योजना एक बहुत ही अनूठी योजना है इससे हमारे कृषक वास्तव में लाभान्वित होते हैं। लेकिन यह व्यवस्था दोषपूर्ण है। इस समय इसके लिए जिला स्तर अथवा ताल्लुक स्तर पर पहचान की जाती है। अगर एक जिले में कोई गांव सूखे अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है तो उस गांव को फसल बीमा योजना के तहत लाभ देने में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए यह कार्य जिला अथवा ब्लाक स्तर में नहीं होना चाहिये अगर एक विशेष क्षेत्र प्रभावित होता है तो प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र की जांच की जाये और उसके अनुसार सिफारिश की जाए ताकि कृषक समुदाय के वास्तव में प्रभावित लोगों को फसल बीमा योजना के लाभ मिलें। इसलिये इस नीति को बदला जाये और यह महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे ध्यान में रखें और शीघ्र ही इस बारे में घोषणा करे ताकि देश भर में प्रभावित होने वाले हजारों किसानों को ये लाभ मिल सकें। अगर एक किसान भी प्रभावित हो तो उसे फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ मिलना चाहिये। इसके अलावा संबंधित व्यवस्था पूर्णतया भ्रष्ट है और जब हम अधिकारियों को पैसा दे देते हैं उसके बाद ही वे लोगों को ये लाभ देने की सिफारिश करते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण गरीब लोग ऐसे लाभ नहीं उठा पाते। इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र तथा सही सर्वे

हों और नियमों तथा विनियमों का सख्ती से पालन हो जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग भी लाभान्वित हो सकें।

खाद पर राजसहायता एक बड़ा विषय है और हम काफी समय से इस पर चर्चा करते रहे हैं। इस सभा के सभी वर्ग यह मानते हैं कि खाद पर राजसहायता वापस न ली जाये। निःसन्देह सरकार ने दयालुता दर्शाते हुए छोटे तथा सीमान्त किसानों को राजसहायता दी है। मैं इस संबंध में सरकार के निर्णय से सहमत हूं। लेकिन इसमें एक समस्या है। छोटे तथा सीमान्त किसानों की पहचान गांव के प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम किसान को गांव के प्रशासनिक अधिकारी के पास जाना पड़ता है उसके बाद राजस्व निरीक्षक तथा फिर तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। प्रमाण-पत्र लेने के लिए काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। भ्रष्ट अधिकारी गरीब किसानों को लाभ नहीं लेने देते। यह सच है और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और हमें इस प्रथा का अन्त करना चाहिए। मुझे डर है कि सरकार के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस कमी पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई तन्त्र नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि त्रुटिहीन व्यवस्था बनाई जाये जिसमें सभी किसानों को उनकी भूमि के लिए पहचान-पत्र दिए जाएं ताकि वे जब भी अपना यह कार्ड दिखाएं उन्हें खाद लेने की अनुमति दे दी जाए और गांव के प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व निरीक्षक इत्यादि के पास जाए वगैर ही उन्हें राजसहायता दे दी जाए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गौर करने के लिए वह सभी मुख्य मंत्रियों तथा जिला प्रशासनिक अधिकारियों को लिखें क्योंकि इस संबंध में जिलाधीश ही आदेश जारी कर सकता है।

अतः मैं माननीय मंत्री से यह कार्य करने का अनुरोध करता हूं और आपके माध्यम से मैं राज्य के मुख्यमंत्रियों से व जनता से अनुरोध करता हूं कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। वस्तुतः तमिल भाषा में एक कहावत है "बाड़ ही खेत को खा रही है।" आज इसी प्रकार की स्थिति है। इस स्थिति को नहीं बने रहना देना चाहिए। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाएगा।

दोहरी प्रणाली से किसानों की मदद नहीं होगी। बड़े धनी किसान और जमींदार भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से भी इसका लाभ उठायेंगे मैं सरकार से सभी किसानों को समानता प्रदान करने की नीति पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना करता हूं। इसमें समस्याएं हैं। बड़े किसान उत्पादन करते हैं वे अपने उत्पाद को बेचते हैं यह उत्पाद बाजार में आता है फिर उपभोक्ता के पास पहुंचता है। हमें उपभोक्ता को भी ध्यान में रखना चाहिए। वे भी हमारे भाई हैं : वे भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वे इससे प्रभावित होंगे। उन्हें उत्पाद का अधिक मूल्य देना पड़ेगा। यह मुद्दा भी विचारणीय है।

हमारे देश में 75 से 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। चाहे धूप हो या वर्षा, यह ग्रामीण वर्ग दिन रात काम करता रहता है और इसे आराम नहीं है। समाज के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में इन गरीब लोगों को महत्व नहीं दिया गया।

हम इस देश में 169 मिलियन टन से अधिक अनाज पैदा करते हैं। सरकार के आकलन के अनुसार 52 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे है। इसका क्या तात्पर्य है ? हमारी ही जनता को अन्य लोगों के बराबर अन्न व अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सिर्फ धनी ही इस देश के आर्थिक लाभों को भोगते हैं। कृषि समुदाय के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना चाहिए। इसीलिए, मेरी मांग है कि कृषि श्रमिकों के स्तर को औद्योगिक श्रमिकों के स्तर तक ऊंचा उठाया जाना चाहिए। जो लोग

[श्री के० वी० तंगकाबालू]

गरीबी रेखा के नीचे है उन्हें ऊपर लाना होगा। हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हम 1984 से इन पांच वर्षों की अवधि में, इस दिशा में काफी कुछ करने में सफल हुए थे। जवाहर रोजगार योजना और कमजोर वर्गों के लिए अन्य सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों ने इस देश ने कमजोर वर्ग को ऊपर उठाया और गरीब लोगों की काफी हद तक सहायता की। इस तरह के कार्यक्रमों में सुधार करना होगा और उन्हें गरीबों तक पहुंचाना होगा ताकि यह लाभ आम आदमी तक पहुंच सकें।

दूसरी बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि इस देश में सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही 360 मिलियन असंगठित श्रमिक हैं। वे देश की श्रमिक शक्ति का 80 प्रतिशत हैं। किन्तु इस वर्ग को किसी भी श्रम कानून के तहत नहीं लिया गया। कृषि श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता अथवा वे जो कार्य करते हैं उसका वास्तविक लाभ उन्हें नहीं मिलता।

प्रत्येक राज्य और जिले में वेतनों में भिन्नताएं हैं। एक जिले में एक पुरुष को 10/- रुपये मिलते हैं और महिला को 5/- रुपए। इस देश में यह अभी भी चल रहा है। वेतनों में इस असमानता को दूर करना होगा। हमें यह करना चाहिए कि कृषि-मजदूरों के लिए एकसमान वेतन नीति हो।

हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी ने कृषि असंगठित श्रम आयोग बनाया था। किन्तु अब वह आयोग कहां हैं। मैं नहीं जानता। पिछले डेढ़ वर्ष से इसका कुछ पता नहीं है। माननीय मन्त्री को इसे शीघ्र लागू करना चाहिए और श्रमिक क्षेत्र को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उन्हें प्रकाश में लाया जाना चाहिये।

एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कृषि कार्यों में लगे हुए लोगों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस व्यक्ति की मृत्यु कृषि कार्यों के दौरान होती है, उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। अन्य क्षेत्रों में मुआवजा दिया जाता है।

मेरा आग्रह है कि कृषि क्षेत्र में भी, केन्द्रीय सरकार को 50,000/- रुपये का मुआवजा देना चाहिए और राज्य सरकार को भी 50,000/- रुपये का मुआवजा देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कृषि कार्यों के दौरान हो तो कुल एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि उन्हें इस प्रकार की सुविधा दी जाती है तो सिर्फ तभी शेष परिवार के सदस्यों का गुजारा हो पाएगा और संभवतः वे जी सकेंगे।

इस देश में बार-बार बाढ़ और सूखा आने पर, हम बाढ़ नियंत्रण उपायों और सूखा राहत उपायों के लिए काफी पैसा खर्च करते रहे हैं। मुझे यह लगता है कि एक ऐसा सुव्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए जिससे इस अकाल और बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सके। सिर्फ तभी हम पानी पर नियंत्रण कर सकेंगे और हम सूखे को भी रोक पाएंगे। अगर पानी पर नियंत्रण कर लिया गया, तो हम अधिक संख्या में वृक्ष उगा सकते हैं और भूमि को अधिक हरा भरा बना सकते। अगर यह हो जाता है तो, वर्षा भी होगी। जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है, हमें गहनता से विचार करना होगा। वास्तव में हम गंगा और कावेरी को जोड़ने की बात करते रहे हैं। किन्तु यह सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया है। डा० के० एल० राव ने इस विचार को इस देश में उठाया था। किन्तु किन्हीं कारणों से इसमें विलम्ब हो रहा है। मैं सरकार से इस व्यापक कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करूंगा ताकि सारे देश को लाभ हो। मेरा विचार है कि इस देश की सभी बड़ी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सूखे की कोई सम्भावना ही नहीं होगी और

हम बार-बार आने वाली बाढ़ को भी रोक सकते हैं। किन्तु, यदि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शीघ्र ही शुरू नहीं किया जाता, तो कम से कम हम नदियों के जल को राज्यों के बीच बांटने पर तो विचार कर ही सकते हैं। मेरे विचार से यह सम्भव होगा।

जहां तक कावेरी मुद्दे का संबंध है, इस सभा में काफी शोर शराबा हुआ है। यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। अत:, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। किन्तु इस जल विवाद को पुन: सामने नहीं आने देना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो इस विवाद को हल करने की एक सम्भावना है। मेरी मांग है कि इस सरकार को इस देश की सभी नदियों का राष्ट्रीय-करण करने वाला एक कानून बनाना चाहिए। राज्य के आकार और जनसंख्या के आधार पर वास्तविकता के अनुसार पानी का बंटवारा होना चाहिये। इस जल विवाद को हल करने का यही एक आसान उपाय है। मैं पुन: मांग करता हूं कि इस देश की सभी मुख्य नदियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और इस विषय को केन्द्रीय सरकार के अधिकार में लाना चाहिये।

ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक अत्यन्त व्यापक विषय है। एक विस्तृत क्षेत्र इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। यह ठीक है, कि हम इसे उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं इस मन्त्रालय को बधाई देता हूं क्योंकि जब हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मन्त्री थीं तब इसने यह मुद्दा उठाया और श्री राजीव गांधी ने भी यही किया। हम इस पहलू को काफी महत्व दे रहे हैं। इसे महत्व दिया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि हमे इस मुद्दे को और अधिक महत्व देना होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की काफी जनसंख्या विकसित नहीं है। यह अभी अर्ध-विकसित है। सारा समाज सिर्फ शहरों के बारे में सोचता है। गांवों के बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। गांव में अभी भी गरीबी है। गांवों की स्थिति अच्छी नहीं है। जहां तक सड़कों, पेय जल और अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 44 वर्षों के बाद भी, हम गांवों मे ये सुविधाएं देने में सफल नहीं हुए। ग्रामीण जनता काफी कष्ट उठा रही है। आयोग के निष्कर्षों के अनुसार, प्राय: सभी समस्याग्रस्त गांवों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अत: पेय जल आदि की सुविधाएं प्रदान कर गांवों में सामान्य जीवन स्थिति बहाल करने का संगठित प्रयास किया जाना चाहिए। इस देश के सभी गांवों मे जल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने तकनालाजी मिशन का नाम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर रखने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। हम चाहते हैं कि यह तकनालाजी मिशन शीघ्र ही इस क्षेत्र में कार्य शुरू कर दे और सभी गांवों में लोगों को पानी उपलब्ध करा कर उन्हें खुशहाल बनाएं। इससे श्री राजीव गांधी का सपना पूरा होगा।

महोदय, पिछले वर्ष के 3115 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष हमने ग्रामीण विकास परियोजना के लिए लगभग 3580 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। यह अच्छा है कि हमने यह नियतन किया है। किन्तु मेरे विचार से यह पर्याप्त नहीं है। यह 5000 करोड़ रुपये होना चाहिए था। एक और पहलू भी है। अकेले रोजगार कार्यक्रम के हिस्से में 2100 करोड़ रुपये हैं? यह प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने संबंधी कार्यक्रम उचित रूप से कार्य कर रहा है। इसमें एक छोटा सा दोष है क्योंकि लाभ मिलने वाले लोगों का चयन करना कठिन कार्य है। लाभ प्राप्त करने वाले लोगों का चयन खंड विकास अधिकारी या ग्राम अधिकारी या ग्रामसेवक करते हैं। एक और समस्या भी है। वहां पर भ्रष्टाचार है। जो भी पैसा देता है उसका काम हो जाता है। इसके लिए एक मापदण्ड है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उन्हें और हरिजन तथा महिलाओं

[श्री के० वी० तंगकाबालू]

को महत्व दिया जाना चाहिए। यह निर्देश है। किन्तु इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है अपितु उनकी अवहेलना की जाती है। कई बार इन्हें लागू भी नहीं किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे, इस ओर ध्यान दिए बिना कि कौन सी पार्टी है, राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वे नियमों की अवहेलना न करें और नियमों और कानूनों के बारे में सजग रहें और यह कार्यक्रम का लाभ केवल निर्धन व्यक्तियों तक ही पहुंचना चाहिए।

इस बार, चूंकि बजट पेश करने में देर हो गई है, हमने 1000 मिलियन मानव दिवसों के स्थान पर 900 मिलियन मानव दिवसों का लक्ष्य रखा है। यह एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। सरकार को निर्धन लोगों हेतु बनाए गए कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अधिक सजग तथा सक्रिय होना चाहिए। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में संसद सदस्यों के लिए कोई भूमिका नहीं है। जब श्री राजीव गांधी थे, तब हमने उन्हें इसकी शिकायत की थी। उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों को परिपत्र भेजे थे और प्रत्येक ब्लाक स्तर समिति में एक कार्य दल था और इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों के सम्बन्धित संसद सदस्यों को कार्य दल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। यह अब वहां नहीं है। मेरे मन में पिछली सरकार के लिए कोई बुरी भावना नहीं है। किन्तु यह सत्य है। हमारे राज्य में, जब द्रविड़मुनेत्रकषगम पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने इसमें से संसद सदस्यों की भागीदारी को बिलकुल समाप्त कर दिया था। वहां संसद सदस्यों की कोई भूमिका नहीं थी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में लाभान्वित लोगों के चयन के मामले में संसद सदस्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। अन्य देशों में, संसद सदस्यों को लाभान्वित लोगों का चयन करने में, क्षेत्र के चयन में और परियोजनाओं के चयन में पूरी आजादी दी जाती है। हम यहां पर भी ऐसा ही चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो बहुत अच्छे हैं। इनका लाभ निर्धन लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसके साथ ही संसद सदस्यों को जहां भी आवश्यक निगरानी हो और नियन्त्रण रखने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग के संबंध में, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हम इस बात से सहमत हैं कि कृषि मूल्य आयोग एक उदाहरणीय कार्य कर रहा है। किन्तु वे वास्तविकता पर विचार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, धान, गन्ना और गेहूं हैं। हर बार, हम पांच रुपये अथवा दस रुपये की वृद्धि के लिए निवेदन करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है, यह ठीक भी नहीं है। वे वास्तविकता पर विचार नहीं करते हैं। कृषि आदानों की उपलब्धि में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जब उत्पाद तैयार होते हैं, तो हम उन्हें बाजार में बेच नहीं पाते हैं क्योंकि उनका मूल्य बहुत ही कम होता है। उसमें बहुत अधिक विसंगति होती है। हम चाहते हैं कि वास्तविक किसानों को कृषि मूल्य आयोग का सदस्य बना दिया जाए और केवल इसी तरह किसान समुदाय के साथ पूर्ण न्याय किया जा सकेगा। ऐसा नहीं हो रहा है। वे आई० ए० एस० लोगों को ले रहे हैं। हम आई० ए० एस० लोगों के विरुद्ध नहीं हैं। वास्तविकता को जाने बिना तथा वातानुकूलित कमरों में बैठकर वे उस किसान के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते जो सूरज की गर्मी में उत्पादन करता है तथा हर समय कष्ट सहता है। उन्हें पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है चाहे वह धान हो, गन्ना हो अथवा गेहूं। जब श्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री थे तब उन्होंने नीति बनाई थी तथा हमारे महान नेताओं ने इसका फैसला किया था। जब किसान समुदाय हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि तीन से पांच वर्षों तक लगातार रहने वाली एक कृषि मूल्य नीति बनाई जायेगी, ताकि मूल्यों में वृद्धि न हो और यहां तक कि कृषि उत्पादों के लिए एक निश्चित बाजार होगा। यह एक बहुत

ही महत्वपूर्ण बात है। अतः मैं मन्त्री महोदय से कृषि उत्पाद और आदानों के लिए एक मूल्य नीति अपनाने का निवेदन करता हूं इससे उत्पाद के लिए एक नियमितता तथा समानरूपता आयेगी। इस प्रकार, हम बाजार में एक मूल्य स्तर बनाए रख सकते हैं। इससे सरकार तथा एक आम आदमी को मदद मिलेगी तथा इससे कृषि समाज को भी लाभ होगा।

प्रधान मन्त्री ने जो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि पचास प्रतिशत विनियोजित स्रोतों को कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है। यह सही है कि हमने इसे श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी जैसे अपने महान नेताओं के समय से जारी रखा है। भविष्य में निर्धन तथा सीमान्त किसानों की मदद करने के लिए खुदे हुए कुओं तथा नलकूपों की संख्या दोगुनी करने का प्रावधान है। किन्तु यह बहुत नगण्य है।

2.00 म० प०

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दें। 15,000 रुपये का जो मूल्य हम दे रहे हैं, उसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कुआं खोदना बिल्कुल सम्भव नहीं है। मूल्यों में वृद्धि हो गई है और हमें कम से कम 20,000 रुपयों का भुगतान करना है।

कांग्रेस दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों के लिए हैं तथा कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए है। हम देश के किसान समुदाय के सुधार तथा विकास के लिए उनका समर्थन करते रहेंगे। हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में की गई वचनबद्धता को पूरा करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, जो डिमांडस हैं इसका मैं पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास जमीन नहीं है। इसलिए यदि एग्रीकल्चर को देश में उन्नत करना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार को लैंड रिफार्म के बारे में कुछ करना पड़ेगा। आज स्टेट की सरकारें इस विषय पर गम्भीर रूप से चिन्ता नहीं कर रही हैं क्योंकि जमींदारों की सहायता से और बल से बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। इसलिए उन पर हाथ डालना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। मैं नमूने के तौर पर वेस्ट बंगाल की बात करता हूं। वहां पर लैंड रिफार्म का जो तरीका है और उससे जो सफलता मिली है उसको देखकर यदि सारे देश में ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में नया युग आ जाएगा जो कृषकों के लिए बहुत लाभदायक होगा।

हर चीज के लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है लेकिन कृषक के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। सबसे साधारण आदमी जो अशिक्षित है, दूसरा काम नहीं कर सकता, छल-चतुराई नहीं जानता वह बाध्य होकर कृषि के काम में लग जाता है। लेकिन उनको ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट में जिले हैं, जिले में भी ब्लाक बने हैं, ब्लाक में भी प्रधान हैं। इसलिए हर ब्लाक लेवल पर कृषकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस किस्म की फसल में किस प्रकार की खाद दी जा सकती है, फसल किस मिट्टी में अच्छी हो सकती है और साथ-साथ उसका डेमोंसट्रेशन भी होना चाहिए। आज रुपया तो खर्च किया जाता है लेकिन उसकी ऐकाउंटेबीलिटी न ही ब्लाक आफिसर के पास है और न और किसी के पास है। कितना खर्चा हुआ और उसका क्या फायदा हुआ इसका हिसाब जब तक हम नहीं करेंगे तब तक यह कार्य इसी तरह से चलता रहेगा। एक यूनिट बनानी

[श्री पीयूष तीरकी]

चाहिए जो यह देखे कि कितना अनाज पैदा हुआ, वह उस इलाके के लोगों के लिए पूरा है या नहीं और यदि कम है तो क्यों कम है और उसे किस तरह से पूरा किया जाएगा। जब तक इस तरह से कोई स्कीम नहीं बनाई जाएगी तब तक उन्नति नहीं होगी। इसलिए ब्लाक को यूनिट मानकर फूडग्रेन्स के लिए यदि काम शुरू किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा।

कृषक के बहुत से अंग हैं, कृषकों के पास जमीन कम है इसलिए यदि उनकी क्रय शक्ति घट जाएगी, उनके पास यदि पैसा नहीं होगा तो जितने भी हमारे कल कारखाने हैं, जो हमारे देश में हमारी उन्नति की परिकल्पनाएं हैं; वह सब ठप्प हो जाएंगी इसलिए उनको कृषकों के रूप में जैसे पोल्ट्री है, बी कीपिंग है, पिगरी है, फिशरी है, हार्टीकल्चर है और जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके यहां जो मैरीन प्रोडक्ट्स हैं, आज उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है इसलिए इसे ब्लाक लेविल से हमें शुरू करना चाहिए। हमें इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो सुख-दुख होता है, लोग वहां मर जाते हैं तो उसमें वह क्या करें। पोल्ट्री और हस्बैण्डरी के लिए तो हम ट्रेनिंग का बन्दोबस्त सरकार की सहायता से कर सकते हैं। अगर यह हो जाए तो मैं समझता हूं कि एक दो वर्ष में ही हिन्दुस्तान का जो चेहरा है, जो कृषकों का भी चेहरा है, वह बदल जाएगा।

दूसरी ओर यहां पर हम लोगों का जो लिविंग स्टैण्डर्ड है, वह बहुत नीचा है। भूटान से भी हमारा स्टैण्डर्ड नीचा है। हमारे यहां पर कैपिटा दूध कितना मिलता है, इसका हिसाब करने में भी हम लोगों को शर्म आती है। मछली के कितने टुकड़े मिलते हैं, गोश्त के कितने टुकड़े मिलते हैं, जो 80-85 करोड़ जनता हमारे यहां है, यदि उसमें भाग दिया जाए तो हमारा यह प्रोडक्ट नहीं के बराबर है। आज हमारा लिविंग स्टैण्डर्ड बहुत सारे देशों से नीचा है। सिर्फ लोहा लक्कड़ बनाने से लिविंग स्टैण्डर्ड ऊंचा नहीं होता है, इसमें बड़े पैमाने पर अनाज पैदा करना है, गोश्त का उत्पादन बढ़ाना है, दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ाना है, घी का उत्पादन बहुत ज्यादा करना है, इन सब चीजों का हिसाब किताब यदि ब्लाक लेविल पर यूनिट बनाकर किया जाए तो हिन्दुस्तान का लिविंग स्टैण्डर्ड भी ऊंचा होगा, दूसरे देशों के मुकाबले में। अगर हम दूसरे देशों से अपनी तुलना करें तो इधर बहुत छोटे-छोटे देश हैं उनमें हमारा स्टैण्डर्ड बंगलादेश, भूटान और नेपाल से भी नीचा है किन्तु हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े डवलपिंग कण्ट्री हैं। हम बहुत घमण्ड से बोलते हैं किन्तु हमारा लिविंग स्टैण्डर्ड इतना नीचा है कि हमें बाहरी जगत में उसको बोलने से भी शर्म आती है।

ब्लाक लेविल पर आफिसर्स को किसानों को यह समझाना और दिखाना चाहिए कि किस तरह से कृषक कम से कम पांच हजार रुपया एक महीने में कमा सकते हैं, उसके हिसाब से। उनको कैस क्राप को करने से किस महीने में कितना रुपया मिल सकता है, पोल्ट्री से वह कितना रुपया पा सकते हैं, गाय पालने से कितना रुपया मिल सकता है, आज पिगरी का बहुत बड़ा डवलपमेंट हो चुका है, उसको पालने से उसको कितना रुपया मिल सकता है। यदि कृषक के पास जमीन कम है तो उसे पोल्ट्री में जाने से कितना रुपया मिल सकता है, इस सारी की सारी ट्रेनिंग का सेण्टर यदि ब्लाक लेविल पर रखा जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत उन्नति हो सकती है।

दूसरी बात एजुकेशन की है। कृषकों को एजुकेशन में आजकल टी०वी० पर प्रोग्राम दिखाते हैं कि फल-फूल आदि कैसे उगाया जा सकता है, क्या बीमारी कैसे दूर हो सकती है, आलू का क्या होगा, प्याज का क्या होगा लेकिन उनकी यह पिक्चर एम्यूजमेंट की तरह होती है। टी०वी० में देखी हुई चीज को यदि ब्लाक लेविल के आफिसर किसानों के साथ सप्ताह में एक दिन बैठकर, सबको

बुलाने की जरूरत नहीं है, कार्ड बनाकर एक-एक गांव के लोगों को बुलाकर यदि ठीक से समझाया जाए तो इसका फल बहुत ज्यादा अच्छा होगा । कृषि मन्त्री जी मैं से कहता हूं, इसको बहुत दिन हो गए हम 8-10 सेंचुरी पार हो रहे हैं लेकिन अभी तक हम पुराने जमाने के चास में लगे हुए हैं और किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया है इसलिए अब आपको वार फुटिंग पर हम आदमी को एजुकेट करना पड़ेगा । कम से कम जहां तक एजुकेशन का सवाल है, प्राइमरी एजुकेशन तो सबको देनी चाहिए, आस-पास के लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं उनको उस फील्ड की एजुकेशन में ले जाना चाहिए जिससे उनकी जो छोटी-छोटी बीमारियां हैं, उनको वह पढ़कर समझ सकें और उसमें इण्टरैस्ट लें ।

यदि हम उनकी किसी तरह से इन्कम बढ़ा सकते हैं. यदि वह वहीं पांच हजार रुपये महीना कमा सकते हैं तो वह शहरों में नहीं आयेंगे और यह देश की एक समस्या नहीं बनेगी इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस तरफ चलें ।

अब रही छोटे-छोटे कारखाने खोलने की बात तो फूड प्रोसेसिंग का काम, वहां पर जो चीज पैदा होती है, जो कच्चा माल होता है उसको वह रख नहीं सकते हैं, वह सड़ जाता है, सस्ते में बिक जाता है, वहां बहुत सारे ठेकेदार आते हैं और यहां पर हम लोग जो सब्जी 10 रुपए किलो खरीदते हैं, जहां वह सब्जी उपजती है, वहां वह एक सवा रुपये किलो मिल रही है।

इसलिए मिल रही है कि उसको एक से दूसरे दिन नहीं रख सकते हैं । इसलिए हर ब्लाक लैवल पर हिम-घर का होना बहुत जरूरी है, ताकि गुड्स को ज्यादा दिनों तक रख सकें । इसके होने से जब वस्तु का अच्छा पैसा मिलेगा, तब हम उसको बेच सकते हैं । इसलिए हिम घर का हर ब्लाक लैवल में होना बहुत जरूरी है ।

जहां तक बांधों का सवाल है, बड़े-बड़े बांध हमारे यहां कामयाब नहीं है । उसमें बहुत जमीन बर्बाद हो रही है । मेरा सुझाव है कि नदियों पर छोटे-छोटे बांध बनाने चाहिए । बड़े बांधों में सिल्ट जमा हो जाती है, तो समस्या बन जाती है । इसलिए नदियों पर जगह-जगह छोटे-छोटे बांध बनाए जाएं, जो रिजरवायर का काम करेंगे और यदि उनके अन्दर ज्यादा पानी होगा, तो वह बह जाएगा। इससे कृषकों को भी फायदा होगा और ऐसा करने से हम बहुत सारे किसानों को सिंचाई की सुविधा दे सकते हैं तथा उससे कृषकों को फायदा हो सकता है । इसलिए स्माल-स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट, छोटे बांध, और टैंक लिफ्ट इरिगेशन में सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा । इसमें ज्यादा रुपए की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है । जब तक एकाउन्टेबिलिटी ब्लाक लेवल पर नहीं आएगी, तब तक हम क्या कर रहे हैं, इस बारे में पता नहीं लग सकता है । इसका जायजा नहीं लिया जाएगा, तो हम जहां थे, वहीं रहेंगे । फिर यहां तीन महीने के बाद कृषि के विषय में बहस होगी, किन्तु उसका कोई फायदा नहीं होगा । हिम-घर के बारे में मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली, कलकत्ता और ऐसे शहर जहां इसकी जरूरत नहीं है, वहां इसकी सुविधा नहीं होनी चाहिए। जहां पर चीज उगती है, वहां पर हिम घर का होना बहुत जरूरी है ।

उन्नत किस्म के बीजों का होना भी बहुत जरूरी है । यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है । कौन सी फसल कब अच्छी पैदा हो सकती है, इस बात को कृषक बहुत अच्छी तरह जानता है । इसलिए उन्नत क़िस्म के बीज, सर्टिफाइड-क्वालिटी-आफ-सीड्स, किसानों को समय पर मिलने चाहिए । जहां तक खाद की बात है खाद के लिए भी हम लोग रोज चिल्ला रहे हैं । यहां आप दिल्ली में ही देखिए, कितना वेस्ट निकलता है और कहां उसको फूंक दिया जाता है और इस वजह

[श्री पीयूष तिरकी]

से दुर्गन्ध भी काफी पैदा हो रही है। इसको भी आपको सुव्यवस्थित करना चाहिए। जितना भी वेस्ट हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बम्बई में हो और चाहे कलकत्ता में हो या चाहे और बड़े-बड़े शहरों में हों, इस सारे वेस्ट को जमा करके और अच्छी व्यवस्था करके आप अच्छी खाद पैदा कर सकते हैं। हम रासायनिक खाद डाल-डाल कर जमीन को बर्बाद कर रहे है, इसलिए आर्गेनिक मैन्यूर की ओर सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं पढ़ रहा था, हम हर वर्ष 650 लाख टन शहरों से आर्गेनिक मैन्युर तैयार कर सकते हैं, लेकिन वह वेस्ट बर्बाद हो रहा है और उससे बीमारियां व दुर्गन्ध फैल रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दें। देहातों में भी हम गोबर का उपयोग जलाने के काम में लेते हैं। गोबर के उपले बनाए जा रहे हैं। इन सबको समाप्त करके आपको गोबर की खाद की महत्ता के बारे में किसानों को बताना चाहिए। यह गोबर की खाद सोने के समान है और आप इसको जलाने के काम में ला रहे हो। आपको गांवों में इसको बन्द करने की ओर प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहिए कि हम आपको गैस कनेक्शन देंगे। फिर बाद में भी यह गोबर खाद के रूप में काम में लाया जा सकता है और उससे हमारी फसल ज्यादा होगी।

साग-सब्जी के उत्पादन के बारे में काफी विकास हुआ है लेकिन हम यह देखना भूल गए कि वास्तव में जो उत्पादन हो रहा है, उसमें सब्जी का असली गुण है या नहीं है, या हम यूरिया खा रहे हैं। अब तो मुर्गा जन्म ले रहा है, बिना मुर्गी के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह भी देखना चाहिए कि वास्तव में असली गुण है या नहीं है। आज कल तो रंग लगाकर सब्जियां आ रही हैं बाजार में। बाजार में हरी मटर आती है, हरी तो है मगर उस पर रंग लगा हुआ होता है, लेकिन हम समझते हैं कि हरी-मटर आई है। तो इस तरह से जो एडलट्रेशन हो रहे हैं, आदमियों को खिलाया जा रहा है इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देखना है और दूसरे लोग जो फूड प्रोससिंग करते हैं, इसको भी देखना है। (व्यवधान) तो इसमें ये जो सारी चीजें हैं उसको यहां के बाबू लोग नहीं कर सकते हैं। ये बाबू लोग खाना खाते हैं देहात से और बात बोलते हैं अंग्रेजों की और उनका भरण-पोषण देहातों में होता है। इसलिए ये सारे जो शहरी बाबू लोग हैं उनका ध्यान हम एक बार देहातों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनका कंडीशन यदि ठीक नहीं होगा तो शहरिया बाबू उड़िया खाकर ही मरेंगे और इतनी सारी बीमारी होगी कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सबको इस बारे में चिन्ता करनी है।

हम लोग अपने पूरे समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, बस सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं बचा तो सब दुनिया ठीक है, हमें इस तरह की नीति और सोच को बदलना होगा। अगर हमारा कृषक समाज इस तरह से होगा तो सारे देश का नुकसान होगा, हम नहीं बच सकेंगे और हिन्दुस्तान नहीं बच सकेगा। हम सारे देश में दुनिया के बीच में कृषि प्रधान देश खाली कहलाएंगे और दूसरे लोगों के सहारे हम लोगों को जीना पड़ेगा। हमारे देश में बेईमानी बढ़ती जा रही है इसको भी बन्द करना होगा। कृषक इस देश का बहुत बड़ा अंग है, इस देश की शक्ति है वह अन्न पैदा करता है और उस अन्न की सबको जरूरत है। आजकल जो कृषि होती है, जो साइंटिफिक तरीके से होती है, उसके लिए उसको सारे साधन मुहैया कराने पड़ेंगे, पूरी सहायता देनी होगी, उनके दरवाजे तक पहुंचाना होगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में बड़े-बड़े पूसा जैसे इंस्टीट्यूट बना दिए गए, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां लोगों ने देखा नहीं है, किसी ने आलू का पौधा नहीं देखा है और वही लोग आलू का रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे हमारे पास

साइंटिस्ट हैं इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्लाक लेवल पर जो काम जानते हैं और कृषक के साथ भी जो काम कर सकते हैं ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इससे कृषक और हमारे देश का भी उद्धार हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : मेरा एक प्वांट आफ आर्डर है कि हाऊस में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घण्टी बज रही है—अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य, श्री विजयराघवन बोल सकते हैं।

***श्री वी० एस० विजय राघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। कृषि मन्त्रालय एक बहुत ही योग्य मन्त्री के हाथों में है जो इस देश के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी का लगभग एक दशक तक मान बढ़ाया और जब भी सदन के सामने किसानों के सम्बन्ध में कोई मुद्दा आया, उन्होंने खुले तौर पर उनके समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये। आज वे कृषि मन्त्री हैं। मुझे विश्वास है कि इस देश के किसानों के हित उनके हाथों में सुरक्षित है। उनके साथी, श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन, एक युवा और सक्रिय मन्त्री हैं जो किसानों का भला करना चाहते हैं। मैं उनके लिए सफलता की कामना करता हूं।

हमने कृषि उत्पादन में जबरदस्त प्रगति की है। 170 मिलियन का गेहूं उत्पादन आज तक का कीर्तिमान है। मैं इस अवसर पर देश के किसानों को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। पिछले तीन दशकों में सरकार द्वारा जिस सही नीति का पालन किया गया है उसी कारण ही यह सम्भव हो सका है। हम अधिकतर किसानों की मूल समस्याओं के समाधान में असफल रहते हैं, जिन्होंने देश के लिए इतने अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया है। मैं नहीं जानता कि क्या कृषि उत्पाद के उत्पादन लागत का निर्धारण वास्तविक रूप में किया गया है। उत्पादन की कीमत के अवास्तविक मूल्यांकन पर आधारित मूल्य निर्धारण अवास्तविक ही पाया गया है। इस देश के किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि उन्हें उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिए जाने चाहिए। यह मांग चाहे खाद्यान्न से सम्बन्धित हो, अथवा नकदी फसलों से, इस मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। फैक्ट्री के माल की उत्पादन लागत का अनुमान वे स्वयं लगाते हैं। किन्तु कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत तथा उनके मूल्यों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। जापान में कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत का आंकलन अन्य विषयों में एक किलो नाइट्रोजन के मूल्य के आधार पर किया जाता है। भारत में इन बातों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर टूथपेस्ट है। इसकी उत्पादन लागत मात्र 2 रुपये है जबकि बाजार में इसकी कीमत 25 रुपये है। सरकार इसके मूल्य पर नियन्त्रण नहीं करती। इसी प्रकार पिछले छः महीनों में सीमेंट का मूल्य प्रति बोरी 50 रुपये बढ़ गया है। क्या यह इस अवधि के दौरान उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के कारण हुआ है? बिलकुल नही। इसका अर्थ है कि फैक्ट्री माल के मूल्यों में बिना किसी हस्तक्षेप अथवा कठिनाई के किसी भी सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य की मांग करना एक उचित मांग है।

मैं अपने उत्पादन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि हमने 170

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री वी० एस० विजय राघवन]

मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। किन्तु क्या हम में और अधिक उत्पादन करने की क्षमता नहीं है ? मैंने हाल ही में अखबारों में पढ़ा था कि सोवियत संघ में गम्भीर आर्थिक तथा राजनीतिक संकट के बावजूद वहां कुल खाद्यान्न उत्पादन 24 बिलियन टन है। उनकी जनसंख्या हमारी आधी जनसंख्या से भी कम है। हमें उत्पादन के उस स्तर को पाने के लिए और सतत प्रयास करने होंगे। हमारा प्रति हैक्टेयर उत्पादन अभी भी कम है। मेरे पास इस संबंध में कुछ आंकड़े हैं। गेहूं के उत्पादन की विश्व औसत प्रति हेक्टेयर 2144 कि० ग्रा० है जबकि भारत की औसत 1848 कि० ग्रा० है। चावल के सम्बन्ध में, विश्व का औसत उत्पादन 3000 कि० ग्रा० है, जबकि भारत की औसत 2025 कि० ग्रा० है। सबसे उत्तम उत्पादन 6364 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर था, जो दक्षिण कोरिया में था। यदि ये आंकड़े सही नहीं हैं तो माननीय मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो मुझे सही कर सकते हैं। अतः, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की बहुत सतत बात चल रही है। इसके लिए उर्वरकों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उर्वरकों के उपभोग के संबंध में भारत अन्य देशों से बहुत पीछे है। उर्वरकों के मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। और ऐसी सम्भावना है कि उर्वरकों का प्रयोग कुछ और कम हो जायेगा जिससे अन्ततः उत्पादन प्रभावित होगा। अतः उर्वरकों के संबंध में एक वास्तविक नीति की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान दोहरी मूल्य नीति को बहुत ध्यान से लागू करना चाहिए। वितरण प्रणाली का सुधार किया जाना चाहिए। जिन लोगों के पास परमिट है उन्हें सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक बेचे जाने चाहिए। अन्यथा वितरण में काफी धांधली तथा भ्रष्टाचार होने की संभावना है और छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों को ऐच्छिक लाभ नहीं मिलेगा।

महोदय, राजीव गांधी सरकार ने चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई थी। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व और दक्षिण के राज्य आते हैं। आरम्भ में इस योजना में केरल शामिल नहीं था। मैंने सदन के भीतर तथा बाहर कई बार इस विषय को उठाया था तथा मन्त्री महोदय से कई बार निवेदन किया था। अन्ततः इस योजना में केरल के पालाक्कड और चार अन्य जिलों को शामिल किया गया जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मेरा निवेदन है कि इस योजना में और अधिक जिलों को शामिल किया जाए ताकि चावल का उत्पादन बढ़ सके।

महोदय, केरल में मुख्य फसलें नकदी फसलें है जिनसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सरकार ने सदा केरल के नकदी फसल उत्पादकों के प्रति उदासीनता दिखाई है। नारियल केरल की एक मुख्य नकदी फसल है। अधिकतर किसान अपनी जीविका कमाने के लिए इसी नकदी फसल पर निर्भर रहते हैं। नारियल को केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है। दशकों से नारियल के समर्थन मूल्य के लिए सदन के भीतर तथा बाहर मांग की गई है। केवल कुछ वर्ष पहले ही इस मांग को मान लिया गया है। इसी प्रकार काफी समय पहले नारियल को तिलहन के रूप में घोषित करने की मांग भी की गई थी। फिर भी नारियल को तिलहन के रूप में घोषित करने पर उत्पादकों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, वे नहीं दी गई हैं। सरकारी अफसर वर्ग की ओर से सख्त विरोध के बावजूद उन सुविधाओं को नारियल उत्पादकों तक पहुंचाने का साहसिक कदम उठाने के लिए मैं राज्य मन्त्री महोदय मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन को बधाई देता हूं।

अब, मैं नकदी फसलों के बीमा किए जाने के प्रश्न पर आता हूं। नकदी फसलों के लिए भी बीमा किया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि नकदी फसलें अन्य फसलों की तरह नहीं हैं। उदाहरण

के तौर पर नारियल है। कम से कम चार या पांच वर्ष के बाद नारियल फल देना आरम्भ करता है। यदि उन वृक्षों को जिन्होंने अभी-अभी फल देना आरम्भ किया है अचानक कोई रोग लग जाता है और वे पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तो उत्पादक को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। नए उगाए वृक्षों के फल के लिए उसे और 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप उत्पादकों को होने वाली कठिनाई का स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं। अतः, नकदी फसलों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।

महोदय, पिछले सप्ताह यहां बाढ़ पर चर्चा हुई थी। मैं इसमें भाग नहीं ले सका। चूंकि कृषि मन्त्रालय को बाढ़ का कार्य सौंपा गया है, मैं अपने केरल राज्य में बाढ़ के प्रकोप के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। विगत दो महीनों से केरल में मूसलाधार बारिश हुई है और बहुत अधिक नुकसान हुआ है। कुल अनुमानित हानि 359 करोड़ रुपए की है, जिसमें से फसल की हानि 103 करोड़ रुपए की हुई है। 124 व्यक्तियों की जानें गई। 6 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। 6000 मकान बह गए। 3000 घरों को आंशिक रूप से क्षति हुई। 9वें वित्त आयोग ने बाढ़ राहत के लिए 31 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। यह राशि राहत देने के लिए बहुत थोड़ी है। सड़कों, कृषि भूमि आदि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको इस क्षति का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन दल भेजने की आवश्यकता नहीं है। केरल की सड़कों पर यात्रा कीजिए आपको यहां हुई क्षति का अनुमान लग जायेगा। इसलिए बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केरल को ज्यादा राशि आबंटित की जानी चाहिए। केरल के माननीय मुख्यमन्त्री और उनके साथी माननीय कृषि मन्त्री को ज्ञापन देने के लिए पिछले सप्ताह यहां थे। राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त में चावल सप्लाई कर रही है। लेकिन वहां सप्लाई करने के लिए पर्याप्त चावल नहीं है। जो कुछ भी अच्छा बुरा चावल केन्द्र सप्लाई करता है उसे राज्य सरकार मुफ्त सप्लाई करने के लिए जारी कर चुकी है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार को चावल की सप्लाई बढ़ाए।

महोदय, अन्त में, मैं एक शब्द पालघाट के बारे में कहना चाहूंगा जोकि मेरा जिला है। वहाँ एक प्रमुख परियोजना जिसका नाम कुरियार कुट्टी-कारापारा बहुउद्देशीय परियोजना है—लम्बित पड़ी है और इसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। यदि कम से कम परियोजना का जो सिंचाई वाला हिस्सा है उसे मंजूरी दे दी जाए तो इससे पालघाट के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को काफी सहायता मिलेगी। इस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिमी घाट के वर्षा की कमी वाले क्षेत्र में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में निरन्तर सूखा पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए यह परियोजना बहुत आवश्यक है। वहां पीने के पानी की कमी है। स्वर्गीय राजीव जी ने पालघाट को पीने के पानी के वास्ते प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल किया था। लेकिन उस समय जो सरकार वहां सत्तारूढ़ थी उसने इसके कार्यान्वयन में रुचि नहीं ली। इसलिए यह मिशन असफल रहा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सारे प्रकरण पर पुनः गौर करे और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये कि वहां पानी की कमी की समस्या हल हो जाए।

अन्त में, एक शब्द नदी जल विवाद और इस पानी के बंटवारे संबंधी समझौतों के बारे में कहूंगा। पाराम्बी कुलम अलियार समझौता जोकि अलियार नदी के पानी के बंटवारे के बारे में केरल और तमिलनाडु के बीच हुआ था, की अवधि समाप्त हो चुकी है और इसे आगे बढ़ाया जाना है। इस समझौते का नवीकरण करना है। केरल को इस नदी से 92000 मिलियन क्यूसेक जल मिलना

[श्री वी० एस० विजय राघवन]

चाहिए। सारा चित्तूर तालुक अलियार के जल पर निर्भर है। इस समझौते के नवीकरण हेतु तमिलनाडु सरकार पर कुछ दबाव डालने की आवश्यकता है। इसी तरह कावेरी विवाद पर यहां काफी शोर शराबा किया गया और यह दर्शाने की कोशिश की गयी कि इस विवाद से केवल यही राज्य संबद्ध है। केरल भी इस विवाद से जुड़ा है। हमें भी कावेरी नदी जल से अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए जब कभी भी यह विवाद हल हो जाए तो केरल के हित को भी देखा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं पुनः पूरी तरह से इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बृशिण पटेल (सोवान) : सभापति महोदय, मैं सदन में कृषि अनुदान की मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश के कुल श्रम शक्ति का 66 से लेकर 70 फीसदी तक सिर्फ कृषि में संलग्न है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 33 फीसदी केवल कृषि से आता है। फिर भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस कृषि प्रधान देश में जितनी दयनीय हालत किसानों की है उतनी किसी दूसरे की नहीं है। किसान खून-पसीना लगा कर जमीन में अन्न पैदा करता है, दूसरों को खिलाता है और दूसरों को जिन्दगी देता है और विडम्बना है कि वह खुद खाली पेट सो जाता है उसके बच्चे पानी पीकर रात गुजारते या मजबूर रहते हैं। जब कृषि की बात होती है तो कृषि मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमारे देश ने कृषि में बहुत तरक्की की है। मैं आपको अपने इलाके में चलने का न्यौता देता हूं कि चलें और देखें किस तरह ठिठरन भरी जाड़े की रातों में छोटे किसान और कृषि मजदूर का बेटा पानी में अपने पेट की आग को शांत करने के लिए तो सैकड़ों की तादाद में आपको केकड़े और घोंघों को ढूंढते मिलेंगे। तब आपको अहसास होगा कि आपने कृषि में कितनी तरक्की की है। मैं कहना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा किसान हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है। इतनी कम जमीन में जो कृषि करने वाला है वह इतनी पैदावार नहीं कर सकता है कि अपने बाल-बच्चों को, अपने परिवार को अन्न खिला सके। अगर यह सरकार चाहती उसको साधन मुहैया करा सकती थी, तो ये लोग इतना अन्न पैदा कर सकते थे कि पांच एकड़ की खेती करने वाला काश्तकार भी अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण कर सकता था। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इस कारण किसान को न समय पर पानी मिल पाता है, न प्रमाणित बीज उपलब्ध हो पाता है, न ही उनको कम दामों पर खाद उपलब्ध हो पाती है। पूर्व में हमारे माननीय सदस्यों ने इन सवालों पर विस्तार से चर्चा की। जहां तक पानी का सवाल है, बहुत सी योजनाओं का जिक्र किया गया। गण्डक नहर योजना एक बहुत बड़ी योजना है जिससे आप पानी का पटबंध करना चाहते हैं। ऐसी और भी योजनायें हैं जोकि करोड़ों-अरबों रुपयों की हैं। लेकिन इन योजनाओं से 10, 20 या 50 एकड़ की भूमि की सिंचाई भी नहीं हो पाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दें तो उससे बड़ा फायदा होगा और 10, 20, 50 या 100 एकड़ पर सिंचाई हो सकती है, क्योंकि ये योजनायें 10, 20, 50 हजार में ही पूरी हो सकती हैं और किसानों के लिए फलदाई होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जो टेक्नोक्रेट्स हैं जब उनके पास करोड़ों रुपयों की योजना जाती है तो उनको लगता है कि लूट का व्यापक स्कोप हाथ में आ रहा है इसलिए बिना सोचे-समझे और विचारे वे उस योजना में हाथ लगा देते हैं। भले ही उसकी उपलब्धि नगण्य हो, शून्य हो और जो सिंचाई की छोटी योजनायें हैं उनसे निश्चित तौर पर हम खेती कर सकते हैं, किसानों को लाभ हो सकता है, लेकिन वे कम

लागत की योजनायें होती हैं उसमें लूट का स्कोप कम होता है इसलिए छोटी योजनाओं पर सरकार कोई तवज्जोह नहीं देती है।

बीज का सवाल ले लीजिए। जो प्रमाणित बीज होता है वह किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है। समय बीत जाने के बाद उनको सप्लाई किया जाता है। इससे हमारे किसान रोते हैं। हमारे यहां कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो जानते हैं कि लाल साग बहुत अच्छा होता है और उसको वे चाव से खाते भी होंगे। लेकिन उसका जो बीज है वह कांटे के बीज से मिलता है। इस तरह किसान को लाल साग की जगह कांटे का बीज सप्लाई कर दिया जाता है। जब किसान को पता चलता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी इसको नहीं समझा जाता है। इसलिए आप व्यवस्था करें कि किसान को प्रमाणित बीज सही समय पर मिले···कृषि मन्त्री जी को नींद आ रही है, लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, उनको मेरी बात पसन्द नहीं आ रही है। खाद का सवाल है। पिछले दिनों खाद पर बहुत फजीहत हुई इस सरकार की, बहुत शोरगुल हुआ। विपक्ष के लोगों ने ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि खाद पर जो चालीस फीसदी दाम बढ़ा है यह न्यायोचित नहीं है इसको कम करना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने कृषि मन्त्री जी का बयान अखबार में देखा। उसमें इन्होंने कहा है कि ऋण माफी योजना जनता दल की सरकार ने शुरू की थी उसकी वजह से देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई इसलिए अब 30 फीसदी से कम दाम करने में हम असमर्थ हैं। हमारे कृषि मन्त्री जी जब यहां स्पीकर थे तो संयोग से ये हाजीपुर गए थे। मैं भी इनकी मीटिंग में था। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं यह जानकर कि ये कृषि से जुड़े हुए हैं। मैं इनसे अदब से कहना चाहता हूं कि जब ये भाषण करते हैं या इस सदन के तमाम लोग दूर-दराज के गांवों में जाते हैं तो इनका भाषण होता है कि यह देश गांवों का देश है। यह देश किसानों का देश है और जब इनको विकास करना होता है तो गांवों को भूल जाते हैं, किसानों की याद इनको नहीं आती है। इनको सोचना चाहिए था कि जिनकी बदौलत 42 वर्षों तक आप इस गद्दी पर बैठे हुए हैं उनके लिए क्या किया, जो वास्तव में देश का मालिक है। इस देश का मालिक गरीब किसान है। उसको इन्होंने सिवाय जिल्लत के दिया ही क्या है ? जब उनको राहत देने का सवाल आता है तो ये कहते हैं कि ऋण माफी योजना की वजह से वित्तीय स्थिति देश की बहुत खराब हो गई है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना बता देना चाहता हूं कि जब मैं वहां बैठा था, तब भी बोला था लेकिन जब से यहां बैठा हूं, तो बोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और दूसरे मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ऋण माफी योजना से कैसे क्षति पहुंची है ? **(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : किसानों को कितनी राहत मिली ?

श्री बलराम जाखड़ : राहत की बात है, वह मैं आपको समझाऊंगा। कई दफा गलतफहमी में जो दवा दी जाती है, वह मौत का कारण बन जाती है। एक दवा वह होती है जो मुर्दे को जिन्दा कर देती है, एक दवा वह होती है जो जिन्दा को मुर्दा कर देती है। वह जिन्दा मुर्दा है यही बात है। **(व्यवधान)**

मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता अगर यह ऋण माफी की योजना हमारे किसानों को फायदा कर देती और मैं इनको किसी वक्त सलाम करता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बृशिण पटेल के भाषण के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

[हिन्दी]

श्री बृशिण पटेल : सभापति जी, कृषि मन्त्री जब जवाब देंगे तो वे कहेंगे कि कैसे किसानों की वित्तीय स्थिति ऋण माफी योजना की वजह से खराब हुई । लेकिन मैं कह रहा हूं कि माननीय कृषि मन्त्री जी जरा धैर्य से मेरी बात सुन लें । मैं अर्ज कर रहा था कि यह देश किसानों का देश है । यह देश गांवों का देश है और 44 वर्षों की आजादी में आप लोगों ने इनको फाकेकशी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया और आप ऐशो-आराम की जिन्दगी इस दिल्ली की गद्दी पर बैठकर आप लोग प्राप्त करते रहे । आपको इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने का काम करना चाहिए था, उनका समाज में प्रतिष्ठा देने का काम करना चाहिए था, आपको ऐसी योजना बनानी चाहिए थी कि उनके बाल-बच्चे, वे फाकाकशी में अपनी रात न बितायें, उनके बाल-बच्चे रात पानी पीकर न काटें । जब जनता दल की सरकार बनी, तो वी० पी० सिंह ने महसूस किया कि जो इस देश के मालिक हैं, 44 वर्षों की आजादी के बाद भी कांग्रेस के शासन में उनके विकास के लिए, उन्नति के लिए तो कुछ किया नहीं उल्टे कांग्रेस की सरकार ने इस देश के मालिक को सरकार का कर्जदार बना दिया । यह नाइन्साफी है हिन्दुस्तान के तमाम किसानों के साथ । इसलिए श्री वी० पी० सिंह ने यह सोचा कि जो इस देश का मालिक है, उनके विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो जब तक उनको उनके विकास की ओर हम अग्रसर नहीं कराते हैं, जब तक उनको देश का सही मालिक नहीं बनाते हैं वह अपने नौकरों के कर्जदार बना रहे, यह मुमकिन नहीं है और इसी सच के तहत श्री वी० पी० सिंह ने तमाम किसानों को आपके सरकारी कर्ज से मुक्त कर दिया, यह इन्साफ हुआ इस देश के तमाम किसानों के साथ । मैं आपसे यही कहना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : मुश्किल तो यह है कि वी० पी० सिंह भी यहीं थे, सारा कुछ उन्हीं का बनाया हुआ था ।

श्री बृशिण पटेल : मैं अर्ज कर रहा था कि जब फर्टीलाइजर के सवाल पर बात उठी तो आपने कहा कि जो छोटे किसान और मध्यम किसानों को इस बढ़े हुए दर से मुक्त रखा जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि कल ही इस सदन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सवाल पर शोर हो रहा था । आखिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है ? जो जरूरतमन्द लोग हैं, जो इस देश के गरीब लोग हैं, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आप उचित मूल्य पर उनको उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देना चाहते हैं लेकिन होता क्या है ? आप जानते हैं कि जो जरूरतमन्द लोग हैं उनको सामान उपलब्ध नहीं हो पाता, यह सामान काला बाजार में बेच दिया जाता है । इसके जवाब में कहा गया है कि 4-5 सौ लोगों के खिलाफ मुकद्दमे दायर किए गए हैं । मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप इस देश को छोटे और बड़े किसानों के नाम पर न बांटिए । जो बड़े किसान हैं, ठीक है कि उनको ज्यादा लाभ मिलता है, वे ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वे क्या पैदा करते हैं ? वह अनाज पैदा करता है, वह अफीम पैदा करके इस हिन्दुस्तान के तमाम लोगों को मरने के कगार पर नहीं ले जा रहा है । वह बड़ा किसान है लेकिन वह जिन्दगी देने का काम कर रहा है, वह कोई गुनाह नहीं कर रहा है । बड़े, छोटे और मध्यम किसानों के नाम पर आप किसानों

को बांटने की भूल मत करें। जब तक आप इसको नहीं सुधारेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जो छोटे किसान, जो मध्यम किसान हैं, उनके नाम पर जो फर्टीलाइजर आएगा, वह काला बाजार में बिक जाएगा और छोटे और लघु किसान वह इससे वंचित रह जाएंगे। मैं यह आपको कहना चाहता हूं। यदि आपकी यह सोच रही तो वह दिन दूर नहीं, जब अनाज पैदा करने वालों में आप भेद-भाव और बंटवारा करना चाहते हैं तो वह दिन भी आने वाला है कि आपकी ओर से लोग कहेंगे कि फलानां व्यक्ति बहुत विद्वान हो गया है, बहुत पढ़-लिख गया है, उसको इतना पढ़ना नहीं चाहिए, आप उसके पढ़ने पर उसकी विद्वता पर भी टैक्स लगाने से बाज नहीं आएंगे। इस तरह की सोच खतरनाक है। एक तरफ आप कहते हैं बड़े किसान पर हम 40 फीसदी दाम बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों की तुलना अपने देश से नहीं करना चाहता हूं कि दूसरे देशों में प्रति हैक्टेयर कितनी उपज होती है और हमारे देश में प्रति हैक्टेयर कितनी उपज हो रही है।

कल उमा भारती जी बोल रही थीं। उन्होंने विस्तार से इस बारे में बताया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और जो फूड ग्रोथ है, इन दोनों में बहुत असमानता है। हमारे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ के मुताबिक फूड ग्रोथ नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे असम का पॉपुलेशन ग्रोथ 3.3% और फूड ग्रोथ 1.7% है। मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.4% और फूड ग्रोथ है 2.1%। केरल का 2.3% और 1.9%, महाराष्ट्र का 2.3% और 2%, कर्नाटक का 2.1% और 1.9%, पंजाब का 2.1% और 1.2%, आंध्र प्रदेश का 1.7% और 1.1%। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी आवश्यकता हमको है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर आप किसानों से भेदभाव पैदा कर रहे हैं हमारे देश के किसानों की कि तुम छोटे हो, तुम लघु हो, तुम बड़े हो। तुमको हम 10 रुपए में देंगे, तुमको माध्यम 5 रुपए में देंगे, तुमको हम फ्री देंगे। ऐसा काम न कीजिए। अभी सभापति महोदय हमने शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : आपका टाइम कब से खत्म हो गया और आपको पार्टी का टाइम भी खत्म हो गया है।

श्री बृशिन पटेल : केवल 10 मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : आप केवल दो मिनट और बोलेंगे।

श्री बृशिन पटेल : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बड़े पैमाने पर गांवों के किसानों का, कृषक मजदूरों का पलायन हो रहा है, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है जिसकी आपने चिन्ता की है। आपने ग्रामीण रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना चलाने का काम किया जिससे गांवों के लोग गांवों में रुकें। उसके माध्यम से आई० आर० डी० पी० का काम आपने शुरू किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना को जनता दल की सरकार बनी तो उसने इस योजना को अपनी सर आंखों पर रखा। इसलिए जनता दल की यह सोच थी कि पहले के जमाने में गांवों की जो आवश्यकता थी, गांवों में जो योजनाएं बनती थीं, उसका चयन दिल्ली से माननीय कृषि मन्त्री के द्वारा होता था जिससे गांवों के साथ न्याय नहीं हो पाता था। लेकिन जवाहर रोजगार योजना में यह छूट दी गई कि तुम अपनी योजना खुद तैयार करो, खुद तुम बनाओ क्या तुमको आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें दो दिक्कतें रह गई हैं जवाहर रोजगार योजना में, जिसमें कृषि मन्त्री जी सुधार करा दें। आप अपने यहां से जब पैसा देते हैं तो आप यह भी तय कर देते हैं कि

[श्री वृशिण पटेल]

15 फीसदी वानिकी के लिए, 20 फीसदी कृषि के लिए। कृपया इस बन्दिश को आप तोड़ दें और जो आवश्यकता गांव की हो, गांव तय करे कि वह पैसा कृषि में खर्च हो, वह पैसा वानिकी में खर्च हो। यह बात गांवों के लोगों को तय करने दीजिए और मैं बड़े अदब के साथ मन्त्री जी से एक निवेदन इस मामले में और करना चाहता हूं। पिछले चुनावों में इन लोगों ने नारा दिया था पंचायती राज का, और बड़ा ढिंढोरा पीटा गया इस देश में कि हम लोग पंचायती राज कायम करना चाहते हैं, लेकिन विरोध पक्ष के लोग यह काम नहीं करने देना चाहते हैं। आपने पावर डीसेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर क्या किया ? आपने मुखिया को एक लाख रुपया दिया और चैक काटने का अधिकार भी आपने मुखिया को दे दिया। मैं आपसे कहता हूं कि क्यों आप जन-प्रतिनिधियों की गर्दन शर्म से झुकाना चाहते हैं, पावर डीसेंट्रेलाइजेशन के नाम पर। आपको वहां मुखिया को, उसकी पंचायत का उसके हल्के का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, अपनी पंचायत का उसे मुख्यमन्त्री बनाना चाहिए था लेकिन डीसेंट्रेलाइजेशन ऑफ पावर के नाम पर मुखिया को लेखापाल नियुक्त कर दिया। आपसे मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो जन-प्रतिनिधि है, जिन्हें चैक काटने का अधिकार आपने दिया, आज बड़े पैमाने पर वह जेल की हवा खा रहा है। आप कृषि मन्त्री हैं, आप स्वयं चैक क्यों नहीं काटते हैं। आपको चैक काटने चाहिए। हम जानते हैं कि आप स्वयं चैक नहीं काटेंगे क्योंकि आप होशियार हैं। आप चैक अपने पदाधिकारियों से कटवायेंगे और मुखियों से डीसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पावर के नाम पर आप चैक कटवायेंगे ताकि उससे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उस गलती की सजा के लिए उसे जेल काटनी पड़ती है। मेरा आपसे कहना है कि मुखिया की पावर्स आप बढ़ा दीजिए, उसके सुपरवीजन का क्षेत्र आप बढ़ा दीजिए लेकिन कृपा करके किसी जन प्रतिनिधि की गर्दन शर्म से झुकने न दीजिए।

सभापति जी, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। इस देश में आई० आर० डी० पी० नाम की जो योजना बनी, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए इसे बनाया गया था और मकसद बहुत अच्छा था। इस योजना के तहत आप हरिजनों के लिए गाय-भैंसों का प्रावीजन करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में हरिजनों के पास गाय और भैंस का ऑनरशिप कभी नहीं रहा बल्कि हरिजन दूसरे लोगों की गायें और भैंसे पालने का काम करते रहे हैं। आपने बिना सोचे समझे उन्हें ऑनरशिप दे दी बिना किसी प्रकार की ट्रेनिंग दिए हुए। और गाय भैंसों के लिए रुपया कितना मुकर्रर किया—तीन हजार, चार हजार। मैं आपसे कहता हूं कि आज के महंगाई के जमाने में तीन हजार और दो हजार रुपए में क्या एक बकरी भी खरीदी जा सकती है ? फिर आप कैसे हरिजनों को गायें और भैंसे देने की बात करते हैं। इससे लगता है कि आपकी नियत में खोट है। आप नहीं चाहते कि इस देश के गरीब, गरीबी रेखा से ऊपर आयें। अगर वे ऊपर आ जायेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी और आज जो आप वहां बैठते हैं, कल यहां चले आयेंगे। इसीलिए आप नहीं चाहते कि कोई गरीब इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। मैं जानता हूं कि आपकी नियत क्या है। सारा शहर कर्ज में डूबा है और बोझा उठाने को मेरा गांव तो है। यही सोच है आपकी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी सोच को आप बदलिए। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए आप गरीब नौजवानों, महिलाओं को ट्राइसम योजना के माध्यम से जो ट्रेनिंग देते हैं, उस पर जरा गौर से देखिये और सारे हिन्दुस्तान से, सभी राज्यों से, फिजिकल वैरिफिकेशन करा कर, फीगर्स मंगवाइये और देखिये कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आपको ताज्जुब

होगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में, गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाली आपकी आई० आर० डी० पी० योजना के तहत···

सभापति महोदय : मैंने आपको ऐनफ टाइम दे दिया है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल।

श्री वृशिण पटेल : आप फिजिकल वैरिफिकेशन कराइए सारे हिन्दुस्तान में और देखिए कि जो एसैटस 1991 से पहले तक बांटे गए हैं, क्या वे एसैटस सभी राज्यों में अच्छी तरह से उपलब्ध हैं, तो कितने उपलब्ध हैं। आपको यह देखकर दुख होगा, जब आप फिजिकल वैरिफिकेशन करायेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से 25 फीसदी असैटस भी आज उपलब्ध नहीं है।

मैं बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर था और मेरे पास ग्रामीण विकास विभाग था। मैंने अपने समय में फिजिकल वैरिफिकेशन कराई थी। वहां राजपाट लालू यादव का नहीं रहा बल्कि वहां राजपाट कांग्रेस का ही रहा। जब मैंने फिजिकल वैरिफिकेशन कराया तो 25 प्रतिशत असैटस भी नहीं निकले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसके बाद कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : सभापति जी, मुझे कन्क्लूड करने तक तो रिकार्ड में जाने दीजिए। आपको धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको काफी समय दिया है। आप इस तरह अध्यक्ष पीठ की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)*

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (अमरावती) : महोदय, मैं कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों की मांगों का समर्थन करती हूं।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र है और हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हैं। यह हमारे भोजन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है जिससे न केवल मानव बल्कि जीव-जन्तु भी जीवित रहते हैं। इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने, लोगों को रोजगार देने, शिक्षित और अशिक्षित, अमीर और गरीब, कुशल और अकुशल, पुरुष या महिलाओं को समान क्षमता प्रदान करता है। जब ऐसी स्थिति है तो इससे भरपूर फायदा उठाने में हमसे कहां चूक हो रही है? अतः यह आवश्यक है कि हम इस तरह के क्षेत्रों का पता लगाएं और वहां पर्याप्त साधन जैसे वित्त, उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज, जल-प्रबन्धन मिट्टी प्रबन्धन, नई तकनीक, परिवहन और माल के विपणन के लिए साधन उपलब्ध कराएं।

जहां तक वित्त की बात है, प्राथमिक समितियां इसे प्रदान करेंगी और जिला सहकारी बैंक वह जिला अभिकरण है—जिसके जरिये यह प्रदान किया जाता है। तथा सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक तो है ही। मैं अन्य राज्य के बारे में नहीं जानती लेकिन मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बता

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल]

सकती हूं कि यह बैंक यहां आज जितनी धनराशि उपलब्ध कर रहा है इससे कहीं अधिक उपलब्ध करा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ अड़चनें हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति दे तो उसके लिए इसमें कुछ और ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ और भागों को शामिल करना संभव हो सकेगा।

नाबार्ड एक अन्य अभिकरण है जो हमारे देश में कृषि के लिए वित्तीय सहायता देता है। लेकिन इसके तौर तरीके में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था में और नाबार्ड के रवैये में तथा बैंक द्वारा दी जा रही सहायता के तरीके में सुधार की गुंजाइश है। अन्यथा मैं कह सकता हूं कि यह अच्छा कार्य कर रहा है।

2.58 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए।]

वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में हमारे देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति को नाजुक बताया है। जहां तक कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करने की बात है—हमारे राज्य में कई शहरी सहकारी बैंक हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है वहां शहरी सहकारी बैंक और ऋण देने वाली समितियां हैं जिनके पास ऐसी निधियां रखी रहती हैं जिन्हें वे हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करा सकती है लेकिन इसमें अड़चनें हैं। वे इन निधियों को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दे सकते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक इसकी अनुमति नहीं देता है। अत: इन अड़चनों को ध्यान में रखते हुए यदि हम एक या दो या पांच वर्षों के लिए जब तक कि अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में नहीं आ जाती है या जब तक यह स्थिति हमें इजाजत न दें उन्हें अनुमति देने का कोई प्रावधान रखें तो इससे कृषि को स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। मैं समझती हूं हम यह परिवर्तन कर सकते हैं और रिजर्व बैंक से कह सकते हैं कि वह इन शहरी सहकारी बैंकों को कृषि के लिए धन प्रदान करने की अनुमति दें। हमें धन की कमी की वजह से कृषि कार्य का नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि कृषि ही कई गुणा फायदा देती है। अत: जहां तक हमारी कृषि आवश्यकताओं की बात है हमें इसमें कमी नहीं करनी चाहिए। हम अन्य जगहों पर, अन्य मन्त्रालयों या विभागों में किफायत कर सकते हैं। आप यह पता लगा सकते हैं कि वे कौन से अन्य मन्त्रालय या विभाग हैं जहां आप कमी कर सकते हैं और फिर हमारी कृषि की जरूरत के मुताबिक धन उपलब्ध कर सकते हैं।

अभी-अभी दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य ने, जब वह सत्ता में थे तो अपनी सरकार द्वारा ऋण माफ करने के बारे में जिक्र किया। हर व्यक्ति जानता है और शायद वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि इस नीति की क्यों वकालत की गयी। इससे उन्हें पिछले चुनाव में सहायता नहीं मिली लेकिन दुर्भाग्य से इससे यह हुआ कि जो भार हमारी अर्थव्यवस्था को वहन करना पड़ा उससे बहुत दयनीय स्थिति हो गयी। जैसे कि कृषि मन्त्री ने स्वयं कहा है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़

3.00 म० प०

है। इस ऋण माफ करने वाली प्रणाली या ऋण माफ करने वाली योजना जिसे पिछली सरकार ने शुरू किया था, ने पीठ और हड्डी दोनों को तोड़ दिया और यह श्री बलराम जाखड़ को मिला है। अब आपको इस टूटी हड्डी को मजबूत करना है। आपको इसे दुरुस्त करना है और रीढ़ को मजबूत

करना है। ताकि स्वयं अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो सके और ठीक रास्ते पर सही गति से चल सके। हमें तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी अर्थव्यवस्था की ये दो धारायें ठीक चलती रहें।

अब मैं उर्वरकों की बात करूंगा। हमे उर्वरकों के लिए दी जा रही राजसहायता वापस लेने का कारण शायद इस संबंध में दोहरी नीति अपनाना है। मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसान इस संबंध में खुश नहीं है। जो कुछ भी सुविधा दी जाती है वह उन तक नहीं पहुंचती है। यह उन छोटे किसानों तक नहीं पहुंचती है जिनके लिए यह बनी है। मैं समझता हूं कि आपको इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो कुछ भी राजसहायता आप छोटे किसानों को दे रहे हैं वह कम से कम उन तक पहुंचनी चाहिए।

जहां तक खरीद मूल्यों की बात है, यह कहा गया था कि किसानों को अधिक खरीद मूल्य दिए जायेंगे। इस संबंध में कि किसानों को अधिक मूल्य मिलें, दो राय नहीं हैं। लेकिन कृपया इस बात पर भी गम्भीरता से गौर करें कि कौन-सी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं। इस समय हम गेहू, चावल और चीनी खरीद रहे हैं। हम दालें, तेल, ज्वार, बाजरा, मक्की आदि नहीं खरीद रहे हैं जोकि समान रूप से और मूल रूप से बहुत आवश्यक है और जो हमारे कई राज्यों मे मुख्य खाद्य पदार्थ है।

मैंने उत्पादन बढ़ाने विशेष रूप से दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में कृषि मन्त्रालय की रिपोर्ट पढ़ी है। हम 1989-90 में खाद्यान्न के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गए। हम श्रीमती इन्दिरा गांधी के आभारी हैं जिन्होंने इस संबंध में प्रयास किया और जिनकी दूरदर्शिता और निष्ठा की वजह से हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए हैं। श्री राजीव गांधी ने भी इसी भावना और दूरदर्शिता से खाद्यान्न उत्पादन और अन्य उत्पादनों को और अधिक बढ़ाया। इसी वजह से हमारे देश में हरित क्रांति आयी।

लेकिन इसी समय हमें यह भी देखना चाहिए कि इन नयी तकनीकों से, अर्थात प्रौद्योगिकी मिशन और अन्य मिशन जोकि श्री राजीव गांधी ने शुरू किए थे। दालों, तिलहनों और अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी सुधार हुआ है।

मैं हमारे प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाणी में कुछ अन्य वस्तुयें जैसे दालें, चाय, नमक, माचिस और साबुन आदि भी शामिल कर लिए हैं। उन्होंने वह विभाग अपने पास रखा है। यह यही दर्शाता है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत महत्व देते हैं, जो निर्धनों में निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंचने का बहुत अच्छा तरीका है ताकि जहां वे रह रहे हैं वहीं पर उनकी जरुरतों को पूरा किया जा सके।

साथ ही मैं एक विशेष सलाह और देना चाहती हूं वह यह है कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्यान्नों को भी इसमें शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और तेल जो हमें प्राप्त नहीं होता बल्कि बाहर से मंगाया जाता है, चीनी और अन्य वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक राज्य का अनिवार्य भोजन एक समान नहीं है।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, वहां पर ज्वार मुख्य भोज्य पदार्थ है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी, उदाहरण के लिए कोंकण और विदर्भ के कुछ जिलों में मुख्य भोजन चावल है। अगर आप राजस्थान को लें तो वहां का मुख्य भोजन बाजरा है लेकिन वह भी पूरे राज्य में नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्य भोजन बाजरा है और उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर तथा ऐसे ही कुछ जिलों में मुख्य भोजन मक्का है तथा कोटा, बूंदी और झालावाड़ में मुख्य भोजन ज्वार है। अतः हमें इस

[श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल]

पर विचार करना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर क्या कुछ उत्पादित किया जाता है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दे सकती हूं। जब मैं वहां खाद्य आपूर्ति मन्त्री थी उससे पहले भी महाराष्ट्र ने ज्वार को प्राप्त करने के लिए एक विशेष योजना चलाई थी क्योंकि यही उनका भोजन है, यही उनकी पसन्द है और उन्हें यही कुछ खाने की आदत है और यही कारण है कि चूंकि यह उनकी खाद्य संबंधी आदत है इसलिए अब भी महाराष्ट्र ने ज्वार प्राप्त करने और लोगों को उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है। इससे दो उद्देश्य हल होते हैं—पहली स्थानीय स्तर पर यह उपलब्ध होगी तथा दूसरे इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे यातायात और भंडारण लागत और धन की बहुत बचत होगी और मुसीबतें भी कम होंगी तथा यह दुकानदार के पास सीधे पहुंचेगी।

महोदय, मुझे बहुत कुछ कहना है पर चूंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगी।

जहां तक दालों का संबंध है, एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता 40.4 ग्राम है जबकि 47 ग्राम दाल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है।

जहां तक तेल का संबंध है, यह प्रतिवर्ष 6.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष है, जबकि एक साल में जरूरत 7.3 किलोग्राम की होती है। यह आवश्यकता निर्धारित करने का आधार क्या है ? ऐसा लगता है कि यह सही तरीके से निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन महोदय, इन सब बातों को ध्यान में रखने के बावजूद भी हमें तेल और दालें बाहर से आयात करने की आवश्यकता होती थी। महोदय, अब देश के ऐसी स्थिति नहीं बनी रहनी चाहिए क्योंकि वर्ष 1989-90 में दालों के लिए लक्ष्य 14.75 मिलियन टन का रखा गया है जबकि उत्पादन 12.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह यही दर्शाता है कि हमने अभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है।

जहां तक तिलहन का संबंध है, मेरी जानकारी के अनुसार यह लक्ष्य से भी ऊपर चला गया है। लेकिन अगर आप विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं और अगर आप सचमुच विभाग द्वारा लिए जाने वाले वाटरशेड प्रोग्राम और विकास कार्यक्रमों से आत्म निर्भर होना चाहते हैं—मैं जानता हूं कि विभाग बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है और तिलहन तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं। एम० पी० डी० पी० और एस० एफ० पी० पी० तथा ओ० पी० टी० जैसे बहुत से कार्यक्रम हैं लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमें हर प्रकार से अपना उत्पादन बढ़ाने हेतु और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

महोदय, उद्योगों के प्रसंस्करण के संबंध में क्षेत्रवार विकास कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक में कृषि आधारित उद्योगों के प्रसंस्करण हेतु एक ब्लॉक मुख्य विकास केन्द्र के रूप में लिया जाना चाहिए और हमें एक योजना—गांव में फसलवार कार्यक्रम बनाना चाहिए—ताकि गांव में जिस चीज की आवश्यकता हो, उसे गांव में ही उत्पादित किया जा सके और अगर ऐसा करना सम्भव न हो तो यह कार्य ब्लॉक स्तर पर ही किया जा सकता है क्योंकि ब्लॉक को हमने मुख्य विकास केन्द्र के रूप में रखा है, जहां से आपको कच्चा माल प्राप्त होगा। आपको ब्लॉक में और अधिक छोटी-छोटी मिलें, तेल निकालने वाली मिलें कुछ ऐसी अन्य मिलें स्थापित करनी चाहिएं ताकि स्थानीय स्तर पर जो भी श्रम वहां लगाया जाए और जो कुछ वहां शेष बचे, उसे आप शहरों में भेज सकें और ऐसा करना संभव भी होगा।

महोदय, हम, अप्रवासी भारतीयों को वहां उद्योग लगाने के लिए बहुत से प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर आप कुछ अप्रवासी भारतीयों के लिए कम से कम प्रत्येक ब्लॉक में एक उद्योग लगाना अनिवार्य कर दें, अगर हम उन्हें प्रत्येक ब्लॉक को विकसित करने का अवसर दें तो कृषि-आधारित उद्योगों को तीव्र गति से विकसित करना सम्भव होगा।

महोदय, सहकारिता आंदोलन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं। महोदय, हरित-क्रान्ति से जो कुछ मिला, हम उसका श्रेय किसानों को, वैज्ञानिकों को, सरकार को देते हैं लेकिन हम सदैव ही यह भूल जाते हैं कि उनमें 60 प्रतिशत महिलाएं भी थीं जो वर्षा में और तपती हुई गर्मी में अपना पसीना बहा रही थीं तथा जिन्होंने इस नई तकनीक को भी अपनाया और देश में उत्पादन बढ़ाया। इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन विश्व भर में हमारे देश में सबसे बड़े आंदोलन के रूप में उभरा है। लगभग 3,50,000 सहकारी समितियां हैं और 16 करोड़ लोग उसके सदस्य हैं। दिनांक 30.6.1989 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी पूंजी लगभग 62,500 करोड़ रुपए है। यह विस्तृत रूप से ग्राम-आधारित कार्यक्रम है। लेकिन इसके बावजूद भी इस विस्तृत आन्दोलन के 16 करोड़ सदस्यों में से एक प्रतिशत भी महिलायें नहीं है। अत: महिलाओं को भी इसमें अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने देश के सामाजिक-आर्थिक सुधार मे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

इसके अलावा किसानों की आय और उन्नत तकनीक अपनाये जाने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्सासनों, बढ़े हुए उत्पादन और ग्रामीण-पूंजी-निर्माण प्रक्रिया पर कृषि मूल्य नीति के गम्भीर परिणाम होंगे। किसान को मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें मिलने वाला मूल्य लागत से काफी अधिक हो। हमें उनके कृषि-आधारित उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिए जो अत्यन्त अनिवार्य है तथा आयात-निर्यात नीति किसानों के अहित में नहीं होनी चाहिए।

आज देश में चीनी का निर्यात करने की अत्यधिक गुंजाइश है और यह देश का सबसे बड़ा कृषि-आधारित उद्योग भी है। पहले सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग था। लेकिन कपड़ा उद्योग का क्या हुआ, उसे आप जानते हैं। आज सुबह ही मुझे पता चला कि लगभग 5 लाख टन चीनी निर्यात की गई है और बाद में भी इसके निर्यात किए जाने को पर्याप्त गुंजाइश है। पिछले दो-तीन वर्षों में नए लाइसेंस दिए गए हैं लेकिन ये नई इकाइयां बहुत अधिक मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इन इकाइयों में काम रुक-सा गया है तथा खाद्य मन्त्रालय द्वारा कुछ प्रोत्साहन दिए जाने आवश्यक हैं। उस दिन माननीय खाद्य मन्त्री, श्री तरुण गोगोई बम्बई में थे। वहां एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कृषकों, सरकारी अधिकारियों और उद्योग से आये प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमने उस पर काफी चर्चा की। अगर हम इन इकाइयों को प्रोत्साहन देंगे तो ये उन्नति करेंगी अन्यथा उन्हें बहुत-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं जानती कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी भुगतान सन्तुलन की स्थिति जो बहुत बुरी हालत में है, सुधरेगी। अगर घरेलू और कृषि-आधारित उद्योगों से हमारी भुगतान-सन्तुलन की स्थिति सुधरने जा रही है तो मैं नहीं जानती कि सरकार को उनकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आना चाहिए। मुझे बताया गया है कि वित्त मन्त्री महोदय लगभग 3 बजे एक बैठक आयोजित करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उस बैठक के कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे।

[श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल]

अन्त में, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक जनजातीय ताल्लुक है, जिसमें वन अधिनियम के कारण कृषक बहुत-सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा पारित वन अधिनियम के कारण वे कुएं नहीं खोद सकते; उनके पास सिंचाई परियोजनाएं नहीं हैं तथा अपने खेतों पर जाने हेतु उनके लिए पगडंडियां भी उपलब्ध नहीं हो सकतीं। मेरे विचार में विभाग इन जनजातीय लोगों की समस्याओं पर विचार करेगा। यह स्थिति केवल मेरे चुनाव क्षेत्र में ही नहीं बल्कि तकरीबन पूरे देश में है। अतः मेरा अनुरोध है कि विभाग भी उनकी समस्याओं पर ध्यान दें।

एक बार फिर, मांगों का समर्थन करते हुए, इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैडम, महोदय आपने उपयुक्त बातों पर प्रकाश डाला है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : सभापति महोदय, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामों के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं, सुझाव भी दिए हैं और कमियां भी बताई हैं। इनमें से कुछ मुद्दों पर मैं उत्तर देना चाहूंगा। कुछ अन्य मुद्दों पर मेरे मित्र साथी वेंकटस्वामी जी उत्तर देंगे। हमारे मन्त्रालय में ग्रामीण विकास की नीति के तीन मुख्य घटक हैं : गरीबी निवारण और रोजगार के अधिकाधिक अवसर, सड़कों और पीने के पानी जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था और भूमि सुधार तथा भूमि रिकार्डों में सुधार से सम्बन्धित कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त सूखा प्रभावित और मरुस्थली क्षेत्रों जैसे संसाधनों की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों के लिए हमारे पास विशेष कार्यक्रम भी है।

सभापति महोदय, समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991 में यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम 40 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। पहले महिलाओं के लिए यह 30 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कवरेज का पहला लक्ष्य 40 प्रतिशत था जिसे 1990-91 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। अब अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, दोनों को ही 5000 रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर ऋण के 50 प्रतिशत के बराबर सबसिडी मिलती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना अवधि में 182 लाख परिवारों को सहायता दी गई है जिन्हें 2,708.03 करोड़ रुपए की सबसिडी और 5,372.53 करोड़ रुपये के बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 1990-91 में लगभग 24 लाख परिवारों को सहायता दिए जाने के लक्ष्य की तुलना में 29 लाख परिवारों को वास्तव में सहायता प्रदान की गई है जिन्हें 668.16 करोड़ रुपये की सबसिडी और 1,190.02 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।

इस समय इस कार्यक्रम का बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों की मार्फत मूल्यांकन करवाया जा रहा है। समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर यह पाया गया है कि अभी भी लगभग 16 प्रतिशत ऐसे लाभार्थियों को सहायता दी गई है जो इसके पात्र नहीं हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि निरन्तर निगरानी और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के द्वारा इस प्रतिशत को जितना सम्भव हो सके, कम किया जाये।

दूसरे, यह पाया गया है कि मोटे तौर पर लगभग 28 प्रतिशत लाभार्थी गरीबी की रेखा को पार कर सके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हम गरीबों में से सबसे अधिक गरीब लोगों को सहायता

देने के लक्ष्य पर महत्व देना जारी रखेंगे। इस प्रश्न का दूसरा पहलू है प्रदान की जाने वाली ऋण और सबसिडी की मात्रा। 3000 रुपए, 4000 रुपये और 5000 रुपए की सबसिडी की पुरानी सीमाओं को लगभग 10 साल पूर्व तय किया गया था और मेरी सरकार बजट सम्बन्धी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इस सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगी।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने देश के 50 प्रतिशत खण्डों के लिए क्रय समिति की मार्फत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों की खरीद प्रणाली को समाप्त करने के आदेश पहले ही जारी कर दिये हैं। हमने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.4.88 के बाद चुने गये सभी लाभार्थियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू कर दी है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 3000 रुपये की बीमा राशि मिलेगी। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीदे हुए पशुओं के बीमा की योजना भी है।

इस कार्यक्रम में जहां भी भ्रष्टाचार हो, उसका निर्मूलन करने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों को कहा गया है। जिलाधिकारी पर इसकी विशेष जिम्मेवारी डाली गई है।

ट्राइसेम, जिसे अगस्त 1979 में शुरू किया गया था, के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं के विद्यमान हुनर को उन्नत बनाने और उन्हें नई तकनीकी और प्रबंधकीय कार्यकुशलताएं प्रदान करने की व्यवस्था है ताकि उन्हें स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष औसतन दो लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। 1990-91 से इस लक्ष्य को बढ़ाकर प्रतिवर्ष चार लाख व्यक्ति कर दिया गया है। 1991-92 में वजीफे की राशि को बढ़ा दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा शिशुओं के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार हेतु अधिक अवसर प्रदान करना और सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुंच में बढ़ोत्तरी करना था। आरम्भ में देश के 50 जिलों में शुरू किया गया यह कार्यक्रम अब 230 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष से प्रतिवर्ष 50 अतिरिक्त जिलों में कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाई गई नीति ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के समूह बनाने और उन्हें विपणन समर्थन से जुड़ी हुई आय सृजित करने वाली गतिविधियां शुरू करने के लिए तैयार करने की है। इस उद्देश्य के लिए 10-20 महिलाओं के समूह को आवर्ती निधि के रूप में 15000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब तक देश में 37820 महिला समूह बनाए जा चुके हैं और कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या 623902 है।

हमारे देश के सभी 5.83 लाख गांवों में पीने का पानी मुहैया कराना हमारी सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि पीने के लिए और घर के दूसरे कामों में दूषित पानी का इस्तेमाल करना ही देश में उच्च शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सुधरी और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी की मार्फत पीने के पानी की सप्लाई को तेज करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई थी। यह योजना अब राजीव गांधी जी के नाम से चलेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाए गए 161722 गांवों में से 153357 समस्याग्रस्त गांवों को हम पेयजल मुहैया करा सके हैं। देश में 40 वर्ष के आर्थिक विकास के बाद भी एक अप्रैल 1990 को ऐसे 8365 गांव थे जिनमें गांव से उचित

[श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल]

दूरी पर स्वच्छ पेयजल का एक भी स्रोत नहीं है। यह, जैसा कि मैंने कहा है. हमारे लिए उच्च प्राथमिकता का मामला है और इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में सभी "बिना स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों में 1992-93 के अन्त तक पीने के पानी का कम से कम एक जल स्रोत सुनिश्चित करने के लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया है। "बिना जल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों को पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ हमें आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों में जल सप्लाई की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की नीति में हमने गांवों के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बसावटों में पानी उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया है। विद्यमान गाँवों में लगभग 1.50 लाख ऐसी बसावटें हैं जिनमें आवश्यकता से कम पानी उपलब्ध है। इनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बसावटें हैं। हम ऐसी बसावटों के लिए स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमने मोटे तौर पर केन्द्र से इस कार्यक्रम में से और चालू वर्ष में राज्य योजनाओं में से 60 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत गिनीकृमि की समस्या, जो केवल छः राज्यों में है, का चालू वर्ष के अन्त तक समाधान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने पेयजल में से फ्लोराइड की अधिक मात्रा को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल के वैकल्पिक स्रोत अथवा फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन दोनों कार्यों के लिए निधियों का विशेष प्रावधान किया जाता है।

कृषि में उन्नति को सुव्यवस्थित करने और उसे बनाए रखने के लिए कृषि उत्पादों के विपणन हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली का होना अनिवार्य है ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। बाजारों के विनियमन और प्रबन्ध को एक समान रूप से लागू करने के लिए राज्यों को एक माडल अधिनियम परिचालित किया गया है। अभी तक 6632 थोक बाजारों में से 6217 बाजारों को विनियमन के अन्तर्गत लाया गया है। इनमें से 522 बाजारों को सातवीं योजना अवधि के दौरान विनियमित किया गया है। एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बाजारों को बुनियादी ढांचा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों की मार्फत मण्डी समितियों को प्रति बाजार 4 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की राशि मुहैया कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत, योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक राज्य सरकार को 84.52 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। चालू वर्ष में 110 बाजारों को सहायता देने का प्रस्ताव है और इसके लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आने वाले वर्षों में हमारी सरकार प्राथमिक बाजारों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के बाजारों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने पर अधिक महत्व देगी। वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था करना भी हमारे मन्त्रालय की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। 1979-80 में शुरू की गई इस योजना के अन्तर्गत गोदामों के नियमों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। 1991-92 में 3 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए लाभकारी दाम मिलने में सहायता करने के लिए विनियमित बाजारों में 1050 ग्रेडिंग यूनिट भी स्थापित किए गए हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो

सके। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और जो कमियां बताई हैं उन सब पर तेजी से आगे की कार्यवाही हम करेंगे। हमारी सरकार श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का जो सपना महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी ने देखा था, उसे पूरा करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है और इस कार्य में हम इस सम्मानित सदन को सदैव विश्वास में लेते रहेंगे और माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से अपना मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारे गरीब भाइयों को ऊपर उठाने में सब सदस्यों से हम सहयोग चाहेंगे और ग्रामीण विकास की जो मांग है उसमें आपका पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि आप मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि भारत गांवों में बसता है परन्तु भारतीय ग्रामीणों का जीवन मृत प्राय है। 78 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है उस 78 प्रतिशत लोगों मे थोड़े से जमींदारों, व्यापारियों और शोषकों को छोड़कर बाकी छोटे किसान, बटाईदार किसान, कृषक मजदूर और बंधुआ मजदूर हैं।

उनका जीवन वर्णन से परे है। उन्हें आधा पेट भोजन मिलता है, फटे कपड़े पहनते हैं, उनके सिर पर छत भी नहीं होता, उनके लिए कोई विद्यालय भी नहीं है। उन्हें पेयजल भी नहीं मिलता है। इस तरह की कोई भी सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं है। यह उन ग्रामीणों की,दुखद स्थिति है जो हमारे लिए और देश के लिए आनाज पैदा करते हैं और अपना खून पसीना बहाते है। इस देश में कृषि क्षेत्र की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह संकट और भी गहराता जा रहा है। इसके पीछ कारण क्या है ?

यह सर्वविदित तथ्य है और मैं समझता हूं कि आप भी हमसे सहमत होंगे कि हमने पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र को कोई महत्व नहीं दिया है। हम पी० एल०-480 पर अत्यधिक निर्भर रहे और इसके अन्तर्गत अमरीका और अन्य देशों से आयात करके बहुत खुश हुए। यही दुर्भाग्य है। हमने तीन बार मौका खोया है और अब बहुत देर हो चुकी है। अब समस्या गम्भीर हो गई है।

महोदय, इस बार हम एक साथ कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास की मांग कर रहे हैं जो नई बात लगती है। यह ठीक है और अच्छा है। लेकिन माननीय मन्त्री, जो यहां पर है, वही बता सकते हैं कि इसमें उन्होंने सिंचाई को क्यों नहीं शामिल किया। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या सोच है। इस देश में क्या कृषि का विकास बिना पानी के किया जा सकता है ? यदि यह सत्य है तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन कटु सत्य यही है। स्वतन्त्रता के विगत 44 वर्षों के दौरान कृषि योग्य जमीन का केवल एक तिहाई ही सिंचित हो पाया वह भी छोटे एवं लघु सिंचाई व्यवस्था तथा गहरे नलकूपों की सहायता से सिंचाई की गई। और हमारे शेष किसान ईश्वर पर ही निर्भर हैं और उन्हें कहना पड़ता है—"अल्लाह मेघ दे, पानी दे"—क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है वे यह चिल्लाते रहेंगे "हे, ईश्वर, पानी दो और हमारी रक्षा करो।" इस देश में ग्रामीणों का यही दुर्भाग्य है।

इस संदर्भ में, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान उत्तर बंगाल के तीस्ता सिंचाई परियोजना की ओर खींचना चाहता हूं। इस सिंचाई परियोजना के तहत 13 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई को जा

[श्री अमर राय प्रधान]

सकेगी और यह परियोजना भारत में ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी । कृषि अर्थशास्त्रियों के अनुसार 63 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जा सकेगा, जिसका तात्पर्य है कि पश्चिम बंगाल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और पश्चिम बंगाल को केन्द्र सरकार से चावल और गेहूं की मांग नहीं करनी पड़ेगी । जब त्यौहार का समय आएगा तो आप सड़े हुए चावल कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भेज देंगे ।

सभापति महोदय, पिछले दिन प्रश्न काल के दौरान पिछले दिनों, प्रश्न काल के दौरान जब मन्त्री महोदय, ने यह कहा था कि वे टिहरी बांध पर 450 करोड़ रुपये पहले ही खर्च कर चुके हैं, तब आप भी मौजूद थे । लेकिन इसके बावजूद मन्त्री महोदय ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि इस बांध का निर्माण कार्य पूरा होगा या नहीं, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिंचाई परियोजना के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने स्रोतों से 348 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण के तौर पर मात्र 10 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे और वह भी बहुत समय पहले ।

हम चावल, गेहूं, कच्चा-पटसन, गन्ना, कपास, आलू, प्याज, लहसुन और अदरक जैसे कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्यों की मांग करते रहे हैं । हम कृषि उत्पादन और औद्योगिक सामान के मूल्यों में समानता की मांग करते हैं । यदि आप आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि 1957 से कृषि उत्पादन की कीमतों में और औद्योगिक सामान के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है । इसे रोका जाना चाहिए ।

इस संबंध में मैं लेनिन के विचारों का उल्लेख करना चाहूंगा । सरकार हमेशा हरित क्रांति की बात करती रही है परन्तु क्या वे जानते हैं कि जिन लोगों ने इस हरित क्रान्ति को सफल बनाया है, उनकी हालत क्या है ? लेनिन ने कहा था :

> "उत्पादन एक महान कारण है किन्तु श्रमिकों का हित उत्पादन की एक ऐसी अवस्था की मांग में है जिसमें वे अपने लिए उत्पादन कर सकें ।"

इसका काफी पहले अन्दाजा लगा लिया गया था 1938 में, जब नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब कांग्रेस-जनों द्वारा भी ऐसा ही सोचा गया था । उस समय 1938 में, एक सम्मेलन में स्वामी शाहजानन्दजी ने खेतिहर लोगों, किसानों के बारे में कहा था । उस समय यह नारा लगाया था "**लंगल जिसका, जमीन उसका**" जमीन जोतने वाले की । यह नारा बहुत समय पहले लगाया गया था ।

परन्तु स्वतन्त्रता के बाद आपने भूमि सुधार अधिनियम तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम संबंधी कुछ कदम उठाये और तत्पश्चात आप उन्हें भूल गए हैं ।

प्रो० महलानोबिश कमेटी की स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई थी । इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 63 मिलियन एकड़ भूमि फालतू हो जाएगी । महलानोबिश कमेटी की रिपोर्ट के दो वर्ष पश्चात्, तत्कालीन कृषि मन्त्री ने यह कहा था कि ऐसा संभव नहीं होगा, परन्तु मैं सभा को यकीन दिलाता हूं कि 30 मिलियन एकड़ भूमि फालतू भूमि के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी । किन्तु अद्यतन आंकड़े क्या हैं ? मेरा विचार है कि उपस्थित मंत्रीगण के पास भी ऐसे

आंकड़े उपलब्ध हैं। मैंने यह आंकड़े ग्रन्थालय से एकत्रित किए हैं। 7.64 मिलियन एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी। 5.97 मिलियन एकड़ भूमि को कब्जे में ले लिया गया है और इसमें से 4.41 मिलियन एकड़ भूमि अब तक वितरित भी कर दी गई है।

आपको यह जानकर हैरानी होगी और सभी को इससे प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस 4.41 मीलियन एकड़ भूमि में से अकेले पश्चिमी बंगाल में एक तिहाई भूमि वितरित की गई है। दूसरे राज्यों में स्थिति क्या है—यह आप देख सकते हैं। क्या आप भूमि सुधारों के मामले में वास्तव में गम्भीर हैं? मेरे विचार से आप बिलकुल गम्भीर नहीं हैं। 7वीं योजना अवधि के दौरान कुछ भी नहीं किया गया।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : पश्चिमी बंगाल में बेनामी भूमि का क्या रहा?

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आपके राज्य में भी बेनामी भूमि है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : कुछ वितरित भूमि का एक-तिहाई हम पहले ही वितरित कर चुके हैं।

श्री अमर राय प्रधान : आपने कहा है कि सातवीं योजना में भूमि सुधार को गरीबी-हटाओ नीति के ही एक भाग के रूप में माना जाएगा। किंतु भूमि सुधार के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। आपने इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समतुल्य बताया है। छठी योजना अवधि में आपने क्या आश्वासन दिया था? आपने कहा था

> "....अधिकतम सीमा से अधिक भूमि के वितरण कार्य को 1982-83 तक पूरा कर लिया जाएगा; भूमि रिकार्डों का अद्यतन संकलन चरणबद्ध तरीके से 1985 तक पूरा कर लिया जाएगा।"

क्या यह 1985 है? इसे बीते भी 6 वर्ष हो चुके हैं किन्तु कुछ नहीं किया गया। आपने सातवीं योजना में इसे टाल दिया। आठवीं योजना में इसका भविष्य क्या होगा, इसका मुझे कोई आभास नहीं है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, अधिकतर राज्यों में भूमि रिकार्ड अद्यतन कर दिये गये हैं। पश्चिमी बंगाल में एक तिहाई भूमि वितरित कर दी गई है। यह सही है। उड़ीसा में तमाम फालतू भूमि वितरित की जा चुकी है और भूमि संबंधी रिकार्ड भी अद्यतन कर दिए गए हैं। 5 अगस्त को प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि जिन राज्यों ने भूमि अभिलेख अद्यतन नहीं किये हैं, उन्हें तत्काल इसी वर्ष में ऐसा कर लेना चाहिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : उड़ीसा में कितनी भूमि वितरित की गई है।

श्री के० सी० लेंका : मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान) तमाम अतिरिक्त भूमि वितरित कर दी गई है। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : वे इसके बारे में उत्तर दे सकते हैं। महोदय, विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों को लागू करने के मामले में वे बिलकुल भी गंभीर नहीं हैं। कुछ दिन पहले पूरे आसाम में

[श्री अमर राय प्रधान]

लगभग सभी दैनिक समाचार-पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ था। दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दि टाइम्स आफ इंडिया, दि इण्डियन एक्सप्रेस, दि स्टेट्समैन, दि आजकल, दि आनन्द बाजार पत्रिका में ऐसा प्रकाशित हुआ। इन सभी समाचार पत्रों की कतरनें मेरे पास हैं। इन समाचार पत्रों में हमारे देश के माननीय प्रधान मन्त्री जी के खिलाफ भूमि सुधारों को लेकर आरोप लगाया गया था। 7 अगस्त 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स से मैं यह उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा :

* *

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : मैं इसके बारे में पूछताछ करने के लिए वहां गया था। क्या आप वहां गए हैं ?

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। मैंने अपने मित्रों से और माननीय श्री राव जी से पूछताछ की थी। और आंध्र प्रदेश सरकार का कहना था···

सभापति महोदय : मैं सोचता हूं कि आपको समाचार पत्र किसी अपुष्ट रिपोर्ट से तब तक उद्धरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जब तक कि वह किसी द्वारा प्रमाणित न हो।

श्री अमर राय प्रधान : वे सिद्ध करें कि यह सही नहीं है। वे इसे गलत कहें। परन्तु अभी तक किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री अमर राय प्रधान जी, मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। कृपया इन्हें भी समय दें।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, यह जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वह मेरी कांस्टीटूयन्सी है। वंजरा गांव है और प्रधान मन्त्री श्री पी० वी० नरसिम्हाराव ने सन् 1972 में अपनी सरप्लस लैण्ड डिक्लेयर की थी आन्ध्र सरकार को और गवर्नमेंट आफ आन्ध्र प्रदेश की गलती है कि वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई मगर इसके बावजूद भी···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह आपको सही स्थिति से अवगत करा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रधान जी, यदि आप समाचार पत्र के उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसकी सत्यता की जिम्मेदारी आपकी है।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यद्यपि ऐसे समाचार काफी समय पहले प्रकाशित हुए थे, तथापि किसी ने भी आज तक इनका विरोध नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : सर, मैंने जाकर देखा। ये एक हजार एकड़ बोल रहे हैं।

* अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह केवल एक सप्ताह पहले की ही बात है।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति महोदय, यह न्यूज इलेक्शन के बाद और पी० एम० बनने के बाद की है। आप कहते हैं तो आपको फैक्ट्स एण्ड फिगर्स बताता हूं। मैं वहां गया था कलेक्टर से बातचीत की है जिसमें एक हजार एकड़ तो बिल्कुल पहाड़ है। मैं कलेक्टर की स्टेटमेंट दे रहा हूं।

कलेक्टर ने कहा कि—"यह आंध्र प्रदेश माइनिंग कार्पोरेशन के हवाले है क्योंकि इसमें काश्त नहीं होती है। बाकी बचा काश्त के काबिल 400 एकड़ जमीन जिस पर अब तक जो लोग कब्जा किए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उन लोगों को 15 अगस्त के रोज कुछ दे दी गई।

सभापति महोदय : 15 अगस्त 1991 को दिया गया?

श्री जी० वेंकट स्वामी : जी हां।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इतने दिन के बाद दिया गया?

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, अब इसमें प्रधान मन्त्री की क्या गलती है? आप इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कर सकते हैं। फर्ज कीजिए आपको भी सरप्लस लैंड देना है तो आप भी स्टेट गवर्नमेंट को ही देते। इसलिए वह लैंड दे दिया गया है, उसको आप एक्सप्लॉइट करने के लिए नक्सलाइट कर रहे हैं। आप भी उसमें आकर करना चाहते हैं तो आप भी कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। पर जो बाकी जमीन है, उनमें कलेक्टर ने कहा कि आप आइए, एडस्ट के रोज हम पट्टे डिस्ट्रिब्यूट कराएंगे।

सभापति महोदय : आपने कहा कि जो पहाड़ी इलाका है वह माइनिंग कार्पोरेशन के हवाले कर दिया?

श्री जी० वेंकट स्वामी : जी हां, और जो जमीन है चार सौ एकड़ काबिले काश्त है उसका 31 को आकर उन्होंने डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए मुझे कहा है, तो मैंने कहा कि मेरा डिमाण्ड आया हुआ है आप ही कर दीजिए। यह हैं फैक्ट्स और एक्चुअल पोजीशन। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : सभापति महोदय, मैं इस तरह से प्रधान मन्त्री के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन प्रश्न भूमि सुधारों के बारे में है। अगर प्रधान मन्त्री इस तरह से संबंधित हैं··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है। उन्होंने स्थिति बता दी है।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय,

* *

अनेक माननीय सदस्य : कब?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रधान, वह दस्तावेज क्या है ?

श्री अमर राय प्रधान : आपको जानकर अचम्भा होगा कि मैंने ये दस्तावेज आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त किया है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री और विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : सभापति महोदय, यह एक सुपरिचित नियम है। और मैं समझता हूं कि सम्माननीय सदस्य जो कि एक वरिष्ठ सदस्य हैं, को भी उस नियम की जानकारी है। जब भी आप दस्तावेज से उद्धृत करें आपको इसकी प्रामाणिकता देनी चाहिए और उनको प्रमाणीकरण की सूचना पहले भी दे देनी चाहिए तथा उन्हें इसे पहले ही प्रस्तावित कर देना चाहिए अभी नहीं। आप नियम जानते हैं तथा मुझे आपको उस नियम के बारे में नहीं बताना है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं इस तरह से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह भूमि सुधारों का प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रधान, श्री कुमार मंगलम सही हैं। अगर आप इस प्रकार से दस्तावेज से उद्धरित कर रहे हैं, आपको पहले ही प्रस्तुत कर देना चाहिए था।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं आपको बता चुका हूं कि यह एक समाचार पत्र की रिपोर्ट है।

श्री बसुदेव आचार्य : वह समाचार पत्र से उद्धरित कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आप उनके वकील नहीं हैं। वह अपनी देखभाल करने में पूर्ण सक्षम हैं।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : सभापति महोदय, उसका आज तक खंडन नहीं हुआ है और इसलिए आज मैं इसे आज उठा रहा हूं। अगर यह सही नहीं है तो उन्हें समाचार पत्र की रिपोर्ट का खंडन करना चाहिए।

श्री के० सी० लेंका : महोदय, श्री प्रधान ने अतिरिक्त भूमि के बारे में समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उस रिपोर्ट का खंडन सरकार हाल ही में कर चुकी है।

अनेक माननीय सदस्य : कब (व्यवधान)

श्री के० सी० लेंका : आप जानते हैं कि श्री नरसिम्हाराव आंध्र प्रदेश में भूमि सुधारों को लागू करने वाले प्रथम मुख्य मन्त्री थे। अतः वह इस कार्य को पूर्ण करने के बारे में गम्भीर हैं। किन्तु पत्र में लगाए गए आरोपों का खंडन किया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, वर्तमान प्रधान मन्त्री भूमि सुधार कानून को लागू कर रहे हैं। आगे रिपोर्ट में है : (व्यवधान)

* *

सभापति महोदय : मैं पहले मन्त्री को बोलने का अवसर दूंगा। दूसरे आप एक दस्तावेज से उद्धरित कर रहे हैं। तीन बार मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे बताएं कि वह दस्तावेज क्या है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रधान, कृपया मुझे न रोकें, क्या यह एक राजस्व सम्बन्धी अभिलेख है या आंध्र प्रदेश सरकार का दस्तावेज या समाचार पत्र रिपोर्ट या किसी आदमी द्वारा लिखा गया कोई दस्तावेज। मैं आपसे तीन बार कह चुका हूं लेकिन आप सभा को ये जानकारी देने में असफल रहे हैं कि वो दस्तावेज क्या है जिसमें से आप उद्धरित कर रहे हैं। अब मन्त्री को बोलने का अवसर दिया जाता है।

श्री के० सी० लेंका : महोदय, समाचार पत्र का संदर्भ तथा अनेक आरोप कार्यवाही वृतांत से निकाल दिए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, जो मैम्बर कह रहे हैं, इस देश में लैंड रिफार्म्स की बुनियाद, पहली मर्तबा श्री पी० वी० नरसिंह राव ने आन्ध्र प्रदेश से शुरू की है और उसी वक्त सरप्लस लैंड को उन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया है। अगर ये कहते हैं कि इनके पास थाउजेंड रूपीज पर एकड़ के हिसाब से लेने का कोई डाक्यूमेंट है तो इन्हें पहले आपके पास आना चाहिए था वरना प्राइममिनिस्टर ऑफ इंडिया पर इस तरह का इल्जाम लगाना और वह भी न्यूजपेपर से न्यूज पढ़कर, वह बिलकुल गलत हैं, सच नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : मैं उन सारे दस्तावेजों को दिखाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यह दस्तावेज क्या है जिसका आप उद्धरण दे रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : यह सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

श्री बी० वेंकट स्वामी : महोदय, यह गम्भीर मामला है कृपया आप उन्हें इसे प्रमाणित करने को तथा सभा पटल पर रखने को कहें।

सभापति महोदय : इस दस्तावेज के सभी संदर्भ कार्यवाही वृतांत से निकाल दिए जाएंगे।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं प्रधान मन्त्री या किसी अन्य के विरुद्ध आरोप लगाने में दिलचस्पी नहीं रखता। मेरा मतलब तो बस ये है···

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बड़े सीनियर मेम्बर हैं।

[अनुवाद]

आप बड़े जिम्मेदार सदस्य हैं।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

और कोई न्यूज पेपर रिपोर्ट को आप ऑथैन्टिक डाक्यूमैंट कहकर हाउस के सामने पेश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं वह सही नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरे बीच में हस्तक्षेप न करें। मैं प्रैस माध्यमों के प्रति पूर्ण आदर रखता हूं।

और जो कुछ वो पब्लिश करते हैं, मैं कहता हूं कि बहुत सही बात है।

[अनुवाद]

किन्तु आप एक दस्तावेज या समाचार पत्र रिपोर्ट को उद्धरित नहीं कर सकते तथा सभा एक प्रामाणिक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। मैं खेद के साथ कहता हूं कि यह सही नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन तथ्य ये है कि समाचार पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद ही, भूमि वितरित की गई। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) **:** भूमि उसके बाद ही वितरित की गई। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं कि इससे सम्बन्धित कोई भी संदर्भ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री अमर राय प्रधान : मेरा तात्पर्य मात्र यही है। अतिरिक्त भूमि उचित ढंग से तथा समय से विपरीत की जानी चाहिए। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा प्रधान मन्त्री तक के मामले में नहीं किया गया है। अगर यही स्थिति है तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। बटाईदारों की प्रतिक्रिया क्या होगी।

सभापति महोदय : श्री अमर राय प्रधान, अगर कोई दस्तावेज है तो कृपया माननीय अध्यक्ष को दे दें···

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : क्या समाचार पत्र में छपी खबर को आप अधिप्रमाणित करेंगे? जब आप इसे अधिप्रमाणित नहीं कर सकते हैं तो आप यह मुद्दा यहां क्यों उठा रहे हैं? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रधान जी, जब मैं बोल रहा हूं तो आप कृपया बैठ जाइए। श्री सूर्य नारायण जी, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए। कृपया कुछ अनुशासन बनाये रखें। मैं जानता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री जी आ चुके हैं लेकिन इससे आपको खड़े होकर अध्यक्ष पीठ पर चिल्लाने की अनुमति नहीं मिल जाती है। कृपया यह समझें कि सभा में कुछ अनुशासन बनाये रखना चाहिए।

महोदय, मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं। यदि समाचार पत्र में इस बारे में कोई खबर छपी है कि किसी समय माननीय प्रधान मन्त्री जी को मुआवजा दिया गया है तो किसी भी तरह से समाचार पत्र की खबर को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। यद्यपि समाचार माध्यम के प्रति मेरे मन में पूरा आदर है लेकिन इससे कोई खबर प्रमाणित नहीं हो जाती है। इसलिए उस समाचार पत्र के बारे में जो चर्चा हुई है उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा। मैंने विनिर्णय दे दिया है और मेरे विनिर्णय पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं और कृपया किसी ऐसे अप्रमाणिक समाचार का उल्लेख न करें जिससे किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगता है।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यह कोई आरोप नहीं है।

सभापति महोदय : राय प्रधान जी, कृपया इस बात का कोई उल्लेख नहीं करें। मैंने एक विनिर्णय दे दिया है और आप कृपया अध्यक्ष पीठ द्वारा दिए गए विनिर्णय को चुनौती मत दीजिए। यदि आप सभा में अनुशासन रखते हैं तो आप इसे चुनौती नहीं दीजियेगा।

मैं आपको एक समाधान का सुझाव दे रहा हूं। यदि आप सोचते हैं कि यह खबर सही और प्रमाणिक है तो आप कृपया इसे सुबह 10 बजे से पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें और इस मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेने दीजिए। कृपया अब और इसका उल्लेख न करें।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, माननीय प्रधान मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जहां तक फालतू जमीन का सम्बन्ध है, जैसे कि खबर छपी थी, देश के हित के लिए, राष्ट्रीय हित, बटाईदारों के हित और प्रधान मन्त्री जी के हित के लिए भी उचित रूप से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वास्तव में यह खबर सच्ची है या नहीं, सरकार को इसकी व्याख्या करनी चाहिए।

3.57 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जी० वेंकट स्वामी : मैंने पहले ही आपको यह स्पष्ट कर दिया है।

श्री अमर राय प्रधान : जब माननीय प्रधान मंत्री जी सभा में उपस्थित हैं तो इसकी व्याख्या करना उनका कार्य है।

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि मुझे बहुत ही दुःख पहुंचा है। महोदय, आपकी इच्छा शिरोधार्य है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छिपाया जाए, चाहे यह सम्पत्ति हो, जमीन हो या कुछ और। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक वक्तव्य दूं या वर्ष-दर-वर्ष प्रधान मन्त्री कार्यालय में हम जो भरते रहे हैं उसकी एक प्रति दूं तो मैं इसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : 15 अगस्त, को ही उस भूमि का वितरण क्यों किया गया ? यही प्रश्न है।

श्री बलराम जाखड़ : उस जमीन का वितरण किया गया था। वे जमीन का त्याग कर चुके थे। ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भूमि सुधार की शुरुआत की और उन्होंने जमीन का त्याग कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको सभा में किसी माननीय सदस्य अथवा किसी मन्त्री यामाननीय प्रधान मन्त्री जी के विरुद्ध कुछ कहना है तो आप पहले लिखित रूप में सूचित करें और आपने लिखित रूप में उन्हें जो दिया है उसकी सूचना उनके द्वारा अध्यक्ष को दे देने के पश्चात उस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दी जाएगी।

मैं नहीं जानता हूं कि सभा में क्या हो रहा था। लेकिन माननीय सभापति महोदय और अध्यक्ष पीठ ने उचित रूप से इसका निपटारा किया होगा। मुझे इसका विश्वास है। मैंने कार्यवाही-वृतान्त का अध्ययन नहीं किया है। मैं इसका अध्ययन करूंगा और इस मामले में हम उचित निर्णय लेगें। हमे इस प्रकार की बातों को नहीं होने देना चाहिए। मैं यहां माननीय प्रधान मन्त्री जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि यहां हुआ है, वक्तव्य देने की अनुमति देने आया हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय प्रधान मन्त्री जो जो कह रहे हैं उसे हम स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से हम उनका आदर करते है। बात सिर्फ यह है कि समाचार पत्रों में कुछ खबरें छपी हैं और बेहतर होता यदि पहले ही इसका खंडन कर दिया जाता। लेकिन एक बार यदि यह बात माननीय प्रधान मन्त्री जी की ओर से कही जाती है तो स्वभाविक है कि तर्क कर इसका खण्डन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम उनकी बात स्वीकार करते हैं। और हम उनका आदर करते हैं शायद जिस बात का उल्लेख किया जा रहा है बेहतर होगा यदि पहले ही इससे इन्कार कर दिया जाए। फिर ये बातें नहीं उठेंगी। लेकिन जहां मेरी बात है, मैं उनका आदर करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चटर्जी जी, आपने ऐसा वक्तव्य दिया यह आपकी उदारता है और मैं समझता हूं कि इस सभा के सभी सदस्यों का रवैया इसी प्रकार का होना चाहिए। आमतौर पर जब समाचार पत्र मे कोई खबर छपती है, और हमारे यहां अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं तो यह हमेशा संभव नही हो पाता है कि हम उन सब बातों का स्पष्टीकरण दें जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं और इसलिए हम यह कहते हैं कि समाचार पत्रों में जो खबर छपती है उस पर हम भरोसा नहीं करते है। लेकिन जब हम सभा में कोई मुद्दा उठाते हैं तो हमें न सिर्फ उस समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर निर्भर होना पड़ता है बल्कि यह भी कहना पड़ता है कि हम इसका समर्थन करते हैं, हम जानते हैं कि यह सही है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अन्यथा हम ऐसा नहीं करते हैं।

अब हम इस मुद्दे पर और चर्चा करना नहीं चाहेंगे और मैं नहीं समझता हूं कि यह आवश्यक है। माननीय प्रधान मन्त्री जी को जो कुछ कहना था उन्होंने इस सभा में कह दिया है और माननीय सदस्यों को इससे संतोष कर लेना चाहिए।

4.00 म० प०

श्री बलराम जाखड़ : क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है ? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को उनके और उनके सम्बन्धियों की

सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।

इसलिए यह सब सन्देह से परे है और सभी को इसका पालन करना चाहिए । मैं समझता हूं कि सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्रीगण अपनी सम्पत्ति का बंटवारा करना चाहेंगे ।

श्री बलराम जाखड़ : जी हां, क्यों नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें एक अच्छी जानकारी मिली है ।

———

4.01 म० प०

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

द्वितीय भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, आई० आर० एस० 1 बी० का प्रमोचन

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : भारत का द्वितीय स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह पृथ्वी की सतह से नौ सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है । आई० आर० एस०-1 बी० को सोवियत संघ के बेकानूर अन्तरिक्ष अड्डे से भारतीय समयानुसार आज दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर सफलतापूर्वक छोड़ा गया ।

आई० आर० एस०-1 बी० उपग्रह की सभी प्रणालियों और उप-प्रणालियों का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है । इसका भार एक हजार किलोग्राम से कम है और इसमें आधुनिक प्रतिबिम्बन कैमरों के तीन सेट लगे हुए हैं ।

इसरो दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश नेटवर्क (इस्ट्रेक) के कैन्द्र, बंगलौर स्थित अन्तरिक्षयान नियंत्रण केन्द्र से हमारे राष्ट्र के अत्यन्त अनुभवी कार्मिक उपग्रह का नियंत्रण कर रहे हैं । इस केन्द्र को लखनऊ और मारीशस स्थित इसरो अनुवर्तन भू-केन्द्रों के साथ जोड़ा गया है । इस मिशन के प्रारंभिक चरणों के दौरान सोवियत संघ, केनिया, अमरीका और जर्मनी में स्थित विदेशी अन्तरिक्ष एजेन्सियों से भू-केन्द्र इस उपग्रह के कार्यनिष्पादन के मानीटरन में सहायता कर रहे हैं ।

सुदूर संवेदन आज सम्पूर्ण विश्व में अन्तरिक्ष उपयोगों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । एक विविध भौगोलिक विशिष्टता वाले विकासशील देश के लिए, बृहत भूमि और महासागर सम्पदा के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में यह अत्यन्त सुसंगत है ।

आई० आर० एस०-1 बी० का सफल प्रमोचन, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतत और सुनिश्चित आधार पर प्रचालनात्मक सेवायें प्रदान करने में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रति हमारी वचनबद्धता को अंकित करता है । विज्ञान का उपयोग शान्तिपूर्ण रचनात्मक और विकासात्मक लक्ष्यों के प्रति हमारी निरन्तर वचनबद्धता का भी प्रतिनिधित्व करता है और इसे हमारे देश वासियों को ठोस लाभ पहुंचाने के क्षेत्रों में परिणत किया जा सकता है । हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमारी संसद और जनता के सहयोग से हम भारतीय विज्ञान की स्थिति को व्यवसायिक श्रेष्ठता और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता की सीमाओं तक न केवल परिरक्षित रखेंगे, अपितु इसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक महत्वपूर्ण साधन बनायेंगे ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव]

मुझे विश्वास है कि यह सदन भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सहायक स्टाफ को, जिनके अथक प्रयासों से राष्ट्र को यह अनुपम सफलता मिली है, बधाई देने में मेरा साथ देना चाहेगा। इससे भारतीय होने पर हमारे गौरव की पुनः पुष्टि हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम सभी बधाई देते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारी जमीन से ही इसे छोड़ा जाएगा।

4.03 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1991-92

कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री अमर रायप्रधान अपना भाषण जारी रखें।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने पहल की है और प्रकाशित खबर पर स्पष्टीकरण दिया है हालांकि यह देरी से हुआ।

सरकार भूमिहीन श्रमिकों को अतिरिक्त भूमि वितरित करने की योजना को कार्यान्वित करने में कतई गम्भीर नहीं है। मेरे विचार से अब सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि कम समय में भूमि वितरित की जा सके।

4.04 म० प०

[**राव राम सिंह** पीठासीन हुए]

इस संबंध में हमारा कार्य पहले ही काफी धीमा है और इसे और धीमा नहीं करना चाहिए। उस दिन जब हम प्रश्नकाल के दौरान फसल बीमा की मांग कर रहे थे तब माननीय कृषि मन्त्री श्री बलराम जाखड़ ने कहा था : "हम फसल बीमा लागू करना चाहेंगे। लेकिन इसका तरीका क्या होगा ? इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा। इसके तहत कितना क्षेत्र होगा ?" मैं इस संबंध में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह सभी कृषि संगठनों तथा किसान संगठनों की एक बैठक बुलाएं और फसल बीमा योजना पर उनकी सहमति लें। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर का क्षेत्र लिया जाए, ब्लाक स्तर का नहीं, क्योंकि यह तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र होता है। अगर सूखा पड़ता है तो यह पूरे ब्लाक क्षेत्र में हो सकता है लेकिन अगर बाढ़ आती है या ओलावृष्टि होती है तो ये पूरे ब्लाक क्षेत्र में नहीं आते; ब्लाक क्षेत्र का एक विशेष भाग ही इनसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर के क्षेत्र को ही लिया जाए।

जहां तक न्यूनतम मजदूरी का संबंध है, हमारे देश में कृषि मजदूरों की स्थिति सबसे खराब है। अगर आप पांडे और दास गुप्ता समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करें तो पाएंगे कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश और उड़ीसा में उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्हें पूरा साल काम नहीं

मिलता। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं तथा यह मांग करता हूं कि एक व्यापक कानून इस प्रकार लाया जाए कि कृषि मजदूरों को पूरे साल काम मिले और उन्हें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी हो।

सभापति महोदय : अब कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के० सी० लेंका अगर हस्तक्षेप करना चाहें तो कर सकते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इस 75 प्रतिशत आबादी में लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है; इनमें से अधिकांश कृषि मजदूर तथा भूमिहीन मजदूर हैं। श्री अमर रायप्रधान ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की दुर्दशा का सही उल्लेख किया है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। जो लोग खाद्यान्न का उत्पादन करके इस देश की जनता का पेट भर रहे हैं, वे ही भूखे रहते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी कृषि नीति पुनः बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न का उत्पादन करने तथा इस देश के लाखों लोगों का पेट भरने वाले लोगों को भी भरपेट भोजन मिले; वे अच्छी तरह से रहें।

1966 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की प्रधान मन्त्री बनी तब हमारा खाद्यान्न उत्पादन 74.2 मिलियन टन था और आवश्यकता से 11 मिलियन टन कम था और हमने उस समय देश की 500 मिलियन जनसंख्या के लिए विदेशों से 11 मिलियन टन खाद्यान्न आयात किया था। उनके समय में देश के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार मुख्य मंत्रियों, खाद्य मंत्रियों तथा कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि अगर हम अगले कुछ वर्षों में अपना कृषि उत्पादन बढ़ाकर आत्म निर्भर नहीं बनेंगे तो महान देश बनना तो दूर अपना स्वतन्त्रता का अधिकार भी खो बैठेंगे।

महोदय, जब 1984 में उनकी हत्या की गई तब देश में अधिकतम 152 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होने लगा था जो कि उस समय तक सबसे अधिक था। अभी तक हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर चुके हैं और अब हम इस देश की 800 मिलियन जनता का पेट भर सकते हैं तथा अब निर्यात करने की भी स्थिति में हैं। हम आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में नवीकरण तथा हमारे मेहनती किसानों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण यह उपलब्धि तथा सफलता प्राप्त कर पाए हैं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी तब खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी। यह बड़ी अशिष्ट बात है इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। हम भी उनका सम्मान करते हैं।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय का बयान बिल्कुल स्पष्ट है कि उस वर्ष हमने खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त की थी। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री के० सी० लेंका : मेरा यह तात्पर्य था कि उस विशेष वर्ष में, जब उनकी हत्या की गई थी, उस समय तक भारत पहले ही आत्म-निर्भरता प्राप्त कर चुका था।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : श्रीमती गांधी के प्रति हम भी आदर रखते हैं। इसीलिए मैंने इसका संकेत दिया है।

सभापति महोदय : रेड्डय्या जी, आपकी बात पर गौर कर लिया गया है। इसमें व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है।

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : सभापति महोदय, मेरे सहयोगी श्री लेंका ने कहा है कि हमारे किसानों के प्रयासों के कारण भारत ने उस समय आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी।

सभापति महोदय : बिल्कुल ठीक। मंत्री जी का यही आशय था कि उस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 150 मिलियन टन हो गया था।

श्री के० सी० लेंका : मैंने कहा था कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे और जब उनकी हत्या की गई तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 152 मिलियन टन हो गया था।

पिछले दो दशकों में कृषि के क्षेत्र में तीव्र वैज्ञानिक प्रगति ने बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की मांग को पूरा करने हेतु अधिक खाद्यान्न उत्पादन संभव कर दिया है। इस सदी के अन्त तक यह अनुमान लगाया गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए हमें लगभग 250 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ हुआ कि इस सदी के अन्त तक हमें लगभग 85 मिलियन टन अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होगी।

सभापति महोदय : आपका आशय है कि हमें खाद्यान्न के उत्पादन में 85 मिलियन टन की वृद्धि करनी होगी।

श्री के० सी० लेंका : जी हां। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के वर्तमान स्तर से ही सम्भव हो सकता है और हम अपने गेहूं के उत्पादन में ढाई गुना वृद्धि कर सकते हैं।

सभापति महोदय : ढाई गुना वृद्धि ?

श्री के० सी० लेंका : जी हां। जहां तक गेहूं का संबंध है, हम इस उन्नत प्रौद्योगिकी से अपना उत्पादन ढाई गुना बढ़ा सकते हैं।

जहां तक चावल का संबंध है इस उन्नत प्रौद्योगिकी से और यदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों तो हम अपना उत्पादन तीन गुना तक बढ़ा सकते हैं···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बीच मे न टोकें। मंत्री महोदय अत्यन्त महत्वपर्ण आंकड़े दे रहे हैं।

श्री के० सी० लेंका : महोदय, उन्नत प्रौद्योगिकी से हम मक्का का उत्पादन साढ़े तीन गुना बढ़ा सकते हैं, अगर मूलभूत सुविधाएं दी जाएं तो···(**व्यवधान**)

श्री सुदर्शन राय चौधरी : हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं।

श्री के० सी० लेंका : मैं यह बताने जा रहा हूं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : इसको आप कितने वर्षों में करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मूलभूत सुविधाएं देने में कुछ समय लग जाएगा।

श्री के० सी० लेंका : महोदय, हमारे वैज्ञानिक ज्वार की अच्छी किस्म का आविष्कार करने में सफल हुए हैं। इस उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से हम अपने ज्वार उत्पादन को पांच गुना बढ़ा सकते हैं... (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मंत्री को बीच में न टोकें।

[हिन्दी]

आप बैठ जाएं। बराय मेहरबानी आप इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री प्रताप सिंह (बांका) : हम जानना चाहेंगे कि माननीय मंत्री किस नई प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधुरी : यह देशी है या विदेशी ?

श्री के० सी० लेंका : यह देशी है।

महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 42 संस्थानों, चार राष्ट्रीय ब्यूरो, 20 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, नौ परियोजना निदेशालयों, 26 कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने अनुसंधान प्रयासों से 40 नए और संकर किस्म के बीज विकसित किए हैं जिससे उत्पादन बढ़ेगा और विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में अधिक क्षमता पैदा होगी।

तिलहनों और दालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गम्भीर प्रयास किए हैं।

बागवानी की 43 प्रकार की फसलें विकसित करके बागवानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पशुपालन कृषि का एक अविभाज्य अंग है और देश की अर्थव्यवस्था का यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राणिविज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अभी तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है।

विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, कृषि-मजदूरों और अन्य ग्रामीण गरीबों को इनसे लाभप्रद रोजगार मिलता है।

मत्स्यपालन में नई प्रौद्योगिकी ने मत्स्य-तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता की है।

हम किसानों को विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में यह नई प्रौद्योगिकी देने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। हमने सिद्धांततः यह निर्णय लिया है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र शुरू करेंगे ... (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे (विजयवाड़ा) : आपने इस वर्ष ऐसे कितने केन्द्र शुरू किए हैं ?

श्री के० सी० लेंका : मैं यह बता रहा हूं। इस समय देश में 109 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं और हमारे द्वारा निवेश के बारे में निर्णय लेते ही 74 कृषि विज्ञान केन्द्र शुरू कर दिए जाएंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कम से कम दो सौ कृषि विज्ञान केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव है। आज मुख्य जोर इस बात पर देना है कि हम समीक्षा करें कि कृषि के क्षेत्र में हमने क्या प्राप्त किया है और दूसरी बात है कि इस नई प्रौद्योगिकी को प्रत्येक किसान तक पहुंचाना। अतः, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसे दृष्टि में रखते हुए, हमने प्रत्येक तालुका में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया ताकि हमारे किसानों को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए इस नई प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा सके। विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों के लिए ज्यादा धन दिया जा रहा है। जब तक हम अपनी अनुसंधान की उपलब्धियों को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं ले जाते, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए प्रौद्योगिकी के बदलाव पर ज्यादा बल दिया जा रहा है जिसकी लागत कम है व प्रौद्योगिकी भी कम लागत की है।

एक ऐसी मिश्रित कृषि व्यवस्था जिसमें पशुपालन भी शामिल हो, वह सूखा की आशंका वाले क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक लाभप्रद व्यवसाय प्रदान कर सकती है, जिसमें महिलाएं भी व्यापक स्तर पर शामिल हो सकती हैं व इस प्रकार इन क्षेत्रों में लोगों की अर्थव्यवस्था को पुष्ट कर सकती है। इसलिए, सरकार गरीबों की वास्तविक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आनुवंशिक सुधार, पशु-स्वास्थ्य एवं पशु-पोषण को महत्व दे रही है।

पिछले वर्ष के 154.34 करोड़ रुपये के संशोधित योजना प्रावधान की तुलना में, इस वर्ष हमने 190 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। योजनेतर आबंटन में भी 165.37 करोड़ रुपये से 174 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए आवंटित धन में भी हमने 13.85 प्रतिशत की वृद्धि की है जबकि योजना का आबंटन 23 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

महोदय, आज चिन्ता के मुख्य विषय हैं कम होते हुए भूमि संसाधन और कृषि उत्पादकता की वृद्धि दर कम होना; निर्विष्टि की क्षमता में कमी; प्रयुक्त रसायनों के हानिकारक प्रभाव का बढ़ता हुआ खतरा; उच्च उत्पादकता और पर्यावरण दोनों ही क्षेत्रों में कृषि की बढ़ती हुई अस्थिरता : कुछ सिंचित और गहन कृषि क्षेत्रों में उर्वरक और कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग जो भूमि जल और मृदा जैविकी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है; जल के खराब प्रबंधन के कारण मृदा-अवनति जिसका परिणाम है—लवनीकरण, क्षारीयकरण, पानी रुकना और भूमि की उत्पादकता में कमी होना; और भू-जल का अनुचित प्रयोग।

इसे दृष्टि में रखते हुए, भविष्य में अनुसंधान के लिए हमने प्रणोद-क्षेत्रों का चयन किया है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा। केन्द्रीय और प्रजनक बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। संतुलित वृद्धि की स्वीकृत नीति के अनुसार, कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय महिला केन्द्र, प्राणिजगत एवं वनस्पति के प्रबंधन के लिए संरचना और पर्यावरण नियंत्रण, अम्ल मृदा प्रबंधन आदि कार्यक्रम शुरू करके असंतुलन दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि, वानिकी और मत्स्य उत्पादों के लिए फसलोत्तर प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसमें निर्यात पर विशेष बल दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कुछ माननीय सदस्यों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कार्यकरण और

वहां एक महानिदेशक की नियुक्ति के बारे में प्रश्न उठाए हैं। यह सत्य है कि वहां एक महानिदेशक न होने के कारण हमें काफी नुकसान हुआ है। सत्ता में आने के साथ ही हमने यह प्रयास किया कि वहां यथाशीघ्र महानिदेशक कैसे नियुक्त किया जाए। महानिदेशक को नियुक्ति को लेकर अदालत में काफी मुकदमेबाजी शुरू की गई। मामले को यह कहते हुए संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया कि संघ लोक सेवा आयोग महानिदेशक की नियुक्ति के लिए उचित व्यक्ति का सुझाव देगा।

डा० असीम बला (नवद्वीप) : संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद महानिदेशक के पद से छोटा होता है। इसलिए, संघ लोक सेवा आयोग महानिदेशक के पद पर कैसे नियुक्ति कर सकता है?

श्री के० सी० लेंका : इसीलिए, विलम्ब से बचने के लिए, अगर इकतीस सितम्बर तक संघ लोक सेवा आयोग किसी नाम का सुझाव नहीं देती तो हम मामले को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। हम एक चयन समिति बनायेंगे और उस चयन समिति की सिफारिशों पर हम यथाशीघ्र महानिदेशक नियुक्त करेंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग की गई है। वास्तव में पूर्वोत्तर राज्यों में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। सरकार मणिपुर, इम्फाल में एक विश्वविद्यालय खोलने जा रही है जिससे कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा दी जा सके।

सभापति महोदय : मेरे विचार से पूर्वोत्तर से शायद कोई सदस्य इस समय सभा मे उपस्थित नहीं है क्योंकि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस प्रकार के वक्तव्य पर कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं यहां हूं। हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।

सभापति महोदय : मुझे कहना पड़ेगा कि प्रतिक्रिया में कुछ देर हुई है।

एक माननीय सदस्य : किन्तु हम नहीं जानते कि वे इसे लागू करेंगे।

सभापति महोदय : मंत्री एक वक्तव्य दे रहे हैं और इसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री के० सी० लेंका : महोदय, बहस में जिन सदस्यों ने भाग लिया है और कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता देने के लिए अपनी चिन्ता व्यक्त की है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। इसे दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने शिक्षा प्रसार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के बदलाव को अधिक महत्व दिया है। मुख्य उद्देश्य है कि इस उन्नत प्रौद्योगिकी को कैसे स्थानांतरित किया जाए, प्रयोगशालाओं से निकालकर अनुसंधान की उपलब्धियों को खेतों तक कैसे पहुंचाया जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान विभाग का यह मुख्य विषय है।

सभापति महोदय : अत्यन्त शिक्षाप्रद एवं स्पष्ट वक्तव्य देने पर मैं मंत्री को बधाई देता हूं।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मुझे एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहिए।

सभापति महोदय : आप मंत्री के वक्तव्य पर प्रश्न पूछना नहीं शुरू कर सकते।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कृषि अनुदान मांगों पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जिस पर ये बोल रहे थे। आज इस देश में किसानों की पहचान क्या है। यह जानकर आश्चर्य होगा। जिसके पैर में जूता न हो, जिसके तन पर वस्त्र न हो, जो अपने लिए तेल और साबुन का उपयोग न करता हो और कहीं भी आंख उठाकर देखिए, वह मैले-चिथड़े कपड़े में हो तो समझिए कि यह हिन्दुस्तान का किसान है। मैं, यह नहीं कहता कि हमारे देश में कृषि का विकास नहीं हुआ। लेकिन, जिस मुस्तैदी से, जिस तरीके से और जिस ढंग से होना चाहिए था, वह विकास नहीं हो पाया। उसका ज्वलंत उदाहरण है। कृषि ग्रामीण विकास और खाद्य जैसे तीन-तीन विभागों की एक साथ बहस हो रही है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 75 फीसदी गांवों में लोग बसते हैं और 25 फीसदी शहरों में हैं। लेकिन, 75 फीसदी लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय का अलग बजट है। उसका एक अलग विभाग है। लेकिन कृषि के साथ मछली और पशुपालन जैसे कई विभागों को एक साथ जोड़कर लोकसभा में बहस की जाती है और मांग रखी जाती है। इससे ज्यादा और कोई सबूत नहीं हो सकता कि आप कितनी बड़ी क्रान्ति इसमें लाने जा रहे हैं। हमारे जाखड़ साहब बहुत ही अनुभवी हैं और संसदीय कार्य में भी अनुभवी हैं और बहुत बड़े किसान हैं। इस देश में अगर उंगली पर गिने तो पांच-दस किसान हैं जिनके पास सात सौ-आठ सौ या हजार बीघा जमीन है। 80 फीसदी पांच-दस एकड़ जमीन जोतने वाले किसान हैं। ये किसान अपने खेत में सारी मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकता, अपने बाल-बच्चों को किसी अच्छे विद्यालय में दाखिल नहीं कर सकता। जब किसान की बात होती है तो बड़े किसान जोड़ लिए जाते हैं। बड़ा किसान अपने हाथ से खेती नहीं करता। उनके सारे खेत में खेती करवायी जाती है। वह क्या जाने कि किसान क्या होता है। छोटा किसान खेत में मेहनत करके अपने परिवार के भरण-पोषण का काम करता है। जाखड़ साहब नहीं समझ सकते कि किसान क्या होता है, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप भूमिका में इतना समय लेंगे तो प्वाइंट कब पूरा करेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। आंकड़े देकर क्या होगा।··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जाखड़ साहब ने अपने हाथ से खेती की है··· (**व्यवधान**)

श्री सूर्यनारायण यादव : मान्यवर, हम लोग गांव में बसते हैं। मंत्री जी अपनी किताब से जो आंकड़े यहां देते हैं मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कोई भूमिका नहीं बना रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। जो देश में घटना घटित होती है उसको बता रहा हूं। प्रत्येक ब्लाक में पी. आई. ओ. हुआ करता है, परियोजना अधिकारी कृषि का और जिले में पी० यू० होता है। आप कहते हैं पूरे किसानों के आंकड़े लो। वह घर बैठकर सारे आंकड़े बनाता है और फिर ब्लाक से जिला अधिकारी को देता है, जिला अधिकारी राज्य को देता है और राज्य से वे आंकड़े देश में, आपके पास आते हैं। यह घर बैठे आंकड़ों पर सारा एस्टीमेट बनाया जाता है। यह एक गलत चीज है। अगर किसान के प्रति आपको सही मायनों में रुचि हो तो आप इसका सर्वेक्षण अपने पदाधिकारी से कराएं, और भी अच्छा हो अगर सभी राजनैतिक दलों के लोगों से कहें कि उनके जो किसान सेल बने हुए हैं

वे इस पर सर्वे करके प्रतिवेदन भेजें कि किसान की क्या-क्या समस्याएं हैं। जब दोनों तरफ से यह चीज आएगी तो उसमें आप कुछ सुधार ला सकते हैं, वरना कागजी सुधार तक ही सीमित रहेंगे।

अब मैं वैज्ञानिकों के बारे में कहना चाहता हूं। वैज्ञानिकों के कार्य और तरक्की पर मुझे नाज है। गेहूं की पैदाइश को आपने बहुत बढ़ाया वरना इस देश के किसान खाने के बिना मरते। आपने धान, मक्का, गेहूं की फसल को बढ़ाया वह सही है। लेकिन जिस अनुपात से बढ़ाया, जैसा अभी मन्त्री जी बोल रहे थे ढाई गुना बढ़ाएंगे, तीन गुना धान की फसल बढ़ाने जा रहे हैं, इसी अनुपात में आपको इस बात को सोचना होगा कि आप जो बढ़ाने की कल्पना कर रहे हैं और वैज्ञानिकों ने जो सुझाव दिए हैं, आप वित्तीय संकट कहकर किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं और वे सुझाव अमल में नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा प्रोवीजन आपके बजट में नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों को लताड़ना अच्छी बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने आपको जो सुझाव दिया है उस पर आप गौर करें। आपने कहा है कि हर फसल को औद्योगिक दृष्टि से बढ़ाने का काम करेंगे तो इसके लिए आप वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री से पूरा बजट लें जितनी आपकी मांग है और आपके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करें। तब तो आप किसान के हित में बात करेंगे।

अभी हमारे बहुत से अनुभवी साथी बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग लूटते हैं। लूटने की मैं परिभाषा नहीं मानता हूं। अगर कोई अच्छा काम करने में थोड़ी बहुत गलती वैज्ञानिकों से हो जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए।

आज किसानों की उपेक्षा हो रही है, मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं गांव में रहने वाले किसान पांच बार अपने खेत में रोपाई करते हैं धान की, कहीं तीन बार और दो बार भी होती है, लेकिन कहीं बाढ़ से और कहीं सुखाड़ से और कहीं बीमारी से वह फसल नष्ट हो जाती है। उसके लिए आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे मंत्री जी कह रहे थे बीमा योजना लागू होगी, लेकिन किसान नहीं चाहता है। हम आधा पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी बुनियादी चीज में आना होगा। आप जो जमीन का बीमा करने के लिए किसी को भेजते हैं तो घर के अगल-बगल की जो सुदृढ़ भूमि होती है उसका बीमा करने को कहते हैं। जो जमीन उपजाऊ नहीं होती है, जो ओले से, बरसात से नष्ट हो जाती है उस जमीन का बीमा आपका बीमा निगम नहीं करना चाहता है। इसलिए किसान आपका बीमा नहीं करना चाहता है। आपको इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। आज से चार वर्ष पूर्व हम लोगों के गांव में आपके बीमा कर्मचारी गए थे। उन्होंने कहा था कि इस जमीन का बीमा करेंगे, मैं तब एम० एल० ए० था, मैंने कहा था कि इस जमीन का बीमा न करो। यह जमीन हमारे पास है, उस जमीन का बीमा करो। हम बीमा कराने के लिए तैयार हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सीधा यह कहना कि मैं बीमा नहीं कराता हूं, यह कहकर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है।

दूसरे, हम लोगों के यहां जूट की खेती होती है। टाट का रेट फिक्सेशन नहीं है। इसका बोरा बनता है। यह जूट आप लोगों की तरफ नहीं होता है. हम लोगों की तरफ होता है और यह बंगाल, बिहार, असम में बहुत ज्यादा हुआ करता है। जब किसान जूट की खेती अधिक करता है तो उसका भाव दो, तीन और कभी-कभी चार सौ रुपया क्विंटल होता है और जब किसान खेती नहीं करता तो उसकी कीमत आठ, सात और छः सौ रुपये क्विंटल होता है। यह कैसा मजाक है? इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप इस पर गम्भीरता से देखेंगे तो अभी बिहार में खासकर सहरसा प्रमण्डल में और पूर्णिया में, बंगाल में टाट का रेट 300 रु० क्विंटल है और आज से दो महीने पहले इसकी कीमत सात सौ रुपये क्विंटल थी। यह क्या हो रहा है?

सभापति महोदय : आपका दस मिनट हो गया है, पांच मिनट और है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अच्छी बात है मान्यवर। मैं एक दो बातें और बताना चाहूंगा। आप अनुसंधान केन्द्र करते हैं। चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो अच्छी बात है लेकिन वैसी जमीन बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी है जहां जमीन एक साल में 5 फसलें देने वाली हैं, यहां कृषि अनुसंधान का काम आप ज्यादा करें, किसानों को आप ज्यादा सहायता देने का काम करें।

सभापति महोदय, माननीय जाखड़ साहब ने कहा कि किसानों के ऋण माफ कर देने से देश की आर्थिक स्थिति गिर गयी है। हो सकता है, लेकिन मेरा इसमें कुछ नहीं कहना है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि वर्ष 1972-73 में उद्योगपतियों का 1600 करोड़ रुपया माफ करने से देश पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ा ? इस देश में उद्योगपति फैक्टरी में उत्पादन करके अरबों रुपयों का घोटाला करता है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो रही है ? क्या किसानों का 12-13 सौ करोड़ रुपया ऋण का माफ कर देने से आपके देश पर आर्थिक संकट आ गया ? फिर आपने यह अन्याय कैसे किया ? माननीय कृषि मंत्री बहुत अनुभवी हैं, लेकिन खाद की दुरंगी नीति से किसानों पर यह दुराचार मत करें। छोटे, मंझोले और सीमान्त किसान को खाद मार्किट में ब्लैक से मिलेगी और उसको बहुत मंहगा सौदा पड़ेगा, इसलिए आप ऐसी भूल कतई न करें। इसलिए खाद का एक रेट रखना जरूरी है। जो बड़े किसान हैं, वे अपने हाथों से खेती नहीं करते हैं। वे छोटे किसानों से खेती और जुताई करवाते हैं तो वे खाद का सर्टिफिकेट लेंगे और सस्ते रेट पर खाद ले लेंगें, फलतः बड़ा किसान उसका फायदा ले लेगा। अतः खाद का रेट एक होना चाहिए।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं समझता हूं कि आपने किसानों पर जो 40 फीसदी खाद का रेट बढ़ाया है, आप उसे घटाईए। दूसरी ओर आप अन्य वस्तुओं के रेट बढ़ाईए, हम लोग आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम जानते नहीं हैं कि देश आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वित्तीय संकट पैदा हो गया है। इसके लिए आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पर रेट बढ़ायें तो हम देने को तैयार हैं। दारू, ताड़ी पर रेट बढ़ाएं तो हम उनके लिए तैयार हैं। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप उन पर बढ़ाते हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पेट में अन्न नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उस पर आप बढ़ा रहे हैं। 50 रु० का बोरा होने जा रहा है 180 रु० का। माननीय मंत्री जो, पहले बढ़ा 40 रुपये, अब रेट हो गया 170/- रु० प्रति बोरी और हम लोगों के यहां 180 रुपये प्रत्येक बोरा। यह क्या अन्याय हो रहा है ? इसलिए मेरा कहना यह है कि खाद की सब्सिडी पर जो आपने किया है उसको घटायें और खाद का जो रेट है उसको भी कम करें और दूसरी मदों में आप जहां टैक्स लगाना चाहें आप लगायें, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसान पर इस तरह का कर्ज लादने का काम करेंगे, उसका शोषण करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आपका विरोध करेंगे और इस पर भी हम लोग मतदान करेंगे चाहे इसका अंजाम कोई भी हो।

आप जानते हैं कि किसानों ने बिहार में भी आंदोलन शुरू किया, आंध्र में आंदोलन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अभी चलने ही वाला है और दिल्ली में भी बोट क्लब पर किसान का धरना कार्य-क्रम चल चुका है। इसलिए उसके साथ आप अन्याय न करें।

मान्यवर, हम लोगों के यहां भी···, अब मान्यवर घंटी बजी तो मैं बैठ सकता हूं।

सभापति महोदय : आप वाइंड अप करें, कन्क्लूजन दें।

श्री सूर्य नारायण यादव : हम लोगों के यहां पिछली सरकार ने एक फैसला किया था कि प्रत्येक राज्य में दो-दो जिले लिए जायेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि जो ऊसर जमीन, कम उपजाऊ जमीन है, उसे विशेष सुविधा के तहत उपजाऊ बनाया जाए। ऐसा फैसला लिया था सरकार ने। उसमें बिहार के भी दो प्रांत लिए गए। मान्यवर, एक तो था पटना और दूसरा सहरसा जो मेरा जिला है। सहरसा जिले में यहां के पदाधिकारी लोग भी गए थे लेकिन पता नहीं उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वह जमीन किसानों की उपजाऊ नहीं है, जल की वहां कमी है, अनेक समस्यायें हैं—कहीं ऊसर जमीन है और इसमें आप दिलचस्पी लेकर देखें चूंकि ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : सूर्य नारायण जी, आप वाइंड अप कीजिए। बहुत समय ले चुके हैं आप।

श्री सूर्य नारायण यादव : अब मैं कृषि छोड़कर ग्रामीण विकास पर आता हूं। समय तो लगेगा, कितने विभाग इसमें डाल दिए हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा है लेकिन जो आपकी जवाहर रोजगार योजना है जो पंचायत को आपने दी है, वह अच्छी बात है लेकिन हमारे बृशिण पटेल जी ग्रामीण मंत्री थे उन्होंने इसका सुझाव दिया आपको। उन सुझावों पर आपको अमल करना चाहिए। आप जो देते हैं 20 परसेंट वानिकी में, 20 परसेंट इसमें, 20 परसेंट हरिजन के लिए, इस तरह से रुपये का बंटवारा कर देते हैं। इस तरह बंटवारा करके कोई अच्छी योजना नहीं लग पाती है। अगर एक पंचायत में बैठकर लोग यह चाहते हैं कि हमारे गांवों में बहुत बड़ी नदियां आएं, उस पर पुल बनाकर एक लिंक से जोड़ें तो उसका जो प्राक्कलन बनता है वह अप्रूव नहीं हो पाता है। आप उसको दें कि आप अपने यहां जंगल भी लगाएं और हर मद पर खर्च करें वरना जो अच्छी योजना है वह भी नहीं बनेगी। इसलिए आप शुरू करें ऐसी फ्रीडम आप कर दें।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री सूर्य नारायण यादव : मान्यवर, हमारे यहां की मछली कितनी प्रसिद्ध है। हमारे यहां की मछली इतनी प्रसिद्ध है लेकिन दुख की बात है कि मछली इतनी अच्छी होने के बाद भी आप उसको विदेश नहीं भेजते, इंपोर्ट नहीं करते। आप अगर उसको बाहर भेजेंगे, आपको विदेशी मुद्रा की आमदनी होगी, आपको इससे ज्यादा लाभ होगा और इससे प्राप्ति होगी विदेशी मुद्रा की। वहां जो नदियां हैं, उन नदियों में इतनी अच्छी मछलियां होती हैं इसलिए उन्हें आप डेवलप कराइए। मान्यवर, चूंकि समय कम है इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अयूब खान (झुंझुनू) : जनाबे मोहतरम सभापति साहब, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो मांग है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे मुल्क में कृषि में जो तरक्की हुई है उसकी तारीफ करे बगैर मैं नहीं रह सकता और हमारे किसानों ने जो इतनी कड़ी मेहनत करके मुल्क का एक नाम, अपनी एक जगह बनाई है, लेकिन इसमें और तरक्की की जरूरत है।

मुझसे पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने किसान के बैंक लोन को माफ करने के सम्बन्ध में अनेकों बातें कहीं। किसानों के एक सीमा तक बैंक लोन माफ करने का कोई विरोध नहीं करेगा यदि उनके बैंक लोन सही तरीके से माफ होते। आज स्थिति यह है कि उन लोगों के बैंक लोव माफ हुए जो जरूरतमंद नहीं थे परन्तु उन किसानों के बैंक लोन माफ नहीं हुए जो जरूरतमंद थे। यह बड़े दुःख की बात है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बैंकों का 2,700 करोड़

[श्री अयूब खान]

रुपये का जो घोटाला प्रकाश में आया है, उसका वजन किसी भी रूप में इस देश के किसान पर नहीं पड़ना चाहिए। बैंकों ने जो घपला किया है, उसकी सजा किसान को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इस देश के अनेकों ऐसे बड़े पूंजीपति और धनवान लोग हैं जो बैंकों से लोन लेकर, 10 लाख या 10 करोड़ रुपया लोन लेकर, अपनी फैक्टरी खड़ी करते हैं और बाद में उसे सिक डिक्लेयर कर देते हैं परन्तु छोटे किसान को जब सुविधाएं देने का समय आता है तो हम दुख मनाते हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों के बीच छोटे और बड़े का फर्क बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मेरी पुरजोर अल्फाज में आपसे मांग है कि आप ऐसा कोई मापदण्ड न अपनायें जिससे किसानों को वर्गीकृत कर दिया जाए। किसानों को सबसिडी देने का जो मामला है, उसे पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। ताकि किसान यह समझ सके कि उस पर यह सरकार कोई वजन नहीं डाल रही है।

फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक कमेटी बनायें जो इस बात की जांच करे कि वास्तव में पिछले दिनों फर्टिलाइजर की जो कीमतें बढ़ी हैं और जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, क्या वे उचित हैं। फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने का आधार क्या है, रीजन क्या रहा है। क्या वास्तव में फर्टिलाइजर फैक्टरियों के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्हें फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाने को मजबूर होना पड़ा और उसकी वजह से किसानों पर यह बोझ लादा गया। मेरे ख्याल में यह झूठी मोनोपोली है, कि फर्टिलाइजर की वजह से किसानों पर इतना बोझ लादा जाए और किसान उस बोझ को बर्दाश्त करता जाए।

हमारी तरफ आढ़ती होते हैं। किसान अपने गाढ़े पसीने की कमाई से खेत जोतकर, खेती से उपज प्राप्त करता है, उत्पादन करता है तो वह अपनी उपज उन आढ़तियों के पास लेकर पहुंचता है। वे आढ़ती उसकी फसल को, उसकी उपज को मनमाने रेट पर खरीदते हैं और उसे तुलकर दुगने दामों पर वही चीज बाजार में बेचते है। जब आढ़ती कोई मेहनत नहीं करता और सिर्फ रुपये के लेनदेन में ही काफी पैसा कमा लेता है तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा कोआपरेटिव बन्दोबस्त करना चाहिए ताकि किसान जो उपज पैदा करे, वह अपने अनाज को उन कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से बेच सके, वहां किसान को उचित मूल्य मिले। इस तरह किसानों का जो शोषण होता है, वह आढ़ती लोगों के शोषण से बच सकेगा।

इसके अतिरिक्त हर किसान को एक खातेदारी किताब मिलनी चाहिए। उस खातेदारी किताब को लेकर वह जब भी बैंक में जाए, जरूरत पड़ने पर, उसे तुरन्त लोन मिल सके, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। बड़े दुख की बात है कि आज जब किसान लोन लेने के लिए बैंक के पास जाता है तो उसे पटवारी के साईन कराने पड़ते हैं, तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते हैं, सरपंच के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हमें मिलकर यह सोचना होगा कि कैसे खातेदारी किताब के जरिए किसान को आसानी से बैंकों से लोन मिले। आप बैंकों को यह अधिकार दें कि जब भी कोई किसान खातेदारी की किताब लेकर वहां जाए तो उसकी जमीन के आधार पर तुरन्त बिना किसी फौरमैलिटी के लोन उपलब्ध हो जाना चाहिए। यदि किसान दोबारा उनके पास जाए कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उसे फिर लोन मिल जाए। यदि वह नियमित रूप से बैंक का पैसा जमा कराता आया है तो उसे दोबारा पैसा मिलने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जब तक ऐसा बंदोबस्त नहीं होगा हमारे देश में किसानों का स्तर लगातार नीचे गिरता चला जाएगा और उसे दूसरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

आज किसानों की पोजीशन सरकार के एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी नीचे है। हम सबको मिलकर उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम करना चाहिए।

मैं राजस्थान से चुनकर आता हूं और राजस्थान में ज्यादातर खेती वर्षा पर निर्भर है। खासकर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, झुंझुनू और सीकर जिलों में खेती का सारा दारोमदार बरसात पर है। बरसात न होने पर उस क्षेत्र में अकाल पड़ता है। मेरी मांग है कि वहां के किसान को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए ताकि उसके जरिए किसान अपनी थोड़ी बहुत काश्त कर सके। क्यों नहीं ऐसी रिसर्च की जाए कि कम बरसात में कौन-कौन सी फसलें हो सकती हैं, जिससे उन्हें बोया जा सके। हमारे यहां मोठ, बाजरा और ज्वार ही अभी तक होता है। क्यों न ऐसी फसलों की ईजाद हो और ऐसे उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाएं, जिनसे प्रदेश की उन्नति और देश की तरक्की हो सके और प्रदेश के लोग खूब अन्न पैदा कर सकें।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि हमारे क्षेत्र में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाए और एक कृषि महाविद्यालय खोला जाए जिससे किसानों को फायदा हो और किसानों को यह महसूस हो कि ये संस्थान हमारे फायदे और हमारी सहायता के लिए खुले हैं। मेरे झुंझुनू में एक बुढ़ाणा जगह है, मेरी मांग है कि वहां कृषि विज्ञान केन्द्र खुले और एक लक्ष्मणगढ़ के अन्दर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की अनुमति यह सरकार प्रदान करे।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के नजदीक से इंदिरा गांधी कैनाल गुजरती है, जो राजस्थान की सिंचाई के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन महोदय, उसकी एक स्टेज तो पूरी हो गई है, परन्तु दूसरी स्टेज पूरी करने के लिए राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि राजस्थान सरकार को इस दूसरे स्टेज को पूरा करने के लिए और अधिक से अधिक धन दिया जाए। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि इस योजना को केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले और चाहे वर्ल्ड बैंक से पैसा जुटाए या किसी अन्य स्रोत से, लेकिन वह इसे अपने हाथ में लेकर योजना को पूरी करे जिससे हमारे दूरदराज के लोगों को इससे फायदा हो सके। दूसरी स्टेज में जो खालें और नालियां बननी हैं, जो छोटी-छोटी नहरें बननी हैं, वे बिना पैसे के या कम पैसे के नहीं बन सकती हैं, यह बहुत दूर की बात है। मेरा यह भी अनुरोध है कि इसका पानी सिंचाई के लिए अभी यदि नहीं भी मिल सके, तो कम से कम पीने के लिए तो हम इसका प्रयोग कर सकें, ऐसी इजाजत दी जाए।

जनाब चेयरमैन साहब, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी राजस्थान के झुंझुनू और सीकर को मिलेगा, ऐसा पहले था, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ है अब यह योजना नहीं है। राजस्थान के उस इलाके में दूध और खून सस्ता है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। वहां पर लोग दस-दस कि०मी० की दूरी से पीने के लिए पानी लाते हैं। वहां पर पीने के पानी की अभी भी बहुत किल्लत है। इसलिए इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में इस इंदिरा गांधी कैनाल से पीने के पानी को पहुंचाने के लिए कोई योजना अवश्य बननी चाहिए जिसके अन्तर्गत पानी, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और भरतपुर होता हुआ, आगे पहुंचे। इसी तरह से यमुना का पानी है, वह सिंचाई के लिए राजस्थान को मिलना चाहिए, ताकि यह रेगिस्तान का इलाका नखलिस्तान, हरा-भरा बन सके। और वहां भी खुशहाली हो सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इलाके के पास से ही जवाहर लाल नेहरू कैनाल गुजरती है जो हरियाणा की भूमि को सींचती और हरा-भरा करती है। हमारे यहां के लोगों को देखकर बहुत

[श्री अयूब खान]

आश्चर्य होता है कि हमारे यहां से थोड़ी दूरी पर, मात्र दो कि०मी० की दूरी पर ही वह कैनाल पानी देती है और वहां का इलाका सैराब होता है जब कि हमारे यहां हरियाणा के बार्डर पर, राजस्थान में सूखा है और पीने के लिए भी पानी नहीं है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से गुजारिश है कि हरियाणा सरकार से इतनी इजाजत तो मिले कि जो हरियाणा के बार्डर पर राजस्थान का इलाका, उस कैनाल के पास लगता है, वहां के लोगों को पीने के लिए और जानवरों को पीने के लिए पानी उस कैनाल में से मिलना चाहिए। मेरी आपसे पुरजोर मांग है कि आप हरियाणा से इस प्रकार का प्रस्ताव करके पानी हमें दिलवायें।

माननीय सभापति महोदय, जवाहर रोजगार योजना बहुत अच्छी योजना है यह चालू रहनी चाहिए, लेकिन इसमें आप किसी जिम्मेदार अधिकारी को रखें जिससे जो पैसा सेंटर से स्टेट को जाए, उसकी पूरी तरह से निगरानी हो सके कि वह पैसा वाकई उस योजना में खर्च हो रहा है या नहीं और इसमें स्टेट की रेस्पांसिबिलिटी हो जिससे जो बी० डी० ओ० आदि अधिकारीगण जो गड़बड़ी करते हैं, वह न हो और उस पर चौकसी रखी जा सके।

जनाब चेयरमैन साहब, मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि वह राजस्थान के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाए, जो वहां की हालत को, वहां की जलवायु को और वहां के रेगिस्तान को मद्देनजर रखकर बनाई जाए जिसमें वहां के हिसाब से बीज का बंदोबस्त हो जिससे ज्यादा फसल पैदा की जा सके, जिसमें वहां के लिए सिंचाई का प्रबन्ध हो जिससे वहां के किसान भी खुशहाल हो सकें और वहां के किसान यह सोच सकें कि हमारे लिए भी सरकार कुछ कर रही है और इस प्रकार वे फायदा उठा सकें।

मान्यवर, राजस्थान के लोग बहुत हिम्मती और जफाकश लोग हैं। साधनों के अभाव में पसमांदा हो गए हैं, लेकिन देश की खिदमत करने में सबसे आगे हैं। हमारे इलाके से मुल्क की खिदमत करने के लिए सबसे ज्यादा लोग गए है। हमारे झुंझनू और सीकर से, फौज में मुल्क की हिफाजत करने देश में सबसे ज्यादा लोग इन दो जिलों से आते हैं।

5.00 म० प०

जब दो जिलों से लोग फौज की खिदमत में आते हैं तो मैं आपसे अपील करूंगा कि झुंझनू और सीकर में ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके और कृषि विज्ञान केन्द्र की आपकी तरफ से इजाजत हो सके।

5.00 म० प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

आपने जो सीलिंग की मियाद रखी हुई है वह किसान के लिए तो बना दी लेकिन अमीरों के लिए नहीं बना सके। एक फिक्स मियाद हो कि कोई भी अमीर आदमी एक करोड़ से ज्यादा का अमीर नहीं बने। जैसे किसान के लिए बीस बीघे से ऊपर पर सीलिंग हो सकती है उसी तरह अमीरों पर भी आड़ लगे कि एक करोड़ से ज्यादा का अमीर एक आदमी नहीं होगा। उसके बाद जिस तरह से किसान की ज्यादा जमीन बांट दी जाती है उसी तरह से अमीर की सम्पत्ति में भी दूसरों को हक मिलना चाहिए।

हमारे इलाके में पशुधन बहुत ही तन्दरुस्त हालत का है। हमारे उस साइड में बैठने वाले लोगों ने आखिर में नारा दिया था लेकिन राजस्थान में हम लोग गाय की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं। वहां एक-एक इंसान के पास दो-तीन सौ गाय हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मिल्क डेरी जो आपके अधीन हैं, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन वहां से मशीन शिफ्ट होकर दूसरी जगह भेज दी गई है।

श्री बलराम जाखड़ : नई लगा रहे हैं।

श्री अयूब खां : मिल्क डेरी का ऐसा बन्दोबस्त हो कि गाड़ी गांव में जाकर मिल्क कलैक्ट करे और किसानों को फायदा हो सके।

मेरे वहां कुछ पहाड़ी इलाका ऐसा है जहां किसी जमाने में शेरशाह सूरी ने जन्म लिया था। उस गांव का नाम शिमला है। खेतड़ी क्षेत्र में शिमला एक गांव है, उसमें शेरशाह सूरी के जमाने के चालीस कुएं बने हुए हैं, उसका पत्थर आज तक मौजूद है। लेकिन आज उस गांव के लोग पानी पीने को तरस रहे हैं। मैं अपील करूंगा कि शिमला, दूधवा, ठाठवाड़ी जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें पानी की समस्या दूर करवाई जा सके। जवाहर लाल नेहरू कैनाल का पानी उस गांव से सिर्फ दो किलोमीटर दूरी पर है, वहीं पर खेतड़ी प्रोजैक्ट है जिसके लिए पानी जमीन से खींचा जाता है जिससे किसान के कुएं का पानी सूख गया है। उस प्रोजैक्ट को नहर से पानी दिया जाए ताकि किसान को जमीन का पानी ऊपर आ सके और नहर का पानी जाए तो उस इलाके के लोग उसे पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान को और सहायता दें ताकि इंदिरा गांधी कैनाल पूरी हो सके और झुंझनू, सीकर क्षेत्र के लिए कृषि विज्ञान में डेरी और एग्रीकल्चर कालेज का बन्दोबस्त कर सकें।

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, सरकार ने जो बजट पेश किया है वह किसान विरोधी बजट है। जो भी बजट पेश किया गया है वह एकदम किसान के विरोध में जाता है। इसका कारण यह है कि भारत कृषि प्रधान देश है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश के सबसे पहले नेता और प्रधान मन्त्री जो बने थे वे पूंजीपति थे। अगर उस समय हमारे देश का प्रधान मन्त्री किसान का बेटा बनता तो किसान की ओर देखता। पूंजीपति बनने के कारण उसने पूंजीपतियों को तरफ देखा, व्यापार की तरफ देखा, उद्योग की तरफ देखा और किसानों का घोटाला कर दिया।

यहां पर हमारे देश के अन्दर भारतवर्ष में 5 हजार ब्लाक्स हैं और 6,05,228 ग्राम हैं, ऐसे ग्राम बाहुल्य देश के अन्दर हमारे काश्तकारों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, वह सारा इस सरकार का दोष है, इस बजट का दोष है। आजादी के बाद पूंजीवादी नीति बनने के कारण शायद किसान की तरफ कोई ध्यान दिया गया। 44 साल आजादी को प्राप्त हुए हो गए हैं और उसमें से 42 साल तक कांग्रेस सरकार ने राज किया है लेकिन जो हमारे देश के नेता कहते हैं कि हमने देश का उत्थान किया है, तो देश का उत्थान तो नहीं लेकिन देश का पतन किया है।

मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा देश जब 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश का नम्बर सारी दुनिया के अन्दर 96वां था लेकिन आज हिन्दुस्तान का नम्बर सारी दुनिया के अन्दर 110वां पहुंच गया तो इस देश का विकास हुआ अथवा देश का पतन हुआ, आप ही

[श्री परशुराम गंगवार]

सोचिए। आज हमारे देश पर इतना कर्जा है कि इस कर्जे को चुकाना भी हमें मुश्किल पड़ रहा है। आज हमारे देश का जो बजट है, उसका 21 परसेंट हमको सूद देना पड़ रहा है, इतना विदेशी कर्जा है। कर्जदारी में हिन्दुस्तान का नम्बर एशिया में पहला आया और सारी दुनिया के अन्दर हिन्दुस्तान का कर्जदारी में चौथा नम्बर है। जिस देश के ऊपर इतना कर्जा हो, उस देश के किसान का विकास कैसे हो सकता है। इससे अब तक देश के किसान का नहीं बल्कि उद्योगपतियों का विकास हुआ है और यहां तक कहा जा सकता है कि यहां के नेताओं का विकास हुआ है, तो हमारे देश का विकास कहां से हो।

विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है, विकास के लिए धान्य की आवश्यकता होती है। धान्य पैदा करता है, काश्तकार और जो धन पैदा होता है वह धन विदेशों में जमा कर दिया जाता है, जो धन विदेशों में जमा हो गया, हमारे देश के काम में नहीं आया और हमें कर्जा लेना पड़ा और उस कर्ज पर सूद देना पड़ा तो देश का विकास कहां से होगा। जिस देश के बजट का 21 पर-सेण्ट सूद में ही चला जाय, उस देश का विकास क्या होगा।

आज सारे ग्रामीणों के लिए, हमारे देहातों के लिए, हमारे जो काश्तकार हैं, उनकी काश्त-कारी की उन्नति के लिए न तो बिजली मिलती है, न पेयजल नलकूप है, न यातायात का साधन है और जो हरिजन और इन्दिरा आवास बनते हैं उनमें भी इतनी कम मात्रा में धन मिलता है कि आजकल जो हरिजन या इन्दिरा आवास बनते हैं, उसमें आज ईंट इतनी महंगी है, सीमेंट में इतनी महंगाई है कि उस महंगाई को देखते हुए 6 हजार और 9 हजार जो उसके लिए दिए जाते हैं, उसमें क्या बनता है। वह एक साल बना तो दूसरे तीसरे साल टूट जाता है, यहां तक कि उस घर में जो लेटे हुए बच्चे होते हैं उनको चोट तक आती है इतना काम इन्दिरा और हरिजन आवास के लिए किया जाता है तो उत्थान कहां से हो, विकास कहां से हो।

राशन का जो वितरण होता है तो उसके वितरण में भी दोहरी नीति है। शहर के अन्दर शायद देवता रहते हैं और गांव के अन्दर राक्षस रहते हैं तो उन राक्षसों के लिए 250 ग्राम चीनी दी जाती है और शहर के लिए एक किलो चीनी प्रतिमाह दी जाती है तो यह कहां का न्याय है? यह शासन का अन्याय, अत्याचार और पापाचार है। यह काश्तकार के लिए एक अन्यायपूर्ण नीति है।

शिक्षा की नीति भी इसी प्रकार से है। आज हमारे गांव का गरीब काश्तकार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कहां जाय, उसके पास पैसा नहीं है और जो गांवों में स्कूल खोले जाते हैं उनमें भी कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाता नहीं है और उनके एडमीशन के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। हमारे बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए, शहरों के बच्चों के लिए बड़े-बड़े स्कूल खुले हुए हैं, वे उनमें पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा है और वह पैसा खर्च करते हैं। उन्हीं के बच्चे आज पढ़कर आगे बढ़ते हैं लेकिन हमारे काश्तकारों के बच्चे तो वहीं काश्तकारी में ही घुटते रहते हैं।

हमारे देश का प्रधान मन्त्री अगर काश्तकार का बेटा बनता तो उसे मालूम होता कि जब चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, मई जून की गर्मी में जब किसान गन्ने के खेत को खोदता है तब उसे पता चलता कि काश्तकार को कितनी परेशानी होती है। उस मेहनत की कमाई को जब हम बाजार में बेचने जाते हैं, जब हमारा गन्ना लिया जाता है, गेहूं लिया जाता है, तो गेहूं को तोलने वाला एक-एक बोरी पर 5-5 किलो ज्यादा तोलता है। गन्ने को तोलने वाला एक-एक क्विंटल पर

10-10 किलो अधिक तोलता है। इस प्रकार के अत्याचार और अन्याय की कोई शिकायत करने जाओ तो कहते हैं कि इसकी शिकायत क्या होगी। एक बोरी को तोलने पर जो बोरी की खरीद होती है, उसको तोलने पर पांच रुपये फी-बोरी लेते हैं। इस प्रकार का अत्याचार और अन्याय जो हमारी सरकार कर रही है, इस प्रकार के अन्याय और अत्याचार से निपटने के लिए खास तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे यहां जोदैवी आपदाएं आती है, ओला पड़ता है, तूफान आता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, आग लगती है, उसकी पूर्ति करने के लिए गांवों के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है। शहरों में चाहे कितनी बड़ी आग लग जाए, उसके लिए तो बीमा है और गांवों में आग लगती है, तो दो सौ रुपये से ज्यादा नहीं दिए जाते है। शहरों में बीमा के द्वारा कितना-कितना पैसा दिया जाता है, उसके मुकाबले में गांवों में कुछ भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार दोहरी नीति से गाँवों के अन्दर किसानों का शोषण सरकार द्वारा किया जाता है।

खाद की नीति भी अब सरकार द्वारा बनाई गई है। खाद के दाम बढ़ रहे हैं। खाद के दाम बढ़ाकर सरकार द्वारा काश्तकारों के साथ इतना अत्याचार, अन्याय और पापाचार किया गया है, इस पापाचार का परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हमारे साथियों ने भी कहा है, कट्टा 180 रु० का मिलता है, इसमें समस्या यह है कि व्यापारी लोग अगर किसी को घटे हुए दामों पर देते हैं, तो साथ मे दो किलो जिंक भी थोप देते हैं। एक किलो जिंक दो रुपये की मिलती है, तो चौदह रुपये लगाकर दी जाती है। इस प्रकार भी काश्तकार के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इस वर्तमान अत्याचार के कारण वर्तमान सरकार की तिहरी नीति खाद के बारे में चल रही है। इसके अनुसार पुरानी खाद उसी रेट पर दी जाएगी और उसके बाद लघु और सीमान्त किसानों के लिए पुराने दामों में दी जाएगी और बड़े काश्तकारों के लिए बड़े दामों में दी जाएगी। इस तिहरी नीति का फायदा बड़े काश्तकार उठा रहे हैं। इस तिहरी नीति से गरीब काश्तकार को नुकसान हो रहा है। आज गरीब काश्तकार दबता चला जा रहा है, जो रहीस है, जो फार्मर है, वह भले ही खुश हो सकता है। जो फार्मर है, वह कभी भी गांवों में नहीं जाता है, वह तो शहरों में रहता है और उसके नौकर काम करते हैं। जो खाद छोटे लोगों की है, वह खाद बड़े लोग लेकर उसको अपने खेतों में डाल लेंगे। इसी अत्याचार के कारण ये गरीब लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि शहर में सभी सुविधाएं हैं और गांव में कोई सुविधाएं नहीं हैं। इसी कारण यह सब हो रहा है। इसलिए हमारा सुझाव है कि विदेशी बैंकों में जो धन जमा है, उस धन का पता लगाकर, उन खातों से धन को देश में लाया जाए, ताकि वह देश के काम में आए और देश में उत्पादन अधिक हो।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज हमारे देश मे शराब बहुत अधिक चल रही है, उस शराब को बन्द किया जाए। इससे हमारे देश का विकास होगा। इसके अलावा मैं एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में धन की कमी है, हमारे देश का एक कर्मचारी या अधिकारी साठ साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाता है और यहां एक एम० पी० और एम० एल० ए० एक साल के बाद पेंशन पाता है। मेरी राय है कि उनकी पेंशन को खत्म कर दिया जाए। किसी भी एम० एल० ए० और एम० पी० को इस प्रकार पेंशन न दी जाए। इससे हमारे देश का जो पैसा बचेगा, वह देश के काम आएगा।

एक माननीय सदस्य : एक साल में किसी को भी पेंशन नहीं दी जाती है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करिये। दो-तीन वाक्य में पूरा कर दीजिए।

डा० परशुराम गंगवार : सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं तथा आज 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा की जाएगी। अत: यदि संभवत: यह 5.25 बजे पर समाप्त हो जाती है तब उसके पश्चात् श्री राव बोलेंगें तथा वह अपनी बात कब पूरी करें, यह उनके ऊपर है। मैं नहीं समझता कि अन्य और कोई सदस्य आज बोल सकेगा। अब श्री गोगोई बोलेंगे......

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। चूंकि खाद्य मन्त्रालय तथा कृषि मंत्रालय दोनों की मांगों पर साथ-साथ चर्चा की जा रही है अत: अधिकांश सदस्यों ने केवल कृषि के बारे में ही अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा केवल कुछ ही सदस्यों ने मेरे मंत्रालय के बारे में कहा है। अत: मैं अपने विचार यथासंभव संक्षेप में कहूंगा। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर देना नहीं चाहता।

चूंकि खाद्य मंत्रालय मुख्यत: खाद्य प्रबन्धन से सम्बन्धित है अत: हमारा पहला कार्य खाद्यान्न की खरीद करके काफी विशाल भण्डार बनाना है ताकि हम अनाज के भण्डारण के लिए भी प्रावधान कर सकें और देश के प्रत्येक हिस्से में खाद्यान्न का वितरण कर सकें। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बार चावल की खरीद के मामले में हम रिकार्ड स्तर तक पहुंच गए हैं तथा इस वर्ष हमने 12.6 मिलियन टन चावल की खरीद की है। हमने लगभग 7.7 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है तथा देश के कुछेक भागों में देर से वर्षा होने के बावजूद भी हम इस समय ठीक स्थिति में हैं। इस समय हमारे पास 19 मिलियन टन खाद्यान्न का भण्डार है।

हमारे मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करना है तथा कृषि मंत्रालय द्वारा इन मूल्यों की सिफारिश की जाती है। यह आरोप लगाया गया है कि हम किसानों को उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। यह एक सच्चाई नहीं है। हम हमेशा कृषकों को उचित मूल्य देते आए हैं। अन्यथा हमारे पास किसान अपने धान अथवा गेहूं देने के लिए नहीं आए होते। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1966 तथा 1977 के सूखा के दौरान भी खाद्य मंत्रालय के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी परन्तु खाद्य मंत्रालय ने देशभर में लगभग 23 मिलियन टन खाद्यान्नों की सप्लाई की थी।

भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली की आलोचना की गई है। मैं यह नहीं कहता कि यह एक बिल्कुल दक्ष संगठन है। इसमें भी कई खामियां हैं। उसके बावजूद भी इसका कार्य-निष्पादन काफी सन्तोषजनक है क्योंकि केवल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ही हम इतनी भारी मात्रा में इसकी खरीद करते हैं तथा देश भर में इसे वितरित करते हैं। आमतौर पर हम देश भर में प्रतिवर्ष लगभग 16 मिलियन टन खाद्यान्न वितरित करते हैं।

पारागमन में हुए नुकसान के संबंध में मेरा यह कहना है कि अभी भी नुकसान हो रहा है। परन्तु अब यह नुकसान कम होकर दक्षिणी क्षेत्र में खरीदी गई मात्रा का 0.85 प्रतिशत रह गया है जब कि वर्ष 1982-83 में यह प्रतिशत 2 33 था।

चीनी के संबंध में आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उस समय हम चीनी के उत्पादन में सबसे अग्रसर हैं। इस वर्ष हम लगभग 119 लाख टन चीनी का उत्पादन कर सकेंगे। पूर्व के वर्षों में हमें चीनी का आयात करना पड़ा था। परन्तु आज हम चीनी का निर्यात कर सकते हैं तथा सामान्य व्यवसायिक निर्यात के लिए हमने पांच लाख टन चीनी का आबंटन किया है। चावल के मामले में भी ऐसा ही है। बासमती चावल को छोड़कर निश्चित रूप से बासमती चावल के लिए कोई सीमा नहीं है, हमने निर्यात के लिए पांच लाख टन गैर-बासमती चावल आवंटित किया है। गेहूं के मामले में भी ऐसा ही है। हमने दस लाख टन गेहूं का आबंटन किया है जिसका निर्यात किया जाएगा।

कुछ सदस्यों ने गन्ने के मूल्य के बारे में भी प्रश्न उठाया था। यह एक वास्तविकता है कि गन्ने के मूल्य की काफी पिछली बकाया बड़ी राशि का अभी भुगतान किया जाना है। जैसा कि दिनांक 30.6.91 तक 1990-91 के दौरान 3950.82 करोड़ रु० उन पर देय थे तथा 3695.44 करोड़ रु० का भुगतान किया गया था। अत: 255.38 करोड़ रु० शेष रहते हैं। मुख्य रूप से यह राज्य सरकार की ही जिम्मेवारी है क्योंकि वह ही गन्ने का मूल्य निर्धारित करती है। हम गन्ने का केवल सांविधिक न्यूनतम मूल्य ही निर्धारित करते हैं परन्तु उसके अलावा, राज्य सरकार भी मूल्य-निर्धारण करती है। अत: मुख्य रूप से यह राज्य सरकार की ही जिम्मेवारी है। हम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं। परन्तु उसके अलावा राज्य सरकार अपने मूल्य भी निर्धारित करती है। अतएव राज्य सरकार की यह पहली जिम्मेवारी है कि वह यह देखे कि किसानों को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। मैंने स्वयं इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया था। कुछ दिन पहले मैंने सभी संबद्ध मुख्य मंत्रियों को लिखा था।

जहां तक गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है, पहले ही इसका निर्धारण किया जा चुका है ताकि किसानों में कोई अनिश्चितता ही नहीं रहेगी। हमने अगले वर्ष के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जब कि इस वर्ष यह 23 रु० प्रति क्विंटल रहा है। जहां तक उत्पादित चीनी का संबंध है, 45 प्रतिशत लेवी के लिए है तथा 55 प्रतिशत चीनी खुली बिक्री के लिए है।

हमारे यहां एक चीनी विकास निधि भी है। कारखानों से 140 रुपये प्रति टन की दर पर उपकर वसूल किया जाता है तथा हमने लगभग 901 करोड़ रु० पहले ही अर्जित कर लिए हैं। इस राशि में से 426.51 करोड़ रु० से अधिक राशि की मंजूरी वर्तमान चीनी कारखानों का विस्तार करने के लिए, उनके आधुनिकीकरण, पुनर्वास तथा गन्ने के विकास के लिए पहले ही दी जा चुकी है।

अपना कार्यभार संभालने के पश्चात् मैंने मार्ग निर्देशों में कुछेक विषयों में संशोधन किया है। इससे पूर्व आधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए निधि की उपलब्धता के संबंध में सीमा को बढ़ाए जाने पर विचार किया गया था जिसे अब मैंने समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, इस समय हमने रुग्ण इकाइयों को भी ऋण देने के लिए कुछ प्रावधान किए हैं।

अब मैं लाइसेंस नीति के बारे में कुछ कहूंगा। पूर्व सरकार ने चीनी के नए कारखानों के लिए लाइसेंस नीति में परिवर्तन किया था। दूरी संबंधी मानदण्ड को 40 कि०मी० से घटाकर 15 कि०मी० कर दिया गया था। पूर्व सरकार ने गन्ने की उपलब्धता, गन्ने का विकास इत्यादि के लिए क्षमता इत्यादि के मानदण्ड को भी छोड़ दिया था। अब हम दूरी तथा अन्य दूसरे संबंधित पहलुओं के

[श्री तरुण गोगोई]

बारे में सम्पूर्ण मामले की पुनरीक्षा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत अल्प समय में इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा तथा मंत्रिमंडल कोई उचित निर्णय ले लेगा।

जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था, इस बार भी हमने चीनी का उत्पादन अधिक से अधिक हो इसके लिए गन्ने की शीघ्र पिराई के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है। हमने चीनी का उत्पादन जो कि 11 अक्तूबर से 15 नवम्बर के बीच में किया जाता है,, उसके लिए खुली बिक्री के लिए 72 प्रतिशत का आबंटन किया है।

कई माननीय सदस्यों ने अनेक क्षेत्रों में जनता की समस्याओं के बारे में कहा है। यह एक सच्चाई है कि काफी अधिक जनजातीय तथा निर्धन व्यक्तियों को अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने इस मामले में काफी पहल की है। उन्होंने पिछले शनिवार नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी तथा हमने एक निर्णय लिया है कि हम अपने स्तर पर इस संबंध में भरसक प्रयत्न करेंगे ताकि जनजातीय, पहाड़ी, सूखा तथा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों, जो इतने लम्बे समय तक इस लाभ से वंचित रहे है, को भी इस नई प्रणाली का लाभ मिल सके।

अब मैं भण्डारण क्षमता के बारे में कुछ कहूंगा। जैसे कि आज तक हमारे पास 41 मिलियन टन से अधिक की भण्डारण क्षमता है। तीन अथवा चार एजेंसियां हैं जो भण्डारण सुविधाओं की देखभाल करती हैं जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डागार निगम, राज्य भण्डागार निगमं इत्यादि। भारतीय खाद्य निगम की लगभग 18 मिलियन टन क्षमता है तथा केन्द्रीय भण्डागार निगम की 6.7 मिलियन टन क्षमता है। हम केन्द्रीय सरकार द्वारा पचास प्रतिशत साम्या (इक्विटि) प्रदान करके राज्य भण्डागार निगमों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके अलावा, आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि केन्द्रीय भण्डागार निगम लाभ अर्जन कर रहा है। गत वर्ष हमने 43 करोड़ रु० का लाभ अर्जित किया था। अब मैं ग्रामीण भण्डारण सुविधाओं के बारे में कुछ कहूंगा······

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : क्या सम्पूर्ण देश के लिए यह भण्डारण क्षमता पर्याप्त है?

श्री तरुण गोगोई : मैं नहीं कहता कि यह पर्याप्त है। इसलिए हमने राज्य भण्डागार निगमों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान किए हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : भण्डारण सुविधाओं के अभाव में किसानों को मजबूरन बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

श्री तरुण गोगोई : हमने केवल मजबूरन बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए ही समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। वास्तव में, मैंने अनेक राज्य सरकारों के साथ इस पर विचार किया है। राज्य सरकारों ने चावल की खरीद करने के लिए पहल नहीं की है। केवल कुछ ही राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उ० प्र०, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने पहल की है। अधिकतर दूसरे राज्य पहल नहीं कर रहे हैं। वास्तव में मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया था। यह राज्य सरकार के ही हित में है। अन्यथा समर्थन मूल्य निर्धारित करने का क्या उद्देश्य था? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री तरुण गोगोई : भारतीय खाद्य निगम देश के हर हिस्से में नहीं पहुंच सकता। राज्य एजेंसी को यह काम करना पड़ता है। हम किसी निश्चित स्तर तक ही जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि राज्य एजेंसी को अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने ये ही मुख्य मुद्दे उठाए हैं। यदि कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहता है तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : चूंकि मंत्री जी ने कहा है कि वह स्पष्टीकरणों का उत्तर देने के लिए सहमत हैं, मैं उनसे एक बात जानना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो चीनी ग्रामीण जनता को सप्लाई की जा रही है वह बहुत कम है तथा इससे ग्रामीण जनता में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। वे समझते हैं कि उनके साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यदि हम इसकी तुलना करें तो पाएंगे कि प्रभावशाली व्यक्तियों को ग्रामीण जनता की तुलना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिक चीनी मिल रही है। चूंकि चीनी का उत्पादन काफी पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस दोहरी मूल्य व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण जनता के लिए और अधिक मात्रा आवंटित की जाएगी?

श्री तरुण गोगोई : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकार आबंटन करती है। मैं पहले ही लेवी चीनी का आबंटन 5 प्रतिशत बढ़ा चुका हूं। पहले जुलाई, 1991 में 9 लाख टन चावल का आबंटन किया गया था। अगस्त, 1991 में इसे बढ़ाकर 10.4 लाख टन कर दिया गया है। इनके वितरण के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुदान की मांगों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, आप जानते हैं कि इस सरकार ने और इससे पूर्व की सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति संकल्प की आवश्यकता पर विचार नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1948 में ही एक औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया था और 1956, 1977, 1980, 1984 तथा 1991 में जिस पर पुनर्विचार किया गया था। जब कि करीब 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर है, विशेषकर शुरू में 50 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि से होने वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर निर्भर थे, उत्तरोत्तर सरकारों ने कृषि नीति संकल्प की आवश्यकता ही कभी महसूस नहीं की। यद्यपि कुछ कार्यक्रम जैसे कि अधिक अन्न उपजाओ, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया था लेकिन मूल रूप से उन्हें इस संकट को दूर करने के लिए लागू किया गया था। ग्रामीण लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने की मंशा से इसे लागू नहीं किया गया था और ग्रामीण लोगों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने में बरती गई उपेक्षा के कारण चार दशकों के बाद भी अभी तक वे बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उनमें से अधिकांश तो लोगों को मौलिक सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं।

सभापति महोदय : राव जी 5.30 हो गए हैं । हमें आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करनी है । कल आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं । इसलिए कल आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आधे घंटे की चर्चा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि कृषि मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर दो घंटे के लिए चर्चा जारी रखी जाए तो अच्छा रहेगा ।

सभापति महोदय : इस बात पर पहले सहमति नहीं हुई है ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : इस पर सहमति हो चुकी है ।

सभापति महोदय : आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होने दें । मैं इसकी जांच करूंगा कि इस पर पहले कोई सहमत हुए हैं अथवा नहीं । मुझे इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी और फिर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा ।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : यदि सभा इससे सहमत है तो हम सब सभा के साथ हैं । यदि आप 8 बजे तक का समय देना चाहते हैं तो हमें कोई आपति नहीं है ।

सभापति महोदय : इस बीच आप अपने में कुछ चर्चा कर लें ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : ठीक है ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, अप्रत्यक्ष रूप से हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम इसे सभा के ऊपर छोड़ते हैं । यदि सभा चर्चा को आठ बजे तक जारी रखना चाहती है तो उन्हें ऐसा करने दीजिए । उन्हें 6 बजे के पहले तक इसका निर्णय कर लेने दीजिए क्योंकि मेरे मंत्रीगण जा चुके हैं ।

सभापति महोदय : जब 6 बजने में 5 मिनट रह जायेंगे तो हम देखेंगे कि क्या करना है ।

आधे घंटे की चर्चा

5.32 म०प०

टिहरी बांध परियोजना को स्वीकृति

सभापति महोदय : चूंकि कोई सहमति नहीं हो पायी है हमें आधे घंटे की चर्चा शुरू करनी चाहिए । श्री खन्डूरी ।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : टिहरी बांध परियोजना की स्वीकृति के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 287 का 5 अगस्त, 1991 को पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उठने वाले टिहरी बांध पर मैं आधे घंटे की चर्चा की शुरुआत करता हूं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बांध के निर्माण को 'रिचटर स्केल' के 8.5 पर इसके डिजाईन के विचार के सशर्त स्वीकृति दे दी जाएगी । आज मूल रूप से मैं दो विषयों पर बात करना चाहता हूं—(1) डिजाईन संबंधी पहलू और (2) बांध में दरार का प्रभाव । चाहे गलत डिजाईन या अन्य किसी कारण से यदि दरार पड़ती है, तो इसका क्या प्रभाव होगा ?

डिजाईन संबंधी पहलू की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बतलाना चाहूंगा । वर्ष 1961 में 600 मेगावाट की क्षमता के लिए करीब 197 करोड़ रुपये की लागत से

बांध बनाने का विचार किया गया था। तब से लेकर इतने समय में वह क्षमता बढ़कर 2000 मेगा-वाट और लागत करीब 5000 करोड़ रुपये हो गई है।

जब से बांध बनाने का विचार किया गया है इसको लेकर अनेक विवाद उत्पन्न हुए हैं। अगस्त, 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह महसूस किया था कि लागत-लाभ समीक्षा इस बांध के लिए उचित नहीं थी और इसलिए उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए। एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। यह आदेश मार्च, 1980 में दिए गए थे। अगस्त, 1986 में विशेषज्ञ समिति ने कहा कि इस परियोजना को समाप्त कर दिया जाना चाहिए यद्यपि इस पर अच्छी खासी धनराशि करीब 236 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे। लेकिन उसके पश्चात् एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई।

नवम्बर में श्री गोर्बाचेव के नेतृत्व में एक रूसी शिष्टमंडल आया था और टिहरी बांध के लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता राशि का प्रबन्ध किया गया था। तो भी सोवियत संघ के विशेषज्ञों ने कहा था कि वे तकनीकी स्वीकृति चाहते हैं जो कि नहीं है। इसलिए, एक तकनीकी समिति का आदेश दिया गया था। इसमें वे सदस्य थे जो भूकम्प विज्ञानी नहीं थे। मजेदार बात यह है कि यह तकनीकी समिति जो कि पूर्व तकनीकी समिति के पश्चात् गठित की गई थी ने इस परियोजना को समाप्त कर देने की सिफारिश की थी, उसकी बैठक सिर्फ एक दिन अर्थात् 16 अक्तूबर, 1986 को हुई थी। उसने यह सिफारिश की थी कि बांध का निर्माण किया जाना सुरक्षित है। इस आधार पर सोवियत संघ ने 2000 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की और निर्माण कार्य पुन: शुरू हुआ।

वर्तमान विवाद का स्तर यह है कि प्रो० ब्रुने और सोवियत संघ के डा० बोरोक सहित विश्व के सभी भूकम्प विज्ञानी ने इसके डिजाईन पहलू पर आपत्ति की है अथवा इसकी स्वीकृति नहीं दी है। शुरू में तो डिजाईन पैमाना 7 एम था और पीक ग्राउण्ड एक्सेलरेशन (पी० जी० ए०) 0.153 जी० था। फिर कुछ समय बाद द्वितीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने इसे बढ़ाकर 7.2 एम० और .25 जी० कर दिया। किस आधार पर डिजाईन में यह परिवर्तन किया गया यह मालूम नहीं है। फिर भी यह डिजाईन 7.2 एम० और .25 जी० को भूकम्प वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया और पुन: विवाद शुरू हो गया।

इस मुद्दे को विभिन्न लोगों को सौंपा गया। मैं प्रो० ब्रुने का उद्धरण देना चाहूंगा। वह एक जाने माने भूकम्प विज्ञानी हैं। उनका कहना है कि—

> "मेरे विचार में टिहरी बांध का सक्रिय डिजाईन विश्लेषण किया जाना चाहिए और करीब 1 जी० के 'पीक ग्राउण्ड एक्सेलरेशन' के लिए इसका डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए।"

बाद में, सोवियत संघ ने डा० बोरोक जो कि एक जाने माने भूकम्प विज्ञानी हैं, वे भी इस मत से सहमत हुए।

इस डिजाईन का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि टिहरी बांध के प्राधिकारी 7 एम० से 7.2 एम० और 7.4 एम० की बढ़ोत्तरी को स्वीकार करते जा रहे हैं और अब जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया कि आवश्यकता 8.5 एम० की है। अब हमें नहीं मालूम है कि भूमि तल में वास्तव में क्या हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है शुरू में 1100 मीटर चौड़ी नींव रखी गई थी और यदि इसे 8.5 के लिए बनाना है तो न्यूनतम 1500 मीटर चौड़ाई आवश्यक है। इतनी जगह ही नहीं

[श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी]

है । भूमितल में डिजाईन क्षमता में किस प्रकार से वृद्धि की जा रही है ? यह सभी कुछ दस्तावेज में है ? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अब मैं दूसरे मुद्दे की चर्चा करता हूं । यदि कोई दरार पड़ जाती है तो क्या होगा ?

(1) ऐसा डिजाईन की अपर्याप्तता के कारण है;

(2) जिस बात पर अभी तक उचित रूप से विचार नहीं किया गया है वह रक्षा पहलू है । आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले बांधों को नष्ट करने हेतु रॉयल-वायु सेना ने एक स्कवाड्रन बनाया था जिसे "डैम ब्रस्ट स्कवाड्रन" कहा जाता था । इस प्रकार के पांच बांध थे । उन्हें नष्ट करने का एक प्रयास भी किया गया था । सदियों की एक रात में उन्होंने दो बांध नष्ट कर दिए थे, जिससे जर्मनी की युद्ध क्षमता को काफी क्षति पहुंचाई थी और उसकी आक्रामक क्षमता को अशक्त बना दिया था । वे अल्पविकसित तकनीक और छोटे बांधों का युग था । आज उच्च तकनीक का युग है । हम जानते हैं कि इराक में क्या हुआ है । अमरीका ने अपने हथियारों का संचालन बहुत ही सही मार से किया था । अब, यदि उस प्रकार की क्षमता उपलब्ध है तो इस बात की क्या गारण्टी है कि हमारे शत्रु के पास वह तकनीक नहीं हो सकती और टिहरी बांध एक आदर्श लक्ष्य है । जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप महसूस करेंगे कि यही सम्भावित प्रभाव पड़ेगा ।

विशेषज्ञ, डा० नरसिंह के अनुसार, "बांध टूटने की स्थिति में बाढ़ का पानी एक घंटे में ऋषिकेश और अगले 20 मिनटों में हरिद्वार पहुंच जाएगा और पानी के 200 फुट ऊंचे भित्ति-पोतक से देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार और उनके आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर देगा । बांध के टूटने की स्थिति के 6 घण्टों के भीतर मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्रों में 30 फुट पानी और 12 घण्टों के भीतर बुलन्दशहर और इसके परिप्रदेश में 25 फुट पानी आ जाएगा ।

दिनांक 19 मार्च, 1990 के दि हिन्दुस्तान टाईम्स में छपे लेख में भी कुछ विवरण दिया गया है । जो बात सबसे चिन्ताजनक है, वह है नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र में "शार्ट-सर्केटिंग ।" क्योंकि संयंत्र को कुछ घंटों में बन्द नहीं किया जा सकता, उसमें शार्ट सर्किट हो जाएगा, यह गर्म होकर फट पड़ेगा । पुन: एक 'कार्नोबायल' जैसी स्थिति बन जाएगी जो सो 'भोपाल' जैसी भयानक होगी । 100 कि०मी० की दूरी के अन्दर—जिसमें दिल्ली, आगरा, मेरठ शामिल हैं—रेडियो-धर्मिता 90% जनसंख्या का विनाश कर देगी । इसके साथ ही कलकत्ता की ओर बहने वाला बाढ़ का पानी बहुत रेडियो-धर्मी होगा जिससे बहुत अधिक नुकसान होगा ।

रास्ते में आने वाले सभी रक्षा अधिष्ठापन नष्ट हो जाएंगे ।

युद्ध के दौरान ऐसा दृश्य बहुत भयानक है ।

सभापति महोदय : आप कम से कम अपने प्रश्नों को उन मुद्दों तक सीमित रखें जिनका आपने अपने विवरण में उल्लेख किया है अन्यथा आपको उचित उत्तर नहीं मिलेगा । आप तीन या चार मिनटों के भीतर संक्षेप में कहें और माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : टिहरी बांध परियोजना को स्वीकृति देने से पहले जिन विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अब मैं उनके बारे में बात करूंगा मेरे पास पांच ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान होना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी की सूचना के लिए पढ़कर बताऊंगा। प्रथम, यदि प्रारम्भिक प्रारूप 7 एम और 0—15 जी के लिए था और नींव की चौड़ाई 1100 मि० थी, क्या इस चौड़ाई को जमीन पर पर बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? मुझे बताया गया है कि 1500 मि० चौड़ाई होनी चाहिए। यदि नहीं, तो क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। दूसरे, प्रारूप की आवश्यकताओं का स्तर बढ़ाने के लिए भूमि पर कौन से परिवर्तन किए गए हैं। मन्त्री ने स्वयं कहा कि 7 एम से 8.5 एम की जो वृद्धि हुई है वह 300 गुना है।

तीसरे, जिस नवीनतम "विशेषज्ञ रिपोर्ट" (जय कृष्ण रिपोर्ट तारीख 17 अक्तूबर 86) पर कार्य किया जा रहा है उसे सामने लाया जाए और सभा पटल पर रखा जाए। इसे क्यों गोपनीय रखा जा रहा है ?

कौन-सी प्रबन्ध योजनायें बनाई गई हैं ? इन्हें 31 मार्च, 1991 तक तैयार किया जाना था। अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उन्हें तैयार क्यों नहीं किया गया है ? मैंने अभी आपको नुकसान के सम्भावित अनुमान के बारे में बताया है।

और अन्त में एक श्वेत पत्र को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए जिसमें प्रारूप के सभी पहलुओं के बारे में विवरण हो ताकि इस बारे में कोई शंका न रहे और लोगों के मन से भय निकल जाए।

अन्त में मैं सुझाव देता हूं कि बांध के सम्पूर्ण प्रारूप को उन विशेषज्ञों को नहीं सौंपा जाना चाहिए जो विवादग्रस्त है अपितु उन बाहर के विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए जो जाने माने भूकम्प-विज्ञानी हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है···

सभापति महोदय : प्रोसीजर की दृष्टि से पहले मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। जिन्होंने फिर सवाल पूछने के लिए पहले सूचना दी है, वही केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। बाद में कुछ रह गया तो देख लेंगे लेकिन अभी नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : यह आधे घण्टे की चर्चा 5 अगस्त, 1991 को पर्यावरण और वन मन्त्रालय से पूछे गए प्रश्न के सन्दर्भ में चल रही है।

इस परियोजना को मूल रूप में 600 मेगावाट की स्थापित उत्पादन क्षमता के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई थी। उसके बाद, 1990 में पर्यावरण और वन मन्त्रालय की 'भुम्बला' समिति ने बांध की सुरक्षा सम्बन्धी आशंकाएं व्यक्त की थी कि इसे रिचटर स्केल पर 7.2 तक भूकम्प का झटका सहने की क्षमता के लिए तैयार किया गया था जबकि टिहरी स्थान, जो "भूकंपीय घाटी" में स्थित है, के जलाशय के समय काल के दौरान रिचटर स्केल पर 8 अथवा 8.5 के परिमाण का भूकम्प जल्दी आने की आशंका है, अतः, इस बांध के सुरक्षा पहलुओं के पुनरावलोकन के लिए खान विभाग को विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के लिए कहा गया था।

[श्री कमल नाथ]

भारतीय भू-सर्वेक्षण के महानिदेशक के नेतृत्व में इस समिति ने अप्रैल, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी बीच, डा० गौड़, जो पहले हैदराबाद के राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान के निदेशक थे और उससे पहले रुड़की महाविद्यालय के भूकम्प इन्जीनियर के प्रोफसर थे और वर्तमान में सचिव, समुद्र विकास के पद पर हैं, इसके एक सदस्य थे और उन्होंने प्रो० ब्रूनी के फार्मूले के प्रयोग पर दिए समिति की रिपोर्ट पर प्रो० ब्रूनी के साथ हुई चर्चा पर आधारित पूर्वाग्रह व्यक्त किया था।

यहां पर दो बड़े मुद्दे उठते हैं।

(क) "प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी' के अनुसार इस भूकम्पीय क्षेत्र में रिचटर स्केल पर 8 और अधिक के परिमाण का भूकम्प आसन्न है, जबकि बांध का प्रारूप बनाते समय रिचटर स्केल पर 7.2 के परिमाण के भूकम्प के आधार पर 'पीक ग्राऊण्ड एक्सीलरेशन' को मापा गया है।

(ख) अमरीका के प्रो० ब्रूनी के, जिनके द्वारा बनाए गए फार्मूले के आधार पर ये गणनाएं की गई थीं, अनुसार इस फार्मूले को ठीक प्रकार से लागू करने से, .22 जी, जिसका पालन किया जा रहा है, के स्थान पर 1 जी अथवा इससे अधिक के पीक ग्राऊण्ड एक्सीलरेशन में वृद्धि होगी।

प्रो० ब्रूनी के सिफारिशों सहित डा० गौड़ की असहमति का उल्लेख उच्च स्तरीय समिति को किया गया था जिसने अपने पहले के मत को ही दोहराते हुए जुलाई, 1990 में एक पूरक रिपोर्ट दी थी। प्रो० गौड ने इस पूरक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। अगस्त, 1990 में सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की पूरक रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसे एक अन्य विशेषज्ञ प्रो० जय कृष्ण को सौंपने का निर्णय लिया जिनका सितम्बर, 1990 में यह मत था कि टिहरी परियोजना के लिए प्रस्तावित बांध क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से सुरक्षित है···(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलदाना) : इस विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि क्या है? ···(व्यवधान)

श्री कमलनाथ : प्रो० जयकृष्ण टिहरी बांध प्राधिकरण के सलाहकारों में से एक हैं। यह एक सदस्यकी समिति थी जिसकी नियुक्ति···(व्यवधान)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : वे भूकम्प विज्ञानी नहीं हैं। वे केवल एक भूकम्प इन्जीनियर हैं ···(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : प्राधिकरण से सम्बन्धित व्यक्ति की नियुक्ति कैसे की गई है? ···(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : प्रो० जय कृष्ण, एक सदस्य समिति, ने सितम्बर, 1990 में कहा था कि भूकम्प की दृष्टि से टिहरी बांध के लिए प्रस्तावित बांध क्षेत्र सुरक्षित है।

खान मन्त्रालय को बांध की भूकम्पीय सुरक्षा संबंधी शंकाओं और गलतफहमियां व्यक्त करते हुए कई क्षेत्रों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः, महानिदेशक, जी० एस० आई० को व्यक्त की गई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए टिहरी बांध के सुरक्षा पहलुओं के आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ दल बनाने के लिए कहा गया था। इस विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1991 में प्रस्तुत की थी और यह पाया था कि बांध के प्रारूप को 0.5 जी० के 'पीक ग्राऊण्ड

एक्सीलरेशन' पर सन्तोषजनक पाया गया। इस महीने अगस्त, 1991 में खान मन्त्रालय का अवलोकन इस प्रकार था।

खान मन्त्रालय, भारतीय भूसर्वेक्षण महानिदेशक की रिपोर्ट पर आधारित प्रो० जय कृष्ण की अनुशंसाओं को स्वीकारता है कि टिहरी बांध परियोजना के लिए प्रस्तावित बांध, क्षेत्र भूकम्प के दृष्टिकोण से सुरक्षित है।

इन रिपोर्टों के आधार पर खान मन्त्रालय यह भी मानता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक शोध किए जाएं। इसका अर्थ है कि खान मन्त्रालय ने इसे मंजूरी देते हुए दो बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। और यह अलग बात है कि हम इन्हें अवलोकन कहें या शर्तें। खान मन्त्रालय ने निम्नलिखित दो स्थितियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

(i) 'क्यू वैल्यू' के अनुमान और 'डिटैचमैंट्स अण्डर थ्रस्टिंग' की योजना की गहनता के निर्धारण समेत आलोचनात्मक भूकम्पीय मापदण्ड के बेहतर अनुमान हेतु टिहरी क्षेत्र में एक वर्ष के भीतर समयबद्ध 'माइक्रो—सिजमिक' जांच ('डिजिटल सिजमोमीटर्स' की मदद से) कराना।

अतः, 'क्यू वैल्यू' प्रो० ब्रूनी के फार्मूले की सत्यता का निर्धारण करती है। प्रो० ब्रूनी के फार्मूले का यह अति महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यदि 'क्यू वैल्यू' गलत हो तो ब्रूनी का पूरा फार्मूला गलत हो जाता है। खान मंत्रालय ने क्यू वैल्यू के उचित निर्धारण के लिए कहा है।

(ii) वास्तविक एक्सेलेरोग्राम के लिए बांध के प्रारूप की जांच की जाए। इसका अर्थ पीक ग्राउण्ड एक्सीलरेशन से है जो अनुमानतः 0.5 जी पर है।

इसकी मंजूरी के उद्देश्य के लिए कुछ पूर्वानुमान किए गए थे। खान मन्त्रालय की इन दो शर्तों द्वारा उन पूर्वानुमानों की जांच की जानी चाहिए।

(iii) प्रारूप की स्थिरता की जांच करने हेतु गाजली के वास्तविक एक्सेलेरोग्राम—गाजली भूकम्प पहलू सबसे बदतर प्रकार का पहलू है, यह सबसे बदतर दृश्य है—और पीक ग्राउण्ड एक्सीलरेशन के लिए बांध के प्रारूप की जांच होनी चाहिए।

भारतीय भूसर्वेक्षण, नेशनल ज्योफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एन० जी० आर० आई०) और टिहरी हाइड्रो डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन के समन्वय से इस प्रकार से अध्ययन किए जाने चाहिए। यदि उक्त अध्ययन के परिणामों में प्रारूप में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो सम्बद्ध अधिकारी इसका ध्यान कर सकते हैं।

विद्युत विभाग ने इन अध्ययनों के लिए धन आबंटित करने पर सहमति प्रकट की है।

हाल के लिए, परियोजना अधिकारी इस अनुरोध पर वर्तमान प्रारूप को जारी रखना चाहते हैं कि यह भूकम्पीय शक्तियों को सह सकेगा।

जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, एक टिप्पणी की गई थी और मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें टिहरी शहर के साथ-साथ 112 गांव प्रभावित होंगे। मेरे विचार में, जो माननीय सदस्य टिहरी से सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें अन्यत्र आवास का प्रबन्ध करना होगा।

[श्री कमल नाथ]

टिहरी पर विद्युत उत्पादन 2000 मेगावाट तथा कोटेश्वर पर 400 मेगावाट है। यह प्रतिष्ठापित क्षमता होगी लेकिन विद्युत का उत्पादन सिर्फ 487 मेगावाट ही होगा। यह एक जल विद्युत परियोजना है। अतः इसे 'पिकीग' के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। परियोजना प्राधिकारियों के विचारानुसार सिंचाई क्षमता 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की है और उन स्थानों में जहां सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं है अथवा 6.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई व्यवस्था बरकरार रखी जानी हैं, 3000 क्यूमेक पेय जल दिल्ली भेजा जाना है। वर्ष 1990 के हिसाब से परियोजना की लागत 3500 करोड़ रुपया है। यह वर्ष 1990 के मूल्य के अनुसार है। एक पर्यावरण लागत भी है जिस पर तत्काल विचार नहीं किया गया है। जहां तक बांध की जीवन अवधि का सम्बन्ध है, गाद भर जाने की समस्या पर विचार किया जा रहा है और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अनुमानित तलछट दर 14.5 हेक्टेयर मी० प्रति 100 कि० मी०² प्रतिवर्ष है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह पाया कि लागत-मुनाफे का अनुपात वर्ष 1986 में 1:11.7 से घटकर 1:1.349 हो गया है। मैं नहीं समझता कि 1986 के बाद लागत लाभ अनुपात का कोई अनुमान लगाया गया है। अभी तक करीब 600 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, विद्युत संघटकों पर 450 करोड़ रुपए और करीब 150 करोड़ रुपये सिंचाई घटकों पर खर्च हुए हैं। चालू योजना में एक प्रावधान किया गया है। इस परियोजना को अभी तक पी० आई० बी० द्वारा स्वीकृति नहीं मिल पायी है। यह कहना सही नहीं है कि मेरा विभाग चुप है और इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है।

स्वीकृति प्रदान करने की शर्तों के अन्तिम अनुच्छेद को मैं सिर्फ पढूंगा जो कि इस परियोजना को अनुमति देते समय मेरे मन्त्रालय द्वारा दिया गया था। माननीय सदस्य ने कहा कि हमने स्वीकृति नहीं दी है, यह सत्य नहीं है। हमने सशर्त स्वीकृति दी है। हमारी शर्त बहुत ही स्पष्ट है और इसमें कहा गया है :

> "इसका अध्ययन पूरा किया जाना, कार्य योजनाओं को तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन इस प्रकार से तय किया गया है कि उन्हें एक ही साथ लागू किया जा सके। इसका अर्थ है कि इन्हें अभियंत्रिकी कार्य के साथ ही होना चाहिए जिसके न होने पर अभियन्त्रिकी कार्य बिना किसी बाहरी कारण के रुक जायेंगे। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य के साथ इन शर्तों को लागू किया जाएगा।"

अब इन शर्तों की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

सभापति महोदय : क्या आप और समय लेंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्यों के हित के लिए मैं विस्तार से अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था। यह आपके ऊपर है। यदि आप मुझे अधिक समय देते हैं तो मैं लूंगा, यदि आप नहीं देते हैं तो मैं नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत है तो हम कुछ मिनट के लिए समय बढ़ा सकते हैं ताकि हमें पूरा जवाब मिल सके।

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, इसे कम्पलीट करवा दीजिए यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, वे मुद्दे जो सशर्त स्वीकृति के हिस्से थे, मैं उन पर संक्षिप्त रूप में बोलूंगा कि क्या हुआ था और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है । ये हैं : सुरक्षा सम्बन्धी पहलू और बांध का डिजाईन । खान मन्त्रालय द्वारा बांध के डिजाईन को स्वीकृति दी जानी थी । उन शर्तों के साथ खान मन्त्रालय ने बांध के डिजाईन को स्वीकृति दे दी है । प्रश्न यह है कि उन शर्तों को कब पूरा किया जाएगा, उनके द्वारा डिजाईन में परिवर्तन किया जाएगा अथवा नहीं । टिहरी बांध प्राधिकारियों ने कहा है कि किए जाने वाले दो अध्ययनों के पश्चात बांध के डिजाईन में कोई सुधार किए जाने की आवश्यकता होगी तो वह कर दिया जाएगा । अतः अप्रैल, 1990 में उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रो० गौड़ के विरोध पत्र के साथ अपनी रिपोर्ट दे दिए जाने के पश्चात खान विभाग द्वारा कहा गया है कि इन दो शर्तों के साथ डिजाईन स्वीकार्य है । जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, इसका अध्ययन किया जाएगा । अभी तक हमें पुनर्वास सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । प्रश्न यह है कि पारिवारिक इकाई किसे माना जाएगा ? क्या परिवार के मुखिया को इकाई माना जाएगा या परिवार के प्रधान और व्यस्क पुत्रों को मिला कर इकाई माना जाएगा । इस मुद्दे पर अभी तक बहस हो रही है । मेरे मन्त्रालय को अभी तक बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : पहले हमें डिजाईन सम्बन्धी पहलू को स्पष्ट करना चाहिए । अन्य सभी बातें तो आकस्मिक हैं ।

डा० असीम बाला : महोदय, यह बहुत ही तकनीकी मुद्दा है···(**व्यवधान**)

श्री कमल नाथ : मैं बोधगम्य भाषा में अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें इसे सरल बनाने का अवसर दीजिए । उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, रीहैबिलिटेशन की बात तो बताई नहीं जाती है और सब बातों का जवाब तो मंत्री दे रहे हैं । रीहैबिलिटेशन की बतायें ?

सभापति महोदय : इस बात पर भी आ रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि भाजपा के माननीय सदस्य इस मुद्दे पर मेरा साथ दे रहे हैं···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उपस्थित न करें । उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए । आपको बाद में प्रश्न करने का पूरा अधिकार है ।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं सीधे डिजाईन पहलू की बात करूंगा।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री कमल नाथ : यदि उन्हें संतुष्टि हो तो मैं बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात कह दूंगा। महोदय, जहां तक डिजाईन पहलु का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य महोदय ने इसमें रक्षा सम्बन्धी मुद्दा जोड़ दिया है जो वर्तमान रक्षा क्षमता और इस बांध को किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है, इन बातों से सम्बन्धित है। हमारी एक शर्त विपत्ति प्रबन्ध योजना थी अर्थात क्या होगा यदि एक दरार उत्पन्न हो जाए। विपत्ति प्रबन्ध योजना, जो कि एक शर्त थी, उसे प्रस्तुत किया जाना था लेकिन अभी तक उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि वह किस स्तर पर है।

दूसरा पहलू यह है कि भूकम्पीय शक्तियां क्या हैं; क्या ये 7.2 या 8.5 एम^2 होगी। तकनीकी रूप से खान मन्त्रालय ने इसकी जांच की है और इस मुद्दे पर विचार करने के पश्चात प्रो० जयकृष्ण ने रिपोर्ट दी है। प्रो० जयकृष्ण की रिपोर्ट के पश्चात् जी० एस० आई० ने इस पर विचार किया। खान मन्त्रालय ने इन सब पहलुओं पर विचार किया है। इसलिए बांध के डिजाइन से मेरा मन्त्रालय सम्बद्ध नहीं है, हमें यह बात बिलकुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : शुरू से अन्त तक क्यों सिर्फ जयकृष्ण को ही कहा गया। किसी और से बात क्यों नहीं की जाती है ?

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : वे सिर्फ 'जय राम' में रुचि रखते हैं, जयकृष्ण मत कहिए। ··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया आपस में बातें मत करें। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया मंत्री महोदय के भाषण के बीच व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री कमल नाथ : इन सभी बातों की जांच खान मन्त्रालय द्वारा कर ली गई थी और उन्होंने समझा कि जी० एस० आई० की रिपोर्ट, प्रो० जयकृष्ण द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने के साथ सही है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने दो अध्ययनों को पूरा करने की मांग की है। यह सब इस माह में हुआ है। जहां तक डिजाईन पहलू का सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक भूकम्प प्रभावी क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बहुत ही अधिक भूकम्प प्रभावी होने के कारण पर्यावरण और वन मन्त्रालय ने इन शर्तों को लगाया था। स्वीकृति प्रदान करते समय इन शर्तों को लगाया गया था। हम इन शर्तों को पूरा करना चाह रहे हैं और मैं सभा को सिर्फ यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस मामले में हम सुरक्षा सम्बन्धी किसी भी पहलू की उपेक्षा नहीं करेंगे।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपने इसे 8.5 कहा है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : एक मिनट ठहरें। खण्डूरी जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मुझे तीन माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे पर प्रश्न करने हेतु नोटिस दिया है। उन्हें इस पर प्रश्न कर लेने दीजिए और फिर आप प्रश्न पूछिएगा और हम देखेंगे कि क्या किया जाना है। मुझे श्री रविराय जी से नोटिस प्राप्त हुए हैं···

(**व्यवधान**)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, कृपया मेरा नाम भी जोड़ लीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : नियमानुसार माननीय सदस्य को पहले महासचिव को लिखित नोटिस देनी होती है कि वे प्रश्न पूछना चाहते हैं और सिर्फ तब वे सदस्य जिन्होंने पूर्व सूचना दी है प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री रविराय, श्री संतोषकुमार गंगवार और श्री मानवेन्द्र शाह···

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, आपके पीठासीन होने से कुछ रियायत हो सकती है।

सभापति महोदय : देखते हैं क्या किया जा सकता है। हमें नियमानुसार चलना चाहिए। हम पहले ही यह फैसला कर चुके हैं कि जब तक यह चर्चा समाप्त नहीं हो जाती है सभा की अवधि बढ़ाई जाएगी यह निर्णय हम पहले ही कर चुके हैं। हमें तीन माननीय सदस्यों— श्री रविराय, श्री संतोष कुमार गंगवार और श्री मानवेन्द्र शाह से नोटिस प्राप्त हुए हैं, जो पहले प्रश्न करेंगे, माननीय मन्त्री जी उसका जवाब देंगे और तब यदि श्री खण्डूरी कोई प्रश्न करना चाहें तो वे करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस समय नहीं। हमें नियमानुसार चलना चाहिए।

डा० आर० मल्लू (नगर कुरनूल) : इससे कोई औचित्य नहीं है···

सभापति महोदय : शायद आप जो प्रश्न करना चाहते हैं वह प्रश्न वे सदस्य पूछ लें जिन्होंने पहले नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है, पहले प्रश्न पूछ लेने दीजिए। अब श्री रविराय।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि इस सवाल पर जिस गम्भीरता से हम लोगों को सोचना चाहिए लगता है कि उस गम्भीरता का अभाव है। मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत मेहनत करके आए हैं लेकिन उनका कहना है कि इन सारी चीजों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फौरेस्ट की जिम्मेदारी को वे महसूस करते हैं। जिस दिन यह प्रश्न हाउस के सामने पहली बार आया और जिसकी वजह से आधे घण्टे की चर्चा हो हो रही है, हमको लगता है कि कमलनाथ जी ने उस दिन जो साहस का परिचय दिया था।

[अनुवाद]

एक मन्त्री इस टेहरी बांध के निर्माण से संबंधित खान मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयों पर नजर रखेगा।

[हिन्दी]

हमको खुशी होती कि टेक्नीकल चीज सदन के सामने नहीं रखते। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या यह सही नहीं है कि शुरू से जिस कंडीशनल शर्त के साथ इजाजत दी है वह जबरदस्ती ली गई

[श्री रविराय]

तथ्यों के मुताबिक है। हम लोगों का श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति आभार है क्योंकि उन्होंने इस सिलसिले में एक खोज करवाई थी। यह एक बहुत बड़ा डैम है। और खोज करने के बाद

[अनुवाद]

पर्यावरण मन्त्रालय ने इस परियोजना को समाप्त करने का फैसला किया।

[हिन्दी]

सभापति जी, आप सुनिये।

सभापति महोदय : मैं तो सुन रहा हूं लेकिन आप क्वश्चन करिये।

श्री रवि राय : उन्होंने असल में पहले तो कहा कि होना नहीं चाहिए, बाद में मेरा मन्त्री महोदय से यह साफ स्पष्ट सवाल है और देशवासियों के सामने भी कि जब रूस 2000 करोड़ रुपए देने के लिए मैदान में आया तो सारी चीजें बदल गई। रूस के राष्ट्रपति यहां आए और उन्होंने फरमाया, उनके प्रति हम लोग आभारी हैं, लेकिन सवाल है देश का, राष्ट्र का। खुद इस सदन में पिछली बार, आज वह नहीं बोले। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिला देता हूं, आप सदन में थे, मन्त्री महोदय ने कहा कि दिल्ली भी वहां के भूकम्प से प्रभावित हो सकता है, यह बहुत क्षुब्ध होकर मन्त्री महोदय ने कहा था कि यह शंका है और फिर हरिद्वार और ऋषिकेश भी ढह जायेगा, वगैरह-वगैरह। मैं आज कहना चाहता हूं कि मान लीजिए दो हजार करोड़ रुपया न आता तो मिसेज गांधी जी ने आगाह किया था, उसके चलते इसको एबण्डन करने का जो फैसला था, वह फैसला बरकरार रहता, मैं साफ हूं इस मामले में। सवाल यह रहा कि क्या कमलनाथ जी के ध्यान में यह बात आई है कि एनवायरमेंट एसेसमेंट कमेटी ने यह जो कहा है—

[अनुवाद]

> "इस परियोजना की भूगर्भीय और भूकम्पीय व्यवस्थाओं, जोखिम और खतरों, पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभावों, अनुमानित लागत और मुनाफे तथा उपलब्ध जानकारी और आंकड़ों की ध्यानपूर्वक जांच करने के पश्चात समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यथा प्रस्तावित टेहरी बांध परियोजना को शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति नहीं मिल सकती है।"

अपने मन्त्रालय के निर्णय पर अडिग रहने के लिए मैं श्री कमलनाथ जी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा। वे इससे हट क्यों रहे हैं? मैं कहता हूं कि वे इससे हट रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं तो ऐसे ही समय का पाबन्द हूं। जो पांच हजार करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा, दो हजार करोड़ रुपया तो आप जानते हैं, एस्कलेशन होता ही रहता है, कौन जाने 20 हजार करोड़ रुपए तक वह पहुंच जायेगा, खुद माना है, कमलनाथ जी ने, इनको जो तथाकथित शर्त के साथ दिया था, वह उनको अभी तक माना नहीं गया है और काम चल रहा है, 66 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है···

सभापति महोदय : अभी उनसे आपको क्या जानकारी चाहिए?

श्री रवि राय : मेरा यह कहना है कि यह विशुद्ध पोलिटिकल चीज है, इसमें माइन्स का हवाला नहीं देना चाहिए, डा० गौड़ की जो शिकायत थी, उसका जवाब माइन्स मिनिस्ट्री से नहीं दिया गया और प्रस्तावक महोदय कह चुके हैं कि दुनिया के जो नामी सिसमोलीजिस्ट हैं, उन्होंने आगाह किया है—

[अनुवाद]

इस मामले में आगे मत बढ़िये ।

[हिन्दी]

तो मेरा कहना है कि राष्ट्र का और इस देश का भी यह जीने मरने का सवाल है। जब खुद मन्त्री महोदय मानते हैं और मन्त्री महोदय जानते हैं कि सरकार की एक टोटल व्यू रहना चाहिए, तो मेरा कहना है कि यह एनवायरमेंट मन्त्री तो हैं ही लेकिन वे भारत सरकार के नुमाइन्दे भी हैं, हमारे सामने भारत सरकार के मन्त्री हैं तो मेरा यह कहना है कि भारत सरकार की ओर से उनको कहना चाहिए । मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ये अब मान चुके हैं, संसद के सामने मान चुके हैं कि शर्तिया तो नहीं होना चाहिए था, फिर शर्त के साथ जब दिया और अब शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, आगे चलकर वह मालूम होना चाहिए कि उनकी शर्तें तो कतई पूरी नहीं होंगी। अन्त का मेरा सवाल है, क्या एनवायरमेंट

[अनुवाद]

क्या वे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को लागू करेंगे और परियोजना को समाप्त करेंगे ?

[हिन्दी]

मैं आज फिर आपके माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहूंगा, क्योंकि,

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्री होने के नाते उन्हें इस पर नजर रखनी चाहिए ।

[हिन्दी]

तो जो माइन्स मिनिस्ट्री का हवाला दिया, यह बिल्कुल धोखे की बात है। मैं तो इतना ही आग्रह करूंगा कि

[अनुवाद]

उन्हें हिम्मत करनी चाहिए और सभा में आज यह घोषणा कर देनी चाहिए कि वे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू करने जा रहे हैं ताकि इस परियोजना को समाप्त किया जा सके जैसे कि इस संबंध में उनका मन्त्रालय पहले कर चुका है ।

सभापति महोदय : पहले सभी प्रश्न कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दे सकते हैं ।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं उन लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ दूंगा ।

सभापति महोदय : इससे समय की भी बचत होगी ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय सभापति महोदय, इसके संदर्भ में सदन के अन्दर और सदन के बाहर काफी कुछ कहा जा चुका है। सन् 1972 से लेकर 1990 के बीच में साढ़े चार सौ करोड़ रुपए खर्च हो चुके है और नतीजा यह निकला है कि वर्ष 1990 के अन्दर कमेटी ने यह कहा है कि यह प्रोजैक्ट बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। बाद में वह व्यक्ति जो परियोजना का कंसलटैंट है, उसे बाद में एक्सपर्ट बनाकर के उसकी रिपोर्ट ले ली गई। मैं टैक्नीकल बातों में नहीं जाना चाहता हूं और देश की जनता टैक्नीकल बातों को समझना भी नहीं चाहती है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि वास्तव में हमें क्या मिल रहा है ? मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। कहा गया है कि 1972 में इतने करोड़ रुपए की योजना थी और 1990 में आकर के यह योजना चार-पांच हजार करोड़ रुपए की योजना है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में एक भी पैसा नहीं आएगा। यह समस्या राजनीतिज्ञों के बीच में गेंद की तरह से घूमती रहेगी और उत्तर प्रदेश लौट-फिर कर कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। इतनी बड़ी योजना के बारे में गम्भीरता से विचार करके निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो काफी नुकसान होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आज यहां पर माननीय मन्त्री जी के अलावा ऊर्जा और खान मन्त्री को भी उपस्थित रहना चाहिए था, ताकि इसके बारे में फैसला हो सकता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मुझे केवल एक ही बात कहनी है। आज 1972 से लेकर 1990 तक इस प्रोजैक्ट पर काफी चर्चा हो गई है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय एक स्पष्ट जानकारी दें कि इस योजना का भविष्य क्या होगा और इसके बारे में अंतिम फैसला क्या होगा ? कल फिर कोई 'कमेटी बैठा कर और यहां आकर कुछ कहें, मुझे लगता है कि इसमें कोई विदेशी ताकतें, मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है, यह चाहती हैं कि यह योजना उलझी रहे, क्योंकि किस को आर्डर मिले और किसको लाभ मिले। माननीय मन्त्री जी से सारी बातें तो हमारे आदरणीय सदस्यों ने पूछ ली हैं, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं, इसमें उत्तर प्रदेश का हित होगा या नहीं ? पचास साल बाद उत्तर प्रदेश को बिजली मिलेगी तो कहीं भी उत्तर प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि इसके बारे में जल्दी और स्पष्ट फैसला होना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि इसमें हमको क्या लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, यह मान्य बात है कि विकसित राष्ट्रों में तब तक किसी भी बांध के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि "विपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम" नहीं बना लिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि उनके पास अभी तक कोई विपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम नहीं आया है। अतः यह टिहरी बांध कैसे बनाया गया जबकि निर्धारित शर्तें ही पूरी नहीं की गई थीं और मन्त्रालय, सरकार तथा इस सभा के समक्ष कोई विपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था।

मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि यदि युद्ध आरम्भ होने की दशा में सीमा के क्षेत्रों पर ही पहले आक्रमण नहीं किया जाता बल्कि आंतरिक भागों में भी आक्रमण किया जाता है। अतः मैं

[श्री मानवेन्द्र शाह]

पर्यावरण, पुनर्वास और भूकम्प की सम्भावनाओं के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं लेकिन यदि युद्ध होता है और टिहरी बांध पर प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाते हैं तब भारी विनाश होगा। क्या सरकार ने इन बातों की ओर ध्यान न देते हुए कि क्या भूकम्प की समस्यायें हैं या नहीं अथवा पुनर्वास की व्यवस्था संतोषजनक है या नहीं अथवा क्या पर्यावरण संबंधी शर्तें पूरी की गई हैं या नहीं, इन सभी पक्षों पर विचार किया है ? यदि एक बार युद्ध छिड़ जाता है और आन्तरिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया जाता है तब आप समझ सकते हैं कि हमारे कार्य पर इसका क्या प्रभाव होगा। अतः इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना होगा।

अन्त में यह स्वाभाविक है कि विभिन्न मन्त्रालयों के बीच संघर्ष चलता रहा है। यदि सरकार सभा को कार्यभार सौंप दे तो मेरे विचार से यह सभा इन सभी पहलुओं की जांच करने के लिए संसदीय समिति गठित करने के मुद्दे को स्वीकार कर सकती है। अतः क्या मन्त्री महोदय इन सभी पहलुओं की जांच करने के लिए संसदीय समिति गठित करेंगे ?

डा० आर० मल्लू : महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं बल्कि मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जिन सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं वे प्रश्न पूछ लें।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि उनके मन्त्रालय ने निदेश दिया था कि डिजाईन 8.5 मी० स्तर पर होगा। अब उन्होंने कहा है कि अब इसे 7.5 मी० तक स्वीकार किया गया है। इसमें अब परिवर्तन कैसे किया जा सकता है ?

दूसरे, मैंने एक अन्य प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर नहीं दिया गया। क्या भूमि पर डिजाईन में सुधार करने की कोई संभावना है ? यदि वहां पर 1,100 मीटर नींव के लिए स्थान है तब हम वहां 1,500 मीटर की नींव कैसे बना रहे हैं ? यहां दो मजिले घर के लिए नींव बनाई जा रही है और फिर इस पर 20 भवन बनाए जा रहे हैं। मन्त्री महोदय को यह बात भी स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान)

डा० आर० मल्लू : मैं मन्त्री महोदय, को अपनी बात बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। नियमों में यह प्रावधान है कि जिन्होंने सूचनाएं नहीं दी हैं वे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

डा० आर० मल्लू : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। बल्कि मैं बांध के बारे में कुछ बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आज जो कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में सूचना दें।

डा० आर० मल्लू : मुझे यह बताया गया है कि सरकार टिहरी ताप विद्युत बांध के निर्माण पर पहले ही 600 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है।

सभापति महोदय : मैं आपकी चिंता से सहमत हूं। आप नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। अन्ततः हमें नियमों का पालन करना है।

डा० आर० मल्लू : मैं बिना और विलम्ब किए तत्काल बांध पूरा करने की आवश्यकता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय रवि राय जी महसूस करते हैं कि मुझमें जो पहले साहस था उसमें कमी आई है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि जब से मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है, तब से आज तक मेरे साहस में कोई कमी नहीं आई है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा बचाव और सुरक्षा के पहलुओं के बारे में व्यक्त मुद्दों के बारे में उतना ही चिंतित हूं जितना कि माननीय सदस्य चिंतित हैं ।

माननीय रविराय जी द्वारा उठाये गए मुद्दे के बारे में, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि मैं उन परिस्थितियों में किसी समझौते की अनुमति नहीं दूंगा जिनसे बांध की सुदृढ़ता और सुरक्षा पर कुप्रभाव पड़े। हम इन शर्तों पर समझौता नहीं करेंगे। सामान्यतः ये शर्तें नहीं लगाई जाती हैं ।

यह एक बड़ी परियोजना है। अनेक समितियों ने इसकी जांच की थी। जैसा कि मैंने कहा कि 1972 से ही इस पर विचार किया जा रहा था।

यह शर्तें काफी सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लगाई गई थी। इसके बारे में कोई समझौता नहीं होगा।

जहां तक रक्षा सेवाओं पर इसके असर का सम्बन्ध है मुझे कोई जानकारी नहीं है।

मेरे मंत्रालय ने रक्षा मन्त्रालय से इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

यदि सदस्यों की यही इच्छा है तब हम इसकी जांच करने के लिए रक्षा मंत्रालय से बात करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम उस परियोजना में शामिल नहीं हो सकते हैं जिसमें रक्षा सम्बन्धी प्रमुख मुद्दे शामिल हों।

मैं नहीं जानता कि क्या विद्युत मन्त्रालय ने इसकी जांच की है। लेकिन मेरे विचार से उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए।

कुछ परियोजनाओं को सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति लेने के लिए एक प्रक्रिया है। मैं नहीं जानता लेकिन मेरे मंत्रालय में स्पष्टीकरण के लिए रक्षा मन्त्रालय से कभी सम्पर्क नहीं किया था। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदय, आप मन्त्री जी से कहिए कि जो सवाल पूछे गए हैं उनका उत्तर दें। **(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : सर, जिन्होंने सवाल नहीं पूछे, वे भी उत्तर चाह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री रविराय : श्रीमान, डा० मोड़ ने जो प्रश्न उठाए थे, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। यह व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को आपने प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की और जो भी माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित है उन सब लोगों की यह इच्छा थी कि इतने महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर हम सब लोग प्रश्न पूछना चाहते थे। (**व्यवधान**) अब ये जो उत्तर पूछे गए हैं माननीय मन्त्री जी को उनका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मै एक बात पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपका इसी मुद्दे पर व्यवस्था का प्रश्न है अथवा किसी अन्य मुद्दे पर ? मैं यह जानना चाहता हूं कि ताकि इस बारे में मैं अपना निर्णय दे सकूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मेरा भी यही कहना है। सामान्यतः आधे घंटे की चर्चा में हम यह प्रक्रिया अपनाते हैं कि जो लोग चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और प्रश्न उठाना चाहते हैं वे सुबह 11.00 बजे तक अपने नाम दे दें और उन्हें ही अब चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। यह आशा की जाती है कि दूसरे लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि आधे घंटे के दौरान हम मामले को समाप्त कर सकें।

दूसरे, सामान्यतः जब मंत्री महोदय खड़े हों और वह भाषण दे रहे हों तब हम खड़े नहीं होते हैं और बार-बार व्यवधान नहीं डालते हैं। महोदय, आपके माध्यम से सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय से बोलने के लिए कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि इस बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं।

सभापति महोदय : सभी ने आपकी टिप्पणियां नोट कर ली हैं :

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे अपना विनिर्णय देने दें। जिन सदस्यों ने पहले से सूचनायें दी हैं उन्होंने ही प्रश्न पूछें हैं। यह पहला मुद्दा मंत्री महोदय की टिप्पणियों के संबंध में है। आपने एक सही मुद्दा उठाया है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे मंत्री महोदय के भाषण में व्यवधान न डालें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तब आप कह सकते हैं। आप तब प्रश्न पूछ सकते हैं जब वे इससे सहमत हों।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, मेरे विचार मे सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया गया है।

सभापति महोदय : हां।

श्री कमल नाथ : महोदय, आपके विनिर्णय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह समाप्त करने से पहले मुझे यह बताया गया था कि मैंने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। मैं अभी भी उत्तर दे रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए ताकि उत्तर उन्हें समझ आ सके।

श्री कमल नाथ : मैं संक्षेप में बोलूंगा । रक्षा संबंधी स्वीकृति के लिए रक्षा मन्त्रालय से संपर्क किया था और इस परियोजना में मिलायी जाने वाली सड़कों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी लेकिन आक्रमण होने की स्थिति में रक्षा मन्त्रालय की राय के बारे में पूछना शेष है । अतः मैं केवल जानकारी देना चाहता हूं । प्रो० जय कृष्ण की नियुक्ति की वैधता अथवा सत्यता का प्रश्न भी उठाया गया था । मुझे खेद है कि इस बारे में मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है । प्रो० जय कृष्ण··· (**व्यवधान**) जय राम और जय कृष्ण के बीच मुझे कुछ भ्रम हो गया··· (**व्यवधान**)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, मैं एक मिनट का समय लूंगी ।

सभापति महोदय : आप क्या चाहती हैं कि मन्त्री महोदय चुप हो जाएं और आपको बोलने दें ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यदि वे ऐसा करें तो अच्छा है ।

श्री कमल नाथ : जी हां महोदय, मैं उन्हें बोलने देता हूं ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, यह आपकी और मन्त्री महोदय की सज्जनता है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । लेकिन मेरा विश्वास है कि मन्त्री महोदय यहां बैठे सभी सदस्यों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं । वह अनेक बांधों और परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं और इसीलिए उन्हें संबंधित लोगों के नामों के बारे में गलतफहमी हो गई । उन्होंने अनेक बातें कही हैं और अन्य सदस्यों ने भी उन्हें अनेक बातें बताई हैं । अन्ततः हम मूल प्रश्न के बारे में नहीं जान पाते हैं । मैं केवल यही कह सकती हूं कि उन्होंने एक लम्बा भाषण दिया । अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं ।

सभापति महोदय : कृपया इतना लम्बा मत बोलिए । जो कुछ आप बोलना चाहती हैं केवल वही बोलिए ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपये व्यय किए गए और दिल्ली में काफी पानी उपलब्ध होगा इससे भूमि सिंचित होगी । लेकिन इतना अधिक धन व्यय करने के बाद यह लाभ मिल रहे हैं । हम सब पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं । लेकिन हम यह नहीं सोचते कि विकास कार्य रोक देना चाहिए । मैं यही महसूस करती हूं ।

[हिन्दी]

जैसा कि कहा जाता है कि एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री ने सबको गिरवी रखा है, तो आप मेहरबानी करके उन लोगों के नाम बताएं, ताकि मालूम हो जाए, जिन्होंने लिखा है, उनको भी सही सही मालूम हो जाए और जो काम करवाना है, वह भी करवा लें तो अच्छा होगा ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : सभापति महोदय, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी सदन को दी जाए, तो हमें भी समझ में आ जाएगी और किसको एक्सपर्ट बनाकर नियुक्त किया गया था, उसकी भी पूरी जानकारी सदन को दे दें ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि जो लोग जानकारी देना चाहते हैं उन्हें मन्त्री महोदय से ही सम्पर्क करना चाहिए । आप कृपया उन्हें जानकारी दे दें ।

श्री कमल नाथ : धन्यवाद। मैं संक्षेप में बात करूंगा। इस मामले में कुछ भी गोपनीय नहीं है। माननीय सदस्य जो भी जानकारी चाहते हैं उन्हें मैं देने के लिए तैयार हूं। इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं बहुत खुशी से उन्हें वह सूचना दूंगा जो वह चाहते हैं। अन्त में, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरा मन्त्रालय किसी तरह के सुरक्षा पहलुओं अथवा यदि उन्हें सुरक्षा के संबंध में कोई कठिनाइयां हैं अथवा उस क्षेत्र में खतरा अथवा इस बांध के निर्माण में अन्ततोगत्वा खतरा होने की किन्हीं भी स्थितियों में समझौता नहीं करेगा और नहीं झुकेगा।

(व्यवधान)

डा० आर० मल्लू : मैं समझता हूं, मैं अब बोल सकता हूं क्योंकि अन्य सभी बोल चुके हैं···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम अवश्य यह चाहेंगे। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अवसर देने का प्रयत्न करूंगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : वे सभी सदस्य जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वे मन्त्री जी के चैम्बर के पर्यावरण भवन में साथ के कमरे में जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम ऐसा न करें। आप कृपया बैठ जाइए। स्थिति कुछ इस प्रकार है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नियमों में व्यवस्था नहीं है कि सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकें। लेकिन अति विशेष स्थिति में और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण न बन जाए, मैं आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। यह नियम का अपवाद है और यह पूर्व उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा। केवल एक सदस्य प्रश्न पूछ सकता है।

डा० आर० मल्लू : मैं केवल अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि, मुझे जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसे समझने के लिए मेरे पास तकनीकी योग्यता नहीं है फिर भी मैं इस बांध के बारे में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक बात समझ सका हूं। मुझे यह बताया गया है कि हमारे देश में बिजली का उत्पादन अधिक होने जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि यहां पर बहुत सी ऐसी भूमि है जो कि सिंचाई के द्वारा काम में लाई जाने वाली है। एक अन्य बात जो मेरी समझ में आई है वह यह है कि पीने के पानी की आपूर्ति दिल्ली के लोगों को की जाने वाली है क्योंकि दिल्ली के लोग पानी की कमी से ग्रस्त हैं। मैं समझता हूं मेरे विचार से यह तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश को बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता है। सिंचाई के उद्देश्य से भी इसकी आवश्यकता है।

सभापति महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मन्त्री जी उत्तर दें।

डा० आर० मल्लू : सरकार ने पहले ही 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जांच और पुनर्जांच द्वारा रिपोर्टें पढ़ने के बाद, यह सब बातें ध्यान में

[डॉ० आर० मल्लू]

आई हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि देश के हित में इस बांध को बनाने के लिए अनुमति दी जाए। कोई व्यक्ति यह कह रहे थे "यदि यह बांध टूट जाता है, तो क्या होगा।" भारत में कई बांधों का निर्माण किया गया है। यदि आप प्रलय के बारे में सोचें...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

डा० आर० मल्लू : कोई प्रश्न नहीं है। मैं मन्त्री जी को केवल इन बातों के बारे में बताना चाहता था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते तो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसके लिए मन्त्री जी आपको कोई उत्तर दें।

जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने नियम में एक अपवाद स्वरूप ऐसा किया है और बाद में यह पूर्व उदाहरण के रूप में उद्धरित नहीं किया जाएगा।

अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.29 म० प०

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 30 अगस्त, 1991/8 भाद्र, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472, एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-110006